

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदावाद-१४

सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन

पहली आवृत्ति ३०००, १९५७

वैसे दिखायी देता है कि मानव-जाति व्यापार, युद्ध, सुलह-गान्धि, विज्ञान और कलाके कार्योंमें तल्लीन है। परन्तु मानव-जातिके लिये सच्चा और महत्त्वका कार्य तो अके ही है, और वही कार्य वह करती है। वह कार्य है जिन नैतिक सिद्धान्तोंके आधार पर वह जीती है, उनका साक्षात्कार करना। नैतिक सिद्धान्तोंका अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन कालसे चला आया है। मानव-जाति अपने लाभके लिये उन्हें केवल विशद (= उनका स्पष्ट ज्ञान) कर लेती है।

— टॉल्स्टॉय ('तब क्या करेगे?' से)

ॐ

न होय जें देवा असुरां ।
तें तुझें करणें दातारा ।
समर्थ न देखो दुसरा ।
तुजवांचूनि ॥

आणिका कवणा नमस्कारुं ।
कवणाचें स्तवन करुं ।
जयजयाजी श्री गुरु ।
अगाध महिमा ॥

तुज विण अन्य न देखो कोणी ।
म्हणोनि आणिकाते न मानी ।
हा मस्तक तुझिये चरणीं ।
ठेविला सत्य ॥

(परमामृत)

प्रस्तावना

लगभग १७-१८ वर्ष पहले जब मैं कॉलेजमें पढता था, तब हमारे देशकी प्राथमिक तालीमके प्रश्नने पहले-पहल मुझे आकर्षित किया था। जिस तरह माननीय गोखलेजीके थोड़े मिनटके सहवासने भाईश्री करसनदास चितळियाके जीवनका रास्ता ही बदल डाला, उसी तरह अनुका प्राथमिक तालीम सम्बन्धी मसौदा मेरे जीवनको शिक्षाके क्षेत्रमें ले जायगा, ऐसा तो उस समय नहीं लगता था। परन्तु उसने मुझे जिस विषयमें विचार करनेकी प्रेरणा अवश्य दी थी।

मुझे याद नहीं आता कि ऐसी ही किसी बाह्य प्रेरणासे मैं धर्ममें रस लेने लगा होऊँ। धर्मके सम्बन्धमें तो यही कहना चाहिये कि धार्मिक माता-पिता और स्वामीनारायण सम्प्रदायके सन्तों द्वारा डाले हुअे सस्कार मुझमें अपने-आप खिलते और विकसित होते गये।

कॉलेजमें उस समय सपत्तिशास्त्र और विज्ञानशास्त्र मेरे बड़े प्रिय विषय थे।

जिन सबके फलस्वरूप मेरी यह श्रद्धा हो गयी थी कि हमारे देशके सारे दुःख दूर करनेके अुपाय चार प्रकारके हैं - अनिवार्य प्राथमिक तालीम, धर्म-प्रचार, विज्ञानकी सहायतासे चलाये जा सकने-वाले छोटे-छोटे अुद्योग तथा देशकी आर्थिक स्थितिका अध्ययन।

परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिन चारोके बारेमें मुझे कोअी तात्त्विक विचार उस समय सूझे थे। अितना स्मरण है कि उस समय विद्यार्थियोकी अेक सभामें प्राथमिक तालीमके बारेमें मैंने जो निबन्ध पढा था, उसमें अभ्यासक्रमकी अेक योजना भी बतायी थी। उसमें मातृभापाको स्थान दिया गया था, हिन्दीको स्थान दिया गया था, धार्मिक शिक्षणको स्थान दिया गया था और अुद्योग-धन्वोंको स्थान दिया गया था। परन्तु मेरा खयाल है कि सारी योजना परम्परागत मार्ग पर ही बनायी गयी होगी। मुझे स्वयं तो शिक्षणका

कोभी अनुभव नहीं था। जिसलिये सारी चीज दूसरोंके विचारोंका निष्कर्ष होगी अथवा तर्कसे खोजी हुयी होगी।

युस समय मेरा यह विश्वास था कि धार्मिक शिक्षणका अर्थ है स्वामीनारायण धर्मका प्रचार। परन्तु भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंके श्रोता-वर्गके सामने असा कहनेकी मेरी हिम्मत नहीं थी। जिसलिये जिन नैतिक गुणों पर स्वामीनारायण सम्प्रदायने जोर दिया था, उन गुणोंकी तालीमको मैं धार्मिक शिक्षण कहता था। परन्तु मनमें यह धारणा रहती थी कि ये गुण स्वामीनारायण सम्प्रदायके प्रचारके बिना और किसी तरहसे समाजमें आनेवाले नहीं हैं। अतः सहजानन्द स्वामीके धर्मको मैं नैतिक गुणोंका निष्कर्ष मानता था।

युसके बाद ८-९ वर्षका समय चला गया। जिस बीच जिन विषयोंमें मेरी कुछ दिलचस्पी तो बनी रही, परन्तु यह पता नहीं था कि जिसी क्षेत्रमें मेरे जीवनका प्रवाह धूमेगा। मैं गांधीजीके सम्पर्कमें आया और अपनी जिस चित्तवृत्तिका मुझे स्पष्ट भान नहीं था, उसका स्पष्ट भान हुआ।

स्वामीनारायण सम्प्रदाय और प्राथमिक तालीमके प्रचारकी पुरानी वासनार्ये फिर जाग्रत हुआ। जिन दो प्रकारकी वासनार्येके कारण वर्षों तक मैंने यह आशा रखी कि स्वामीनारायण सम्प्रदाय द्वारा ही अेक विद्यापीठकी स्थापना की जाय, जिससे अेक पंथ दो काज सिद्ध हो जायं। लेकिन सम्प्रदायका वातावरण अैसी प्रवृत्तिके अनुकूल नहीं था। और अैसे किसी दूसरे व्यक्तिको मैं जानता न था, जो मरी जिन काममें सहायता करता। जिसके अलावा, न तो मुझे धर्मके तत्त्वोंका अनुभव था और न तालीमका कोभी अनुभव था। अतः मैंने जिस निश्चयके साथ आश्रममें प्रवेश किया कि वहां रहकर मैं यह अनुभव प्राप्त करूंगा।

आश्रममें कुछ समय तक मैंने शिक्षकका काम किया। अभी तक मुझे तात्त्विक विचारोंकी कोभी दिशा सूझी नहीं थी। परन्तु दो बातोंका निश्चय हो गया था: (१) शिक्षकके रूपमें मैं अयोग्य

हूँ; (२) धर्मशास्त्रोके अध्ययनसे धर्म कोजी अलग ही चीज है, जिसका ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके विना प्राप्त नहीं हो सकता ।

शिक्षकके रूपमें मेरी अयोग्यता आज मुझे जैसी दिखायी देती है, वैसी उस समय बिलकुल नहीं दिखायी दी थी । उन दिनों मेरा खयाल था कि मुझे शिक्षा देना नहीं आता, क्योंकि मैं बहुश्रुत नहीं हूँ, मुझमें ज्ञान देनेकी कला नहीं है या मेरी आवाज तीखी है आदि आदि । लेकिन उन दिनों मुझे जिस बातका स्पष्ट पता नहीं चला था कि शिक्षकके रूपमें मेरी अयोग्यताका असल कारण यह है कि मैं स्वयं तालीम पाया हुआ नहीं हूँ ।

भूतकाल पर आजकी दृष्टिसे विचार करने पर मैं देखता हूँ कि प्राथमिक और धार्मिक तालीमके वारेमें मेरा अत्यन्त आग्रह होनेका कारण यह था कि मैंने स्वयं यह दो प्रकारकी तालीम नहीं पायी थी । जब तक अपने भीतरकी अिन कमियोंका मुझे स्पष्ट भान नहीं था, तब तक अिनके प्रचारके वारेमें मेरा आग्रह भी तीव्र नहीं था; जैसे-जैसे ये कमियां मुझे अधिक खलने लगी, वैसे-वैसे अिनके प्रचारके वारेमें मेरा आग्रह भी तीव्रसे तीव्रतर होता गया । अलवत्ता, यह ज्ञान मुझे बिलकुल नहीं था कि मेरे अन्दरकी कमियां ही मुझे बाहर दिखायी देती हैं ।

पाठकोको लगेगा कि अेक वर्गसे दूसरे वर्गमें चढते हुअे वी०अे०, अेल-अेल० वी० तक पहुँचा हुआ मैं यह क्या वकता हूँ कि मैं प्राथमिक तालीमसे वचित था । धर्मका ज्ञान मुझे नहीं था, यह बात शायद पाठक स्वीकार कर लेंगे, परन्तु यह बात वे संभवतः नहीं मानेंगे कि मैंने प्राथमिक तालीम नहीं पायी थी । मैं पढ़ा-लिखा था, अिससे मेरा अिनकार नहीं । फिर भी मेरी प्राथमिक तालीम — सम्पूर्ण तालीमका मूल आधार, जिसके विना सारा शिक्षण रेतमें वनाये हुअे मकानकी तरह भयकर हो जाता है — पूरी नहीं हुअी थी । यह बात मुझे समझानी पड़ेगी ।

मैं कुछ विद्यार्थियोंको अैसी आदर्श तालीम देनेका अिरादा रखता था, अिससे वे भविष्यमें देशके आदर्श सेवक वनें । मातृभाषाका ठोस

ज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, जमालचं या हिसाब-नवीसी, संगीत, प्रार्थना आदि विषयोंकी शिक्षा लेकर विद्यार्थी आदर्श नागरिक बनेंगे, जैसे मेरे मुहसे निकलनेवाले सिद्धान्त तो नहीं, परन्तु अन्तःकरणके विचार मालूम होते थे। परन्तु मैंने देखा कि ये सब तो अलग अलग विद्यार्थों हैं। ऐसी विद्यार्थों तो अनंत हो सकती हैं। और यह निश्चय करना कठिन था कि ऐसी कितनी विद्यार्थोंके ज्ञानसे विद्यार्थी आदर्श नागरिक बन सकते हैं। अतने विषयोंकी गिनतीके क्या कारण हैं, यह मैंने अने दिनों अकेले लेखमें समझाया था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि अने कारणोंके पीछे यदि कोई सिद्धान्त रहा हो, तो उसे मैं अने समय समझा नहीं था। मैं केवल अतना समझ पाया था कि शिक्षण देनेमें कड़ा परिश्रम करनेके बावजूद मुझे और मेरे विद्यार्थियोंको सन्तोष नहीं होता था। रोगी मनुष्य जिस तरह रोगकी वैचैनीमें करवट बदलकर, अिस ओरका तकिया अुस ओर रखकर, लेटा हो तो बैठकर और बैठा हो तो लेटकर, अथवा मा-बाप या भगवानको पुकार कर चैन पानेकी कोशिश करता है, अुसी तरह हम लोग वर्ग बदल कर, समयपत्र बदल कर, विषय बदलकर, अपने दोषोंके लिये विद्यार्थियोंको दण्ड देकर और शारीरिक दण्ड देनेमें अनीति मालूम होने पर अुपवासके वहाने अुन्हे मानसिक दण्ड देकर सन्तोष पानेका मार्ग खोजते थे। परन्तु रोगकी जड़की कोई दवा ध्यानमें नहीं आती थी।

अुस रोगकी जड़ यह थी। मुझमें और मेरे विद्यार्थियोंमें ऐसा कोई तात्त्विक भेद नहीं था, जिससे हम दोनोंमें यह फर्क किया जा सकना कि वे तालीम लेने लायक हैं और मैं तालीम देने लायक हूँ। हमारे विद्यार्थी आपसमें लड़ते-झगड़ते थे, अेक-दूसरेसे अप्प्या करते थे, कभी वार वाग्दुष्ट पर और कभी कभी मार-पीट पर भी अुत्तर आते थे। अुसी तरह हम अिअक अथवा व्यवस्थापक भी आपसमें लड़ते थे, अेक-दूसरेसे अप्प्या करते थे और कभी वार वाग्दुष्ट पर अुत्तर आते थे। हमारे बीच मार-पीटकी नीवत नहीं आती थी, अुसका अेकमात्र कारण यह था कि हमारे पास अत्रिक तेज फलवाला बाण था; वह था मर्मभेदी वाणीका बाण। बालकोने आपसमें जो मार-पीट की थी,

असका आज अुन्हे स्मरण होगा या नही यह शंकास्पद है। परन्तु हमारे वाग्वाणोके घाव तो जीवन भर याद रहनेवाले थे। बालकोकी दृष्टिसे सोचा जाय तो अुनके झगडोके विषय हमारे झगडोके विषयोसे अुनके जीवनमें कम महत्त्व नही रखते थे। बालक अपने विषयोकी तुच्छताको समझ नही सकते थे। और हमारे विषयोको तो हम तुच्छ मान ही कैसे सकते थे ?

अिसके सिवाय, बालक जिन वस्तुओसे खुश होते थे, अुन्ही वस्तुओसे हम भी खुश होते थे। अुन्हे मिष्टान्न अच्छे लगते थे, तो हमें भी अच्छे ही लगते थे। अुन्हें सगीतमें आनन्द आता था, तो हमें भी अुसमें आनन्द आता था; अिसीलिअे तो हम अुन्हे सगीत सिखानेको ललचाते थे। यदि हम दोनोके बीच कोअी भेद था तो अितना ही कि अुनमें जो विषयेच्छायें नही थी वे हमारी बडी अुअ्रके कारण हममें थी। हमारे विद्यार्थी गर्मीके दिनोंमें भर दोपहरीमें मस्त खेलते थे; परन्तु हमारी चमडी बहुत नाजुक थी, वह धूप सहन नही कर सकती थी। काम-वासनामे विह्वल होनेका तो हमारा ही हतभाग्य था। अधिकारकी लालसा और मान-अपमानके झगडे अुनकी अपेक्षा हमारे बीच ही अधिक तीव्र थे।

आश्रमकी साय-प्रार्थनामें स्थितप्रज्ञके लक्षणोवाले गीताके श्लोक बोलनेका रिवाज है। मैं देखता था कि •

- १ अिन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन ।
- २ व्यायतो विषयान् पुस सगस्तेपूनजायते ।
- ३ अिन्द्रियाणा हि चरता यन्मनोऽनुविधायते ।
तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाविवाभसि ॥
- ४ अिन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषी व्यवस्थितौ ।

आदि श्लोक जितने बालकोको लागू होते अुतने ही हमें भी लागू होते थे। क्रोध, लोभ, अीर्ष्या आदि विकार जिस प्रकार बालकोको विवश कर देते थे, अुमी प्रकार हमें भी विवश कर देते थे। भेद विकारोका नही था, केवल विकारोके प्रत्ययो — निमित्तो — का था ।

मैंने देखा कि जिस विषयमें एक ओर बालक और दूसरी ओर युनिवर्सिटीकी दो-दो डिग्रिया रखनेवाले, यूरोप या अमेरिकाके डिग्रीवारी, कवित्वकी ख्यातिवाले, संगीतके निष्णात, भिन्न भिन्न प्रकारकी कारीगरोंमें कुशल, कलाकी दृष्टि रखनेवाले, तत्त्वज्ञानके अभ्यासी, योगके अभ्यासी, अवधानी, विधिवत् देवपूजा करनेवाले, साधुओंको भोजन करानेवाले, ब्रह्मचारी, संन्यासी, देशके लिये या सम्प्रदायके लिये जीवन अर्पण करनेवाले जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष — सब एक ही मिट्टीके पुतले हैं। जिन विकारोंकी गुलामीसे न तो स्वतंत्र प्रजायें मुक्त हैं, और न परतंत्र प्रजायें।

एक बात और। आश्रमकी शालाके प्रयोगोंके दिनोंमें परिवारके कुछ बालकोंको भी हमने साथ रखा था। उनमें आश्रमवासियोंके बालक भी थे। दूसरे लोगोंने भी कुछ बालक हमें सौंपे थे। मैंने देखा कि बहुतसे पिताओंने परेशान होकर अपने बालकोंको आश्रममें रखा था; युद्धे अपने बालकोंसे सतोष नहीं था; वे हमारे द्वारा उनमें सुधार कराना चाहते थे। जिस सम्बन्धमें बहुत बार वे हमारे पास आकर बालकोंके बारेमें चिंता प्रकट करते थे और हमारी 'सलाह' मांगते थे। माता-पिताके साथ हुई वातचीतसे मुझे पता चलता था कि पिता-पुत्रके बीचके असन्तोषकारक सम्बन्धों और पुत्रोंके दोषोंका कारण घरका वातावरण ही था। भले ही पिताको बालकोंकी अुमंग, अुत्साह, खेलकूद वगैरा किन्हींके साथ सहानुभूति न हो, किसी दिन भी अुन्होंने बालकोंको प्रेमसे अपने पान बैठाने जितना मनको अुदार न किया हो, स्वयं कैसा भी व्यवहार करते हों और चाहे जैसी आदतें रखते हो, चाहे जैसे हलके शब्दोंसे बालकोंका अपमान करते हों, अव्यवस्थित रहते हो, स्वयं अपनी पत्नीके साथ चाहे जैसा व्यवहार करते हों, लगभग पुत्रकी आयुकी लड़की व्याह कर लाये हो, अपने रहन-सहनमें कोई सुधार करनेकी अिच्छा न रखते हो, फिर भी वे यह चाहते थे कि उनका बालक विनयी, परिश्रमी संयमी और नवको पसन्द आने लायक बन जाय। 'हमारा जीवन तो अब गया, पर हम चाहते हैं कि ये बालक सुधर जाय' — उनको यह मांग मुझे विचित्र मालूम होती थी और मैंने अेक-दो पिताओंसे

कहा भी था कि जब तक आप न सुधरेंगे, तब तक आपका लड़का नहीं सुधर सकता। फिर भी असा हो सकनेकी मुझे आशा तो थी।

परन्तु माता-पिता या पालकोंके लिये जिस नियमको मैं ठीक समझता था, वही नियम मुझे भी लागू होता है, जिस चीजको मैं अुस समय समझ नहीं पाया था। जिस प्रकार बाहरके बालक अुनके घरका वातावरण शुद्ध हुअे बिना आश्रमके ४-६ महीनोंके सहवाससे सुधर नहीं सकते, अुसी प्रकार मेरी देखरेखमें रहनेवाले बालक मेरे घरका वातावरण शुद्ध हुअे बिना वैसे नहीं बन सकते जैसे बननेकी मैं अुनसे अपेक्षा रखता हूँ—यह बात मेरी समझमें नहीं आ पाती थी। जिसलिये मेरे और मेरे घरके बालकोंके बीच भी असन्तोष ही रहता था। मेरी पत्नीके साथ हर दूसरे-तीसरे दिन मेरा झगडा होता रहता था, अपने किसी निश्चय पर मैं कमसे कम अेक माहके लिये भी दृढतासे अमल नहीं कर पाता था, मुझे भी अपनी वस्तुअें अुनके स्थान पर करीनेसे रखनेकी आदत नहीं थी, मेरी मेज भी सदा अव्यवस्थित दशामें रहती थी (आज भी अैसी ही रहती है), भूख न होने पर भी दिनमें २-४ बार खानेकी मेरी अिच्छा हुआ करती थी और कोबी रोकनेवाला न होनेके कारण मैं वेखटके अैसा कर सकता था—फिर भी मैं चाहता था कि मेरे भतीजे झगडा न करनेवाले, दृढनिश्चयी, व्यवस्थित और मिताहारी बनें। और जब मैं अुन्हे अैसे बनते न देखता तो परेशान होकर अपना यह भार मैं अन्य किसी शिक्षकको सौंप देता था। 'पराबी मा ही कड़ी बनकर बालकको सीधे रास्ते लगा सकती है' पालकोंके जिस सिद्धान्तको मैं भी मानता था।

जिसी प्रकार हम यह भी चाहते थे कि हमारे विद्यार्थी केवल विद्या-व्यासगी ही नहीं, अुद्योग-व्यासगी भी बनें, वे मजदूरकी तरह श्रम करनेवाले बनें। जिसके लिये हम शालामें बार बार श्रमके लिये अधिक समय रखनेके प्रयोग करते थे; हममें से अेक-दो शिक्षक बारी बारीसे जिस श्रममें शरीक भी होते थे। परन्तु विद्यार्थियोंको श्रमकी अधिकसे अधिक महिमा समझाने पर भी अुनमें हमने पडित-जीवनकी प्रीति ही निर्माण होते देखी; और श्रम प्रेमसे नहीं

वल्कि वेगारकी भावनामे ही किया जाता देखा। जिसके कारण जितना लिखनेके पञ्चात् अब आसानीसे समझमें आ जायेंगे, परन्तु मैं धुम समय अन्हें समझ नहीं पाया था।

मैं यह नहीं समझ सका कि हमारा जीवन विद्या-व्यासंगी था, अद्यम-व्यासंगी नहीं; बालकोके साथ परिश्रम करनेका समय रखते अुस समय भी हमारा मन तो किमी पुस्तकमें अथवा साहित्य-चर्चामें ही रमा रहता था। जिसके सिवाय, अेक-दो शिक्षक ही बालकोके साथ परिश्रमके काममें अपूर कहे अनुसार वेमनसे भाग लेते थे, जब कि हमरे शिक्षक तो प्रत्यअ रूपमें साहित्यकी ही अपुासना करते थे। साहित्यका खण्डन करनेके हमारे तरीकेमें भी साहित्यकी अपुासना ही होती थी, और श्रमका मण्डन हाथ-पैरसे नहीं परन्तु अविकतर लेखो और प्रवचनोंसे ही किया जाता था। फिर भी हमारा यह विश्वास था कि जो चीज हममें नहीं है, वह विद्यार्थी हमसे प्राप्त कर सकेंगे।

परन्तु यह मव मैं आजकी दृष्टिसे कह रहा हूं। अुस समय तो जितना ही भान था कि मेरे चित्तको जिससे शांति नहीं मिलती। जिसलिअे मैं विद्यापीठके नये प्रयोगमें अुत्साह और अुमगसे शरीक हुआ। 'सा विद्या या विमुक्तये' जिस गभीर वाक्यको काकासाहबने विद्यापीठका व्यानचिह्न बनानेकी सूचना की और विद्यापीठने जिस सूचनाको स्वीकार किया। गाधीजीको यह वाक्य बहुत पसंद आया। वादमें अुन्होंने 'अेक वर्षमें स्वराज्य' लेनेकी घोषणा की। जिन दो चीजोंने फिर मुझे अगान्त कर दिया। विद्यापीठकी संस्था नअी थी। परन्तु केवल नअी संस्थामें शरीक होनेसे ही हृदय थोडा नया हो जाता है? जिस नअी संस्थामें मैं पुराना, विविध रागद्वेषोवाले आग्रहोंसे पूर्ण हृदय लेकर ही गया था। और जैसे गाडीके नीचे चलनेवाला कुत्ता भ्रमने मानने लगता है कि वही गाडीको खीच रहा है, वैसे ही मैं अपनेको अपूर्व त्यागी, देशभक्तिसे अोतप्रोत और विद्यापीठका स्तंभ समझना था और अपने साथ सहमत न होनेवाले नायियोंको स्वार्थी मानता तथा सबके साथ अगडता रहता था। जैसे-जैसे मेरी कमियां मेरी अयोग्यताको तीव्र रूपमें नामने लाने लगी, वैसे-वैसे प्राथमिक तालीम

और धार्मिक तालीमका मेरा आग्रह बढ़ता गया। परन्तु जब मेरा आग्रह न चला तब अपनी अयोग्यता पर क्रोध करनेके वजाय मैं विद्यापीठके अपने काममें शिथिल हो गया। परन्तु मेरा आग्रह न चला, जिसीलिये मैं बच गया। उपरोक्त अज्ञान्ति मुझे परेशान कर ही रही थी। मेरे मनमें अितना तो स्पष्ट हो गया कि मुक्तिकी तालीम देनेकी योग्यता पदवीवारियोंमें, माहित्य-संगीत-कलाके अुपासकोंमें अथवा शास्त्रियोंमें भी नहीं है। यह योग्यता राष्ट्रभाषामें भी नहीं है, मातृभाषामें भी नहीं है और अंग्रेजीमें भी नहीं है। जिसलिये अिन सबके अुच्च शिक्षणमें पहलेसे ही शिथिल रहनेवाली मेरी श्रद्धा अब विलकुल अुठ गयी। यह भी अेकागो दृष्टि ही थी।

जिस बीच धार्मिक पुस्तकोका मेरा पठन बढ़ता जा रहा था। जैसा कि बहुत बार होता है, जिस वस्तुको मैं कमसे कम समझता था अथवा जिस वस्तुको मैंने अपने जीवनमें कमसे कम सिद्ध किया था, अुसके विषयमें मैं अधिक भारपूर्वक और विश्वासके ढोंगके साथ बोलता या लिखता था। किसी अचूक मार्गदर्शकको मैं जानता नहीं था। स्वामीनारायण संप्रदायके अच्चे अच्चे साधुओंके सपर्कमें मैं आया करता था, और गावीजीकी ओरसे यम-नियमोंके पालन तथा विचारोंके बारेमें प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहती थी।

जिस समय धर्म-विचार और शिक्षण-विचारके बीच अेक बड़ा विरोध मेरे ध्यानमें आया।

धर्मशास्त्र कहते हैं: भोगसे विषयोकी जाति नहीं होती; अिन्द्रियोको लड़ न लड़ाओ, मनको बशमें रखो; मन कहे वैसा मत करो; यम-नियमोंका पालन करो; विषयोंमें रस कम करो; राग-द्वेषमें परे रहो। धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं: संगीत-नृत्य-वाद्य आदि विद्यार्थियों, सयम सावनेका प्रयत्न करनेवाले पुरुषों और ब्रह्म-चारियोंके लिये वर्ज्य है; अेक अिन्द्रियको भी स्वतंत्रता देनेसे सब अिन्द्रियोका काबू चला जाता है, आदि आदि। शिक्षणशास्त्र कहता है — और यह शास्त्र तो आश्रमके सयमी वातावरणको भी मान्य था — कि बालकको सारी अिन्द्रियोका विकास करो, संगीतके बिना

शिक्षण अवगूण है, कला राष्ट्रका प्राण है, साहित्य प्रजाका जीवन है, बालकको अपनी सोची हुजी चीज मत दो, बल्कि उसे जिस चीजमें रस हो वही दो। विषयोंको सरस बनाओ। जिसके लिये बालकोंसे नाटकका अभिनय कराओ, बुद्धों रास खेलाओ, शालाको सजाना सिखाओ; जिसके अलावा, बालकसे 'राष्ट्रदेवो भव' कहो, जिस तरह बुद्धे अतिहासका ज्ञान दो, बुद्धोंके देशकी संस्कृति (अर्थात् प्रकृति) का पोषण करनेवाला ज्ञान दो, आदि आदि।

जिन विरोधको मैं ममझता तो था, परन्तु स्पष्ट रूपमें नहीं; अतः जिस विरोधको टालनेकी कुंजी तो मुझे मिल ही कैसे सकती थी ?

परन्तु बड़ोंके आजीवादिसे और मित्रोंके प्रेमसे मेरी यह परेशानी बहुत समय तक नहीं रही। थोड़े ही समयमें मुझे अपने सद्गुरुका परिचय हो गया; और गुरुके रूपमें बुद्धके साथ हुये मेरे पहले ही नमापणमें बुद्धोंने मुझे विचारकी एक असी दृष्टि प्रदान की, जिससे जीवन और जगत्के विषयमें सोचनेकी मेरी पद्धतिमें क्रान्ति-कारी परिवर्तन हो गया। जिसके सिवाय, बुद्धोंने मुझे एक असी कसौटी बतायी, जिन पर कसनेसे जगत्की प्रत्येक विभूतिका सच्चा कम निकल सके।*

भाग्यवशात् मुझे फिर विद्यापीठमें जुड़ना पड़ा। अभी मैंने केवल सद्गुरुसे कसौटी ही प्राप्त की थी; परन्तु मैं उसका अुपयोग नहीं जानता था, और आज भी पूरी तरह नहीं जानता। जिसका कारण यह है कि तुलना करनेके लिये मुवर्णका जो शुद्ध नमूना मेरे पास सदैव रहना चाहिये, बुद्धका मैं अभी तक स्वामी नहीं बन पाया था। जिसलिये अभी तक मेरी प्राथमिक शिक्षणके प्रचारकी विच्छा शान्त नहीं हुयी थी।

परन्तु अब अेक दूसरे अनुभव पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। अनहयोग आन्दोलनके आरंभमें गांधीजीके तपोबलके कारण किसी प्रवृत्तिमें

* जिस दृष्टि तथा कसौटीके बारेमें दूसरी आवृत्तिकी प्रस्तावनामें किया गया स्पष्टीकरण देखिये।

पैसेका तो विचार ही नहीं आता था। परन्तु मैं फिरसे विद्यापीठमें जुड़ा, तब मैंने प्रत्येक संस्थाके व्यवस्थापकोको पैसोकी चिन्ता करते देखा। धनी लोगोंको ताना मारनेवालोका काम धनके बिना चलता नहीं था। विश्वभारतीसे लेकर छोटेसे-छोटे कुमार-मंदिरके आचार्य तक सब तिरस्कारके पात्र बने हुअे साधुओंकी तरह 'सेठजी, पैसा घर दो' करते थे। ब्रह्मदेशसे आरंभ करके अफ्रीका तकके विशाल भूखण्डमें प्रत्येक संस्थाके चन्दा अुगाहनेवाले लोग घूम रहे थे। मंदिरके महाराज और साधु किसी भी प्रकारके स्थूल कल्याणकी आशा नहीं दिलाते थे; उनकी हुडियां तो स्वर्गमें ही सिकरनेवाली थी, जब कि हम प्रत्यक्ष जन-कल्याणकी बात कहते थे: आपके बालकोंको ज्ञान मिलेगा, आपको स्वराज्य मिलेगा, देशकी 'अवुद्धि' दूर होगी, अित्यादि अित्यादि। परन्तु लोग हमारे बचनोकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। मंदिरोंके दान पर और साधुओको भोजन करानेमें उनकी श्रद्धा अवििक वैठती है, जिसका कारण क्या है? क्या वे अितने जड़ हैं कि अपने (हमारी दृष्टिसे) प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले स्वार्थको भी नहीं समझ सकते, या हमारा ही कोअी दोष है? जिस अुवेड़-नुनमें मैं पड़ा, और तालीमके माने जानेवाले प्रत्येक अंगका अुपरोक्त कसौटीके आघार पर विचार करने लगा।

मेरे गुरुदेवकी प्रदान की हुअी दृष्टिसे अेक नअी वस्तु भी मेरे ध्यानमें आअी। विविध प्रवृत्तियोंमें लगे हुअे हम सब लोगोंको अपनी आजकी स्थितिसे सतोष नहीं है; हमें जिस बातका भान है कि हममें कोअी न्यूनता है। परन्तु वह न्यूनता है क्या, जिसका ज्ञान नहीं है। हम अपने आमपास देखते हैं। दूसरे लोग विवाहित हैं, मैं अविवाहित हूं; मुझे लगता है कि मैं अविवाहित हूं यही मेरी न्यूनता है। दूसरे लोग विद्वान हैं, मैं अण्ड हूं; मुझे लगता है कि मुझमें विद्वत्ता ही होनी चाहिये। दूसरे लोग अमीर हैं, मैं गरीब हू; मैं मानता हूं कि मुझमें पैसोकी ही न्यूनता है। दूसरे लोग सन्तानवाले हैं, मैं निस्सन्तान हूं; मुझे लगता है कि निस्सन्तान होनेसे ही मैं दु:खी हूं। अिन प्रकार दूसरोंके साथ अपनी तुलना करके हम अपनी न्यूनता

स्रोत्रनेका प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग जिसका अुपाय यह बताते हैं कि हमारी जैमी स्थिति ही अुसीमें हमें संतोष मानना चाहिये। परन्तु यह सतोष कैसे अुत्पन्न हो सकता है? मृद्धमें न्यूनता है, यह मेरा भान निष्कारण नहीं है; और यह न्यूनता किस कारणसे है, जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होनेसे जिस प्रकार रोगकी ठीक औपधि न मिलने तक प्रयोग करना ही अेकमात्र अुपाय रह जाता है, अुसी प्रकार दूसरोके साथ तुलना करके जो दूसरोके पास हो और मेरे पास न हो अुसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करना ही अेकमात्र स्वाभाविक मार्ग रह जाता है। परन्तु यह परिणाम भी अुतना ही स्वाभाविक है कि जब तक रोगकी निश्चित औपधि नहीं मिलती, तब तक असंतोष ही बना रहेगा।

गहरी जाचसे पता चलता है कि जो न्यूनता मुझे अपनेमें दिखायी देती है वह जिन लोगोमें नहीं है अुन्हें भी जीवनमें कम असंतोष नहीं होता। अुन्हें अपनेमें कोयी अन्य प्रकारकी न्यूनता दिखायी देती है। जिसके अलावा, अपने जीवनकी जाच करनेसे भी मालूम होता है कि पहले जिस पदार्थकी प्राप्तिके लिये मैं ढौड़बूप करता था, अुसके मिल जानेके बाद भी मेरा असतोष कम नहीं होता। तब यह असतोष किसलिये रहता है? विचार करनेसे मालूम पड़ता है कि दाह्य पदार्थोकी कमीके कारण अथवा शरीर, अिन्द्रियो या बुद्धिके कम विकासके कारण ही सदा असंतोष नहीं रहता। जीर्ण रोग, भुखमरीकी हद तक पहुँची हुयी शरीरी या अिन्द्रियोके दोषके लिये किसीको असंतोष रहे तो वह समझमें आ सकता है। परन्तु जिन सब कारणोके होते हुअे भी संतोषपूर्वक रहनेवाले और अपने जीवनका सदुपयोग करनेवाले मनुष्य दुनियामें पाये जाते हैं। जिसलिये हम देव सकते हैं कि अैसे नैसर्गिक कारणोसे अुत्पन्न हुयी अपूर्णता भी असतोषका कारण नहीं होती।

जिस प्रकार शोच करनेसे मालूम होता है कि मनुष्यको न्यूनताका भान गुणोत्कर्षकी कमीके कारण होता है। मृद्धमें सयमकी कमी है, परिश्रमशोलाकी कमी है, व्यवस्थितताकी कमी है, अनुशासनकी कमी

है, अुदारताकी कमी है, दयाकी कमी है, प्रेमकी कमी है, निडरताकी कमी है, तेजस्विताकी कमी है, समभाव और सहानुभूतिकी कमी है, और अिन सब गुणोके अुत्कर्षके परिणामस्वरूप ही प्राप्त की जा सकनेवाली जाननिष्ठाकी भी कमी है। कमीका भान होना गलत नहीं है। परन्तु जब तक कमीका कारण समझमे नहीं आता, तब तक मैं अवीर होकर कितने ही प्रयत्न क्यो न करूं, मुझे शांति और सन्तोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अपनी कमियोंका कारण जाननेके लिये अैसे जीतोड़ प्रयत्न मुझे थोड़े दिन तक करने पड़ें या युगो तक करने पड़ें, अिसके लिये मुझे किसी छोटीसी प्रवृत्तिमें शामिल होना पड़े या सारी दुनिया छान डालनी पड़े, वह कारण मैं अेक अिशारेमें समझ जाअू या अुसके लिये मुझे जगत्की सारी पुस्तकें पढनी पड़ें, — जब मैं अुसे भलीभांति समझूगा तभी मुझे शांति और सतोष प्राप्त हो सकेगा।

अिस कसौटी पर तालीमके कुछ अंगोको कसनेसे मुझे जो कुछ मालूम हुआ वही मैंने अिन निबन्धोंमें प्रस्तुत किया है। कुछ परीक्षण अघूरा भी मालूम पड़ेगा। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि निबन्धोंमें प्रकट किये गये विचारोंमें घटाने-बढाने जैसा कुछ नहीं है।

अिसलिये अिन निबन्धोके पीछे अेक ही मुख्य विचार मालूम होगा। वह विचार है दैवी सम्पत्तियोंके अुत्कर्षका, चित्तके गुण-विकासका, विवेक-बुद्धिकी शुद्धिका। अिससे कुछ लोगोको निराशा होगी। अिस पुस्तकके अितने निबन्धोसे केवल अेक पक्त्तिका सार निकले, वह तो निश्चित रूपसे युरोपियन पद्धतिकी पुस्तक मानी जायगी। परन्तु बात अैसी ही है।

मुझे यह भय है कि अिन निबन्धोको — अिनकी भाषाके कारण, अिनमें चर्चित विषयोके कारण और अिनके भीतर कहीं कहीं 'वालकी खाल' निकालनेका प्रयत्न होनेके कारण जनसाधारण नमझ नहीं सकेंगे। विचारके कुछ विषय अधिक तात्त्विक होनेके कारण कठिन हैं, अुन्हे आसान बनाकर कैसे लिखा जाय, यह अभी तक मैं सीख नहीं पाया हूं। बात यह है कि ये विषय अभी तो मेरे अपने ही अुपयोगके

लिझे लिखे हूँ है; ये विचार अभी मेरे जीवनमें ओतप्रोत नहीं हो पाये हैं। हृदयसे निकलनेवाली सरल, सुवोच और प्रनादगुणवाली गैली जैसे ही विचारोंके लिझे मभव हो सकती है, जो जीवनके अविच्छेद्य अंग बन गये हो। जैसे विचारोंको सब कोअी समझ सकते हैं; जैसे मनुष्यके जीवनको देखनेवाले वालक भी अुन विचारोंको समझ सकते हैं। परन्तु मेरे ये विचार केवल विचार हैं; जीवन नहीं हैं।

फिर भी मित्रगण मानते हैं कि जो थोड़ेसे लोग अिन निवन्वोंको पढ़ेंगे अुनके लिझे वे अुपयोगी सिद्ध होंगे। अिसीलिये मैंने अिन्हें पुस्तकके रूपमें प्रकाशित होने दिया है। 'वह तालीम कौनसी?' नामक निवन्व सबसे पहले लिखा गया था। परन्तु मुझे लगता है कि अेक दृष्टिसे अुनमें मारे निवन्वोंका निष्कर्ष आ जाता है।

गूजरात विद्यापीठ कार्यालय,
आपाढ वदी ६, १९८१

कि० घ० मशरूवाला

दूसरी आवृत्तिकी प्रस्तावना

पहली आवृत्तिकी प्रस्तावनामें कही गयी अेक वातके लिअे वार वार मुझसे प्रश्न पूछे गये हैं। अुसमें अिस आशयके शब्द आये हैं कि मेरे गुरुने मुझे विचारकी अेक 'दृष्टि' प्रदान की और अेक 'कसौटी' बतायी। मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरे अिस प्रकार लिखनेसे पाठकोको अैसा अ्रम होगा कि मैं कोअी गुप्त ज्ञान प्राप्त होनेकी वात कह रहा हू। मैंने माना था कि प्रस्तावना और पुस्तकके प्रकरण पढ़कर पाठक मेरे अुपरोक्त कथनको स्पष्ट रूपमें समझ ही लेंगे। परन्तु मैं देखता हू कि मेरी वात पाठकोने अिस तरह समझी नहीं है, अिसलिअे यहां मैं अुत्ते अधिक स्पष्ट करता हूं। मेरे अुस कथनमें 'विचारकी दृष्टि' का अर्थ है तर्क, कल्पना और अनुभवके बीचके भेदकी दृष्टि, और 'कसौटी' से मतलब है भावनाके विकासकी कसौटी। सत्यकी शोधके लिअे और अुसमें दृढ स्थिति होनेके लिअे ये दोनो अनिवार्य हैं। आशा है अितना स्पष्टीकरण काफी होगा।

जैसा कि मुखपृष्ठ पर बताया गया है, अिम पुस्तकमें तालीमसे सवध रखनेवाले अलग अलग निवध ही हैं। यह सग्रह तालीमसे सवधित सारे विषयोका सागोपाग विचार करनेवाला शास्त्र अथवा पाठ्य-पुस्तक नहीं है। अिसका मुझे पूरा खयाल है। दूसरे भागके प्रकरणको विगिष्ट प्रकरण मानना हो तो माना जा सकता है। अेक भिन्नने यह सूचना की थी कि भिन्न भिन्न विषयो पर अिस प्रकारके लेख पुस्तकमें शामिल करके 'वुनियादो' पर खड़ी की जानेवाली 'अिमारात' का नकशा भी मुझे पेश करना चाहिये। पुस्तक लिखी अुस समय अिस प्रकारके शिक्षण-कार्यमें मैं लगा हुआ था, अुनीमें लगा रहता तो शायद अैसा कुछ कर सकता था। परन्तु आज तो अैसा करना समव नहीं मालूम होता।

अेक प्रश्न मुझमे यह पूछा गया है ये किसकी तालीमकी 'वुनियादो' है? मेरी अपनी या विद्यार्थियोकी? प्रस्तावना और नवहवा

प्रकरण 'वह तालीम कौनसी?' पढ़नेसे यह पुस्तक केवल शिक्षककी अपनी ही तालीमसे संबंध रखनेवाली मालूम होती है। और जिन्हें पढ़ कर अंमा लगता है कि दूसरोको तालीम देनेकी आकांक्षाका मैं विरोध करता हूं। परन्तु वाकी नारे प्रकरण शिक्षक और विद्यार्थिको संबंधोको ध्यानमें रखकर लिखे गये मालूम होते हैं। जिसलिअे प्रस्तावना और सत्रहवें प्रकरण तथा अन्य प्रकरणोके बीच विरोधकी गंका अुठती है।

अैमी शका अुठना दुर्भाग्यकी बात है। मेरा अपना मत तो अिम प्रकार है . यह सच है कि 'बुनियादों' में से अपनी तालीमके लिअे अुपयोगी सिद्ध होनेवाली बहुत-कुछ सामग्री मिल सकती है। यदि अपनी तालीमके लिअे अुपयोगी कौधी सामग्री अिममें न हो, तो यह तालीमकी पुस्तक भी नहीं हो सकती। क्योंकि सही हो या गलत, मेरी यह दृढ मान्यता है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है, अुममें अुसका अपना आध्यात्मिक लाभ भी रहता ही है। और जो मनुष्य अिम लाभके प्रति दृष्टि रखकर अपना कार्य करता है, वह अुम कार्यको भी अधिक सुगोभित करता है। अिम प्रकार जो शिक्षक यह समझता है कि बालककी तालीमके प्रयत्नमें अुमकी अपनी तालीमका साधन नमाया हुआ है, वह बालकको तालीम देनेमें भी अधिक सफल होता है। अिम तरह अिस पुस्तकमें शिक्षककी अपनी तालीमके लिअे अुपयोगी सिद्ध होनेवाली सूचनायें मिलें, तो वह अिसका दोष नहीं माना जाना चाहिये।

फिर भी 'तालीमकी बुनियादें' अपनी तालीमका प्रयास करने-वालेके लिअे नहीं लिखी गयी है। हर जगह तालीम देनेवाला बालक और अुमे तालीम देनेका प्रयत्न करनेवाला अेक शिक्षक — दोनों स्पष्ट रूपसे मेरी नजरके सामने रहें हैं। अिस पुस्तकमें यह समझानेका प्रयत्न है कि अपनेको सँपि हुअे बालकको तालीम देनेके लिअे तालीम-सम्बन्धी विचारोंमें शिक्षकके मनमें ध्येयकी कैसी स्पष्टता होनी चाहिये। अतः 'बुनियादें' अपनी तालीमकी पुस्तक नहीं है, अुसकी सहायक भले हो।

असके सलवाय, अपनी तालीमकी दृष्टसे सोचें अथवा बालककी तालीमकी दृष्टसे सोचें, यह बात अक भी नलबन्धमें मैं भूला नहीं हूँ कल तालीम लेनेबालेको सामाजक जीवन वलताना है। तालीम लेनेबाला समाजका अुपयोगी अग कैसे वने, अस बातका कही भी वलस्मरण नहीं हुआ है। असके वलपरीत, यह दलखानेका प्रयत्न कलया गया है कल मनुष्यकी अपनी अुन्नतल और समाजोपयोगी जीवनके वीच वलरोध वतानेबाली धार्मक मान्यतामें कुछ भूल है। जहा सामाजक जीवन अपनी अुन्नतलमें बावक वनता मालूम होता हो, वहां समाजके कल्याणके आदर्शमें या स्व-कल्याणके आदर्शमें अथवा हमारी तालीममें कही भूल होनी चाहलये।

अक दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कल सारी पुस्तकमें धार्मक तालीमके वारेमें अक भी प्रकरण क्यो नहीं है? धर्मकी वलशाल दृष्टसे देखा जाय तो मेरे खयालमे पुस्तकमें अक भी प्रकरण असा नहीं है, जलसमें अस बातको जरा भी भुलाया गया हो कल तालीम धर्ममय ही हो सकती है। परन्तु अुपासना, भक्तल आदल धर्मके अंगोकी दृष्टसे देखने पर असे प्रकरणकी कमी मालूम होनेकी समावना अवश्य थी। मैं आशा करता हूँ कल 'सामुदायक अुपासनाके वारेमें व्यावहारक चर्चा' नामक अक नया प्रकरण जुडनेसे यह न्यूनता कम हो जायगी।

'अक सलखानेके वारेमें सूचना' नामक लेख पुस्तकके अन्य नलबन्धोसे अलग पड जाता है। परन्तु व्यावहारक दृष्टसे अुपयोगी होनेके कारण अलनी सग्रहमें अुसका समावेश कलया गया है। वह अक अलग टलप्पणी जसा भी माना जा सकता है।

कल० ध० मशहूबाला



अनुक्रमणिका

	५
प्रस्तावना	१९
द्वितीय आवृत्तिकी प्रस्तावना	
पहला भाग	
	३
१ तालीम और शिक्षा	७
२ 'तालीम' और 'विनय'	९
३. तालीम और विद्या	१२
४. तालीम और विज्ञान	१९
५. तालीम और विवेकबुद्धि	२७
६ तालीम और अभ्यास	३३
७ अिन्द्रियोकी तालीम	५०
८ कल्पनाशक्तिकी तालीम	७४
९ प्रज्ञा	८०
१०. तर्कशक्ति	८६
११. बुद्धि	९२
१२. सत्य निर्णय	१०३
१३ श्रद्धा	११४
१४. विकासके प्रकार	१३४
१५. विकासके मार्ग	१४३
१६ जीवनमें आनन्दका स्थान	१६१
१७ वह तालीम कीनसी ?	

दूसरा भाग

१	इतिहास-सम्बन्धी दृष्टि	१८१
२	विक्रम-विचारकी दृष्टिसे विज्ञानकी शिक्षा	१९५
३.	विज्ञानके बारेमें चेनावनी	१९९
४.	भाषाज्ञान	२०३
५.	साहित्य, संगीत और कला	२०९
६	नामुदायिक अपमाननाके बारेमें व्यावहारिक चर्चा	२१२
७	स्त्रियोकी तालीम	२२९
८	अंक सिखानेके बारेमें सूचना	२६३

तालीमकी बुनियादें

पहला भाग

तालीम और शिक्षा

जन्मसे लेकर मृत्यु-पर्यन्त अलग-अलग दिशाओमें मनुष्यका विकास करनेकी जो रीति होती है, उसके लिये भाषामें भिन्न-भिन्न शब्दोंका अुपयोग किया जाता है। अुन सबमें हमारे सादे गुजराती शब्द 'केळवणी' (तालीम)में जितना अर्थ समाया हुआ है, उतना आम तौर पर प्रचलित किसी भी दूसरे अेक शब्दमें नहीं है। यदि जिसके लिये किसी संस्कृत शब्दका प्रयोग करना ही हो, तो वह 'सस्क्रिया' अथवा 'सस्करण' हो सकता है। सस्क्रियाका अर्थ है, शरीर, मन, वाणी, आदत, भावना, बुद्धि वगैरामें पायी जानेवाली किमी भी प्रकारकी अव्यवस्थाको व्यवस्थित बनानेकी क्रिया। मेरे खयालसे हिन्दुस्तानीका 'तालीम' शब्द 'केळवणी' शब्दके बहुत करीब है और अुनी शब्दका यहा प्रयोग किया जायगा। 'सस्करण', 'सस्क्रिया' अथवा 'संस्कृति' की बुनियादे अधिक अटपटा प्रयोग हो जायगा।

'केळवणी' या 'तालीम' शब्दका जिस तरह पूरा अर्थ अच्छी तरह ब्यानमें रखनेकी जरूरत है। और जिसलिये, यह जान लेना ठीक होगा कि दूसरे शब्दोंकी अपेक्षा जिन शब्दमें क्या अधिक अर्थ समाया हुआ है। जिन परसे यह समझमें आ जायगा कि हम गालामे और घरमें अपने बच्चोंके लिये जो मेहनत करते हैं, उनमें अुन्हें कितनी तालीम मिलती है और कितनी नहीं मिलती या नष्ट हो जाती है, तथा जो मिलती है वह कितने महत्त्वकी है और जो नहीं मिलती उनका कितना महत्त्व

है। जिसके अलावा, तालीमका ध्येय और तत्त्व समझने पर यह भी संभव है कि हमें तालीम देनेकी कोबी नयी दिशा मिल जाय।

‘तालीम’के अर्थमें हम ‘शिक्षा’ शब्दका बार-बार अुपयोग करते हैं। ‘शिक्षा’ का अर्थ है सिखाना। और साधारण तौर पर अुसका अर्थ ‘नयी बात सिखाना’ ही समझा जाता है। बच्चेको लिपिका ज्ञान स्वभावतः नहीं होता। सौ या हजार वर्ष पहलेकी घटनाओकी जानकारी अुसे नहीं होती। दूसरे किसी देगमें गये बिना वहांकी आवहवा, रचना वगैराकी कुछ जानकारी नहीं होती। अपने समाजमें बोली जानेवाली भापाके सिवाय दूसरी कोबी भापा वह समझ नहीं सकता। शालामें यह सब ज्ञान, यह सब जानकारी अुसे मिलती है। न जानी हुयी बातोकी जानकारी करानेका अर्थ है ‘शिक्षा’ देना। लेकिन ‘तालीम’ सिर्फ अैसी ‘शिक्षा’ देकर ही नहीं रुक जाती। क्योकि शिक्षा ज्यादातर परोक्ष होती है। किसी देगके वारेमें हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वह सही है या गलत, जिसका निश्चय अुस देगको देखकर किया हुआ नहीं होता। जिस भापाका अर्थ करना हम जानते हैं, अुस भापाको बोलनेवाले लोगोके संपर्कमें हम नहीं आये होते। किसी देगके इतिहासकी जो बातें हम पढते हैं, उन बातोके मूल आधार हमारे जांचे हुये नहीं होते। जिस तरह शिक्षा द्वारा हमें जो कुछ ज्ञान मिलता है, वह परोक्ष होता है, — प्रत्यक्ष नहीं। जिस परोक्ष ज्ञानकी परीक्षा करके जब हम अुसे सच्चा बनाते हैं, तब वह प्रत्यक्ष होता है। जब तक ज्ञान परोक्ष है, केवल सीखा हुआ है, तब तक अुसके वारेमें केवल श्रद्धा ही रखनी होती है। यह श्रद्धा गलत भी हो सकती है। जिस जानकारीके वारेमें केवल श्रद्धा होती है, वह वास्तवमें ‘ज्ञान’ अर्थात् ‘जानी हुयी’ या ‘अनुभव की हुयी’ वस्तु नहीं है। वह केवल मान्यता ही है। ज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्राप्त जानकारीको प्रत्यक्ष करनेकी जिज्ञासा और आदत

होनी चाहिये। प्रत्यक्ष करनेकी जिज्ञासा और आदत संस्कारका विषय है। यह संस्कार देना तालीमका अंक अंग है।

शिक्षक, माता-पिता या मित्र विद्यार्थीको अनेक बातोंका परोक्ष ज्ञान या शिक्षा तो दे सकते हैं, परन्तु अनेक बातोंका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो अधिकतर विद्यार्थीको ही कभी न कभी स्वयं प्राप्त करना होता है। लेकिन अगर तालीम देनेवाला किसी भी ज्ञानको—जानकारीको—प्रत्यक्ष करनेकी जिज्ञासा विद्यार्थीमें उत्पन्न कर सके और उसके बारेमें प्रयत्न करनेकी आदत डाल सके, तो कहा जायगा कि उसने विद्यार्थीके हाथमें ज्ञान प्राप्त करनेकी अंक कुंजी दे दी। तालीमका अर्थ केवल जानकारी देकर रुक जाना नहीं है, बल्कि ज्ञानकी अलग-अलग कुंजिया देना भी है। जिस दृष्टिसे 'शिक्षा' की अपेक्षा 'तालीम' शब्दमें अधिक अर्थ समाया हुआ है।

मनुष्य अनेक वस्तुओंका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। कितनी ही बातोंमें उसे मान्यता और जानकारीसे ही सतोष मानना पड़ता है। अगर अितनी परोक्ष जानकारी भी न हो, तो उसे जीवनमें नुकसान उठाना पड़ता है। अिमलिअे यह न मान लेना चाहिये कि शिक्षा निरर्थक है। मनुष्य जिम परिस्थितिमें जीवन बिताता हो, अुनका विचार करके यदि वह अुचित मात्रामें भी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेकी आदत न डाले, तो अुसकी नारी जानकारी निकम्मी पंडिताजी बन जाती है; अुन जानकारीसे स्वयं अुने या समाजको कोअी लाभ नहीं होता। वह केवल अुतनी जानकारीका दोअ डोनेवाला मजदूर ही बना रहता है। जिम हद तक वह जानकारी गलत होगी, अुम हद तक वह गलत ज्ञान फैलानेका निमित्त भी बनेगी। अिमलिअे शिक्षा द्वारा दी जानेवाली तालीममें तीन प्रकारके कार्यका समावेश होता है :—

१. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेकी जिज्ञासा पैदा करना और उसकी आदत डालना; और उसके लिये,

२. वन सके अतने विषयोंका प्रत्यक्ष ज्ञान देना; और उसकी भूमिकाके रूपमें,

३. जितने विषयोंकी शिक्षा (जानकारी, परोक्ष ज्ञान) देनेकी सुविधा हो, अतनोकी शिक्षा देना ।

थोड़ी शिक्षा पाये हुअे और गरीब माता-पिता या शिक्षक भी निश्चय कर लें, तो कमसे कम सामग्री द्वारा भी बिस प्रकारकी तालीम देनेमें समर्थ हो सकते हैं । बिसमें जिस सामग्रीकी जरूरत है, वह बितनी ही है : बालक और तालीम देनेबालेके पास बिन्द्रिया हो, जिज्ञासा हो और परिश्रम करनेकी आदत और वृत्ति हो । जिज्ञासाकी जागृतिका संस्कार ज्ञानका बीज है । उसमें से परिश्रमी विद्यार्थीके हृदयमें ज्ञानका वृक्ष अपने-आप अुग आता है ।

‘तालीम’ और ‘विनय’

अंग्रेजीके ‘अेज्युकेशन’ शब्द और हमारी माध्यमिक शालाओंके नाममें प्रयुक्त ‘विनय’ शब्दके अर्थमें थोडा ही भेद है। ‘अेज्युकेशन’ शब्दका अर्थ ‘बाहर (यानी अज्ञानके बाहर) ले जाना’ होता है। ‘विनय’ का अर्थ होता है ‘आगे (यानी थोडे ज्ञानसे ज्यादा ज्ञानकी तरफ) ले जाना’। सामान्य भाषामें विनयका अर्थ हम अच्छा आचरण, सम्यता या शिष्टाचार ही समझते हैं। और अंसी आशा रखते हैं कि विद्यासे विनय आयेगा। जिसका कारण यह है कि जिसे सम्यताका — शिष्टाचारका ज्ञान नहीं है, वह अभी अनघड है, क्योंकि वह कम समझ-वाला है। उसे विनय देनेसे, यानी उसका ज्ञान बढ़ानेसे, वह सुघड अर्थात् सम्य और शिष्टाचारयुक्त बनता है। विनय देनेके फलस्वरूप उसमें सुघडता आती है। जिस परसे सामान्य भाषामें विनयका अर्थ ही सुघडता या शिष्टता हो गया है।

पिछले लेखमें हमने शिक्षाके अर्थकी जो छानवीन की, उस परसे यह नहीं मालूम होता कि उसमें विनयका अर्थ समाया हुआ ही है। उसका अर्थ केवल न जानी हुअी चीजकी जानकारी पाना ही होता है। उसी लेखमें हमने यह भी देखा कि ‘तालीम’ शब्दमें शिक्षाके अलावा और क्या अर्थ समाया हुआ है। लेकिन ‘तालीम’ अतनेसे ही पूरी नहीं होती। ‘तालीम’में ‘विनय’का अर्थ भी आ जाता है। जो शिष्ट व्यवहार करना नहीं जानता, वह शिक्षित भले हो लेकिन हम उसे तालीम पाया हुआ नहीं कहते। दूसरी तरफ, कोमी शिक्षित न होने पर भी अगर सम्यता और शिष्टाचार जानता

है, तो अेक हद तक वह तालीम पाया हुआ माना जाता है। जिस-लिअे 'शिक्षा' के वजाय 'विनय' का अधिक महत्त्व है और 'तालीम' में अिन दोनोंकी आशा रखी जाती है।

लेकिन शिष्टाचार जाननेके वारेमें भी 'विनय' के बनिस्वत 'तालीम' में ज्यादा अर्थ समाया हुआ है। कुछ लोग कैसे भी समाजमें असम्य भाषा बोलते नहीं हिचकिचाते। अुन्हें सम्य या असम्य भाषाके वारेमें कोअी भान ही नहीं होता, अथवा जिस विषयमें वे निर्लज्ज होते हैं। अैसे लोगोको हम अनघड़ या अविनयी कहते हैं। कुछको असम्य भाषा बोलनेकी आदत होती है और अपने वरावरीके लोगोमें अैसी भाषा बोलनेमें अुन्हें आनन्द भी आता है। लेकिन स्त्रियोंके बीच या पूज्य लोगोके बीच वे सम्य भाषा बोलते हैं। बाह्य दृष्टिसे वे विनयी कहे जा सकते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अुनकी वाणी 'तालीम पायी हुअी' है। कुछ लोग अैसे होते हैं, जो घरमें या समाजमें असम्य भाषा बोलते तो नहीं, किन्तु असम्य शब्द अुनके मनमें जरूर आ जाते हैं। और जब वे अत्यन्त संतप्त या दुःखी होते हैं, तब वाणीमें अुनका अुपयोग करते भी देखे जाते हैं। अिनकी वाणीको साधारण तौर पर अविनयी या तालीम न पायी हुअी नहीं कहा जा सकता; फिर भी अितना तो कहना पड़ेगा कि असम्य वाणी न निकालनेके संबधमें अुनके मनने पूरी तालीम नहीं ली है। और जिस हद तक वह तालीम न पायी हुअी ही कही जायगी।

जिस परसे मालूम होगा कि तालीम सिर्फ विनय या बाहरी शिष्टाचार और वाणीमें ही पूरी नहीं हो जाती, बल्कि वह शिष्ट-व्यवहार और वाणीके वारेमें बुद्धिपूर्वक विचार करके भले-बुरेका निश्चय करने और अुसके मुताबिक मन, वाणी और कर्मको व्यवस्थित करनेकी अपेक्षा रखती है।

जिस तरह तालीम अंक दिशामें विवेक-बुद्धि तक पहुंच जाती है और दूसरी दिशामें स्थूल कर्मका रूप ले लेती है। केवल अनुकरणसे विनय तो आ सकता है, किन्तु विवेक-बुद्धि नहीं आ सकती। और जब तक विवेक-बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती, तब तक तालीम पूरी नहीं हो सकती।

३

तालीम और विद्या

विदका अर्थ है जानना। विद्याका अर्थ है ज्ञातव्य (जाननेका) विषय। जिसका सामान्य अर्थ चतुराभी होता है। लेकिन विद्या अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। चोरी करनेकी, दूसरेके प्राण लेनेकी, ठगनेकी, जुआ खेलनेकी चतुराबीका और भिन्न-भिन्न कलाओंका भी समावेश विद्यामें होता है। विद्या शब्द अितना व्यापक अर्थ रखता है, इसीलिजे नुविद्या, कुविद्या, परा विद्या, अपरा विद्या जैसे भेद करने पड़ते हैं।

सारी विद्यायें तालीम नहीं हैं। जो लोग नृत्यकला, गानकला या चित्रकला जानते हैं, वे सब तालीम पाये हुअे भी होंगे, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। अधिकसे अधिक अितना ही कहा जा सकता है कि अुनकी कुछ अिन्द्रियोका, और कुछ दिशाओंमें बुद्धिका काफी विकास हुआ है। कुछ विद्यायें तालीमकी विरोधी भी हो सकती हैं।

विद्यासे तालीमका दर्जा अूँचा है, क्योंकि विद्या नीतिहीन भी हो सकती है। किन्तु तालीमको नीतिके विचारसे अलग नहीं किया जा सकता। जहां जिस तरह विद्याको नीति (नैतिकता) से अलग रखकर विचार करनेका प्रयत्न किया जाता है, वहां विद्या (=चतुराभी

या प्रवीणता) भले कुछ समयके लिये टिक सके, किन्तु तालीम नहीं टिक सकती। जिसके अुदाहरण लें: काव्य, अलंकार, गीत, चित्र और शिल्पकलाके जैसे अनेक नमूने मिलेंगे, जिन्हें विकारो पर विजय पानेकी मिच्छा रखनेवाला पुरुष निर्भयतासे पढ़े, गा, या देख नहीं सकता; जो बालकोंके हाथमें निर्भयतासे नहीं रखे जा सकते; अथवा माता और पुत्रीके साथ बैठकर निःसंकोच पढ़े, गाये या देखे नहीं जा सकते। तालीमकी दृष्टिसे जैसे नमूनोंके लिये तालीम-मंदिरोंमें कोबी स्थान नहीं हो सकता। परंतु जिस दृष्टिको भुला दिया जाता है और अेक शुद्ध (?) विद्याकी दृष्टिसे जिन्हें सीखा और सिखाया जाता है।

तालीम जिन्द्रियो या अन्तःकरणकी शक्तियोंके विकासके विरुद्ध नहीं है, लेकिन सिर्फ अुन्हीके विकाससे तालीम पूरी नहीं हो जाती। अुसके साथ सदाचार—नीतिके विचारका विकास हो तो ही, और अुसी हद तक, जिन विद्याओंको तालीममें स्थान प्राप्त हो सकता है।

विद्या और तालीमके बीचका भेद दूसरे प्रकारसे भी समझाया जा सकता है। अैसा कहा जा सकता है कि विद्या अेक आखवाली है और तालीम दो या अनेक आंखवाली है। विद्यारसिक व्यक्ति जिस चीजके पीछे पडता है, केवल अुसीको देखता है—और किसी तरफ अुसकी नजर नहीं जाती। अगर वह चित्रोंके पीछे पड़ जाय, तो अुसकी दृष्टि यही तक सीमित रहती है कि चित्रविद्यामें प्रवीणता प्राप्त की जाय। फिर वह जिस सबंधमें सत्य, सदाचार, जनहित, अुपयोगिता वगैराका कोबी विचार नहीं करता। दूसरी तरफ, तालीम पाया हुआ व्यक्ति चित्रविद्याकी प्रवीणताको तो स्वीकार करता है, लेकिन सत्य, सदाचार, जनहित और अुपयोगिताके प्रति लापरवाह नहीं रह सकता। अुसी तरह, जीवनकी दूसरी अुपयोगी बातोंका खयाल करते हुअे वह जिस बात पर ध्यान देना भी नहीं भूलता कि अपने समयमें चित्रविद्यामें किस हद तक प्राप्त की हुयी प्रवीणताका महत्त्व

है और किस हृदके वादकी प्रवीणता केवल शोभा या आश्चर्यकी चीज या निरर्थक है।

अिसलिअे तालीम किसी विषयमें योग्य प्रवीणता प्राप्त कराकर नहीं रकती, बल्कि अिसका निश्चय भी करती है कि अुस विषयका अन्य विषयोकी तुलनामें और जीवनके सब अगोकी तुलनामें कितना महत्त्व है। हर चीजका ठीक ठीक मूल्य आकनेके लिअे तालीमकी जरूरत है। केवल विद्या यह निश्चय नहीं करा सकती।

शालामें सिखानी जानेवाली अनेक बातोंके सबधमें विद्यार्थियो, पालको और शिक्षकोंके बीच तीव्र मतभेद होता है। विद्यार्थी कुछ अंसी बातें सीखना चाहते हैं, जो पालक और शिक्षक अुन्हें सिखाना नहीं चाहते। शिक्षक कुछ अंसी बातें सिखाना चाहते हैं, जो पालकोको पसन्द नहीं आती। और पालक अपने बच्चोंको कुछ अंसी बातोंकी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जिनका विद्यार्थी और शिक्षक विरोध करते हैं। अिसका अेकमात्र कारण यह है कि अिन तीनोंमें से कोअी भी अलग अलग विषयोका तालीमकी सर्वांगीण दृष्टिसे विचार नहीं करते। अभी तक हमें यह खोजनेकी कुजी नहीं मिली है कि किसी भी विषयका अुचित्त महत्त्व कितना है। मिली हो तो भी कअी तरहके मोहोंके कारण हम अपने भीतर अितनी शक्ति पैदा नहीं होने देते, जिनसे अुस पर अमल किया जा सके।

आजके जमानेमें आत्मोन्नति और जनहितकी दृष्टिसे विद्याके हरअेक विषयकी — शरीर, अिन्द्रियो अथवा बुद्धिके विकासकी — अिननी कीमत है, अिसका ठीक ठीक हिमाव लगानेमें ही तालीमकी समस्याका हल छिपा हुआ है।

तालीम और विज्ञान

गीतामें अेक श्लोक है : 'ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।' जिसका शब्दार्थ यह है— 'मैं तुझे संपूर्ण रूपसे विज्ञान-सहित ज्ञान कहता हूं।' यहां ज्ञान और विज्ञानका क्या अर्थ किया जाय, जिस विषयमें भाष्यकारोंमें मतभेद है। कुछ यह अर्थ करते हैं कि 'ज्ञान' यानी किसी वस्तुको केवल वर्णन या चित्र द्वारा समझकर उसकी कल्पना करना। अुदाहरणके लिये, ताजमहलका चित्र देखकर या वर्णन सुनकर उसके बारेमें कल्पना करना ताजमहलका ज्ञान प्राप्त करना कहा जायगा। उसी तरह शास्त्रोंमें आत्माके विषयमें जिन सिद्धान्तोंकी चर्चा की गयी है, उन परसे आत्माके बारेमें कल्पना करना उसका ज्ञान कहा जायगा। और विज्ञानका अर्थ है जिस वस्तुकी हमें कल्पना है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव। कोयी आगरा जाकर सारा ताजमहल देख आवे, तो कहा जायगा कि उसे ताजमहलके बारेमें विज्ञान हुआ। उसी प्रकार शास्त्रोंके सिद्धान्तोंका अनुभव करनेवालेको आत्माके विषयमें विज्ञान हुआ कहा जायगा। जिस तरह विज्ञानका अर्थ निजी अनुभवसे मिला हुआ ज्ञान किया जाता है।*

हमारे कुछ भाष्यकार अूपर जिस अर्थमें विज्ञान शब्दका प्रयोग किया गया है, उसी अर्थमें ज्ञान शब्दका प्रयोग करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि जिसका हमें अनुभव है, उसीका यथार्थ ज्ञान है। जिसका अनुभव नहीं है, उसके विषयमें हमें केवल कल्पना ही रहती है। कल्पना चाहे जितनी सावधानीसे की गयी हो, फिर भी कल्पना

* देखिये शांकरभाष्य—अध्याय ७, श्लोक १ :

सविज्ञानं विज्ञानमहितं स्वानुभवयुक्तम् ।

आखिर कल्पना ही है; उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। कितनी भी सावधानीसे हम यह कल्पना क्यों न दौड़ायें कि मंगल ग्रह पर मनुष्य जैसे प्राणी रहते होंगे, लेकिन हम यह तो हरगिज नहीं कह सकते कि जिस विषयका हमें ज्ञान है। जिसके वजाय यही कहना ठीक होगा कि असी हमारी कल्पना है। जिस अर्थमें 'ज्ञान' को लेनेसे 'विज्ञान' का अर्थ विशेष ज्ञान किया जाता है। हम सबको निजी अनुभवसे पानीका ज्ञान होता है, हम सब पानीको पहचानते हैं। लेकिन जब पानीमें रहे तत्त्वोका पृथक्करण करते हैं, तो उसके विषयमें हमें विशेष ज्ञान होता है। पानीके घर्भोके वारेमें हम जितना जितना अनुभव अिकट्ठा करेंगे, उतना सब पानीके वारेमें हुआ विज्ञान ही कहा जायगा। जिस बातका हम सबको ज्ञान है कि हाथका पत्थर जब हम छोड़ देते हैं, तो वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब हम यह जानते हैं कि वह पत्थर क्यों गिरता है, कितने वेगमें गिरता है, किस दिशामें गिरता है, तो यह सब उसका विज्ञान कहा जायगा।

'सायन्स' के अर्थमें जब हम विज्ञान शब्दका प्रयोग करते हैं, तब उसका अर्थ जिस दूसरे अर्थसे मिलता-जुलता होता है। वहां ज्ञान यानी स्थूल—छिछला—प्रथम दृष्टिका ज्ञान; और विज्ञान यानी सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान।

प्रत्येक ज्ञेय (जानने योग्य पदार्थ) सबधी विज्ञान—विशेष ज्ञान—दो दिशाओमें होता है। जिन दो दिशाओका वर्णन दो प्रकारने किया जा सकता है। यद्यपि दोनो दिशायें अेक ही चीजको दिखानेवाली हैं, फिर भी दोनोमें से अेक भी पूरी स्पष्ट नहीं है—केवल ख्याल देनेवाली है। अेक दिशाको पदार्थके मूलका ज्ञान, अथवा अुन पदार्थ और नपूर्ण जगत्के बीचका संबंध या नमानघर्भ खोजनेवाला विज्ञान कहा जा सकता है; और दूसरी दिशाको पदार्थके विस्तारका या अुस पदार्थ और सपूर्ण जगत्के बीचके भेदोको खोजनेवाला विज्ञान कहा जा सकता है।

अक बुदाहरण द्वारा में अिमे अधिक स्पष्ट करनेकी कोशिश करता हूं :

हम अक वडके पेड़को ही लें। जिस वडके विषयमें हम दो तरहसे विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह वड़ पैदा ही क्यों हुआ? जिस वडकी अुत्पत्तिकी सच्ची कुंजी कहाँ है? — वगैरा बातें खोजते-खोजते हम अुसके फलो परसे पत्तों पर, पत्तों परसे डालों पर, डालोंसे तने पर, तनेसे मूल पर और मूलसे बीज पर पहुंच जाते हैं। यह वड़के आदिकारणकी दिशाका विज्ञान कहा जायगा। और, संभव ही तो जिससे भी गहरी खोज वड़के वारेमें हम कर सकते हैं: आगे वढकर हम जिस बातकी शोध कर सकते हैं कि जिस वड़की दूसरे वड़ोंके साथ, दूसरे पेड़ोंके साथ, दूसरी वनस्पतियोंके साथ तथा दूसरी सजीव और निर्जीव सृष्टिके साथ क्या समानता है। जिस प्रकार यह वड़ और जगत्के बीचकी समानधर्मताको खोजनेवाला, वड़के मूलकी दिशाका विज्ञान कहा जायगा।

दूसरी शोधमें हम वडकी डालोंसे फूटकर लटकनेवाली जड़ों, तने, डालों, पत्तों, फूलों, फलों वगैराकी जांच करते हैं। अिनमें से हरअेककी रासायनिक रचना, भौतिक रचना और रासायनिक-भौतिक-वैद्यक धर्मोंके भेदोंकी, अुसके प्रत्येक पत्तेमें, प्रत्येक फलमें और प्रत्येक डालमें रहे अुसे भेदोंकी और जिस वड़ तथा दूसरे वड़ों, वृक्षों, वनस्पतियों और सजीव-निर्जीव सृष्टिके बीचके अनेक भेदोंकी खोज करते हैं। अिन तरह यह विज्ञान वड़के विस्तारकी दिशाका अथवा अुसके और वाकीकी सृष्टिके बीच रहे भेदोंको खोजनेवाला विज्ञान कहा जायगा।

जेय पदार्थके मूल और मर्वसाधारण धर्म तक हम पहुंच जायं, तो अुसके विज्ञानका अक छोर आ जाता है। मूलकी दिशाका ज्ञान छोरवाला है।*

* दूसरे प्रकारसे 'ज्ञान' और 'विज्ञान' शब्दोंके जो अर्थ किये गये हैं, अुनका तात्पर्य यह होता है कि यह मूलका — आदिकारणका

किसी भी ज्ञेय पदार्थका आदिकारण हाथ लग जानेके बाद विज्ञान अुस दिशामें आगे नहीं जा सकता। लेकिन विस्तारकी दिशाके विज्ञानका कोभी ओर-छोर ही नहीं होता। जिस विज्ञानकी जितनी

—ज्ञान ही 'ज्ञान' है, वाकी सब 'विज्ञान' है। क्योंकि अुसकी अपेक्षा यह विस्तारका ज्ञान है। अूपर बताये हुअे दूसरे वर्गके भाष्यकारोंने जिसी प्रकार अर्थ करके यह समझाया है कि 'ज्ञान' यानी आत्मा, ब्रह्म या पुस्तकका ज्ञान और 'विज्ञान' यानी प्रकृतिके कार्यका ज्ञान। देखिये ज्ञानेश्वरी :

जाणीव ज्ञेय न रिगे। विचार मागुता पाबुली निघे ॥

तर्क आयणी नेघे। आंगी जयाचा ॥

अर्जुना तया नाव ज्ञान। येर प्रपच हें विज्ञान ॥

(अ० ७, श्लोक १, ओवी ५-६)

[जाननेका भाव जहा पहुच नहीं सकता, विचार अुल्टे पाव लोट आता है, तर्क जिनके अग पर (पहुचनेका) मार्ग नहीं पा सकता, हे अर्जुन, अुसका नाम ज्ञान है, वाकी मारा विस्तार विज्ञान है।]

जिस तरह, ज्ञानका अर्थ अूपरी या स्थूल दृष्टिका ज्ञान और विज्ञानका अर्थ सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान नहीं है। क्योंकि अध्यात्मशास्त्रकी दृष्टिसे स्थूल दृष्टिका ज्ञान भी विज्ञान ही है, और आदिकारणका ज्ञान नायत्मकी सूक्ष्म दृष्टिसे भी अधिक सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान है। नायत्मके समानार्थी विज्ञान शब्दमें शंकराचार्य और ज्ञानेश्वर दोनोंके अिष्ट अर्थ आ जाते हैं; किन्तु ज्ञान शब्दका अर्थ दोनोंकी दृष्टिसे अलग-अलग होता है। फिर भी जिस बातको तो ज्ञानेश्वरी और नायत्म दोनों मानते हैं कि ज्ञान शब्दका अुच्चारण करते ही अुनके भीतर अनुभवका भाव आ जाता है। अर्थात् जिन दोनोंके बीचका भेद तान्त्रिक नहीं है। सायन्म तत्त्वज्ञान तक गहरा जाय, तो अैसा लगना है कि नायत्मकी ज्ञानेश्वरीका अर्थ स्वीकार करना होगा। जिस केसमें नो ये शब्द सायन्मकी भाषामें ही प्रयुक्त किये गये हैं।

भी वारीकियोंमें अुतरना हो अुतरा जा सकता है, फिर भी अज्ञात भाग अपार ही रहेगा। समानता और कार्यकारण-परम्परा खोजनेकी तरफ दृष्टि रखकर जब हम ज्ञेयकी खोज करते हैं, तब हम अुसके मूलकी तरफ जाते हैं। जब हम भेदकी और बाहरी धर्मोंकी तरफ दृष्टि रखते हैं, तब विस्तारका विज्ञान बढ़ता है।

तालीम विज्ञानकी विरोधी नहीं है। लेकिन विज्ञानसे तालीम पूरी भी नहीं होती। पहले लेखमें तालीम और शिक्षाका भेद बताते हुअे मैंने कहा था कि शिक्षा अधिकतर परोक्ष ज्ञान है; जब कि तालीममें परोक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष बनानेकी वृत्ति समायी होती है। विज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसलिअे शिक्षाकी अपेक्षा अुसमें अधिक तालीम होती है। लेकिन विज्ञानसे भी (पदार्थोंके अनुभवयुक्त विशेष ज्ञानसे भी) तालीम पूर्ण नहीं होती। जिसका कारण 'विद्या' और 'तालीम'के बीच बताये हुअे भेद जैसा ही है। अर्थात् विज्ञान हमेगा आत्मोन्नति और जनहितका खयाल नहीं करता; जब कि तालीम जिस खयालको कभी छोड ही नहीं सकती।

अुपर बताया गया है कि विज्ञान ज्ञेय पदार्थके आदिकारणसे संबंध रखनेवाला और अुसके विस्तारसे संबंध रखनेवाला हो सकता है। मनुष्यकी अुन्नतिके लिअे और जीवन-व्यवहार चलानेके लिअे दोनो प्रकारका विज्ञान आवश्यक है। कोयला और हीरा मूलमें अेक ही चीज हैं यह विज्ञान, और दोनोंमें बहुत ही भिन्न भिन्न धर्म भी हैं यह विज्ञान — दोनो अुपयोगी हैं। कोयले और हीरेकी सच्ची अेकताका ज्ञान हो, तो कोयलेमें से हीरा अुत्पन्न करनेका प्रयत्न किया जा सकता है। और अुनका भेद जाना हो तो दोनोंका यथोचित अुपयोग किया जा सकता है। मनुष्यकी तालीमके दूसरे अंग यदि विकसित हुअे हो, तो अेकताका ज्ञान अुसके चित्तकी शांति और समताको कायम रखनेमें अुपयोगी सिद्ध हो सकता है और भेदका ज्ञान अुसे जगत्की अुचित रीतिसे सेवा करने लायक बना सकता है।

व्यावहारिक प्रश्न यह है कि मूल-संबंधी विज्ञान और विस्तार-संबंधी विज्ञानमें से किस विज्ञानको कितना महत्त्व देना चाहिये।

अस वारेमें विचार करनेसे अंक बात हमारे ध्यानमें आयेगी। किसी भी चीजके मूलका विचार करनेके लिये भी उसके विस्तारका कुछ विचार करना ही पडता है। नदीका मूल खोजनेवालेको कुछ हद तक नदीके विस्तारका ज्ञान मिल जाता है, या करना पडता है। नदीके मूलकी ओर जानेवाला मनुष्य यदि आखें बन्द करके न चले, तो आसपासके प्रदेश, भूमिकी रचना, नदीकी गहराओ, वनस्पति, हवा, अपजाअपन, रेत-मिट्टी आदिकी विशेषता तथा जलचरो, भूचरो, नदीसे आकर मिलनेवाली दूसरी नदियो, अिन सबके पानीका शरीर वर्गंरा पर होनेवाला प्रभाव आदि सबकी कुछ विज्ञान प्राप्त किये विना वह रह ही नहीं सकता। जहा दूसरी नदी मिलती मालूम हो, वहा नहायक किसे मानना और मूल नदी किसे मानना, यह निर्णय करनेके लिये भी थोडा विशेष ज्ञान प्राप्त करना पडेगा। अिस प्रकार विस्तारकी दिशामे नदी-सबधी जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, वह सहज ही मिग्ने-वाला विज्ञान है। यह विज्ञान अपयोगी भी होगा, और फिर भी नदीका मूल खोजनेमें रुकावट नहीं डालेगा। परंतु मूलको खोजने निकला हुआ मनुष्य यदि रास्तेमें दिखायी देनेवाले अने अनेक पदार्थोंके वारेमें स्वतंत्र रूपसे खोज करने बैठ जाय, या पानीके बहावकी दिशामें चलने लगे, तो मूलकी खोज अंक ओर रह जायगी और अुमका ध्येय सिद्ध नहीं होगा।

किसी वस्तुका मूल खोजनेका ध्येय निश्चित रखते हुअे अिन प्रयत्नने अुसके विस्तारका विशेष ज्ञान प्राप्त हो, वही वैज्ञानिक प्रयत्न अुचित माना जायगा। लेकिन ध्येय अूक जानेकी मूल बार-बार होती रहती है। मनुष्य नादका मूल खोजते-खोजते स्वरोंके सौन्दर्यमें लुभा जाता है; अित्तका शोधन करते-करते मिथियोंमें मोहित हो जाता है; नदीका मूल खोजते-खोजते रंगविरंगे कंकर-पत्थर या मछलिया अिनट्टी

करने लग जाता है, या आसपासके प्रदेशमें कोभी रिक्तता देखता है, तो वहा अपनी सत्ता जमानेमें लग जाता है, या जैसे ही किसी दूसरे कारणसे वीचमें ही रुक जाता है।

यह विषय अत्यन्त आश्चर्यकारक है। कोभी छोटा या बड़ा पदार्थ अथवा अुसका गुण, क्रिया या दूसरा कोभी धर्म ऐसा नहीं होता, जिसके मूलकी खोज करके अुसके आदिकारण तक न पहुँचा जा सके। साथ ही जैसे कोभी छोटे-बड़े पदार्थ, गुण, क्रिया या धर्म नहीं हैं, जिनमें वीचमें ही मनुष्यको रोक रखनेवाली अनन्त प्रकारकी विविधता न हो। जिस तरह किसी मूल पुरुषके हजार पुत्र ही और अुनमें ने हरअेकके हजार-हजार पुत्र ही और अिस तरह अेक हजार पीढी तक प्रत्येक वंशजकी हजार-हजार पुत्रोकी परंपरा चले, अुमी तरहका यह संसाररूपी वृक्ष है। फिर भी यह वृक्ष ऐसा अनोखा है कि अुसकी हजारवी पीढीकी ठीक ठीक खोज करें, तो अुनमें भी मूल पुष्पका पूर्ण वीज अच्छी तरह अुतरा हुआ मालूम होगा। अिस-लिये यदि केवल मूल वीजकी ही शोध करनी हो, तो यह बात महत्त्वकी नहीं मानी जायगी कि किस पीढीके कौनसे वंशजको शोधका विषय बनाया जाय। चाहे जहासे शोध आरंभ करके हम मूल वीजको पहचान सकते हैं। लेकिन मूल वीजको खोजकर यदि अुसकी सहायतासे अुस सारे कुटुम्बके साथ कोभी मीठा सवध बनाये रखना हो, तो हमारी खोज विशेष ढंगसे ही होनी चाहिये।

और विज्ञान तथा तालीमके बीच यही भेद है। किसी भी पदार्थको खोजका विषय बनानेवाला मनुष्य विज्ञानशास्त्री तो अवश्य है; अिससे वह मूल कारण तक भी शायद पहुँच जाय; अुमकी खोजका दुनियाँके लिये कोभी लाभ भी हो सकता है। परंतु संभव है विज्ञानकी जो शाखा विज्ञानशास्त्रीको शान्ति देनेवाली और समाजको सुखी बनानेवाली हो सकती है, अुस शाखाका काम यह विज्ञानशास्त्र

न भी करे। जिस प्रकार तालीम विज्ञानकी विरोधी नहीं, परन्तु विज्ञानसे कुछ अधिक है।

विज्ञानकी जिम शाखाके विना तालीम अबूरी कही जायगी, वह चित्तकी भावनाओके विकासकी और अुस दृष्टिसे चित्तके मूलकी शोधकी शाखा है। भावनाओकी शुद्धि, विकास और चित्तकी शोध—यह विज्ञान तालीमका मुख्य अंग है। जिसके निवा दूसरा विज्ञान प्रवृत्तिके नियमोंके ज्ञानका और अनुभवोका भंडार बढा नकता है, लेकिन अुसके विषयमें निश्चित रूपमे यह नहीं कहा जा सकता कि वह हमें शांति प्रदान करेगा या अुससे हमारा जीवन सुखी बनेगा। जिसके विपरीत मापरूप बननेकी भी अुसके भीतर शक्ति होती है।

यद्यपि विज्ञानसे तालीम पूर्ण नहीं होती, फिर भी मैं यह भार-पूर्वक कहना चाहता हू कि विज्ञानके संस्कारोंके विना तालीमका काम चल नहीं नकता। विज्ञानके संस्कारोका अर्थ है अवलोकन करने और तुलना करनेका अभ्यास। अवलोकन और प्रज्ञाके अभ्याससे ही विज्ञानका अुदय होता है।

५

तालीम और विवेकबुद्धि

विवेकबुद्धिको मैं अिष्ट देवताकी तरह पूज्य मानता हू। कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, अन्याय, तप आदि विविध नाधनों द्वारा व्यावहारिक जीवनमें मुझे यदि कोअी प्राप्त करने जैसी दस्तु मालूम होनी हो, तो वह है विवेकबुद्धिका विकास। किनी देवी-देवताके दर्शनकी या ऋद्धि-मिद्धियोंकी मुझे लालना नहीं है। परन्तु यदि भक्ति, ध्यान आदि साधनों देन संतुष्ट हो, तो मैं यही चाहूंगा कि वे मेरी विवेकबुद्धिको शुद्ध और विकसित करें।

जिन विवेकका अर्थ क्या है?

यह तो शायद ही कहनेकी जरूरत हो कि यहां विवेकसे मेरा मतलब सम्यता या गिष्ठाचारसे नहीं है, जो कि अुसका प्रचलित और परंपरागत अर्थ है। विवेकका ग्ब्दार्थ होगा विशेष या सूक्ष्म विचार। हम जो कुछ करते हैं, सीखते हैं या मानते हैं, वह क्यों करते, सीखते या मानते हैं, अिसका विचार हम हमेगा नहीं करते। हो सकता है कि अत्यन्त तुच्छ या अत्यन्त गंभीर क्रियाओं, मान्यताओं और सीखी जानेवाली बातोंमें से कभीके वारेमें हमें कभी कोभी विचार ही न सूझा हो। हममें बोलने या बरताव करनेकी कितनी ही अैसी आदतें होती हैं, जो दूसरोंके ध्यानमें तो आ जाती हैं, परंतु हमें अुनके अस्तित्वका पता ही नहीं चलता। मेरे मित्र कहते हैं कि मुझे बोलते समय 'है सो' जैसे निरर्थक शब्द बोलनेकी आदत है। यह आदत मुझमें है, अिसका अभी तक मैं निश्चय नहीं कर पाया हू। क्योंकि मैं सावधानी रखकर बोलता हूं तब मेरी जवान पर ये शब्द नहीं आते; और जब असावधानीसे बोलता हूं तब ये शब्द मेरे ध्यानमें नहीं आते। जिस हद तक अैसा होता है, अुस हद तक यही कहा जाना चाहिये कि हमारी क्रियाओं, मान्यताओं और शिक्षा विवेकरहित हैं। अिसका मतलब यह हुआ कि हमारे अुतने कार्य, मान्यताओं आदि असावधानीके द्योतक और यह बतानेवाले हैं कि अुनके वारेमें हमने पहलेसे कोभी विचार नहीं किया है।

विना विचारे हुअे कार्य, मान्यताओं या शिक्षा बुरे या गलत ही हैं, अैसा नहीं कहा जा सकता। परंतु सुकर्म, मुगिक्षा और सुश्रद्धा भी यदि विचारपूर्वक न हो, तो अुनमें दो दोष रहते हैं। अेक, विचारपूर्वक किये गये कर्म, शिक्षा आदिमें जिन गुणोंको प्रकट कराने और दृढ बनानेकी शक्ति होती है वह विचारहीन कर्म, शिक्षा आदिमें नहीं होती। दूसरा, चाहे जितनी पुरानी आदत हो, फिर भी संगतिका दोष अुसे आघात पहुंचा सकता है। अुदाहरणके लिये, मेरा कीड़ियों और मकोड़ोंको भी न मारना अवश्य अेक सुकर्म है। लेकिन

यह सुकर्म करनेकी आदत अगर मुझे केवल परंपरागत संस्कारोंसे, गुणजनोंके डरसे, नरकमें मिलनेवाले दंडके भयसे या स्वर्गमें मिलनेवाले सुखके लालचसे पडी हो और जिस वारेमें मैंने स्वयं किसी स्वतंत्र दृष्टिकोणसे विचार न किया हो, तो जिस कर्मसे जिस गुणकी वृद्धि होनी चाहिये वह नहीं होगी। अर्थात् मैं कीडी-मकोडेको मारूं भले नहीं, लेकिन हो सकता है कि अुनके त्राससे तंग आकर मैं अुन्हें मनमें कोसे बिना और शाप दिये बिना न रू, और जानसे न मारकर दूसरी कोअी सजा अुन्हें दे डालू। यह दूसरी सजा अैसी हो सकती है, जो अन्तमें प्राण लेनेसे भी अधिक कठोर और निर्दय साबित हो। यदि मेरी यह अहिंसात्मक आदत सिर्फ कीडी-मकोडे तक ही सीमित हो, तो यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि वह मुझे मकडी, साप या विच्छूको—या शायद किसी मनुष्यको भी— मारनेसे रोकेगी। अुसने मेरा क्रोध कम न होगा। अुसके कारण मैं वैल या नौकरसे मरते दम तक काम लेनेमें सकोच नहीं करूंगा। अुसके कारण अपने अधीन वने हुअे किसी आदमीके साथ अितनी सल्टी करते भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगा कि अुसका सब-कुछ छिन जाय। और अन्तमें बुरी सगतिके असरसे मैं अिन कीडी-मकोडेके वारेमें भी लापरवाह बन जाऊंगा।

जिसी तरह दान करना भी अवश्य अेक सत्कर्म है। परंतु जब तक दान देनेवाला दानके गुणोंके वारेमें स्वयं विचार नहीं करता, बल्कि केवल चली आयी रुढिके कारण अथवा जिस श्रद्धासे दान करता है कि अमुक स्थान पर अमुक वस्तुका अमुक मनुष्यको दान करनेसे अमुक फल मिलता है, तो यह विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता कि दानकी यह क्रिया दानीको अुदार बनावेगी ही। नुड वने हुअे मार्गोंमें अुनके दानका प्रवाह बड़ेगा, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि वह आय-प्रक मार्गोंमें भी बहेगा। हो सकता है कि अुदार चित्तसे अथवा रहमदिलीसे दानकी तरफ प्रवृत्ति होनेके वजाय यह

क्रिया माथेके तिलककी तरह या भीतरके रोगके बाहरी उपचारकी तरह केवल ऊपरी सस्कार ही रहे। और किसी कारणसे जिस रुढ़ि या श्रद्धाके संस्कारोका लोप हो जाय, तो माथेके तिलककी तरह जिस दानकी क्रियाकी आदत भी मिट जाय।

सारांग यह कि जब तक मेरे कर्मोंके पीछे रहनेवाले गुणों या अिच्छाके बीजके विषयमें मेरे अपने हृदयमें विवेक-विचार न उत्पन्न हो, तब तक मुझमें अुन गुणोका सब कामोंमें विस्तार करनेकी, अथवा क्या करना और क्या न करना — जिस वारेमें अुन गुणोंमें स्थिर रहकर विचार करनेकी, अैसा करते हुये होनेवाले कष्टोंको धीरजसे सहन करनेकी, संगतिका दोष न लगने देनेकी, और दोषपूर्ण गुणों, अिच्छाओं या आदतोंसे बचनेकी शक्ति नहीं आ सकती।

जान-बूझकर होनेवाले सारे व्यवहारोंकी बुनियाद सही या गलत विवेक है। विवेकमें चार वस्तुओंका समावेग होता है। अवलोकन, प्रजा, भाव और सावधानता। अवलोकनका अर्थ है, जो जो विषय अनुभवमें आवें अुनकी गोघ। किसी भी पदार्थका स्वरूप क्या है, अुसके घर्म कौनमें है और वे वैसे ही क्यों है — जिसकी गोघ ही अवलोकन है।

प्रज्ञा अर्थात् अनुभवोको तोलनेकी शक्ति : जिस शक्तिकी सहायतासे हम गुड़ और गव्वकरके बीचका, सा और रे के बीचका, दया और प्रेमके बीचका, मान और अपमानके बीचका भेद जान सकते हैं, वह अनुभवतोलक शक्ति। यह शक्ति विषयोंके बीचके भेद दिखाती है।

भावका अर्थ है किसी पदार्थके संबन्धमें हमारा दृष्टिविन्दु। भाव अनेक है, परंतु सब भावोंका विग्लेषण करने पर अुनका तीन मूल

* यहां पदार्थ शब्दका बहुत व्यापक अर्थमें अुपयोग किया गया है। सजीव-निर्जीव, स्थावर-जगम, स्थूल-सूक्ष्म, मूर्त-अमूर्त जो भी पदार्थ विचारके विषय बन सकते हैं, वे सब जिसमें आ जाते हैं।

भावोंमें समावेश हो जाता है। विषमभाव, समभाव और अंक्यभाव। यह पदार्थ और मैं अकेल-दूसरेसे भिन्न हैं; अुसका हित अलग है, मेरा हित अलग है—यह है विषम, पर या द्वैतभाव। यह पदार्थ और मैं दोनो अकेसे हैं; जैसा मेरा सुख है वैसा ही अुसका है—यह सम या विशिष्टाद्वैत भाव है। यह पदार्थ और मैं अके ही हैं; अुसका हित ही मेरा हित है—यह है अंक्य या अद्वैतभाव।*

सावधानताका अर्थ है संपूर्ण जागृति, कार्य करनेके पहले ही आत्मस्मृति। खाते समय खानेका, बैठते समय बैठनेका—अिस तरह प्रत्येक कार्य करते समय अुने करनेका भान होना सावधानता है।

अवलोकन, प्रज्ञा आदि चारमें से कौन किसका कारण है, यह निश्चय करना कठिन है। अिन चार वस्तुओंकी थोड़ी-बहुत विरासत तो हरअेकको जन्मसे ही मिली होती है। प्रज्ञाके सूक्ष्म होनेमें भाव

* भावोंके फलस्वरूप किसी पदार्थके प्रति जो वृत्ति पैदा होती है वह भावना या विकार है। साधारण तौर पर अच्छी वृत्तिके लिये भावना शब्द काममें लिया जाता है और बुरी वृत्तिके लिये विकार शब्द काममें लिया जाता है। प्रत्येक प्राणीमें कम-अ्यादा मात्रामें तीनों भाव रहते हैं। जैसे, शरीरके अवयवोंके प्रति अंक्यभाव; सगे-सत्रधियों, कुटुम्बीजनो और मित्रोंके प्रति समभाव पदार्थों और पराये लोगोंके प्रति विषम या परभाव। किसी विशेष पदार्थके कारण नहीं, बल्कि स्वभावके रूपमें ही दृढ़ बनी हुअी वृत्ति गुण कहलाती है। अुदाहरणके लिये, अमुक व्यक्तिके मेरा अमुक काम बिगाडनेमें जो विकार अुत्पन्न हो वह क्रोधकी वृत्ति है। किनी समय, कोअी भी व्यक्ति मेरी किनी योजनाको बिगाडे, अुम समय यही विकार अुत्पन्न होनेकी आदतको क्रोधका गुण कहते हैं। भाअीको दुःखसे देखकर जो भावना पैदा हो, वह दयाकी वृत्ति है। किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारका दुःख भोगते देखकर यह वृत्ति पैदा होनेका स्वभाव पड जाय तो अुमें दयाका गुण कहेंगे।

स्पष्ट होते हैं। सूक्ष्म प्रज्ञा और स्पष्ट भाव अवलोकनको स्पष्ट बनाते हैं; स्पष्ट अवलोकन सच्चे निर्णयके लिये आवश्यक है; और सावधानता जिन तीनों पर अपना असर डालती है। जिन सबके फल-स्वरूप निर्णय करानेवाला जो विचार उत्पन्न होता है, वह है विवेक। और यह विवेक फिर अवलोकन, प्रज्ञा और भावकी शुद्धि तथा सावधानताका पोषण करता है। जिन चारमें से कोई भी अग अधूरा रहता है, तो उससे विवेकमें कमी आती है।

मनुष्य अवलोकन करनेवाला हो, लेकिन यदि उसके भाव योग्य न हों या प्रज्ञा जड़ हो, तो वह केवल स्थूल, ओछी दृष्टिके या काल्पनिक सिद्धान्त बनानेवाला होगा; तात्त्विक विचारकी असल वुनियाद उसके हाथ नहीं लगेगी। ठीक समय पर अुपयोगमें लायी जा सकनेवाली निर्णयशक्ति उसमें पैदा नहीं होगी।

यदि केवल उसकी प्रज्ञा ही सूक्ष्म हो, तो वह पदार्थोंके अपरी भेदों और स्वरूपोंमें ही रमा रहेगा, लेकिन पदार्थोंके बन्वनोंसे मुक्त नहीं हो सकेगा।

मनुष्यमें अवलोकन और प्रज्ञा हो परन्तु योग्य भाव न हो, तो उसका तत्त्व-विचार उसमें बल नहीं पैदा कर सकता; उसके जीवनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।

और, यदि योग्य भाव हो, परन्तु अवलोकनकी कमी हो या प्रज्ञा मन्द हो, तो वह पदार्थोंकी काल्पनिक कीमत आंकेगा, जल्दीके निर्णय करेगा, उसका विकास अंकांगी रहेगा, अपने आचरण पर उसका अधिकार नहीं रहेगा, और तारतम्यको समझनेकी उसमें कमी दिवायी देगी। अर्थात् साधारण भाषामें जिसे नादानीभरा या वेढंगा व्यवहार कहते हैं, वैसा उसका व्यवहार मालूम होगा। उसे मंतुलन कायम रखते नहीं आयेगा।

मनुष्यमें सब कुछ हो, लेकिन सावधानता न हो तो उसे वार-वार यह कहनेका मौका आयेगा : 'जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः।

जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ॥' (मैं धर्मको जानता हूँ, परन्तु मैं
असका आचरण नहीं कर सकता; अधर्मको जानता हूँ लेकिन मुझसे
मुक्त नहीं हो सकता।)

कला, कौशल, पांडित्य, सौन्दर्य, बल या केवल भक्ति, केवल कर्म-
परायणता, केवल तप, केवल ज्ञान (जानकारी और तर्कशक्ति) या
केवल ध्यानकी पूर्णतासे जीवनमें पूर्णता नहीं आ सकती। परन्तु यह
कहना गलत नहीं होगा कि विवेककी पूर्णता और जीवनकी पूर्णता
अके ही चीज है। जैसे विना प्राणका शरीर ही शव कहलाता है,
वैसे ही मुझे लगता है कि विना विवेकका जीवन ही अमानवता है।

केवल विवेकबुद्धिकी सहायतासे हम भक्तिमार्ग, तपमार्ग, कर्म-
मार्ग या ध्यानमार्गका फल प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु केवल विवेक-
विचार पर टिके रहना कठिन होता है, जिसलिअे भक्ति, तप
आदि मार्गोंका आधार लेना ठीक है। लेकिन विचार करनेसे मालूम
होगा कि मनुष्यकी अुन्नतिका अके भी अँसा साधन नहीं, जिसमें विवेक-
विचारकी आवश्यकता न रहती हो। और जितने ज्ञानी या सन्त
पुरुष भूतकालमें हो गये हैं या वर्तमान कालमें होंगे, उनमें सबसे बड़ी
समानता यही पायी जायगी कि उनके जीवनमें विवेकबुद्धि सतत जाग्रत
रही या रहती है। जिस हृद तक उनमें विवेककी पूर्णता होगी, अुसी
हृद तक उनका जीवन वास्तवमें महान होगा। अन्य सब सामग्रिया तो
जिस विवेकके अलंकारमात्र हैं।

भले अिष्टदेवका दर्शन हुआ हो, समाधि-लाभ हुआ हो, तप
मिद्ध हुआ हो, अनेक प्रकारकी विद्याओंमें पारंगतता प्राप्त हुआ हो
या वैराग्यवृत्ति हो, परन्तु यदि मनुष्यमें विवेकका अुत्कर्ष न हुआ हो,
तो वह अिन सबको पचा नहीं सकता, और अुसका अघ पतन भी
हो सकता है। अिसके विपरीत, यदि केवल विवेक-विचार जाग्रत रखनेकी
ही शक्ति प्राप्त की जा सके, तो अुतनेसे ही वह स्थायी गान्ति पा

सकता है। मेरे विचारसे पूर्ण शुद्ध विवेकी जीवन ही जीवनमुक्तिका प्रत्यक्ष लक्षण है।

विवेकके अुत्कर्षको मैं जीवनका और जिसलिखे तालीमका अन्तिम व्येय मानता हूँ और तालीमके ये विभाग करता हूँ : अवलोकन (शोधकी जिज्ञासा और सूक्ष्मता), प्रज्ञाकी तीव्रता, योग्य भावोंके पोषणके फलस्वरूप भावना-विकास और संपूर्ण जागृत्तिका अभ्यास।

दृढता-वृत्ति

अूपर जो कुछ लिखा है, अुसमें थोडा जोड़नेकी जरूरत है। केवल विवेकवृद्धि — सारासारकी ठीक समझ और निर्णय करनेकी शक्ति — अेक गुणके बिना असफल भी सिद्ध हो सकती है। और वह गुण दृढता या वृत्तिका — जिस वस्तुको विवेकसे योग्य ठहराया हो, अुससे लगनके साथ चिपके रहनेकी शक्तिका है। यह दृढता या वृत्ति ही मनोबल, आत्मबल आदि शब्दोंसे पहचानी जाती है। यह दया, क्रूरता आदिकी तरह भावना नहीं है; लेकिन जैसे बलवान मनुष्यके स्नायुओं और कमजोर मनुष्यके स्नायुओंकी गठनमें जन्मजात अथवा तालीमसे पडा हुआ भेद रहता है, अुसी तरह चित्तकी गठनमें तालीमसे पडनेवाला या जन्मने रहनेवाला यह भेद है। तालीमसे जैसे मनुष्यके स्नायु मजबूत बन सकते हैं, अुसी तरह वृत्ति भी बलवान हो सकती है।

तालीम और अभ्यास

तालीममें अभ्यासके महत्त्वको पूरी तरह समझे बिना काम नहीं चल सकता। अभ्यासका अर्थ है, अेक ही कामको बार-बार करना। खेतमें सब जगह घास अुगी हो और आप कभी अेक स्थान पर और कभी दूसरे स्थान पर घूमें, तो वहा किसी तरहकी निशानी मालूम नहीं पड़ेगी। परन्तु अेक ही स्थानसे चलनेका नियम रखें, तो थोडे समयमें वहा साफ पगडडी दिखायी पड़ेगी। हमारे शरीरमें भी अिनी तरह होता है। हम किसी दिन हायकी, किसी दिन पावकी, और किसी दिन कमरकी कनरत करे और अुसमें किसी भी तरहका निश्चित अभ्यास न रखें, तो हमारा अेक भी स्नायु भलीभाति विकसित नहीं होगा। अुसी तरह यदि हम किनी दिन चरखा चलायें, किसी दिन पावसे चलाये जानेवाले यत्र पर बैठें, किसी दिन चित्र बनायें, किसी दिन सगीत-क्लानमें जायें और किसी दिन ध्यान करने बैठें, तो हमें अेक भी काममें सफलता नहीं मिलेगी।

शारीरिक या मानसिक, कोयी भी शक्ति प्राप्त करनेके लिये अर्थान् अुस शक्ति पर पूरा पूरा काबू पानेके लिये अभ्यासके बिना काम नहीं चल सकता।

हमारे देगमें अभ्यासका महत्त्व बहुत लम्बे समयने समझ लिया गया है; लेकिन अभ्यासके साथ जो दूसरे अग जुटे हुअे हैं, अुन पर किनीदा ध्यान नहीं गया है। अनुभवसे यह पता चला कि अभ्यासके बिना सस्कार दृढ नहीं होते। अिसलिये हम किसी न किनी उगने अन्यान करानेका प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक क्रिया तीन प्रकारने की जा सकती है . भयसे, लालचसे और क्रियाके प्रति रहे प्रेमने। भय

और लालचसे भी संस्कार डाले जा सकते हैं। और अधिकतर बिन दोमें से अकेके या दोनोके जरिये अभ्यास कराया जाता है। बिन तरह अभ्यास कराना अभ्यास करानेवालेको आसान पड़ता है; अुसमें अभ्यास करनेवालेकी विवेकबुद्धिको विकसित नहीं करना पड़ता। सरकसके मालिक जानवरोको भयसे ही तालीम देते हैं। शालाओंमें शिक्षक भी यही तरीका अपनाते हैं। बहुतेरे सम्प्रदायोके प्रवर्तकोने भी वार-वार भय या आशा बताकर जनतामे अच्छी आदतें पैदा की हैं। ये आदतें कभी-कभी मजबूत तो हो जाती हैं, परन्तु मूढ-भावसे। उनका रहस्य समझमें नहीं आता। जो भय या आशा बतायी गयी हो, अुसकी चिन्ता या श्रद्धा मिट जाने पर सदियों पुरानी आदतें भी थोड़े समयमें नष्ट हो सकती हैं। कुछ वर्षोंके अंग्रेजी विद्याके संस्कारोने हमारी जनतामें पड़े हुअे सदियों पुराने संयमके संस्कारोंको नष्ट कर दिया। अिसके कारणकी जांच करोगे, तो मालूम होगा कि संयमके संस्कार यमदंडके भय या स्वर्गसुखकी आशासे डाले गये थे। किसी भी कारणसे अिस भय और आशा परसे श्रद्धाके अुड़ते ही और स्थूल दृष्टिसे संपूर्ण दिखायी पड़नेवाले आधिभौतिकवाद पर श्रद्धा जमते ही वह संयम चला गया। शुष्क वेदान्तका भी कभी लोगोके जीवन पर यही परिणाम होता है। जैनधर्म तप और संयम पर बेहद जोर देता है। फिर भी कुछ जैन साधुओं और गृहस्थोमे चरित्रभ्रष्टता घृणा अुत्पन्न करनेकी हद तक बढ़ी हुयी सुनी गयी है। अिसका कारण यही हो सकता है कि तप और संयम पर प्रेम उनका मूल्य समझकर नहीं रहा होगा, परन्तु उनके द्वारा कोयी भय दूर करनेकी या मुख प्राप्त करनेकी आशा रही होगी। और यह भय और मुख काल्पनिक हैं, अैसा लगते ही तप और संयम पतझड़के पत्तोकी तरह खिर गये होंगे।

अिमलिअे अभ्यासके साथ अभ्यासकी क्रिया पर प्रेम हो, तो ही अभ्यास मनुष्यको लाभ पहुंचा सकता है। यह ज्यादा कठिन बात

है। जिसमें अभ्यासीकी विचारशक्ति जाग्रत होनी चाहिये। अभ्यासकी क्रिया पर प्रेम हो सके, जिसके लिये उस दिशामें उपयोगी गुणोका विकास हुआ होना चाहिये। जिस प्रकारका अभ्यास अत्यंत धीमी गतिसे ही हो सकता है।

परन्तु आज तो अभ्यासकी आवश्यकता पर ही कुछ लोगोंको अश्रद्धा होने लगी है। वे अभ्यासके बदले साहचर्यके नियम पर जोर देते हैं। असी अश्रद्धा होनेका कारण है अभ्यासके नियमके वारेमें हमारी शालाओमें पोषित हुआ गलत खयाल। शालाओमें अभ्यासका जाना हुआ उपयोग अक, पहाडे या कविता रटनेमें होता है। शिक्षकोका यह खयाल है कि रटनेसे पहाडे और कविता याद रह जाते हैं। अतः याद रखनेके लिये रटनेकी (अभ्यासकी) जरूरत है।

साहचर्यका नियम जाननेवाले कहते हैं कि यह निरा भ्रम है। हमारी स्मरणशक्ति मूलसे ही अितनी पूर्ण है कि अक वार किसी चीजको अच्छी तरहसे जान लेनेके बाद वह जिस तरह याद रहती है कि कभी भुलायी ही नहीं जा सकती। परन्तु जो कुछ याद रखना हो, उसे ठीक-ठीक स्मरणमें भरते आना चाहिये। अुदाहरणके लिये, मेरी टोपी कहीं रख दी गयी हो और उसे ढूढना हो, तो मैं क्या करूंगा? मैंने आखिरी वार कव निश्चित रूपसे टोपी पहनी थी, उस समय मैं कहा था, वैठा था या खड़ा था, मेरे साथ दूसरा कौन था, वहासे मैं कहा गया, वहा क्या किया, टोपी सिर परसे मैंने क्या निकाली आदि आदि टोपीके साथ दूरका या पासका सम्बन्ध रखनेवाली छोटी-छोटी बातोंको मैं याद करूंगा। जिस तरह आसपासकी छोटी-छोटी बातें याद करनेसे मुझे यह याद आ जायगा कि मैंने टोपी कहा रखी थी। आस-पासकी ये बातें सहचारी (साथकी) बातें कही जाती हैं। टोपी कहा रखी थी, यह मैं भूला हरगिज नहीं था। क्योंकि रखते समय ही मेरे दिमाग पर जिस रखनेकी क्रियाका संस्कार पड गया था। परन्तु पूरी तरह सावधान न रहनेके कारण मैं अुस संस्कारको तुरन्त जाग्रत

नहीं कर सका था। उसे जाग्रत करनेके लिये मेरा आसपासकी बातोंका स्मरण करना काफी होगा।

जिस परमे यह नियम बनाया जाता है कि किसी चीजको याद रखनेके लिये केवल उसी चीजको याद रखनेका प्रयत्न करना वेदगी पद्धति है। सरल बात यह है कि हरएक क्रिया करते समय आसपासकी सब चीजों पर नजर डाल लेनी चाहिये। सूझी रखने जाय तो सूझीके साथ दूसरी क्या चीजें पड़ी हैं यह ध्यानसे देख लिया जाय। उसका डिव्वा कहां रखा है, उसके साथ और क्या क्या है, यह भी देख लिया जाय। ऐसा करनेसे सूझी कहां रखी है जिसका विचार करते ही आसपासकी चीजोंका स्मरण जाग्रत हो जायगा और सूझीका स्थान याद आ जायगा। बिसी तरह पांच-चोक-बीस यह बीस बार रटाकर याद रखानेके बजाय पांच-पाच मनकोके चार ढेर करके अन्हें विद्यार्थीसे गिनवाया जाय, तो पांच-चोक पूछते ही बालककी स्मृतिमें पांच-पांच मनकोके चार ढेर और उस समय की हुझी क्रिया खड़ी होगी और वह पांच-चोक-बीस तुरन्त याद कर सकेगा। पांच-चोक-बीस हम भले बीस बार रटे, लेकिन बीसों बार हमारा ध्यान यह चीज रटनेमें ही नहीं रहता। जिसलिये पांच-चोक कहते ही बीस शब्द मुह पर आ ही जाय, ऐसी जीभके स्नायुको भले आदत पड़ जाय, लेकिन यह मान्यता गलत है कि जिसने स्मरणशक्तिका विकास होता है।

यह आपत्ति गलत नहीं है। किसी भी चीजको स्मृतिमें भरनेके लिये अभ्यासकी जरूरत नहीं। स्मृति पर एक ही प्रयत्नसे कभी न मिटनेवाली छाप पड़ सकती है। और यह कोझी विरला अवधानी (अेकाग्रताकी शक्तिवाला) ही कर सकता है, ऐसा नहीं; बल्कि यह स्मरणशक्तिका स्वभाव ही है।

फिर भी अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। अभ्यासका काम दूसरा ही है। अभ्यासका सम्बन्ध खास करके शरीरके स्थूल अंगोंके साथ होता है। स्थूल अंग शरीरके वे भाग हैं, जो अपने-आप या माधनौकी मददसे

शरीरमें प्रत्यक्ष दिखायी दें या भूख-प्यासकी तरह अनुभव किये जा सकें। अुदाहरणके लिये, स्नायु, ज्ञानतन्तु, मस्तिष्क वगैरा। जिन सबको किसी भी प्रकारकी दृढ आदत डालनेके लिये अभ्यासकी जरूरत रहती ही है।

स्मृति पर किसी वस्तुकी छाप डालनेके लिये अेक सस्कार काफी है। अुस छापका यदि हमें बार-बार अुपयोग करना पडे, तो बिना प्रयत्नके अभ्यास हो जायगा। यानी हमारे स्थूल अंगोको अमुक दिशामें काम करनेकी आदत पड जायगी। अुदाहरणके लिये, अगर मैं किसी किरानेके व्यापारीके यहा नौकर होऊ, तो कौनसी चीज कहाँ रखी है, जिसकी छाप मैं अेक ही बारमे डाल लूंगा। साहचर्यके नियमसे मैं अुन चीजोको खोज लूंगा। परन्तु रोज रोज अुन चीजोका काम पढनेसे थोडे दिनोमें बिना प्रयत्नके अुन चीजोके स्थान याद रखनेका अभ्यास हो जायगा। अँसा नही है कि जिस क्रियामे साहचर्यके नियमका अमल होगा ही नही। परन्तु अुस नियमके अमलकी गति अितनी वढ जायगी कि चीज और अुसके स्मरणके बीच साहचर्यके नियमका समय ध्यानमें ही नही आयेगा। जो क्रिया बार-बार करनेकी हो या भविष्यमे करनेकी हो, अुसकी गति वढानेका काम अभ्यासका है। फिर वह क्रिया स्मृतिकी हो या अन्य प्रकारकी—जैसे सूत कातनेकी—हो।

यह सच है कि स्मृति पर अेक ही बारमे किमी चीजकी छाप पड सकती है। परन्तु अुस छापको जाग्रत करनेमें नमय न जाय, जिस तरहकी आदत डालनेके लिये अुसका अभ्यास करना पडता है। फिर सस्कार ग्रहण करनेका भी अँना अभ्यास होना चाहिये जिससे अेक ही नस्कारसे जाग्रत की जा सकनेवाली छाप अुसके नहचारी नम्यन्धोके साथ स्मृति पर पडे।

अुपर कहा गया है कि क्रियाकी गति वढानेके लिये अभ्यासकी जरूरत है। परन्तु गति तो वादमे आती है। अुसके पहले अुस क्रिया

पर धीरे-धीरे काबू पानेके लिये, क्रिया अपने-आप करना आनेके लिये भी पहले क्रियाका अभ्यास करना चाहिये। अर्थात् बार-बार सावधानीसे प्रयत्न, करना चाहिये। जैसे बार-बारके प्रयत्नसे क्रिया पर काबू पाया जाता है, और क्रियाके अभ्याससे गति बढ़ती है।

साहचर्यका नियम कहता है कि कोयी नयी चीज जल्दी सीखनी हो, तो उसके लिये अत्यंत सावधान वृत्तिका होना आवश्यक है। सारा ध्यान उसीके पीछे लगा होना चाहिये। अभ्यासका नियम कहता है कि सीखी हुयी चीजको दृढ बनानेके लिये और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकनेके लिये उसकी बार-बार आवृत्ति होनी चाहिये।

सद्गुण और दुर्गुण अभ्याससे बढ़ते हैं; उसी तरह अच्छे काम करनेकी आदत तथा बुरे काम करनेकी आदत सब अभ्याससे पडती है। केवल विवेकसे अच्छे कामोंके लिये आदरवृद्धि पैदा हो सकती है, अनुका महत्त्व समझमें आ सकता है, अच्छे-बुरेके बीचका भेद समझा जा सकता है। लेकिन जिस अच्छी चीजका ज्ञान हुआ हो उसका अमल करनेके लिये और जो चीज बुरी लगती हो उससे बचनेके लिये अभ्यासकी जरूरत है। यह अभ्यास यदि बलात्कार या लालचसे हो, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उससे अनुत्ति होगी ही। यानी यह अभ्यास क्रियाके ही खयालसे और उसीके प्रति रहे प्रेमसे होना चाहिये। परन्तु अभ्यासके बिना तालीम पूरी हो ही नहीं सकती। यानी अभ्यासके बिना विचारी हुयी चीज पच नहीं सकती, जीवनके साथ ओतप्रोत नहीं हो सकती।

अिन्द्रियोंकी तालीम

[शिक्षणमें बालकोकी अिन्द्रियोंकी तालीमके बारेमें कुछ विचार किया गया है। संयमके लिये प्रयत्न करते रहनेवाले पुत्र अिन्द्रिय-दमनके बारेमें काफी विचार करते हैं। असा भास होता है कि ये दो विचार परस्पर विरोधी हैं। मुझे लगता है कि अिन दोनों विचारोंमें कुछ अस्पष्ट विचारसरणी काम करती है। अिसलिये अिस विषयमें मुझे जो दिगा प्राप्त हुआ है, अुनके अनुसार अिस लेखमें कुछ विचार प्रकट करनेकी अिच्छा है। असा नही मानना चाहिये कि अिन लेखमें अुन विचारोंका अन्त आ गया है—वल्कि केवल आरभ ही है। परन्तु यहां जो विचार मने रखे हैं, वे तालीममें रस लेनेवालो तथा आत्मार्यों पुत्रोंके लिये अुपयोगी सिद्ध होंगे, असा मेरा विश्वास है।]

यह बात बहुत कम लोगोंके खयालमें आयी होगी कि जानेन्द्रियोंकी शुद्धि या सूक्ष्मता और जानेन्द्रियोंकी रसवृत्तिमें भेद है। अिन विषयको यहां कुछ स्पष्ट करनेका मेरा विचार है।

यह कहा जा सकता है कि जानेन्द्रियोंकी शुद्धिका अर्थ है जानेन्द्रियोंकी नीरोगिता और पूर्णता। यदि किसी मनुष्यके कान पनली और मोटी आवाजको सुन सकते हो, अुनके भेदको भलीभाति समझ नवने हो, आवाज परसे अुसकी दिगा जान सकते हो और अुनकी सुननेकी शक्ति बडापे तक बनी रहे, तो कहा जा सकता है कि अुनकी कर्णेन्द्रिय शुद्ध है।

यदि कोअी मनुष्य नादप्रिय हो यानी अलग-अलग तरहकी आवाजें, वाद्य, गायन वगैरा सुननेमें आनन्द मानता हो, अुमने अुसकी अच्छी या बुरी वृत्तिया अुत्तेजित होती हो, तो यह कहा जा सकता है कि अुसकी कर्णेन्द्रियकी रसवृत्ति जाग्रत है।

अिनी तरह नाककी सूक्ष्म और अुग्र गंधोंको स्पर्शनेकी शक्ति और अुस शक्तिका अन्त तक बना रहना, जीभ और त्वचाकी अन्त तक बनी रहनेवाली तेजस्विता, अुन अुन जानेन्द्रियकी शक्ति

निगानियां हैं। और गंध, रूप, रस, स्पर्श आदिके अलग-अलग गौक अुस अुस ज्ञानेन्द्रियकी रसप्रियता है।

ज्ञानेन्द्रियकी शुद्धि और रसवृत्तिके बीच थोड़ा संबंध है, थोड़ा विरोध है और ये दोनों अेक-दूसरीसे थोड़ी स्वतंत्र भी हैं।

यदि ज्ञानेन्द्रिय शुद्ध न हो, तो अुसमें अधिक रसवृत्ति नहीं हो सकती। वहरेको सगीतसे खुश होते हम नहीं देख सकते, या जन्मसे अघा व्यक्ति रूपके रसका भोक्ता नहीं बन सकता। अुसी तरह नाकको तालीम न मिली हो, यानी वह गंधके भेदोको पहचाननेकी शक्ति न रखती हो, तो सुगंधसे अुसका अधिक रंजन नहीं हो सकता। जीभ जड़ बन जाय, तो वह अनेक तरहके व्यंजनोका स्वाद समझ नहीं सकती। अिसलिये जिस हद तक ज्ञानेन्द्रिय शुद्ध होगी, अुसी हद तक वह रसिक बनने योग्य होती है। अिस तरह ज्ञानेन्द्रियकी शुद्धि और रसवृत्तिके बीच थोड़ा संबंध है।

परंतु रसवृत्ति ज्ञानेन्द्रियकी शुद्धिकी विरोधी भी है। जिस प्रकार आहारके विना स्वास्थ्य नहीं बना रह सकता, लेकिन अतिआहारसे स्वास्थ्य निश्चित रूपसे विगडता है, अुसी प्रकार अलग-अलग अिन्द्रियोंके वारेमें भी समझना चाहिये। रसनेन्द्रिय थोड़ी मूकम हो, तो ही वह मीठे और फीकेके बीचका भेद पहचान सकती है। भेद पहचाननेसे ही मीठेके वारेमें अुसकी रसवृत्ति जाग्रत होगी। लेकिन मीठे स्वादको आनन्दरूप मानकर मीठेके पीछे पड़ जाय, तो मनुष्य जीभकी शक्तिको भी खोता जायगा। मीठा खानेकी आदत डालनेसे अुसकी जीभ अितनी जड़ हो जायगी कि थोड़ी मिठासको अुसकी जीभ पहचान ही नहीं सकेगी। कोबी चीज काफी मीठी हो तभी अुसे लगेगा कि वह मीठी है। सच पूछा जाय तो मिठासका गौकीन गेहूंके आटेमें थोड़ी शक्कर मिलाकर आटेको मीठा बनाकर नहीं खाता, वल्कि शक्करमें आटा मिलाकर शक्करको थोड़ी फीकी बनाकर खाता है। अुसकी जीभमें मीठेके संबंधमें रसवृत्ति — मीठा खानेकी लालसा — मौजूद है, लेकिन

अुसने जीभकी शुद्धि कम कर दी है। अिस तरह ज्ञानेन्द्रियकी रसवृत्ति अुसकी शुद्धिकी विरोधी है।

अिन्द्रियोंकी शुद्धिका विकास और रसवृत्तिका विकास कुछ वातोंमें अेक-दूसरेसे स्वतंत्र है। अिम प्रकार आरोग्य नष्ट हो जाने पर भी ज्ञाने-पीनेकी लोलुपता वढ सकती है, अुसी प्रकार अिन्द्रियोंकी शुद्धि न रहने पर भी अुनकी रसवृत्ति दढनी रह सकती है। बहुतेरे लोगोंके वारेमें देखा जाता है कि बुढापेमें अिन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट हो जानेके वढ भी अिन्द्रियोंके भोगोंके लिये अुनका शौक वना रहता है। अिमका कारण यह है कि अिन्द्रियोंकी शुद्धि और रसवृत्तिका पोषण करनेवाले तत्त्व अलग अलग हैं।

अिन्द्रियोंकी शुद्धि शरीरके स्वास्थ्य और अुम अुस अिन्द्रियके व्यायाम पर आवार रखती है। अिस तरह किसी मनुष्यकी भुजाओं वलवान होनेके लिये अुसका साधारण स्वास्थ्य अच्छा होना ही चाहिये और भुजाओंके स्नायुओंको खास तालीम मिलनी चाहिये, अुसी तरह अुसकी आंखोंकी तेजस्विता और शुद्धिके लिये भी अुसका साधारण स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और आंखोंको तालीम मिलनी चाहिये। बुढापेमें मनुष्यकी ज्ञानेन्द्रियोंकी शक्ति घट जाती है, क्योकि अुसका साधारण स्वास्थ्य भी घट जाता है। जुकामने नाक वढ हो जाती है और कान जड हो जाते हैं। बीमारीमें जीभकी रुचि मर जाती है और अजीर्णसे आंखें आ जाती हैं। अैसे अनुभव सभी लोगोंके होंगे। अतः अिस तरह कर्मेन्द्रियोंकी शक्ति टिकाये रखनेके लिये साधारण स्वास्थ्य जरूरी है, अुसी तरह ज्ञानेन्द्रियोंकी शक्तिके लिये भी वह जरूरी है।

कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंके बीच दूसरी भी समानता है। बहुतेरे लोगोंके दाहिने हाथमें अितनी ताकत होती है, अुतनी बाये हाथमें नहीं होती और पावके स्नायु अितने वलवान होते हैं अुतने हाथोंके नहीं होते। कुछ लोगोंके वारेमें अिससे अुलटा भी हो सकता है। अिमका कारण अुस अुस स्नायुको मिलनेवाली कसरत है। दाहिने हाथसे काम

करनेकी आदत्त होनेसे दाहिना हाथ जितना बलवान रहता है, उतना बाया नहीं रहता; क्योंकि उसके स्नायुओंको कसरत नहीं मिलती। जिसी प्रकार किसी गवैयेके कान जितने तेज होते हैं, उतनी ही तेज उसकी आँखें भी होंगी, यह निश्चयके साथ नहीं कहा जा सकता। निशानेबाजकी आंखोंमें जितना तेज होता है, उतना संभव है उसकी नाक और कानोंमें न भी हो। गिकारी जानवरोकी घ्राणेन्द्रिय (नाक) तेज होती है और उनके गिकार बननेवाले जानवरोके कान तेज होते हैं। जिस अिन्द्रियके विकासके लिये जितनी स्वाभाविक रूपमें या जानबूझकर मेहनत की गयी हो, उतनी उस अिन्द्रियकी शक्ति बढ़ती है।

परतु यहा मेहनतका अर्थ समझ लेना चाहिये। मेहनतका अर्थ सिर्फ अिन्द्रियोंका अपुयोग नहीं, बल्कि उनका व्यवस्थित ढंगमें क्रिया जानेवाला अपुयोग है। जिस प्रकार अनाजके बुवाजीके लिये होनेवाले अपुयोगमें और किसी दावतमें होनेवाले अपुयोगमें भेद है, उसी तरह किसी अिन्द्रियके विकासके लिये किये जानेवाले उसके अपुयोगमें और गौकके लिये किये जानेवाले अपुयोगमें भेद है। खेतमें डाला गया अनाज योजनापूर्वक, योग्य समय पर, किफायतके साथ और अनेक गुना अनाज पानेके अुद्देश्यसे काममें लिया गया है। जिस क्रियामें अनाजका अपुयोग तो क्रिया गया है; परतु यह अपुयोग अधिक अनाज वापस लानेवाला है। उसी तरह किसी अिन्द्रियके विकासके लिये की जानेवाली मेहनत — व्यायाम — में अिन्द्रियका अपुयोग होता है; परंतु वह भोगके लिये किये जानेवाले अपुयोग जैसा नहीं है। व्यायाम योजनापूर्वक, अुचित समय पर और मयमके साथ — किफायतगारीसे क्रिया जाता है। अुमके लिये की जानेवाली थोड़ी मेहनतके फलस्वरूप अिन्द्रियमें मेहनतकी अपेक्षा अधिक शक्ति अुत्पन्न होनी चाहिये। जिस तरह व्यायाम साधारण तौर पर शरीरको शुद्ध बनाकर अुसमें स्फूर्ति लाता है और कर्मेन्द्रियोंकी शक्ति बढ़ाता है, उसी तरह जानेन्द्रियां भी अपुयोगमें आनेमें शुद्ध बनकर स्फूर्तिवाली और ज्यादा काम देनेकी शक्तिवाली हो सकें, तो कहा जा

सकता है कि जिससे अुन अिन्द्रियोका विकास होता है या अुन्हे तालीम मिलती है। लेकिन शराव जिस तरह शरीरमे स्फूर्ति लानेवाली मालूम होती है, फिर भी वह स्फूर्ति शरीरको (स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी) अशुद्ध बनाती है और अुसकी क्रियाशक्तिको विगाड़ कर अन्तमे अुमका नाश करती है तथा बुद्धिको भी भ्रष्ट करती है, अुसी तरह यदि किनी अिन्द्रियका कोअी अुपयोग आरभमें अुसमें स्फूर्ति लानेवाला मालूम हो, लेकिन अन्तमें अुने अशुद्ध और अगक्त बनावे और आखिर अुस अिन्द्रियके द्वारा होनेवाले ज्ञानके बारेमें बुद्धिको जड बनावे, तो अुसमें अिन्द्रियको तालीम नही मिलती वल्कि अुसका अनुचित अुपयोग होता है।

वेशक, हरअेक मनुष्यकी साधारण शक्तिके प्रमाणमे प्रत्येक अिन्द्रियकी शक्तिकी भी सीमा होती है। किनी मनुष्यके पैर ज्यादा ताकतवर, हो, तो वह दूसरे मनुष्यसे ज्यादा चल सकता है। लेकिन अन्तमें अुसकी भी चलनेकी शक्ति खतम हो जाती है। अुन सीमाके आ जानेके बाद भी यदि वह चलता ही रहे, तो अुसके वादकी कसरत अुनके पैरोंको ताकतवर बनानेके बजाय कमजोर ही बनायेगी। यही वान ज्ञानेन्द्रियोके अुपयोग पर भी लागू होती है। आखे अच्छी होने पर भी यदि हम अुनका अमर्यादित अुपयोग करे, तो अुन्हें नुकसान ही पहुंचेगा।

हमारे शरीरकी तुलना पानीकी अेक टकीने की जा सकती है। अुम टकीमें ने कअी नल निकलते हैं। किनी भी नलके द्वारा टकीका अुपयोग छ प्रकारसे बटाया जा सकना है: १. टकीमे पानीकी मात्रा बटानेने; २. जिस दबावने पानी नलोंमें अुतरता है, अुन दबावको बढानेने; ३. पानीकी मात्रा, दबाव तथा कार्यकी जट्तरत कितनी हैं, जिनका विचार करके किफायत और नियत्रणके साथ नलोंका अुपयोग करनेने, ४. बडा नल लगानेसे, ५. नलके सामने तेजीने पानी खींचनेवाला यंत्र रखनेने; और ६. दूसरे नल काट डालनेने।

जिनी प्रकार किनी भी अिन्द्रियकी शक्ति छ प्रकारसे बडाई जा सकती है: १. खूनकी मात्रा बटानेने; २. जिन दबावने अुन

नसोंमें घूमता है, अथ दवावको बढ़ानेसे; ३. खूनकी मात्रा तथा दवाव और कार्यके महत्त्वकी तुलना करके संयमपूर्वक अिन्द्रियका अुपयोग करनेसे; ४. अुस अिन्द्रियके स्नायुओं और ज्ञानतंतुओंको विशेष प्रकारकी तालीम देनेसे; ५. अुस अिन्द्रियके सामने दवाव बढ़ानेसे; तथा ६. दूसरी अिन्द्रियोंका नाश करनेसे।

सौचनेसे मालूम होगा कि आखिरी दो मार्ग अिन्द्रियके विकासके मार्ग नहीं कहे जा सकते। वे तो अुस अिन्द्रियका या दूसरी अिन्द्रियोंका दिवाला निकालनेके मार्ग हैं। पहले चार मार्गोंको ही तालीमके लिये अुपयोगी माना जा सकता है। और अुनमें चौथे — किसी अिन्द्रियके स्नायुओं और ज्ञानतंतुओंको खास प्रकारकी तालीम देनेके — मार्ग या अुपायका आचार पहले तीन मार्गों या अुपायों पर है। खूनकी मात्रा, दवाव और संयमकी अुपेक्षा करके यदि कोयी मनुष्य अेकाध अिन्द्रियको खास तालीम देनेका प्रयत्न करे, तो अिसमें अुसे बड़ी सफलता नहीं मिल सकती।

अिसलिये अिन्द्रियोंकी शुद्धिके तीन योग्य अुपाय माने जायंगे : स्वास्थ्य (अिसमें खूनकी मात्रा और दवाव दोनों आ जाते हैं),* अिन्द्रियोंका संयमके साथ अुपयोग और स्नायुओं तथा ज्ञानतंतुओंकी तालीम। अेकाध अिन्द्रिय पर ज्यादा तनाव डालना या दूसरी अिन्द्रियोंमें दोष पैदा करना अिन्द्रिय-शुद्धिका सही अुपाय नहीं कहा जा सकता। अिस तरह केवल आग बुझानेके लिये ही टंकीके दूसरे नल काटना या जरूरत पडने पर अेक नलके सामने पंप भी लगाना अुचित हो सकता है, अुसी तरह किसी खास सकटको टालनेके लिये ही किसी

* अिन दोनोंके मिलनेसे जो शक्ति पैदा होती है, वह मनुष्यकी प्राणशक्ति कही जा सकती है; खूनका अर्थ शुद्ध खून ही समझना चाहिये। शरीरमें किसी भी जगह जम जानेवाले चरबी या दूसरे अशुद्ध तत्त्व खून नहीं हैं; नियमित रूपसे घूमते रहकर शरीरके काम आ चुके या अिस चुके तत्त्वोंको हटा कर नये तत्त्व दाखिल करनेवाला भाग ही खून कहा जायगा।

अेक अिन्द्रिय पर विघोष तनाव डालना या दूसरी अिन्द्रियोमें दोष पैदा करना (या पैदा होने देना) अुचित कहा जा नकता है।

अितने स्पष्टीकरणके बाद हम यह समझ नकेंगे कि किनी अिन्द्रियकी रसवृत्तिका अुत्तकी गुड्डि पर कैसा अनर होता है।

सबका यह अनुभव है कि किनी भी अिन्द्रियका जब अिच्छा या अनिच्छासे किनी विषयके साथ नयोग होता है, तब अुन अिन्द्रियके स्नायुओं पर तनाव पडता है। जब हम हाथ पर कोअी वजन रखते हैं, या पावसे किसी चीजको दबाते हैं, या आखोंसे किनी चीजकी जांच करते हैं, तब अिस तनावका हमें अच्छी तरह अनुभव होना है। लेकिन बारीकीसे देखने पर मालूम हो जाता है कि थोडे नयोगमें भी अिन्द्रिय पर तनाव पडता है। अिस तरह लकडी तोलनेकी तराजू ४-६ तोलोका फर्क नही दिखा नकती, लेकिन सोना तोलनेकी तराजू चावल भर वजनसे भी हिल जाती है, अुसी प्रकार कुछ मनुष्योंके और प्रत्येक मनुष्यकी कुछ अिन्द्रियोंके स्नायुओं और जान-तन्तुओंमें सूक्ष्म तनाव परखा नही जाता, और कुछ अुने परत्र लेते हैं। जब वह तनाव खतम हो जाता है, तब स्नायु आराम या प्रसन्नताका अनुभव करते हैं। अिन मनुष्यकी अिन अिन्द्रियके स्नायु लवे समय तक अैसा तनाव नहन कर नकते हैं और जानतनु नूक्ष्म तनाव परख सकते हैं, वह मनुष्य तनाव खतम हो जाने पर अधिक प्रसन्नता अनुभव करता है।

अेक बार अेक विषयके सयोगसे अुत्पन्न होनेवाला तनाव और अुन तनावके खतम होनेके बादका आराम अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया हो, तो फिर अुस विषयका स्मरण भी थोडा-दहन तनाव पैदा करता है। अुदाहरणके लिये, किनी पदार्थको देखकर अेराअेक खूब डर लगा हो या अत्यन्त हर्ष हुआ हो, तो अुनरा स्मरण भी डर या हर्ष पैदा करता है। यह चीज नबके अनुभवकी है अिनअिने अिने अधिक विस्तारने समझानेकी जरूरत नही।

यहां यह याद रखना चाहिये कि किमी भी तनावके जारी रहते हुअे प्रसन्नताका अनुभव नहीं होता; बल्कि तनाव खतम होने पर स्नायुओंके मूल स्वरूपमें आनेके बाद प्रसन्नता होती है। बिन-लिअे, हर्षका तनाव हो या शोकका तनाव हो, क्रोधका तनाव हो या दयाका तनाव हो, सारे तनावोका अन्त या अतार स्नायुओंको स्वस्थ बनाकर आरामका अंका अनुभव कराता है। और किसी कारणसे हर्ष, शोक, करुणा, क्रोध आदिके तनावोका खूब अनुभव होने पर सब समान ढंगसे आंसू, पसीना वगैरा पैदा करते हैं और अन्तमें मनको 'अनुमुक्त' बनाते हैं; और भीमाने बाहर 'हो जायं, तो मूर्छा, पागलपन या मृत्युके भी कारण बनते हैं।

हमारे स्नायु और जानतनु स्वरकी तरह लचीले होते हैं। अनेक दिशाओंमें वे खींचे जा सकते हैं, और फिरने अपनी मूल स्थितिमें आनेके लिये प्रयत्नशील रहते हैं। परंतु यदि अके ही दिशामें अतार पर बार बार जोर पड़े, तो कुछ समय बाद वे फिर मूल स्थितिमें आ ही नहीं सकते और अतारका स्वरूप बदल जाता है। अतारके बाद अतारकी विरुद्ध दिशामें अतार वडे प्रयत्नके बिना नहीं खींचा जा सकता। परंतु जिस दिशामें खींचे जानेकी अतार आदत पड़ी होती है, अतार दिशामें थोड़े प्रयत्नसे भी ज्यादा खिंच जाते हैं। जिस तरह मनुष्यकी आदतें, स्वभाव और वृत्तियां दृढ बन जाती हैं।

स्नायु और जानतनु जिस दिशामें खिंचनेके लिये अनुकूल बने रहते हैं, वह खिंचाव जिस विषयके संयोगसे हो सके, अतार विषयके लिये साधारण तौर पर अतार रस रहता है; फिर वह रस शुद्ध हो या मलिन, स्वास्थ्य बढ़ानेवाला हो या स्वास्थ्यका नाश करनेवाला हो।

हर चीजका संयोग हमारे स्नायुओं पर दो तरहका असर डालता है। अकेको कुदरती या नैसर्गिक असर और दूसरेको कल्पना-मिश्रित या सविकल्प असर कहा जा सकता है। अतारहरणके लिये, बरफ या राबीका तेल चमड़ी पर अके तरहका कुदरती असर पैदा करता है।

यह अमर साधारण तौर पर कुदरतके नियमके अनुसार ही होना है। जिस तरह चूने पर पानी गिरनेसे वह गरम होकर बुबुलने लगता है, उसी तरह रासीका तेल या वरफ मनुष्यकी चमडी पर अके विगेष असर पैदा करता है। यह असर अुस ममय अनुकूल हो तो अच्छा लगता है और प्रतिकूल हो तो कष्ट पैदा करता है। यह अमर अधिकतर जड तत्त्वोंके नियमके अनुसार ही होता है और अुनका मभीको अेकसा अनुभव होता है।

लेकिन अिसके अलावा दूसरा अेक कल्पना-मिश्रित तनाव भी अनुभव किया जाता है। अिम सविकल्प अमरको हम रम कहते हैं। बुदाहरणके लिये, अेक मामकी दुकानके सामनेसे मामाहारी और शाकाहारी दो व्यक्ति गुजरते हैं, तब दोनोको अेकमे तनावका अनुभव नहीं होता। मामाहारीके स्नायु अिम विषय-मयोगके अनुकूल बने रहते हैं, अिसलिये मामको देखकर अुने किनी तरहका कष्ट नहीं होता; परन्तु शाकाहारीके स्नायु अिस तनावके प्रतिकूल होते हैं, अिसलिये वह मांसको देखते ही वेचैन हो जाता है। मासाहारीमें अनुकूल वृत्ति अुत्पन्न होनेका कारण यह है कि अुनके दिमागमें मासके साथ खुराककी कल्पना जुडी होनी है, जब कि शाकाहारीके मनमें अुनके साथ अपवित्रताकी या घृणाकी कल्पना जुडी होनी है। अिनी प्रकार अेक मनुष्यको किसी स्त्रीका नाच देखकर आनन्द होता है और दूसरेको घृणा होती है। क्योकि पहलेके मनमें नाचके साथ-कुछ कलाकी कल्पना रहनी है, और दूसरेको यह कल्पना अमह्य मालूम होती है कि किनी स्त्रीको अपनी जीविका चलाानेके लिये अेक बडे जनममुदायके बीच निर्लज्ज बनकर नाचना पडता है और अिनीलिये वह दृश्य अुनमे घृणा पैदा करता है।

दुनियाके लगभग नारे विषयोंके बारेमें अच्छे, बुरे, नटस्थ और अुनमें भी अुनम, मध्यम और कनिष्ठ आदि भेदोवाले मत हमने बना रखे हैं। ये मत बनानेमें कभी-कभी अुन विषयोंका शरीर पर

होनेवाला नैसर्गिक अमर भी कारणभूत होता है। अुदाहरणके लिये, सांप या विच्छूका काटना, मर्दियोंमें तापना, गर्मियोंमें ठंडक वगैराके बारेमें हमारे मत। जिस प्रकारके मतोंमें अधिकतर कोजी भेद नहीं होता, क्योंकि उनका संबंध शरीर पर होनेवाले कुदरती अमरोंके माय होता है।

लेकिन कजी वार ये मत कायम करनेमें केवल परम्परासे चले आये संस्कार ही कारण बनते हैं। हम बचपनमें जिन लोगोंके सपर्कमें आते हैं, वे लोग जिस पदार्थको अच्छा कहते हैं, उसे हम पसन्द करना सीखते हैं। और जिसे वे खराब कहते हैं, उसे विक्रारना सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये मत उस पदार्थकी शरीरका पोषण करनेकी या दूसरेका दुःख कम करनेकी शक्तके माय संबंध रखते ही हैं। बहुत वार ऐसे पदार्थोंके बारेमें हमारा बड़ा अूचा मत होता है, जो शरीर, अिन्द्रियो या मन पर बड़ा हानिकारक अमर पैदा करते हैं; और लाभकारक असर पैदा करनेवाले पदार्थोंके प्रति हमारी अरुचि रहती है। अुदाहरणके लिये, यह नहीं कहा जा सकता कि जरीके कपड़ोंके बारेमें हमारा जो अूचा मत होता है, उसका कारण यह है कि वे कपडे शरीरके स्वास्थ्यको बढ़ानेवाले होते हैं। अुसी तरह जूतोंकी अमुक बनावट, कुत्तेका अमुक काट, पगड़ी बाधनेका अमुक ढंग, आंख और टोपीके बीच, सावधानीसे रखा जानेवाला अमुक कोण, गाल ओढ़नेका अमुक ढंग, या साड़ीका अमुक रंग सुन्दर है — ये सब वानें उनका हमारी या दूसरोंकी सुविधा और स्वास्थ्य पर जो अमर होता है, अथवा पदार्थके सच्चे स्वरूपका अनुभव लेनेमें अुनकी जो मदद मिलती है उसका विचार करके निश्चित नहीं की जाती; बल्कि जिन विषयमें हम कुछ प्रतिष्ठित लोगोंकी कल्पनाओंको ही स्वीकार कर लेते हैं।

खड़ी-पूरी और गाक-रोटी ये दो चीजें जवान पर अलग-अलग अमर पैदा करती हैं। जिन समय हमारी जानशक्ति मन्द न हो या

बुनका निरोध न किया गया हो, बुन नमय यह भेद मननमें जाये बिना नहीं रहता । लेकिन खड़ी-पूरीको मुन्दर भोजन और शाक-रोटीको मामूली भोजन ठहरानेमें केवल प्रतिष्ठित लोगों द्वारा जिस विषयमें प्रचलित किया हुआ मत ही कारणभूत होना है । स्वास्थ्यकी दृष्टिसे तो खड़ी-पूरी बुरा भोजन और शाक-रोटी मुन्दर भोजन माना जाना चाहिये । जिसलिअे यदि हमारी रमनेन्द्रियको सही तालीम मिली हो, तो हमें शाक-रोटीके बनिस्वत खड़ी-पूरी खानेमें जल्दी बूब जाना चाहिये ।

जिसलिअे किमी पदार्थके संयोगमे जो कुदरती वृत्ति पैदा होती है, बुसकी अपेक्षा बुनके विषयमें हमारी नविकल्प या कल्पना-मिश्रित वृत्ति बहुत बार कही अधिक बलवान होती है । अिन्द्रियोंके विषयोंके साथ जुडा हुआ कल्पनावल ही अिन्द्रियोंकी रसवृत्ति है ।

अूपर कहा गया है कि हरअेक पदार्थका नयोग हमारे न्नायुओं पर तनाव डालता है । जिस तनावका बल बुनकी कुदरती शक्ति पर और बुस पदार्थके विषयमें हमारी रमवृत्ति पर आधार रखता है । यदि बुन पदार्थके सवधमें हमारे मनमें अतिशय राग भरा हो तो बुने भोगनेका और यदि द्वेष भरा हो तो बुसे दूर हटानेका हम प्रयत्न करते हैं । भोगनेके वादका या दूर हटानेके वादका परिणाम नदा आरामकी प्रमन्नता ही पैदा करता है । लेकिन रागके कारण बुने प्रसन्नतामें हर्ष आदिका पूर्वस्मरण मिलता है । जिम पदार्थके वारेमे हमारे मनमें अेक बार राग हो, बुनी पदार्थके वारेमे वादको द्वेष पैदा हो, तो बुसके नयोगके वाद शोकका तनाव पैदा होता है; यद्यपि शरीर पर अनर करनेकी बुसकी शक्तिमें कोअी फर्क नहीं पडना ।

फिर, जैसा कि अूपर कहा जा चुका है, हमारे न्नायु और ज्ञाननन्नु खरकी तरह लचीले होते हैं । अेक निश्चिन नीमा तक बुन्हें खींचा जाय, तो बुनका अपयोग अच्छी तरह होता है; लेकिन बुन नीमाको पार कर जाय और बुन्हें आराम ही न लेने दें, तो वे

विगड़ जाते हैं। अुसी तरह अेक ही प्रकारका तनाव बार-बार अुन पर डाला जाय, तो वे वापस अपनी मूल स्थितिमें नहीं आ सकते। किसी प्रकार किसी अिन्द्रियका अमुक हृद तक अुपयोग किया जाय, तो वह अच्छा काम देती है, और आराम मिलते ही अपनी मूल स्थितिमें आ जाती है। अुस हृदको लांघ जाने पर या हमेशा अुस पर तनाव डालनेसे वह निकम्मी हो जाती है और अुसके स्नायु मूल स्थितिमें नहीं आ पाते। अर्थात् कभी पूरा आराम नहीं भोग सकते। नतीजा यह होता है कि वह अिन्द्रिय सदा अतृप्त ही रहती है। अुसे विषयका थोड़ा भी आघात लगते ही वह जाग्रत हो जाती है और अुस दिशामें झुक जाने या खिंच जानेके लिये हमेशा तैयार रहती है। अेक बार अैसी स्थिति हो जाने पर अुस विषयके अुप-भोगसे दूर रहना अिन्द्रियके लिये लगभग असभव हो जाता है। अपनी रसवृत्तिके कारण मनुष्यको अैसा लगता है कि अुस विषयका भोग अुसे सुखी बनाता है; परंतु सच पृथा जाय तो जैसे-जैसे वह भोग भोगता जाता है, वैसे-वैसे अुसके स्नायु मूल स्थितिमें आनेके लिये अयोग्य बनते जाते हैं और अुसे प्रसन्नताका अनुभव करने ही नहीं देते। अुस पदार्थके वारेमें रागात्मक कल्पना होनेके कारण अुसे अैसा आभास होता है कि विषयके संयोगसे अुसे शांति और संतोष मिलता है। यदि किसी विचारमें भोग भोगनेवालेकी कल्पनामें परिवर्तन हो, तो अुमें यह अनुभव होते देर नहीं लगेगी कि अिस विषयके संयोगमें — स्मरणमें — भी सुख नहीं है। अेक बार अेक तरहका अिन्द्रियभोग खूब भोग लेनेके बाद समयका प्रयत्न करनेवालेको अतिशय कष्ट अुठाना पड़ता है, अुसका यही कारण है। जिन समय वह भोगको बढ़ा रहा था, अुन समय अुसे भोगके वारेमें रागात्मक कल्पना थी। अुस समय अुनने जिन अिन्द्रियके स्नायुओं पर तनाव डालकर अुने काफ़ी विगड़ डाला। अब अुस अिन्द्रियको अुस विषयके स्मरणसे भी अुत्तेजित होनेकी आदत पड़ गयी। अुसके बाद अुसके शरीरनाशक

परिणामोंके कारण या सदैवविचार पैदा होनेके कारण अुस विषयमें अुने दोष दिखायी देने लगा । अब वह संयमका पालन करना चाहता है । लेकिन अुसकी अिन्द्रियको तो जाग्रत होनेकी आदत पड गयी है । अुस जागृतिको रोकनेकी शक्ति वह आसानीसे नहीं प्राप्त कर सकता । वह जागृतिको रोकनेका विचार करता है, तो भी अुसमें विषयका स्मरण होनेसे यह अुपाय अुसे अपाय जैसा मालूम होने लगता है । अिस तरह अब दोषवृद्धि अुत्पन्न होनेसे विषयका अुपभोग भी अुने सुखी नहीं बनाता, और अिन्द्रियकी मूल स्थितिमें आनेकी असमर्थताके कारण प्रसन्नता भी नहीं पैदा कर सकता । * अिसके फल-स्वरूप अुसका यह काल अत्यन्त मानसिक क्लेशमें व्यतीत होता है । परन्तु यदि वह धैर्यके साथ अिस कालको पार कर जाता है, तो अन्तमें विजय अवश्य प्राप्त करता है ।

लेकिन अितना धैर्यबल सबके पास नहीं होता । और हो तो भी विचारणीय प्रश्न यह है कि अुमके क्लेशका कारण गलत कल्पनाको सही मानकर विषयके लिये पोसी हुयी अुसकी रागपूर्ण कल्पना ही होती है । अिस तरह रागपूर्ण कल्पना हानिकारक विषयमें प्रीतिरस पैदा करती है, अुसी तरह द्वेषपूर्ण कल्पना योग्य विषयके प्रति अरुचिकी वृत्ति पैदा करती है । और अुमकी भी आदत पड जानेके बाद योग्य विषयको स्वीकारनेका अभ्यास डालनेमें अुतना ही दुःख होता है । अुदाहरणके लिये, अन्त्यज अछूत हैं, अिस कल्पनाका हमने अितने लंबे समय तक पोषण किया है और अुनके प्रति रहनेवाली अरुचिके हम अितने ज्यादा आदी हो गये हैं कि अब अुस कल्पनाको भूलभरी ममझ लेनेके बाद भी अन्त्यजको छूनेमें हमे अनजाने ही नकोचका अनुभव होता है और अिस वृत्तिमें रहे धीर अन्यायका भान

* यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित्तः ।

बिन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसन्नं मनः ॥ (गीता २-६०)

होने पर असी वृत्ति उत्पन्न होनेका दुःख भी होता है। दूसरा उदाहरण : मेरे बचपनमें ड्रिल और ड्रिलके साथ हो सकनेवाली कसरत गालामें अनिवार्य थी। लेकिन मुझे स्मरण है कि उस अपयोगी और स्वास्थ्य बढानेवाली कसरतके साथ अितना त्रास जोड़ दिया गया था और कसरतका महत्त्व मेरे मन पर बैठते समय भी जैसे मर्मभेदी कटाक्ष किये जाते थे कि ड्रिल और कसरतके नामसे ही मेरा मन मतापसे भर जाता था। ड्रिल और कसरतके प्रति मेरी अरुचि अितनी ज्यादा बढ़ गयी थी कि बादमें उनका महत्त्व समझ लेने पर भी उस अरुचिको मैं पूरी तरह मिटा नहीं सका। और उनके मुपरिणामोंका अनुभव करने पर भी व्यायाम शुरू करते हुअे पहली वृत्ति मताप या अरुचिकी ही पैदा होती है।

विस परसे मालूम होगा कि रसवृत्तिके पोषणमें पदार्थकी नैसर्गिक योग्यताकी अपेक्षा समाज द्वारा पोषित कल्पनायें ज्यादा महत्त्वका काम करती हैं। विससे शुद्ध रसवृत्ति और अशुद्ध रसवृत्तिके बीच भेद करनेकी कुंजी हमें मिल जाती है : वह यह है कि किनी भी पदार्थके वारेमें की हुयी कल्पना ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धिकी विरोधी न हों, तो ही उसने संबंध रखनेवाला रस शुद्ध माना जा सकता है। सोचनेमें पता चलेगा कि अिन्द्रियोंकी शुद्धि बनाये रखनेके लिये (१) अिन्द्रियोंका आवश्यक अपयोग कारणके लिये ही और संयमपूर्वक किया जाना चाहिये, अथवा विगोप तालीम देनेके लिये उनका अपयोग होना चाहिये; (२) अिन्द्रियोंके विषयोंकी मात्रा तीव्र नहीं होनी चाहिये — यानी अतिशय तीव्र स्वाद, अत्यन्त गहरे रंग, अत्यन्त वारीक या मोटी आवाजें, अत्यन्त तीव्र स्पर्श या गंधोंका अभ्यास अिन्द्रियोंकी शक्तिको कुठिन कर डालते हैं; (३) किनी भी विषयका रस हमारे स्नायुओं और ज्ञान तंतुओंको विवश बना देने जितना शक्तिमान नहीं होना चाहिये। किसी भी विषयके वारेमें हमारी रसवृत्ति अिननी शुद्ध होनी चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर या अकस्मात् उनका

अुपभोग कर लेनेके बाद अुसका स्मरण व्यर्यका तनाव न पैदा करे, अुपभोगके समय कुदरती असरसे भिन्न प्रकारका तनाव न पैदा करे और अुस अुपभोगके बाद स्नायु विकृत न रहे । और अिसके लिये हरअेके विषयके संवधमें हमारी कल्पना यथार्थ होनी चाहिये । अिन नियमोंके पालनसे जो स्थूल चिह्न दिखानी देंगे, अुनमें से कुछ ये हैं: (१) परिमित अुपभोगसे तृप्ति; (२) हर्ष या गोकके स्मरणसे रहित शुद्ध प्रसन्नता, (३) बार बार अुपभोग करनेकी आतुरताका अभाव, (४) शोक या कष्टके बिना विषयका त्याग करनेकी शक्ति, (५) अिन्द्रियोकी तेजस्विताकी वृद्धि न हो तो भी निश्चित रूपमें स्थिरता ।

शुद्धि और रसवृत्तिके बीच दूसरा भेद यह है कि अेक अिन्द्रियकी शुद्धि दूसरी अिन्द्रियकी शुद्धिमें बाधा नहीं डालती । आंखोंको अधिक तालीम देनेने कानोंके वहरे हो जानेका डर नहीं रहता । लेकिन अेक अिन्द्रियकी लोअुपता दूसरी सारी अिन्द्रियो पर प्राप्त किये अुअे समयको अिधिल बना देती है ।

मनु भगवान कहते हैं :

अिन्द्रियाणा तु सर्वेषा यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ।

तेनान्य क्षरति प्रजा वृते, पादादिवोदकम् ॥

अिस तरह पत्थालका अेक पाव (मुह) खुला रह जाय तो अुसके जरिये नारा पानी वह जाता है, अुनी तरह सारी अिन्द्रियोमें से अेक

* अिन्द्रियस्येन्द्रियार्थेषु रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनां ॥

(गीता ३-३४)

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवर्ष्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

(गीता २-६४)

भी अिन्द्रिय यदि खुली छोड़ दी जाय तो अुमके जरिये मारी प्रजा-
शक्ति वह जाती है।*

स्नायुशुका विश्राम ही यदि प्रसन्नताका कारण हो, तो
अैसा लगना सभव है कि सच्चा सुख अिन्द्रियो पर विलकुल
तनाव न पडने देनेमें ही है; पहले तनाव पडने देना और
बादमें विश्राम भोगना यह तो अुलटी रीति कही जायगी।
सत्य तो यही है। परंतु जब तक शरीरमें प्राण चलता है, तब
तक अिन्द्रियोका विश्राम अखंडित नहीं रखा जा सकता। और
प्राणका चलना कुछ समयके लिये भले वन्द रखा जाय, परंतु
मृत्युके विना सदाके लिये वन्द नहीं किया जा सकता। अिनलिखे
साधारण जीवनके लिये तो अिन्द्रियोकी शक्तिकी और रसकी शुद्धि
ही अेकमात्र मार्ग रह जाता है। जिस प्रकार धनकी वृद्धि भी अन्तमे
खर्च करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये ही होती है, अुसी प्रकार
शरीर या अिन्द्रियोंकी शक्तिका सचय भी अन्तमे खर्च कर डालनेके
लिये ही है। लेकिन जैसे अिकट्ठे किये हुअे धनका भोग-विलासमें
क्रिया हुआ खर्च अुचित नहीं माना जा सकता, वल्कि अुमकी किफा-
यतगारी ही सद्गुण मानी जायगी, वैसे ही अिन्द्रियोंके बारेमें भी कहा
जा सकता है। सचय और किफायतगारी सद्गुण हैं और व्यय

* अिन्द्रियोकी शुद्धि और रसवृत्तिके मार्मिक अुदाहरणके रूपमें
श्री काकासाहव कालेलकरने पृथ्वीराज चौहानका दृष्टान्त अेक
वर्गमें दिया था। पृथ्वीराजकी कर्णेन्द्रिय अत्यन्त शुद्ध और अत्यन्त
रसिक भी थी। अपनी गान-तानकी लोलुपताके कारण राजकार्यके
प्रति अुसकी रचि नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि अुमने राजपाट
सब खो दिया और देश पर विदेगी सत्ता स्थापित करा दी।
लेकिन कर्णेन्द्रियकी अुसी शुद्धिसे अुसने अन्धा हो जानेके बाद भी
(दत्तकथाके अनुसार) शत्रुका नाश किया। यदि अुमने कर्णेन्द्रियकी
रसवृत्तिकी मयममें रखा होता तो!

विनाशक है। फिर भी जिस तरह सत्कार्यके लिये किया जानेवाला सारे धनका त्याग दुर्गुण नहीं बल्कि सद्गुण है, उसी तरह दूसरोका दुःख दूर करनेके लिये या दूसरी किसी जरूरी सेवाके लिये अिन्द्रियोंकी सारी शक्तिया खर्च हो जायं, तो वह दुर्गुण नहीं बल्कि बड़ा सद्गुण ही माना जायगा। और जैसे कार्यके लिये अुपयोगी हो सकें अिस ढंगसे बढ़ाये हुअे तीव्र रस—मृत्युके समीप ले जानेवाले हो तो भी—न केवल शुद्ध ही माने जायगे, बल्कि अशुद्ध रसोंमें से पीछे लौटनेके लिये अुपयोगी साधन भी माने जायेंगे। दया, करुणा, महानुभूति, शौर्य आदि रस जैसे ही हैं।

यदि यह विचार-परंपरा ठीक हो, तो माता-पिता, शिक्षक, मित्र, नेता वगैरा जो कुछ कहते या सिखाते हैं, उससे जनतामें किस प्रकारकी और कितने तीव्र रूपमें कल्पनायें और भावनायें पैदा होती हैं और बढ़ती हैं, अिसका विचार करनेकी अुन पर भारी जिम्मेदारी आती है। अिन्द्रियोंकी तालीमके नाम पर, रसवृत्तिके विकासके नाम पर, कलाकी वृद्धिके नाम पर या किन्हीं दूसरे रूपमें हम विश्वकी मजीब-निर्जीब नृष्टिके प्रति किम तरहवे रागद्वेष पैदा करते हैं, और अुमके फल-स्वरूप जनताकी कितनी सेवा करते हैं अथवा स्वयं अपनी कितनी अुन्नति नाघते हैं, अिसका जितना विचार करें अुतना थोडा ही है। जिन विषयो या विचारोंकी तरफ अिन्द्रियोंकी दौट दूसरोका हित मिद्ध विचे विना केवल हमारा नाश करनेवाली है, अुन विषयो या विचारोंमें चाहे जितनी करामात या नाकिक भूक्षमता हो, फिर भी वह अशुद्ध रस हैं। नव कुछ गलन या अनुचित ही होता है, अंना मेरा कहनेका आशय नहीं; न मैं यही मानता हूं कि सब कुछ अुचित ही होता है। मेरा कहना तो जितना ही है कि जिस दृष्टिमें मैंने लिखना विचार किया है, अुस दृष्टिसे अिन्द्रियोंकी तालीमका, रस-विज्ञानका या कलावृत्तिका शायद विचार नहीं किया गया है। क्योंकि अुअं लगता है कि यह दृष्टि यदि भलीभांति समझी और स्वीकारी ता-५

जाय, तो हमारी शालाओंमें पढ़ाबी जानेवाली पुस्तकोंके अनेक पाठों, अभ्यासक्रमों, संमेलनों, अुत्सवों आदिकी योजनामें असावारण या क्रान्तिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे। अपनी शक्तिके अनुसार मैंने यह दृष्टि प्रस्तुत करनेका नम्र प्रयत्न किया है।

८

कल्पनाशक्तिकी तालीम

बालककी मानसिक तालीममें कल्पनाशक्तिकी तालीम अेक बड़े महत्त्वका विषय है। टॉल्स्टॉयको अपने विद्यार्थियोंकी कल्पनाशक्ति बढ़ानेमें बड़ा आनन्द आता था। शिक्षाके बहुतसे विषय जैसे हैं कि जिनमें कल्पनाशक्तिके योग्य विकासके बिना अधिक प्रगति नहीं की जा सकती।

लेकिन कल्पनाशक्ति तीन प्रकारकी है : सर्जक, समाधानकारक और अनुभवशोधक।

कवियों, अप्रुपन्यासकारों वगैराकी कल्पनाशक्ति सर्जक होती है। वे अनुभव न की हुयी बातोंकी कल्पना करते हैं, या अनुभव की हुयी अनेक बातोंका अेक-दूसरेके साथ अैसा मिश्रण करते हैं कि वे न अनुभव की हुयी जैसी ही बन जाती हैं। शिक्षक जब बालकोंको कहानी कहने लगता है, तब सर्जक कल्पनाका ही महारा लेता है। जिस सर्जक कल्पनामें चातुर्य काफी हो सकता है; उसमें चमत्कारके जैसा आश्चर्य अुत्पन्न किया जा सकता है; उसमें विविध रस अुत्पन्न किये जा सकते हैं। और जिसलिये अैसी कल्पनाओंमें बिताया हुआ समय आनन्ददायक मालूम होता है।

गंभीर विचारोंको साधारण मनुष्योंकी बुद्धि आसानीसे समझ नहीं सकती। अमूर्त (निराकार) भावोंको किसी तरहके दृष्टान्तों द्वारा मूर्त (संसार) बनाये बिना साधारण मनुष्य अुन्हें समझ नहीं

सकते। यदि हम किसीको मत्यकी महिमा 'विदुरनीति' जैसे ग्रन्थके श्लोकों द्वारा समझायें, तो वह उसे झट समझ नहीं सकता। और समझ नहीं सकता, जिसलिसे जहा अुम विषयका विवेचन चलता है, वहा वह नो जाता है। परंतु यदि कडीने कडी कनीटीके समय भी मत्यका पालन करनेवाले राजा हरिश्चन्द्रकी कहानी द्वारा सत्यकी महिमा समझाओ जाय, तो सत्यके आदर्शका चित्र माधारण मनुष्यके हृदय पर भी अच्छी तरह अकित हो सकता है।

जिस कारणसे प्रत्येक धर्ममें और प्रत्येक राष्ट्रमें नर्जक कल्पनाका बहुत ज्यादा सहारा लिया गया है। चतुर कवियोने खुदको अच्छे लगनेवाले भावोको अनेक प्रकारकी कहानियोमें गूथकर लोगोको ममझाया है। लोककथाओ, पौराणिक कथाओके कुछ भागो, देवादिके स्वरूपो, वृत्तातो, काव्यो, हिनोपदेश, अीमप-नीतिमे लेकर आजके जमानेके अुपन्यासो तकका साहित्य नर्जक कल्पनाके ही स्वरूपका है।

जिस तरह नर्जक कल्पनाने मनुष्यकी गिधामे बहुत बडा भाग लिया है, अंमा कहा जा सकता है। और लोगोने नर्जक कल्पनाकारोका अनेक प्रकारमे आदर भी किया है।

फिर भी, नर्जक कल्पनाके विकासको मं तालीमका आवस्यक अग नहीं मानता। मुझे बिन विषयमें शका है कि बाल्यको तालीम देनेमें नर्जक कल्पनाका आधार लेना अचित है या नहीं। श्री गिजु-भाओ कहते हैं कि डॉ० मॉन्टेनारी भी काल्पनिक वार्ताओकी विरोधी हैं, और स्माजिल्ल भी अपनी 'दतंव्य' (Duty) नामक पुस्तकमें करुणा, दया जादिके कोमल भाव पैदा करनेवाली होने पर भी काल्पनिक वार्ताओकी निन्दा करनेवाला शार्पता अेन दाब्य अुद्धृत करते हैं।* यहा मंने मावधानता-सूचक 'मत्ता' शब्दका अुपयोग नहीं

* शार्प कहता है कि, "करुण रस पैदा करनेवाली काल्पनिक कथाओके विषयमें दडीने दती आपत्ति यह है कि अुगमे दयाकी या

किया होता; लेकिन टॉल्स्टॉय और गिजुभाजी जैसे समर्थ शिक्षक जिसका समर्थन करते हैं, जिसलिज्जे जिस वारेमें अधिक विचार जाननेकी मैं छूट रखता हूँ।

सर्जक कल्पनाके लिज्जे मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि वह असत्यके कलकसे दूषित है। अवलोकन और अनुभवमें असा मालूम होता है कि सर्जक कल्पनामें करनेकी और सुननेकी वृत्ति करनेवाले और सुननेवाले दोनोको अनत्यकी ओर ले जाती है और दोनोको धोखा देती है। वह कविको किसी भी भूमिका पर स्थिर नहीं होने देती। और वह श्रोताके मनमें या तो असा भ्रम उत्पन्न करती है कि जिस कहानीमें ऐतिहासिक सत्य है, अथवा वह झूठी है असा जान लेने पर भी श्रोता अुसमें से अपने व्यवहारके लिज्जे कुजीरूप बन सकनेवाला अपुदेस नहीं ग्रहण करता। जिस तरह वह कहानी बेकार जाती है।

जिसके अुदाहरण लीजिये :

अगर चिड़ा-चिड़ीकी कहानीको बालक सच्ची मानता है, तो भ्रममें रहता है। यह भ्रम थोड़े समय बाद भले मिट जानेवाला हो, परंतु अेक क्षणके लिज्जे भी असत्य जान देना — यानी अजान देना — ज्ञानदाता शिक्षकका धर्म नहीं है। जिसका कारण स्पष्ट है। बालक चिड़ा-चिड़ीकी अमुक वार्ताको असत्य रूपमें परखना मीन जाय, तो भी संभव है भ्रममें रहनेकी आदत दूसरी किसी जगह अपना काम करे। शायद योगवानिष्ठ पढ़ते समय किमी चिरंजीवी काकभुशुंडीकी वार्ताओंमें या संन्यामीके म्त्रणोंकी वार्ताओंमें मन्त्राजीकी श्रद्धा रहे — यानी वे भी सर्जक कल्पना ही है असा पहचान न सके।

अन्यायके प्रति ट्रेप करनेकी निकम्मी भावना पैदा होती है। यह भावना निकम्मी जिसलिज्जे है कि अुमके साथ भावना रखनेवालेमें दुःख या अन्याय दूर करनेका पुन्पार्य पैदा नहीं होता।" सात्त्विक भाव पैदा होकर जहांका वहां शान्त हो जाता है और चित्तमें केवल अेक प्रकारका खेद ही रह जाता है।

पुराणोंमें कभी स्थानों पर यह साफ साफ कहा भी गया है कि सरस्वती, गणपति, विष्णु, विराट अित्यादि देवताओंके स्वरूप अमुक भावोंको स्थिर बनानेके लिये की गयी नर्जक कल्पनायें हैं। फिर भी, न केवल साधारण लोगोंमें बल्कि विद्वानोंमें भी अित्त मान्यताके जड़ जमा ली है कि पुराणोंकी कथाओंमें प्राचीन कालका अितिहास है। अित्तलिये वह अेक सर्जक कल्पना ही है, यह वचन भुला दिया जाता है और कल्पनाका मोहक रूप श्रोताके मन पर स्थायी अमर डालता है। लोगोंमें भ्रम, पराधीन वृद्धि, अन्धविश्वास और अज्ञान कायम रखनेमें अैसी कथायें कारण बनती हैं।

दूसरी तरफ, ये वार्ताअें काल्पनिक हैं अैना ज्ञान होने पर अुनमें की सारी बस्तुको छोड देनेकी वृत्ति पैदा होती है। चिडा-चिड़ीकी वार्ता झूठी है, अैना जाननेके बाद यह अुपदेन कौनमा बालक लेता है कि 'झूठ नहीं बोलना चाहिये'? अित्तलिये वार्ता कहनेका हेतु निष्फल जाता है। केवल मनोरजन ही अुनका अेकमात्र हेतु रह जाता है।

स्वयं कविके लिये भी यह वृत्ति बुरा मिलातर धोखा देनेवाली ही सिद्ध होती है। नर्जक कल्पनाकी अवरदस्त बाट आने पर कवि भले विश्वव्यापी प्रेमका गीत रचे, नृत्यकी परावाछा दिखानेवाले पान चित्रित करे, दयाकी अूचीअें अूची भूमिवाका अुदाहरण पेश करे, भूर्तिमन्त क्रूरताका दर्शन करावे, यह सिद्ध करे कि अनीति और अन्यायने विनाश होता है और नृत्यकी जय होती है, या यह गावे कि सारा जगत् अीन्वरमय है। यह नव रचते समय कवि कमाने कम थोड़े समयके लिये तो अित्त नव अुदान भावोंके साथ तद्रूप हो जाता है। परंतु यदि वह कविके साथ साथ भी हो, तो अुन यह भी गग नचता है कि अब तो मैं दिग्भ्रमेयी हो गया हूँ, नृत्य और दयाकी अूचीअें अूची दर्शाने अेंने प्राप्त कर लिया है, मैं नीतिवा पुजारी और अनीतिवा शत्रु हूँ, मैं नारे जगत्को अीन्वररूप देयता हूँ—आदि आदि। मन पूछा जाय तो रवि पोंरे मन्त्रके लिये

ही जिन बुदात्त भावोंके माय तद्रूप होता है, और बुन भावोंका आवेग अतस्ते ही पुन. साधारण मनुष्य बन जाता है। लेकिन जिस कल्पनाकी वादके समय वह जो खुमारी और मस्ती अनुभव करता है, उसके कारण वह दूसरोंमें थोड़ी मात्रामें परंतु वास्तवमें रहनेवाले प्रेम, सत्य, दया आदि भावोंका मजाक करनेके लिये भी ललचाता है। यह मस्ती, जैसा कि पहले दी गयी अेक टिप्पणीमें अुद्धृत शार्पके वाक्यमें बताया गया है, केवल पुरुषार्थहीन और निकम्मी होती है।

जिसके अलावा, अनेक पाठक भी जिससे बोला खाते हैं। क्योंकि वे मान लेते हैं कि लेखक खुद अपने चित्रित किये हुअे भावोंमें स्थिर हो गया होगा।

‘दूधका जल छान्छको भी फूककर पीता है’, जिस कहावतके अनुसार मैं जिन वारेमें अत्यन्त कड़ी परीक्षा करनेकी वृत्तिवाला बन गया हूँ। बहुतसी अच्छी और हितकारी बातें नमझानेके लिये भी अैसी कल्पनायें नामने रखनेकी मेरी अिच्छा नहीं होती, जो थोड़ी भी असत्य या भ्रममें डालनेवाली हों या वादमें जिनका निषेध करना पड़े। पहले अैसी भ्रामक कल्पनाओंका पोषण करना और वादमें अुनका निषेध करना, यह द्राविडी प्राणायाम जितना रके अुतना ही अच्छा है।

श्री रामनारायण पाठक*ने थोड़े दिन पहले महाविद्यालयके विद्यार्थियोंके सामने अेक बड़ी सत्य बात कही थी : जब मुझमें वृत्तिके अनुसार आचरण करनेका पुरुषार्थ कम हो जाता है, तब मैं कल्पनाके क्षेत्रमें विहार करने लगता हूँ। जब मैं आचरणमें विश्वप्रेम नहीं बता सकता, तब विश्वप्रेमका गीत रचना हूँ। वीरता नहीं बता सकता, तब वीररत्नके काव्यकी रचना करता हूँ। राज्यका मंत्री नहीं बन सकता, तब राज्य कैसे चलाना, जिसके वारेमें अुपन्यास लिखता हूँ। आदर्शों पर पूरा अमल नहीं कर सकता, तब आदर्शोंका चित्रण करता हूँ।

* स्व. रामनारायण विश्वनथ पाठक, गृत्ररातके समय विवेचक, कहानोंका, कवि, हास्यलेखक और पिंगलकार।

अंकं साखीमें भी कहा गया है कि क्षत्रियोंमें वीरता पैदा करनेवाले और बुद्धे जोग चढ़ानेवाले चारण रणक्षेत्रसे भागनेमें सबसे पहले होते हैं।

लेकिन जिसका यह अर्थ नहीं कि कल्पनाशक्तिकी देन चित्तको व्यर्थ मिली है। तीव्र कल्पनाशक्तिके अभावमें अनेक कर्तव्योंका पालन नहीं हो सकता, भावनार्ये जाग्रत नहीं हो सकती, नबी खोजमें बुद्धि नहीं चल सकती और स्मृति शुद्ध नहीं हो सकती।

समाधानकारक कल्पना ऐसी ही अंक उपयोगी कल्पनाशक्ति है। जगत्में जैसे कभी अनुभव हमें होते हैं, जिनका स्पष्टीकरण बिन्दियों द्वारा प्रत्यक्ष रूपमें हमें नहीं मिलता। तेजका स्वरूप क्या है, विजलीका स्वरूप क्या है, जगत्में मालूम होनेवाली विपमताका कारण क्या है, बगैरा विज्ञान और तत्त्वज्ञानसे सबध रखनेवाले अनेक प्रश्नोंका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नहीं मिलता, या लंबे समय तक नहीं मिल पाता। जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण न मिले, तब तक जिन प्रश्नोंके प्रति हमसे बुद्धात्मीन भी नहीं रहा जा सकता। बुद्धिको किसी भी तरहका स्पष्टीकरण तो चाहिये ही। जिसलिजे मनुष्य अलग-अलग समयमें आने लायक कल्पनार्ये करता है। बिन्हें वाद (Theory, Hypothesis) कहते हैं। विकासवाद, पुनर्जन्मवाद, मायावाद, अणुवाद, तरंगवाद (Theory of Vibrations) बगैरा विज्ञान या तत्त्वज्ञानसे संबंध रखनेवाले प्रत्येक शास्त्रमें पाये जानेवाले वाद प्रत्यक्ष परिणामोंके अप्रत्यक्ष कारणोंकी कल्पनार्ये ही हैं। विनोप अनुभव प्राप्त करनेके लिजे तथा अनुभवसिद्ध स्पष्टीकरण न मिलने तक बुद्धिकी भून मिटानेके लिजे ऐसी कल्पनार्ये पैदा होती है। जिन कल्पनाका स्वरूप भी सर्जक ही है; बचवा बैना कहें तो नी चल सकता है कि ऊपर बतायी हुई सर्जक कल्पनाकी यह जननी है। लेकिन जिस कल्पनारा उपयोग और बुद्देश्य सर्जक कल्पनासे भिन्न है। और दूसरी तरफ जिसका स्वयं अनुभवशीलक कल्पनाके माय है, जिसलिजे जिगगी कल्पनासे गिनती करना ठीक होगा।

जिस तरहकी कल्पनाका अंतिम ध्येय सत्यकी शोष है। यह दूसरे क्षेत्रोंके अनुभवोंसे उत्पन्न होती है। आकाशमें बिजलीके साथ हुयी गर्जना हमें कुछ क्षण बाद सुनायी देती है। लेकिन आवाज सुनायी देनेका मतलब यह नहीं होता कि आकाशमें से वारीक रज जैसी चीजके हमारे कानमें आकर घुसनेका अनुभव हमें होता है। आवाज अमुक गतिसे आगे बढ़ती है, यह भी जब हमने प्रयोग द्वारा खोज निकाला, तब सवाल अठा : जिस तरह एक जगह होनेवाली आवाजके अमुक गतिसे दूसरी जगह पहुंचनेका कारण क्या है? — जिसकी हमें खोज करनी है। किस तरहके प्रयत्नसे हम यह खोज कर सकते हैं? आवाजकी गतिका कारण अमुक वस्तु हो, तो उसे हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। वह अमुक गतिका अनुभव हो, तो उस गतिको भी हम अपनी आंखोंसे प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। तब क्या हमने ऐसी कोई गति आंखोंसे देखी है, जिसकी अपुमा आवाजकी गतिको दी जा सके? जिस तरह सोचते-सोचते विज्ञानशास्त्री जगत्की सारी स्थूल गतियोंकी जाच करता है और ऐसा लगता है कि पानीकी तरंगकी चालमें अने आवाजकी चालकी अपुमा मिल जाती है। उस परसे वह कल्पना करता है कि एक स्थान पर दो चीजोंके टकरानेसे हवामें किसी तरहकी तरंगें फैलती होंगी। बादमें जिस कल्पनाके आधार पर वह आवाजके बारेमें ज्यादा अध्ययन करता है और सोचता है कि यह कल्पना यदि सही हो तो क्या परिणाम आने चाहिये, और यह निरीक्षण करता है कि वैसे परिणाम सचमुच आते हैं या नहीं। अंतमें होनेवाले अनुभवके आधार पर वह जिस कल्पनाके स्वरूपमें परिवर्तन करता है और अपनी खोजको आगे बढ़ाता है। अनेक देवोंमें से देवी संपत्ति और आसुरी संपत्तिके अधिष्ठाता दो देवोंकी और अंशमें से एक देवकी, अनेक तत्त्वोंमें से दो तत्त्वोंकी और अंशमें से एक तत्त्वकी, नियतिमें से कर्मफलकी — जिस तरह विचार-सरणियोंका आधार लेकर अंशका अनुभव करता हुआ, अनुभवको समझानेके लिये कल्पना

करता हुआ, कल्पनाके आधार पर पुनः शोष करता हुआ और अन्तमें से फिर नयी कल्पनायें करता हुआ मनुष्य विज्ञानशास्त्र और तत्त्व-ज्ञानमें आगे बढ़ा है।

बिस तरहकी समाधानके लिये की गयी कल्पनामें से ही सर्जक कल्पनाकी उत्पत्ति हुयी है। लंबे समय तक टिकी हुयी किसी समाधानकारक कल्पनाको जब हम साधारण जनोको समझानेके लिये अधिक मूर्त स्वरूप देना चाहते हैं और बिस कारणसे, अुसका विस्तार करते हैं, तब वह सर्जक कल्पनाका रूप लेती है। अुदाहरणके लिये, शीतलाके अुपद्रवको समझानेके लिये किसी आसुरी देवीकी कल्पना की जाय और बादमें अुन कल्पनाको सर्वमान्य बनानेके लिये अुसकी कहानिया रची जाय।*

अब तीसरे प्रकारकी कल्पनाका विचार करें।

अुसके कुछ अुदाहरण लें।

चीन, मलवार, हरिद्वार वगैरा जगहोमें जलप्रलय हुआ, जापानमें भूकम्प हुआ, लडाभीमें लाखो मनुष्योका संहार हुआ; बिन सारी घटनाओके साक्षी बननेका मौका कुछ ही लोगोको मिला। ये घटनायें अैसी है, जिनमें सुरक्षित रही नारी जनताका विपत्तिमें पडी हुयी जनताकी महायता करना जरूरी माना जायगा। यह महायता करनेकी वृत्ति कैसे पैदा हो और किनमें पैदा हो? जिन्ही कल्पनाशक्ति अुस भयंकर वाडको, अुन भूकम्पमें पैदा होनेवाली

* डाविनके विकानवादको समझानेके लिये 'Before Adam' नामका अुपन्यास आधुनिक कालका अैना अेक पुराण कहा जा सकता है।

यह समाधानकारक कल्पनाशक्तिका दुरुपयोग है। जिन्में यह मान्यता बनती है कि अब तककी विकानवादी कल्पनामें कुछ घटाने-बढानेकी जरूरत ही नहीं है। अैसी मान्यता अुदमें नत्यही शोष और प्रचारमें वाधक सिद्ध होती है।

नगरव्यापी आगको और लड़ाईके भयानक दृश्यको अपनी दृष्टिके सामने चित्रित कर सकती है, वही जैसे समय अपने पर आनेवाली जिम्मेदारीको भलीभांति समझ सकता है। पानीमें वह जानेका क्या अर्थ है, घरवार वरवाद हो जानेका, अुसके भस्म हो जानेका, अुसके मलबेमें दब जानेका, घुमेंमें दम घुटनेका, लड़ाईमें गोली लगनेका, हाथ-पांवके टूट या कटकर अलग हो जानेका, वच्चोका अपने माता-पितासे जुदा पड़ जानेका, शरीर पर केवल पहने हुअे कपडोंके साथ अपनी रक्षाके लिये जहां भागा जा सके वहां भाग जानेका क्या अर्थ होता है—अिन सब बातोंका और अिनमें रहे दुःख-दर्दका चित्रण न कर सके, अैसी मन्द जिस मनुष्यकी कल्पनाशक्ति है, अुसे ये सब समाचार मुनकर अपने सिर कोभी जिम्मेदारी आ पडनेका भान नहीं हो सकता। भावना और कर्तव्यबुद्धि जाग्रत होनेके लिये कल्पनासे अिस दृश्यका अनुभव करनेकी अुसमें शक्ति होनी चाहिये।

बहुत बार हम लोगोंको अुनकी निर्दयताके लिये दोष देते हैं; न सिर्फ दूसरोंकी वेदनाने अुनके हृदयके तार नहीं हिलते, बल्कि अुमसे वे अुलटे आनन्द मनाते दिखायी देते हैं। गहरी छानबीनसे मालूम होगा कि जैसे लोगोंकी कल्पनाशक्ति ही बहुत मन्द होती है। आस फोड़नेसे क्या होता है, पाव लंगड़ा होनेसे कैसी वेदना होती है, दाढ दुखनेसे कैसा अनुभव होना है, भुखमरीका क्या अर्थ है—अिसका वे कल्पनासे अनुभव नहीं कर सकते। और वेदना भोगनेवाला जब कराहता या चिल्लाता है, तब दया अनुभव करनेके वजाय वे अुससे अूव जाते हैं; अथवा लंगड़े या अवे मनुष्यके अमाधारण व्यवहारमें अुन्हें आश्चर्य और आनन्द होता है।

अिनी तरह विज्ञानशास्त्रोंकी विविध शाखायें कल्पनाशक्तिके अभावमें आगे नहीं बढ़ सकती। विद्यार्थीको जोड़की मर्यादें सीधी तरह लिखानेसे वह तुरन्त अुसका अुत्तर निकाल लेता है। लेकिन अुन्हीं संख्याओंको अितने आम, अितने जानुन वगैरा पेंचीदा तरीकेने

लिखाया जाय, तो वह अलक्षनमें पड़ जाता है। विनका कारण यह है कि व्यवहारोंके निगाहके सामने होनेकी कल्पना करनेकी बुझमें शक्ति नहीं होती। कितने ही विद्यार्थी भूमिति (ज्यामिटी) के सिद्धान्तोंको पुस्तकमें दिये हुअे तरीकेसे अच्छी तरह सिद्ध कर बताते हैं; लेकिन बुन परसे निकलनेवाले अपुसिद्धान्तोंको सिद्ध करके नहीं बता सकते। वे बीजगणित या त्रिकोणगणित (Trigonometry) के गुरुसूत्रों (formulae) को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक गणितमें बुनका अपुयोग नहीं कर सकते। जिस सत्रका कारण यही है कि बुन सिद्धान्तों और गुरुसूत्रोंके पीछे रहे सत्य व्यवहारोंकी वे कल्पना नहीं कर सकते। वे सिद्धान्त और गुरुसूत्र बुन्हें केवल नाकिक कसरत जैसे लगते हैं, और परीक्षामें पास हुअे बिना काम चल नहीं सकता, असा मोचकर वे बुतनी रटाभी करके किनी तरह गाड़ी भागे बढ़ाते हैं।

लेकिन जिन सारी कल्पनाशक्तिके पीछे जिन मानसिक शक्तिका अपुयोग होता है बुझमें और अपुपर बनायी हुअी मर्जक कल्पनामें भेद है। जिस कल्पनाशक्तिका अर्थ केवल अनुभवकों तीव्रतासे जाग्रत करनेवाली और बुनका विस्तार (magnification) करनेवाली शक्ति है। स्पष्ट स्मृति और जिन अनुभवमूलक कल्पनाशक्तिमें थोड़ा ही भेद है।

देगी हुअी चीजकी हूबहू तस्वीर, नुनी हुअी आवाज मानो फिरसे नुन रहे हो अनी भनक, छाभी हुअी चीज मानो जिन क्षण नी इनारे मूहमें हो अनी धारणा—जिन सबको यथायं कल्पना नी कहा जा सकता है और स्पष्ट स्मृति नी कहा जा सकता है। केवल अनुभव दिये हुअे विषयकी और अनुभव जितनी ही कल्पना स्मृति रही जायगी। जनी स्पष्ट स्मृति सात्त्विकता हो तभी होती है, और जिनका जितना विकास हो बुतना ही अच्छा है। किनी बालकको अंक नजी चीज दिखायी जाय, वह बुनका भलीभांति अदानीकन कर

ले और फिर जब उस चीजको वहांसे हटा दिया जाय, तब उसे असा नगे मानो उस चीजको वह अपनी नजरके नामने देख रहा है, तो अुमकी यह स्मृति अुपयोगी शक्ति मानी जायगी। अैसी स्मृति अनेका-वधानमें (अनेक विषयोंको अेक साथ याद रखनेमें) और अेकाग्रतामें अुपयोगी होती है। अैसी स्मृतिके बिना चित्रकारका काम नहीं चल सकता।

अिसी स्मृतिका थोडा विस्तार या संकोच किया जाय, तो वह अनुभवशोषक कल्पनाशक्ति हो जाती है। अेक अकाल पीडित मनुष्य या पशुके अनुभव परसे अैसे सँकड़ो मनुष्यो या पशुओंकी कल्पना होना; थोड़ी वेदनाके अनुभव परसे अुसी प्रकारकी तीव्र वेदनाकी कल्पना होना भी मनुष्यके अेक-दूसरेके मुख-दुःखमें सहानुभूतिपूर्वक भाग लेनेके लिये जरूरी है।

यह भी अेक तरहकी सर्जक कल्पना ही है। लेकिन अिसका अुपयोग केवल कानोंसे सुनी हुयी सच्ची घटनाओंका अच्छी तरह मान होनेके लिये है।

अेक तरहसे तो सर्जक कल्पना भी अनुभवमूलक कही जा सकती है; क्योंकि अन्तमें तो विचारमात्रका आधार अनुभव ही होता है। लेकिन अिसमें पहले अेक अनुभवशोषक कल्पनाका विस्तार किया जाता है; बादमें दूसरी अनुभवशोषक कल्पना ली जाती है। फिर दोनोंके बीच कुछ मबंध जोड़नेका प्रयत्न किया जाता है। अिमन्त्रिये अनेक अलग अलग मत्य स्मरणोंको असत्यकी डोरीमें गुथ दिया जाता है। अिस तरह किसी घटी हुयी घटनाको पहचाननेके लिये नहीं, बल्कि अनुभवशोषक कल्पनाओंका मिश्रण करके मनोरंजनके लिये अेक खेल खेला जाता है। यह खेल चित्तको अेक प्रकारकी कमरत देता है। अिस हद तक तागमत्तोंका खेल या चौपटका खेल अुपयोगी माना जा सकता है, अुनी हद तक अिस खेलका कल्पना करनेवालेके लिये अुपयोग हो सकता है। लेकिन अिस तरह ताग या चौपटके खेलमें

फुरसतवाला आदमी ही ज्यादा समय दे सकता है, बुसी तरह जिसमें भी समझना चाहिये। अलवत्ता, ताश या चौपड खेलनेवालेको समाज पैसा नहीं देता। लेकिन चूकि अँसी सर्जक कल्पनाओंसे दूसरे लोगोका भी कुछ मनोरजन हो सकता है, जिसलिये जिनमें कुछ धन भी मिल सकता है। लेकिन मनुष्यत्वके विकासकी दृष्टिसे जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं मानी जा सकती।

टिप्पणी - १

श्री गिजुभाजीने अेक चर्चामें काल्पनिक वार्ताओंके पक्षमें तीन मुद्दे पेय किये थे:

पहला मुद्दा यह कि विकासशास्त्र द्वारा निश्चित किये हुअे सिद्धान्तोंके अनुसार बालक अपने पूर्वजोंकी आदिअवस्थाका प्रतिनिधि है। अेक वार जिस स्थितिमें मानव-समाजके बडी अुमरके मनुष्य भी थे, बुसी स्थितिमें आज बालक है। मानव-समाजकी आदिअवस्थामें मनुष्य कल्पनावयव थे। वे जानवरोंको मनुष्यो जँसी बोलनेकी शक्तिवाले मानते थे। कुदरती घटनाओंके वारेमें मानते थे कि वे अुनके पीछे रहे देवताओंकी अिच्छासे होती हैं। बालक भी जिसी अवस्थामें होता है। बालक लकडीकी गुडिया या लकडीकी चिडियाको लकडी नहीं मानता; वह अुनके साथ बातें करना है, अुसे प्यार करता है, धमकाता है और अुसके साथ अँसा बरताव करता है मानो वह अुसके जँना मनुष्य हो। आगे चलकर वह अपने-आप अिन स्थितिमें से बाहर निगल जाता है। फिर वह दूनरे प्रकारकी नृष्टिमें मग्न होता है। जिन बालमें अुने पराक्रम, चालाकी वर्गरासे भरी हुअी कथा-कहानियो और साहनपूर्ण कार्योंमें मजा आता है। क्योकि मानव-जाति आदि-अवस्थामें से निकलनेके बाद अँसी अवस्थामें से गुजरी थी। जिस कालमें नैतिक विचारोंका अुसके जीवनमें प्रधान स्थान नहीं होता। बल्कि

तेज — ओजकी प्रधानता हांती है। जिसके वाद शृंगार बुसके चित्तको आकर्षित करता है। अित्यादि।

जिस कारणमे वालकको बुमकी योग्यताके अनुकूल खुराकसे दूर रखना अुचित नहीं। वालककी जितनी योग्यता हांती है, बुममे अृची बातें बुसके साथ करनेमे वह बुनमे कोअी रस नहीं ले सकता। और अपनी योग्यताके अनुसार वस्तु प्राप्त करनेके लिये आडे-टेढे रास्ते अपनाकेका प्रयत्न करता है। जिससे वह नुकसान भी अुठाता है।

मैं स्वीकार करना हू कि यह दलील सोचने जैसी है। जिन विषयमे अधिक विचार जाननेकी छूट मैं रखता हू, अंमां मैं अूपर कह चुका हूं। जिनलिये यदि मुझे अपने विचारोंमें परिवर्तन करना पडे, तो वैसा करनेमें मुझे कोअी संकोच नहीं होगा।

परंतु जैसा कि आगे आनेवाले विकासवाद संघी लेखोंमें मैंने बताया है, जिस दलीलमें विकासके सिद्धान्तका अेकतरफा अवलोकन है। वालकके शारीरिक विकासका क्रम जांचनेसे मालूम होगा कि वह पहले निराधार स्थितिमे जमीन पर पड़ा रहता है, फिर करबट लेना सीखता है, बादमे बैठना, फिर घुटने चळना, फिर खड़ा होना, फिर मदद लेकर चलना और अन्तमें बिना किसीकी मददमे स्वतय रूपमे चलना सीखता है। यह सच है कि हर वालकको जिन सब हालतोंमें से गुजरना जरूरी होता है। किन्तु यदि वालक नीरोग बना रहे और बढ़ता जाय, तो जिन मारी हालतोंमें ने अग्ने-आप वह आगे बढ़ेगा। यदि माता-पिता जिन क्रममें कुछ हस्तधेन करे तो जितना ही कि वे बुमे अूपरकी भूमिकामें ले जानेका और निचली भूमिकामें यथानुभव कम समय रखनेका प्रयत्न करेंगे। बच्चेके पैदा होनेके दूसरे ही महीने माता-पिता अधीर होकर बुसकी करबट बदलनेकी जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन कोअी मजबूत वालक अगर दूसरे महीनेमें अंगा प्रयत्न करने लगे, तो माता-पिता बुमके लिये वैसी अनुकूलता कर देंगे — असे रोकेंगे नहीं। वालक गड़ा होनेका प्रयत्न करे तो माता-

पिता तुरन्त उसे अंसा करनेमें मदद करेंगे, रोकेंगे नहीं। माता-पिताकी विच्छा रहेगी कि बालक निचली दशामें कमने कम समय रहे।

फिर, बहुतेरे बच्चे जीवनमें अेक समय मिट्टीमें खेलने और मिट्टी खानेकी स्थितिमें से गुजरते हैं। लेकिन कोजी माता-पिता अुनके लिअे मिट्टी खानेकी सुविधा नहीं कर देते। अुलटे, वे यही चिन्ता रखते हैं कि अुनका बच्चा जिन स्थितिमें ने झट निकल जाय।

यही नियम मानसिक विकास पर भी लागू होता है। बालक भले पक्षियों और परियोंकी कल्पनाकी भूमिकामें कुछ समय रहे। लेकिन शिक्षकका कर्तव्य अुसे जिन भूमिकामें से बाहर निकालनेवा है; अुसके भ्रमोंको कायम रखने या बढ़ानेका नहीं। बादलोंकी गड़-गड़ाहट सुनकर बालक भले यह कल्पना करे कि कोजी बड़ा रादास जोरोंमें चिल्ला रहा है, बयवा बरनातकी धारायें पड़ती देखकर भले यह कल्पना करे कि आकाशमें से बड़े बड़े पीपोंका पानी छलनी द्वारा खाली किया जा रहा है। भले वह तुलसीके पाँघेके माथ या कटियाके पावके माथ लटने बैठे, या गुडियोंको झूलेमें मुलावर अुने चलाने लगे। लेकिन शिक्षकका कर्तव्य अुनकी चिन तानानृष्टिका पोषण करना नहीं है। अुस नृष्टिका जघरन् नाश करना भी अुसका कर्तव्य नहीं है। शिक्षककी विच्छा तो बालकको जिन भ्रमने निराकार अुने सत्यका अवलोकन करानेकी होनी चाहिये। बालकका बाल्योचित कल्पना करना अेक बात है और शिक्षकका अंनों तानिये यह कर अुमकी जिस आदतका पोषण करना दूनरी बात है।

जिनके अलावा, अेक दूसरी बात भी विचारणीय है। जिस जमानेमें जानवरोंकी कहानियों और परियों बयवा देवताओंकी कल्पनाओंकी अुत्पत्ति हुआ, अुस जमानेमें सारी अुत्पत्ति मनोरंजनके लिअे ही नहीं हुयी थी। यह बात सच नहीं है कि अुन जमानेमें बड़े लोगोंमें अंनों कहानियोंमें आनन्द आता था, जिनलिअे अुनोंने अंनों रचानेकी रचना की। वन्नि यह कहना चाहिये कि जानवरोंकी शिवायी, बुद्ध

घटनाओं वगैराका अवलोकन करनेवाले लोगोंको अुनके कारणोंकी खोज करते हुअे अपनी बुद्धिके अनुमार जो स्पष्टीकरण सूझे, अुनने अिन कहानियोंकी अुत्पत्ति हुअी है। अमुक रोगके जोरोंसे फैलनेके पीछे या अेकाअेक अनेक प्राणियोंका नाश कर टालनेवाली वषाके पीछे किसी विशेष देवताका हाथ होना चाहिये, अैसी कल्पना की गअी; और अुमसे संवध रखनेवाली कहानिया रची गअी। वे देव और जानवर अुन लोगोको अपने जीवनके साथ अोतप्रोत हुअे लगते थे; अुसमें केवल कहानियोंका रस ही नहीं था। अुसी तरह यह बात भी सही नहीं कि पराक्रमके युगमें हमारे पुरखे पराक्रमकी बातें सुननेके रसिया थे। वल्कि यह कहना ठीक होगा कि साहस और पराक्रम अुनके दैनिक जीवनके अभिन्न अंग थे। अुनके जीवनको देखने हुअे साहस और पराक्रमकी वृत्तिको बढ़ानेवाली बातें अुनके लिये ठीक थीं। वे बातें अुनके लिये झूठी नहीं, वल्कि सच्ची थीं। शिवाजी महाराजके लिये रामायण-महाभारतकी बातें केवल मनोरंजन नहीं थीं। वल्कि अुनने शिवाजीके जीवनको पोषण मिलता था। अिन न्यायसे वालक जब कल्पनाके युगकी भूमिकामें हो, तब भले अुने प्राणियों और कुदरतके साथ मिलाया जाय, अुने अिनका अवलोकन कराया जाय और अिन तरह अुमका मार्गदर्शन किया जाय कि अिनके संबंधमें अपनी बालबुद्धिसे वह स्पष्टीकरण पानेकी कोशिश करे। भले वह अैसे स्पष्टीकरण निकाले, जो हमारी आजकी वैज्ञानिक दृष्टिमें गलत हो। लेकिन अुमके लिये वे जानबूझ कर की हुअी झूठी कल्पनायें नहीं होंगी। बादमें शिक्षाशास्त्रीका कर्तव्य यह रहेगा कि वह वालकको प्राणियों और कुदरतका ज्यादा अवलोकन करा कर अुमकी गलतियोंकी तरफ अुमका ध्यान नीचे और भ्रमपूर्ण कल्पनायें छुड़वा दे। लेकिन जब शिक्षक खुद अुमके मनोरंजनके लिये जानवरो और परियोंकी कहानिया कहने बैठे, तब कहा जायगा कि वह जानबूझ कर वालककी बुद्धिमें झूठी कल्पनायें भरता है।

अिनी तरह जब बालक पत्रपत्रकी भूमिमें हो, तब अुने पराक्रम और माहमके जीवनी तरफ ले जाना अुपयोगी माना जायगा । लेकिन वास्तवमें अैना होता नहीं । बालक केवल पत्रपत्र और माहमकी कहानिया ही सुनता है, मनमें बड़ी बड़ी कल्पनावर्तिके घोड़े दौड़ाना है, लेकिन जब सपनीकी दुनियामें जागकर देखता है तो पिजरे जैसे अीट-चूनेके मजानमें पलथी मारकर बैठे हुअे शिअकने या दादी मामे केवल कल्पना 'कहानिया' ही सुनता रह जाता है । बालकका रोजका जीवन तो दम्तेय दोर मिर पर खपार बालकमें नीचे घर जानेका ही होता है ! अुनके जीवन और अुनकी कहानियोंके बीच जरा भी मेल नहीं होता । यदि विज्ञानशास्त्रके सिद्धान्तोंमें हमारी श्रद्धा हो, तो अच्छा तरीका यह होगा कि अुनके जिअे माहमका जीवन दितानेकी अनुकूलता पैदा कर दी जाय, अुनके जीवनमें माहमका मन्ग किया जाय । वह बोने मरत तक माहमका जीवन निगातर अपने-अप आगेकी दशामें चला जायगा । लेकिन जैसे सौन्दरके अभावमें केवल माहम और पराक्रमकी कहानियोंमें, मापके वहे अनुगार, बालकमें 'व्ययकी भावना पैदा होती है ।'

लेकिन श्री गिजुभाजीका दगर मुहा यह था कि हमारे पूर्वजोंके जीवनमें कुछ अगुऊ भी था । अुनोंने लुग तरहके जीवनमें तिनके ही अंने राम किये होंगे, जो हमारी आजकी नैतिक भावनाको सपात पढ़ावेंगे । अुन जीवनमें बालकको प्रत्यक्ष रूपमें घनीटना लने पुना ही नहीं मरता । आजकी मरुतिके लभमें अुने पूर तो हरगिअ नहीं रहा जा मरता अैना अे, मान्ते-संगी भी सपनी है । अिअका दम्भन तो अुनके मिर पर होता ही जातिने । अेर अिअने भी मर नहीं कि मरुतिके अमिगामे मे अाअकके मजान लने सोंगा ली । अैनी सपना जीवन की मार्ग नेता पसेगा । सपना कि अुन अंकी ही लने, अाअक मरुतिके लनेगा लने । अा अुन अाअक के मजान लने पर मरुतिके लने ही लनेगा लने । अा अुन अाअक के मजान लने पर मरुतिके लने ही लनेगा लने । अा अुन अाअक के मजान लने पर मरुतिके लने ही लनेगा लने ।

अा अुन अाअक के मजान लने पर मरुतिके लने ही लनेगा लने ।

युगमें चल सकता है? अिमलिजे सुरक्षित मार्ग यही है कि बालकको मानसिक दृष्टिमें ही वनराज और शिवाजीका जीवन बिताने दिया जाय। सच है। अिममें सुरक्षितता जरूर है; लेकिन किसके स्वार्थकी दृष्टिसे? नागरिकोंके स्वार्थकी दृष्टिमें या बालकोंके स्वयंविक्रामकी दृष्टिमें? मही तरीका तो यह होगा कि बालकके लिये माहस और पराक्रमका जीवन बितानेके अुचित मार्ग खोजकर हम अुमें ब्रताये और अैसी योजनायें खोजें, जिनकी मददसे अुम जीवनकी गलतियोंकी तरफ अुमका ध्यान जल्दी खिचे। अस्तु।

श्री गिजुभाजीका तीसरा मुद्दा यह था कि स्वयं कहानी कहनेवालेके जीवनकी दृष्टिमें भी काल्पनिक कहानिया कही जानी चाहिये। यह सच है कि मनुष्यका विकास अुत्तरोत्तर होता है, लेकिन अिमसे अुमकी पिछली दशा बिलकुल छूट नहीं जाती, अुलटे, हरअेक मनुष्य अपने पिछले जीवनमें जानेकी बार-बार अिच्छा करना है। अिसे श्री गिजुभाजी जीवका बालम्बभावके प्रति रहनेवाला अुकाव कहते हैं। बूढ़ा आदमी बालक जैसा बन जाता है। बीमार आदमी बालक बनकर 'ओ मा', 'ओ बाप' चिल्लाना है। माना-पिता बच्चेके सामने बच्चे बननेकी चेष्टा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमजोरीके समय पुत्पत्तका घमड छोड़कर बालवृत्ति धारण करनेके लिये अुत्सुक रहता है। यह अेक नियम ही है, और शिक्षक भी अिम नियमका त्याग नहीं कर सकता। शिक्षककी भी बालक बननेकी अिच्छा होती है, और अिमीने बच्चोंके लायक कहानिया कहने और जोड़नेकी अुमें प्रेरणा होती है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि यह अवलोकन मही है। लेकिन अैसा नियम ही है—यानी कभी कभी बालक जैसा बने सिवा चल ही नहीं सकता अैसा कोअी अटल नियम है, अिम बारेमें मुझे शक है। लेकिन अैसा नियम है यह मान लें तो भी हमें याद रखना होगा कि अिम नियमका अमल निबंलताके समय ही होता है। मनोबल काम देना है, तब तक बीमार आदमी भी बालक जैसे बर्णाव पर अुकुश रमना है; बालक जैसा बर्णाव करनेका अुमें अभिमान नहीं होता, बल्कि

ही कल्पनाकार अिममे करता है। क्या बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हम अेखाव मच्ची घटी हुआ घटना हमरेको सुनाना चाहते हैं, लेकिन अुमसे नवधित पात्रोंके जीवित होनेसे हम अुनके अमल नाम बनाना नहीं चाहते? अुममे जीवित पात्रोंकी कमजोरी खुल जानेके खयालमे, अुनकी बात दूसरोको मालूम हो जानेमे अुन्हें दुःख होगा जिस खयालमे या हमरे किमी कारणमे क्या हम अैसा नहीं कहते कि जिस घटनाके पात्रको हम 'क' या कल्याणजीके नाममे पहचानेंगे? घटनाके वर्णनमें बातें तो सब मच्ची होनी हैं, परन्तु नाम बदल दिये जाते हैं। नाम बदले गये हैं, यह आप जानते भी हैं। तो फिर जिसमें मत्यका भग कहाँ हुआ? अिमी तरहमे डॉल्स्टॉयकी किमी कहानीको लीजिये। अुदाहरणके लिये, अुनकी 'मनुष्य कितनी जनीनका मालिक हो सकता है?' कीर्पक कहानी काल्पनिक है। जिन सिद्धान्तको ममझानेके लिये अुमकी रचना की गयी है, वह सिद्धान्त मत्य है। अुन पर रची हुआ कहानी काल्पनिक है; और वह काल्पनिक है अैसा आप भली-भाति जानते हैं। आपको अेक क्षणके लिये भी अ्रममें नहीं रखा जाता। तो अुममे मत्यका भग कहा होता है?

अिम प्रश्नका अुत्तर देना मुझे बडा कठिन मालूम होता है। कारण यह है कि सर्जक कल्पनाके बारेमे तात्त्विक दृष्टिसे मेरा चाहे जो मन बना हुआ हो, फिर भी दरअसल अैसी कहानियोंमें मुझे रस आता है। अैसी कुछ कहानियोंने मेरे जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला है।

लेकिन अुपरके मुद्देमें अेक मान्यता गलत है। किमी भी वस्तुके नाय चित्त जब तदाकार हो जाता है, तभी अुम वस्तुका हम पर गहरा असर पड़ता है, और अुम वस्तुकी अमन्यताको भूले बिना चित्त अुमके नाय तद्रूप नहीं हो सकता। वहुतेरे लोगोंने यह देखा और अनुभव किया होगा कि हरिश्चन्द्र या हमरा छोटी कल्प रमने भग नाटक देखकर प्रेक्षकोंके आँसुमें आसू बहने लगते हैं। जिस क्षण आसू बहने लगते हैं अुन क्षण प्रेक्षक अिम मन्थको भूल जाते हैं कि 'वह तो अेक नाटक है' यह हरिश्चन्द्र और तारामती केवळ अभिनय करनेवाले

दो नट-नट्टी हैं और पंचके लिये ही अभिनय कर रहे हैं।' जिन नृत्यको भूलकर ही प्रेमशय्या जिन पानोंके साथ तदाकार ही मकाने हैं। जुनकी आवासे आम वह रहे ही, जुन समय कीसी यदि जुनमें कहे कि 'अरे भाजी, यह तो नाटक है, आप रोंगे क्यों है?' तो जुनके आम और आमुजोंके साथ जुनका रग भी जुड जाता है। और जिसके साथ ही नाटकका नैतिक प्रभाव भी मिट जाता है।

जिनी तरह काल्पनिक कहानी काल्पनिक है, अंसा भले ही जुनके साथ पहलेमे या बादमें जाने, लेकिन वह कहानी जुनके मन पर जगर तभी जाड नगनी है, जब वह जिन दातकों चिन्कृत भूल जाय कि वह झूठी है। जुने मन्ची माने बिना चित्त जुनके साथ नट्टू ही ही नहीं मरना। और जिने अल्पमें मन्चा जम गानेकी आदन पड जाती है, जुने आर कहानीके प्रत्येक साथ पर 'भाजी, यह कल्पना है', 'भाजी, यह कल्पना है' यहाँ, तो भी या नो वह आपकी दातको भूल जायगा या जुन कहानीमे जुने योगी गम नहीं होगा।

जिनी मिदाल्तको कहानीके जलिये गमजानेवादीकी भी अंसा ही दगा होती है। यदि वह अपने मिदाल्तको अपने जौदनमे जतारना चाहता ही, तो अंसा कल्पना-जिजग जुने योगे समय पर स्वयन्मूर्धितमें गता है, परन्तु अपनी प्राप्त मूर्धितमें—प्रत्येक जीवनमे—वह जुन मिदाल्तको साथहासित नर देनेमें मरन नहीं होता।

अल्पता, अंसे जिनी जुदान मिदाल्त पर रहे योगे जीवन-चित्रकी तानामें केजल कल्पनामे जुड अजिज जग होता है। वह अंक मंतरलया हीन है, और वह मान्य जिनी न जिनी मन्चा जुनितमें स्पूल कल्पने मिट होनेसार है। कहानीके अपने अंसे तानना जियाके भनकारके साथीक दयोग अपने जिनी जाती है, परन्तु कल्पना वह भविष्यवादी होती है। फिर भी जिन तद तद अपने साथीके साथ ही, अंसे तद तद तद कल्पना कल्पनामें ही अपने योगीकी और कल्पनाके ही जुड न तद भयमें योगे जिनी तद, अपने योगे जुनके अपने भविष्यवादी योगे ही जाती है। अंसे जिनी अपने योगे जिनी योगे तद तद योगे ही योगे तद तद कल्पना कल्पना

जम्मी हों, लेकिन यह तो स्वीकार करना ही होगा कि अमुमें कुछ दोष है, कुछ अमत्य है। और यह जानते हुअे भी अमुमें जो रम आता है वह मोह है, अँसा मानना पडता है।

अपरके मुद्दे पर मुझे अिस तरहके विचार सूझते हैं। लेकिन अेक बात में यहा स्पष्ट कर देना चाहता हू। कहानियोंके न्विष्ठाफ किनी तरहका आन्दोलन खडा करनेकी अिच्छामे मैंने अपना यह निवघ नहीं लिखा है। मेरा अपना भी कहानियोंका शीक—रम जाग्रत है।

मैं कल्पनाशक्तिका विरोधी नहीं हू। अतःकरणकी अेक अद्भुत शक्तिका विरोधी बनकर मैं विकामकी अिच्छा कैसे रख सकता हूँ? लेकिन यहाँ मैंने कल्पनाशक्तिकी तालीमके वारेमें अिनी दृष्टिमे विचार किया है कि वह मनुष्यकी आध्यात्मिक अुन्नतिमें, अुमके सर्वांगीण विकाममें और अुसकी नत्यकी शोधमें किम प्रकार और किम हद तक नहायक हो सकती है, और अिन दृष्टिमे मुझे अँसा लगा है और कहना पडा है कि अिन तालीममें जिम हद तक जानबूझ कर अमत्यका पोषण करनेकी आदत डाली जाती है, अुम हद तक वह नत्यकी शोधमें और आत्मोन्नतिमें बाधक होनी है।

अेक स्नेही मित्रने अँसी टीका की है कि अेक तो गुजरानी भाषामे कहानियोंका आवश्यक भडार ही नहीं है, अुम पर यदि आप कोअी कहानी मन्ची है या झूठी यह तय करनेकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डालेगे, तब तो वहाँकी कहनेवालेका दिवाला ही निकल जायगा! यह सच है। व्यापारी भी कहते हैं कि मत्यका भंग व्यापारमें हर्गिज नहीं किया जा सकता, अँसा लफटा अगर आप हमारे छोकरोंके पीछे लगा देंगे तो हमारा दिवाला ही निकल जायगा! लेकिन क्या अिन टर्मे बालकोंको यह कहा जा सकता है कि व्यापारमें झूठ बोलना जा सकता है? अुनी तरह कहानियोंका दिवाला निम्न जानेके उरने क्या अँसा कहा जा सकता है कि कहानीमें तो झूठ बोलना जा सकता है? हमें यदि मत्यके अुपागम बनना हो, तो कंजूमकी तरह मत्यकी आराधना और सेवा करनी होगी।

टिप्पणी - २

धूलर व्यक्त किये गये विचारोंमें थोडा सुधार करनेकी गुजाबिस मज नालूम होनी है। 'दूधका जग छाछको भी फूक-फूट कर पीना है' यह मच हो मतना है, लेकिन यह पीनेवालेकी बुद्धिमाना नही बतलाया। बुने मुहने गगानेके पहे ही यह पहचानने आना चाहिये कि प्यानेमे दूध है या छाछ और वर गन्म है या टडी।

दुमने, कल्पनाके दुमने दो प्रकारोका अपयोग ही। तो बुने नजक कल्पनाका क्या मवध ? जिन शक्तिना भी अपयोग होना ही चाहिये। जिन मनुष्यमें नजक कल्पनाका अभाव हो, वह मच्चे जीवनमें भी कुछ नया नजन नही कर सकना। जिनके वहा तो बुनगा अपयोग है ही, और वह अच्छेमे अच्छा भी हो सकता है। लेकिन साहित्यकी दिनामें भी बुनका अना अपयोग होना चाहिये, जिनमे यह मनुष्यके गिगासमें महायक सिद्ध हो। मारी नकितयोका अमन मर्यादामे नहर अपयोग किया जाय, तो ही वे हितकर सिद्ध होती है। बुनी तरह साहित्यमें नजक कल्पनाकी भी मर्यादा होगी। बुन मर्यादयो गोडना और बनाना चाहिये। लेकिन साहित्यके क्षेत्रमें बुने स्थान ही न बना टीत नही होगा।

धार्मिक क्षेत्रमें नजक कल्पनाका अपयोग हुआ है। जिनके दो कारण है (१) रनी हजी कयाओको नकवी पटनाओके रूपमें स्वीकार करनेका मर्यादगीता प्रान्त, वे नही है और बुने मे अमित दोष ही नना चाहिये, अना न मभी मता मग और न मानने दिया गया है। (२) लोक नाग धराने बुन मर्याद और मयन। नमय है अधिनियमों, अनी मर्यादका पोषण करनेमें मर्यादित मर्यादोंके रजय जिन दो कारणोका प्रान्त मर्याद ही।

मानव जीवनमें नजक कल्पनाका अपयोग मर्यादोंके उन्ही नियमों अन्तर्गत मर्यादों और मर्यादोंके मर्याद नियमोंके मर्याद करनेमें हुआ है।

लेकिन यह अनुभवकी बात है कि जिस तरहका जीवन वितानेकी मनुष्यकी अच्छा हो और उसके जीवनकी जो बाकाबाजें हों, उन्हें पूरा करनेमें सच्चे जीवन-चरित्रोंकी तरह काल्पनिक कथा-वार्तायें (वे काल्पनिक हैं असा जानते हुये) भी मदद कर सकती हैं। असी वार्तायें बालकोके लिये भी उपयोगी हो सकती हैं।

अिनकी कीमत सच्चे चरित्रोंके बनिस्वत हमेशा कम ही रहेगी। अिसके अलावा, अुनमें नीचेके खतरे भी हैं।

(१) कथा-कहानी लिखनेवाला जिन प्रकारका जीवन-चरित्र चित्रित करता है, अुमका यदि अुसे व्यक्तिगत अनुभव न हो और वह कल्पनामे ही अुसे चित्रित करनेका प्रयत्न करता हो, तो संभव है अुमका चित्रण बहुत गलत हो। असा हो तो मुननेवालेके मनमे भी गलत या अमत्य चित्र पैदा हो सकता है। और यदि वह बहुत ज्यादा आकर्षक हो, तो मुननेवालेको भ्रममें भी डाल सकता है। अुदाहरणके लिये, मरस्वतीचंद्र*। अिसमे जीवनके कुछ आदर्श खड़े करनेका प्रयत्न किया गया है। लेकिन सभव है वैसे जीवनका थोड़ा भी अनुभव गोवर्धनराम भायीको न हुआ हो। अुन आदर्शोंकी अुन्होंने कल्पना की, कहीं भी अुनका अनुभव नहीं किया, फिर भी अद्भुत ढंगमे अुन्हें चित्रित किया है। अिन कारणमे अनेक युवक और युवनियां विचित्र वृत्तियोंको आदर्श समझकर अुनका पोषण करने लगे।

(२) किसी कथामें बताया गया जीवन प्रत्यक्ष जीवनमे बहुत भिन्न प्रकारका और अेकतरफा चित्रित किया गया हो, केवल आदर्श ही हो, तो जीवनमें अुमका अमल करनेका प्रयत्न करनेवाला मनुष्य अव्यावहारिक बननेकी भूल कर सकता है। अेकाध गुणके अतिरेकमे जीवन नहीं चलता; परंतु अनेक अूचे गुणोंके अुच्चिन मेलने जीवन व्यावहारिक दृष्टिमे उपयोगी बनता है। आदर्श चित्रित करनेवाली कथायें मनुष्यको अिन सचाजीका परिचय नहीं करतीं।

* गुजरातीके महान् अपुन्यासकार श्री गोवर्धनराम त्रिपाठीका एक प्रसिद्ध अपुन्यास।

(३) अनुभव और कल्पनाके बीच बहुत बड़ा भेद है। कल्पना मुन्दर और आकर्षक लगती है, क्योंकि वह अच्छे पहलूको ही देख गवानी है, कठिनायियोंकी पूरी पूरी कल्पना नहीं हो सवती। लेकिन जब मनुष्य अनुभव देना शुरू करता है, तब शुरूके नामसे अनसोची कठिनायियां गटी होती हैं। अिनमिडिसे जिम मनुष्यको अनुभव नहीं, अुमरी चित्रित कल्पना भागंडीम बननेके बजाय भ्रामर ही होती है।

अिनमिडिसे में जिनना स्वीकार करना है कि जिम प्रकारका जीवन चित्रित किया जाय, अुमके अनुभवी द्वारा लिखी हुयी अंभी गार्तासे श्रोताओंके मिडे अुपयोगी निद हं माली है, जो केवल अेकतरफा नहीं है और अनिष्ट नहीं है।

काल्पनिक तथा-गार्ताअंता अनिष्ट स्वरूप धार्मिक गार्हित्यमें ज्यादामे ज्यादा प्रकट होना है। गार्धारण गार्हित्यके अिनमिडन धार्मिक गार्हित्यके श्रवण, बालन और अत्ययनमें जिनेम प्रकारका आदर, श्रद्धा और गभीरता मनुष्यके चित्तमें होती है। और वह गार्हित्य बहुत बडे अुधिचारी पुरुषों द्वारा मन्वा अिनित्ताम और आदर्म देन करनेके मिडे गार्स तौर पर लिखा गया है, अंभी मान्यता होनेके कारण अुमे अंनेम गार्मा स्वीकार कर लेनेकी गंगोली मूनि होती है। बादमें अंने अंने अपनी बुद्धि मगनेगी गार्ति बाली जाती है, वंने वंने अुन कथाओंतां गने अुताग्नेमें देर लगती है। जो पहले मीया-गार्दा मन्व मालूम होता था, वह बादमें वंमा नहीं लगता। वे जिमी मन्नेके मन्व होगी अंगा मानकर अुनके अर्थ मन्नेके प्रयत्न होते हैं। मन्नु जब मन्ने पहलुअंमें मन्ने जानेवाले रूपम नहीं मन्ने, तब यह प्रयत्न भी गार्ति हो जाता है और अुनके प्रति अग्नि पैदा होती है। बादमें, अिनमें मने धर्मोंके प्रति ही अग्नि पैदा होती है। वह मीसार मन्ने किला मन्ने मन्ने जाना कि जिमिड धर्मोंके धार्मिक गार्हित्यमें पुर्णम जानेमगी मन्नेमन्ने मन्ने-गार्ताअंसे पुर्ण अम धर्मोंके प्रति अग्नि पैदा होनेका देर मन्ने कारण है।

प्रज्ञा

मैं नहीं जानता कि जिन्द्रियोकी और कल्पनाशक्तिकी तालीमके बारेमें व्यक्त किये गये मेरे विचारों पर कितने शिक्षकों या विचारकोंका ध्यान आकर्षित हुआ होगा। मुझे लगता है कि जिन्होंने बिन लेखोंको ध्यानमें पढा होगा, अन्हें विचारके लिये काफी मसाला मिला होगा। और जिन्हें बिन विचारोंमें कोई भूल न मालूम हुआ हो, अन्हें शिक्षण-मन्वंधी और आत्मोन्नति-विषयक विचारोंमें बहुत फेरवदल करने जैसा लगा होगा। मेरे विचारोंका शिक्षकों और विचारकों पर अँमा अनर होगा या नहीं, यह कहना कठिन है। लेकिन मनुष्यके मच्चे विकसामें ये विचार अुपयोगी सिद्ध होंगे, अँमा माननेके कारण ही मैंने अुन्हें यहां पेरा किया है।

बौद्धिक शिक्षणके खिलाफ चाहे जितने आरोप लगाये जाय, फिर भी यह निश्चित है कि आज शालाओंमें बित्त प्रकारके शिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। अँक तरफ यह कहा जा सकता है कि बुद्धिकी जितनी महिमा गायी जाय अुतनी थोड़ी है; दूसरी तरफ आजका बौद्धिक शिक्षण दोषभग मालूम हुआ है। बिन दो परस्पर विरोधी बातोंका कारण जाननेकी जरूरत है। जिन विचारसरणीका मैंने जिन्द्रियोकी और कल्पनाशक्तिकी तालीममें अुपयोग किया है, अुनी विचारसरणीमें मैं बौद्धिक शिक्षणके प्ररन पर भी विचार करना चाहता हूँ। वह है अनुभव और कल्पनाके बीचका भेद स्पष्ट करनेवाली विचारसरणी।

बुद्धिका विचार करनेके लिये अत-करणकी शक्तियोंका ज्यादा सूक्ष्म विचार करना होगा। पाठक यदि धीरजके साथ यह विचार करनेके लिये तैयार होंगे, तो ये लेख समझनेमें अुन्हें कोई कठिनाधी नहीं होगी।

अन्त-करणकी तीन शक्तियोंके लिये आम तौर पर बुद्धि जैसा अँक ही शब्द काममें लिया जाना है। ये तीन शक्तियाँ हैं प्रज्ञा, तर्क

अंग निर्णय-शक्ति । जिनमें से तीनही शक्तियों ही बुद्धिके नामसे पहचानना ठीक है । और जिन जेसोमें अब बुद्धिका जय निर्णय-शक्ति ही गमयना चाहिये ।

जिन तीन शक्तियोंमें से आजके शिक्षणमें जिसे महत्त्वका स्थान प्राप्त हुआ है, और जो होना मनोपजनक नहीं मालूम होना, वह तर्क शक्तिकी मालीम है । और तार्किक तालीम ही प्रायः बौद्धिक तालीमके नागसे पहचानी जाती है ।

अब हम जिन तीन शक्तियोंके स्वरूपकी जान करें । जिन शक्तियोंकी मददसे हम शक्कर अंग गुठके स्वादका, गा और रे की व्याख्या, गुलाब और मोगरेकी गुणगता, ठडी और गरम चीजके स्पर्शका, लाल और गुलाबी रंगका तथा दया और रोहती भावनाका भेद पहचान सकते हैं, वह हमारी प्रजाशक्ति है । प्रजाशक्तिके कार्यमें दो क्रियाएँ होती हैं पहली, अन्द्रियो या भावनाके किसी प्रकारके अनुभव (या वेदना या सम्कार) या अवलोकन (अथवा निरीक्षण या ग्रहण) ; और दूसरी, अभी बगते हमारे अनुभवोता स्मरण करने अन्के साथ तुलना । हम शक्करका अनुभव कर चुके हैं ; अब अनुभवोता हमने याद रखा है । वारमें हम गुठका अनुभव करते हैं । दिमागकी मगजूमें जिन दो अनुभवोंके बीच तुलना होती है, और ये दो अनुभव अलग अलग हैं, अन्ना मालूम होने पर दोनोंको हम अलग अलग नाम देते हैं । जिन तरह एक होगियार बाँतना दोनो चट्टरमें से बड़ी तीरीने अंग प्रकार (कपान) की मददके बिना अंगे गोल टुकड़े काट लेता है अभी तरह नाशरप तीन पर ये दो क्रियाएँ (तथा अनुभव और फिरले अनुभवके साथ अन्ही तुलना) जिनकी तीरीमें होती है कि लेनी दो अलग क्रियाएँ तीरीका हमें मान ले नहीं गता । लेकिन अंग नाम लेने अंगे तिनो अन्मीतो अरु हमने समझो बाद हम लेते हैं ; वह हमें पहचाननेमें हमें जिन तरह अभी अभी गायो जला करना पता है अन् हमने जिन दो क्रियाओका भेद मालूम होता है ।

जिन प्रजाशक्तिके अनुभवोता मगज मालूम है अन् उनके स्वरूपको पहचानने को मालूम हो जाता है । अन्तर्गतमें अनुभव होता है और

तुलनामें पिछड़े अनुभवका स्मरण । जिसलिये प्रजाशक्तिका आधार अनुभव है । जानेन्द्रिया और जानततु अनुभवको प्रजाशक्ति तक पहुंचानेवाले दून-मात्र हैं । जानेन्द्रियोमें जितनी खराबी होगी, श्रुतनी ही खराबी नहीं अनुभव करनेमें होगी । जिसलिये प्रजाशक्तिकी जड़ताका एक कारण जानेन्द्रियोकी खराबी हो सकता है । जानेन्द्रिया अनुभव लेनेमें जितनी भूल करेगी, श्रुतनी ही प्रजाशक्तिकी क्रिया भूलवाली होगी । प्रजाकी खराबीके जिसके सिवा दूसरे कारण भी हैं, जिन पर आगे विचार किया जायगा । लेकिन जिस परसे हम प्रजाके दो भाग कर सकते हैं - ऋत (अथवा मत्त्य) प्रजा' और अनृत (अथवा अमत्य) प्रजा । प्रजाका आधार अनुभव है यह ध्यानमें रखें, तो अनुभवके यथार्थ अनुभव' और अयथार्थ अनुभव जैसे दो भेद होंगे ।

प्रजाशक्तिका कार्य अनेक प्रकारसे होता है । जिसलिये ऋत प्रजाको अलग अलग बताना कठिन है । लेकिन अनृत प्रजाको दिखाकर ऋत प्रजाकी बाकी निकाली जा सकती है । प्रजाशक्ति अवलोकन और स्मृतिकी महायतामें कार्य करती है, जिसलिये यह स्पष्ट है कि अिन दोनोंमें से एककी भी अयथार्थना प्रजाको अनृत बना सकती है । अिन तरह अनृत प्रजाके निम्नलिखित प्रकार होने हैं :

(१) जानेन्द्रियोकी कुदरती स्वामीके कारण होनेवाले अयथार्थ अनुभव । (जैसे, कम-ज्यादा अनापन, बहरापन वगैरा ।)

(२) बाहरी निमित्तों, कामक्रोधादि विकारों, अेकाग्रताके अभ्यास वगैरामें उत्पन्न होनेवाला विपर्यय-ज्ञान (hallucinations): अुदाहरणके

१ अधिक निश्चिन शब्दोंका प्रयोग करना हो, तो ऋत प्रजाके ध्यान पर नाबधानता-सूचक ऋतभंग (अनिश्चय संत्यांशवाली) प्रजा बहना चाहिये ।

२ 'मत्त्य अनुभव' ये शब्द पर्यायवाचक जैसे हैं और 'अमत्य अनुभव' परम्यन् विरोधी शब्द मान्लूम होने हैं । जिसलिये अनुभवको मत्त्य या अमत्त्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि यथार्थ या पूर्ण और अयथार्थ या अपूर्ण कहना चाहिये ।

(४) निद्रा या तन्द्राके कारण वस्तुओंका अयथार्थ अवलोकन।
अिममे अवलोकन और स्मृति दोनोंकी अयथार्थता है।

(५) स्मृतिदोषके कारण होनेवाली अनृत प्रजा : बुदाहरणके लिये, पढ़ते देखे हुए आदमीको न पहचानना या अुमे कोअी दूसरा आदमी मान लेना। विपर्यय-ज्ञानमें जो कारण होते हैं, वैसे कोअी कारण यहां मालूम नहीं होते; केवल स्मृतिके जाग्रत न होनेका ही दोष रहता है।

अिम प्रकार, ज्ञानेन्द्रियोंकी, ज्ञाननंतुओंकी और स्मृतिकी जाग्रति और सूक्ष्मता हो, तथा अुनकी खामी या कठिनाअी पैदा करनेवाले बाहरी निमित्त, कामक्रोधादि विकार, विकल्पोंके संस्कार तथा निद्रा, तद्रा वर्गग विघ्न न हो, तो कहा जा सकता है कि प्रजा ठीक कार्य करनी है, मृत्युकी ओर मुडी हुअी है। ऋत प्रजाके मार्गमें नवमे बड़ा विघ्न विकल्पोंके मन्कारोंका होना है। दूसरे नव विघ्न तो आते-जाते रहते हैं। लेकिन कल्पनाके मन्कार जब तक अुन्हींके मंत्रंघमें विचार न किया जाय तब तक, गहरी जड जमाये रहते हैं। कअी बातोंमें हमारे अँटिक हानि-लाभका मंत्रंघ अिन मन्कारोंके साथ होता है, और अिसलिये विकल्पोंका हम प्रयत्नपूर्वक पोषण करने हैं। बहुत बार फर्क भी किया जाता है तो सिर्फ अितना ही कि अेक विकल्पको हटाकर अुनके स्थान पर दूसरा रख दिया जाता है। विकल्पोंके संस्कारोंका पूरणरूपने नाश किया जा सकता है या नहीं, यह अेक प्रश्न ही है। अिनलिये केवल दो मार्ग रह जाते हैं विकल्पोंकी निरंतर शुद्धि की जाय और विकल्पोंको विकल्पोंके रूपमें ही पहचाना जाय। बुदाहरणके लिये, बाहरमे अेकमे दिखाअी देनेवाले ब्राह्मण और अष्टनशो देवकर सनाननी हिन्दूको दो अलग प्रकारके अनुभव होते हैं; अेकके प्रति पूज्यभावका और दूसरेके प्रति अग्नि या घृणाका। किनीके लिये पूज्यभावका संस्कार जाग्रत होनेमें दोष नहीं है लेकिन अरुचि या घृणाका संस्कार दोषपूर्ण है। अिनलिये अिमके मंत्रंघमें पोषित विकल्पको शुद्ध करना पड़ता है।

प्रजाके ऋत और अुनके अत्यावा पर अंग अपर जैसे दूसरे भी दो भेद हो सकते हैं। ज्ञानेन्द्रियोंके विपर्ययके भेदोंको पहचाननेवाअी

प्रज्ञा अपर है। ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि और सूक्ष्मताके अनुपातमें प्रज्ञाकी सत्यता और असत्यतामें फर्क पडता है।

अन्त करणके विषयोको पहचाननेवाली प्रज्ञा पर है। अन्त.करणके विषय ये हैं :

(१) हर्ष-शोक, सुख-दुःख, राग-द्वेष, दया-वैर आदि वृत्तिया।

(२) ज्ञानेन्द्रियो द्वारा अनुभव किये हुअे विषयोंके प्रत्यक्ष जैसे स्मरण, अुदाहरणके लिअे, स्वप्न, भास आदि।

(३) अनुभवोके अभावोके स्मरण अुदाहरणके लिअे, निद्रा, मूर्छा, चित्तका लय आदि।

(४) सुने हुअे या श्रद्धासे माने हुअे अथवा तर्कसे अपुजाये हुअे विषयोकी कल्पनाका साक्षात्कार।

(५) सचमुच अनुभव किये हुअे नही, बल्कि किसी प्रकारके भ्रमसे अनुभव किये हुअे विषय, जैसे 'सन्निपात, नगे वगैरासे होनेवाले भ्रम।

अन्त.करणके विषयोको पहचाननेवाली प्रज्ञाओमें मे अन्तिम दो अनृत प्रज्ञायें हैं, और पहली तीन स्मृतिकी शुद्धिके अनुसार कम-ज्यादा ऋत है।

जब तक अनृत प्रज्ञाके विषयोमें सत्यताकी भावना रहती है, तब तक बुद्धि अदुद्ध रहती है और ऋत प्रज्ञा तक दृष्टि ही नही पहुचती। यानी प्रज्ञाके जैसी-कोसी अनुभवमूलक शक्ति है, असा भान ही नही होता। हम स्वादो और स्वरोको पहचानते हैं, वृत्तियोवा अनुभव करते हैं, लेकिन यह सब अुन विषयोके साथ अेकरूप होकर ही। जिसकी बदौलत यह सब पहचाना जाता है, अुन प्रज्ञा तक हमारा ध्यान ही नही जाता।

अमी यह प्रज्ञाशक्ति हैं। वह हमारे शरीरमें रहनेवाली अनुभव लेनेकी और पहलेके अनुभवोके नाय नये अनुभवोकी तुलना करनेकी शक्ति है। अुनके नाय होनेवाले विकल्पवृत्तिके सयोगको हम दूर कर सकें, तो कहा जा सकना है कि प्रज्ञा केवल प्रत्यक्ष प्रमाणकी वृत्ति या शक्ति है। अनुभव ही जिन शक्तिका आधार-स्तम्भ है। अपर प्रज्ञाकी सूक्ष्मता और शुद्धिके वाघार पर भौतिकशास्त्रोका विज्ञान

हुआ है। पर प्रजाके विक्रम और परिचयके प्रयत्नमें से मानसशास्त्र और राजयोगकी उत्पत्ति हुई है। और तत्त्वज्ञान भी अधिकतर विनी शक्तिका विचार करके आगे बढ़ता है। ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि (रमवृत्ति नहीं), कल्पनाशक्तिकी योग्य तालीम और सद्भावनाओंकी सूक्ष्मता विम शक्तिके विकासमें महत्त्वके अंग हैं।

१०

तर्कशक्ति

माधारण भाषामें हम तर्क शब्दका दो अर्थोंमें उपयोग करते हैं। जहाँ धुआँ दिखायी देता है वहाँ अग्नि होगी, ऐसा जो अनुमान हम निकालते हैं वह एक प्रकारका तर्क है। स्वर्ग और नरक, यमराजकी न्याय-पद्धति, जीश्वरके यहाँका राज्य-विधान, श्रेष्ठ धाम वगैरा कैसे होंगे, अिन विषयकी कल्पना दूसरे प्रकारके तर्क है।

अब हम देखें कि अिन दो प्रकारके तर्कोंमें क्या भेद है। जहाँ धुआँ है वहाँ अग्नि होनी चाहिये, अिस अनुमानमें धुआँको एक जगह देख कर (अनुभव करके) हम भूतकालमें बार बार हुअे अपने अिस अनुभवको याद करते हैं कि जहाँ धुआँ होता है वहाँ अग्नि होनी ही है; और अिन दो अनुभवों परसे धुआँवाली जगह पर किस वस्तुका अनुभव होना चाहिये, अिमकी कल्पना करते हैं। अिस कल्पनाके नञ होनेमें कोई टका अुठावे, तो हम अुसे अुस जगह ले जाकर अग्निकी प्रत्यक्ष दिखा कर विश्वास कर सकते हैं।

अवलोकनमें हम किनी पदार्थका साक्षान् — प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, अुनके माय स्मृतिके मिलनेसे वह प्रजा हो जाता है, और प्रजाने हम अिन अनुभवका नाम निश्चित करने हैं। अुमके बाद स्मृतिको ज्यादा ताजा करने यह मोचने है कि अिम अनुभव किये हुअे पदार्थके माय दूसरा तानमा पदार्थ अिनवाँ रूपमें होना चाहिये। यह तर्क या विचार ही अनुमान है। अनुमान नञ्चा है या नहीं, अिमका आधार अुसकी प्रत्यक्ष

अनुभव करानेकी शक्ति पर होता है। प्रत्यक्ष अनुभव किये जानेवाले पदार्थको पहचाननेमें हमारी कोजी भूल हो रही हो -- अर्थात् हमारी प्रज्ञा अनृत हो, या अुसके साथ दूसरा कौनसा पदार्थ होता है, बिस सम्बन्धकी हमारी स्मृतिमें कोजी दोष हो -- तो हमारा अनुमान गलत होगा; यानी अुसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकेगा। दूसरे शब्दोंमें कहे तो घुअें और अग्निका अमुक तरहका साथ वार वार अनुभव किया होनेसे घुआ हो वहा अग्नि होनी चाहिये, अैसी जो अत्यन्त सभवनीय श्रद्धा वधती है वह अनुमान है। सच्चा अनुमान अेक अैसी श्रद्धा है, जिसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण पा सकते हैं। लेकिन अुसे पाना आप बिस क्षण जरूरी नहीं मानते, क्योकि आपको अपने भूतकालके अनुभवोंकी स्मृति पर पूरा विश्वास है। यह अनुभव कहिये, तर्क कहिये, या श्रद्धा कहिये -- सब भूतकालके अनुभवके आधार पर वधा हुआ आत्म-विश्वान है और बिनकी परीक्षा प्रत्यक्ष अनुभव लेकर की जा सकती है। जो अनुमान, तर्क या श्रद्धा प्रत्यक्ष अनुभव करानेकी कसौटी पर खरी न अुतरे वह सच्ची नहीं है। *

अब हम दूसरे प्रकारके तर्कोंका विचार करे।

* प्रमाणशास्त्रकी दृष्टिसे जितनी कसौटी काफी नहीं होती। हमने जिम आदमीको हमेशा काला कोट पहनते ही देखा हो, अुसे हम अेक जगह बैठा हुआ देखते हैं। और अुस परसे यह अनुमान करते हैं कि वह काला कोट पहनकर ही आया होगा। हमारा यह अनुमान प्रत्यक्ष जांच करने पर सच्चा साबित हो, तो भी प्रमाणशास्त्रकी दृष्टिमें यह कसौटी काफी नहीं है। प्रमाणशास्त्र तो अुनी अनुमानको मच्चा कहता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण केवल आज ही नहीं, बल्कि किसी भी समय वैना हा मिल सके। काले कोटका अनुमान दस वार मच्चा साबित हो, तो भी हर वार वह केवल नभवनीय वस्तु होता है, सच्चा अनुमान नहीं। जिनलिअे जो निशानी देखकर हम अनुमान करे, अुन निशानी और अनुमानके बीच किसी तरहका कार्य-कारण-भाव जैना दृढ़ सबध होना चाहिये।

देवताओंकी राज्य-पद्धति, बिन्द्रकी राजधानी, देवोंके भोग-विलास वगैरके बारेमें अलग अलग धर्मके लोगोंमें अलग अलग मान्यता बली आती है। देवलोकके अस्तित्वके बारेमें हमें श्रद्धा है और अमके स्वरूपके बारेमें हमें अनुमान है।

धुअँवाली जगह पर अग्नि होनी ही चाहिये, अँमी श्रद्धा बवनेका कारण हमारा पहलेका यह अनुभव है कि जहा जहा हमने धुआ देखा है, वहा वहा अग्नि भी देखी है। और धुअँकी निशानीसे हमें अग्निका अनुमान होता है।

देवलोकके अस्तित्वमें सबंध रखनेवाली श्रद्धा अिमने भिन्न प्रकारकी है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं, उनका फल हमें न मिला हो तो वह मिलना ही चाहिये, अँमी हमें अच्छा और आशा भी होती है। हम अपने मनको अिन तरह समझाते हैं कि अिस लोकमें अगर हमें अच्छे कर्मोंका फल न मिला, तो अँमी कोई जगह हाँनी चाहिये जहा वह हमें मिलेगा। अँरं अिन आग्वासनमें से देवलोकके अस्तित्वमें हमारी श्रद्धा बवनी है। यह श्रद्धा होनेमें शायद अँमें दूसरे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अिन मारे कारणोंकी जाच करनेमें मालूम होगा कि अुनमें पहलेके अनुभव और किमी प्रकारकी प्रत्यक्ष निशानी कारण-रूप नहीं है।

अुसी प्रकार देवलोकके स्वरूपके बारेमें हम जो अनुमान बावने हैं, वे हमारी आशाअँ हैं। हमें यह दुनिया मत्र तरहसे अच्छी नहीं लगती। हमें सब अनुभव अच्छे ही मिलें अँसी अति तृष्णा होती है। किमें अच्छा और किसे बुरा कहना, अिस विषयमें हमारे मस्कार अलग अलग होते हैं। हमारी तृष्णाके अनुमार हमें जो अच्छांमें अच्छी लगे, वँमी किमी सृष्टिके साथ देवलोकको जोडकर हम देवलोकके स्वरूपकी कल्पना करते हैं। अिममें भी पहले अनुभव की हुआ किमी प्रत्यक्ष निशानीमें देवलोकके अिन स्वरूपका अनुमान हुआ है, अँमा नहीं कहा जा सकता।

कोअी गंकाशील मनुष्य धुअँवाली जगहमें अग्नि होगी अँमा माननेको तैयार न हो, तो हम अुने वहा ले जाकर प्रत्यक्ष अग्नि दिवा सकते हैं।

लेकिन देवलोकके बारेमें अुसे जिस तरहका विश्वास हम तब तक नहीं कर सकते, जब तक अुसके चित्त पर हमारा कावू न हो जाय।

जिस तरह देखनेसे मालूम होगा कि तर्कशक्तिका सच्चा क्षेत्र वही तर्क हो सकता है, जो पहलेवे अनुभवो पर रचा गया हो, जिसके मूलमें कोअी प्रत्यक्ष निगानी हो और जिसका प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सके।

जिस प्रकारका यह तर्क यदि वर्तमान कालकी किसी वस्तु या घटनाके बारेमें हो, तो अूनकी प्रत्यक्ष प्रतीति तुरन्त ही मिल सकती है; भविष्यकालके बारेमें हो, तो भविष्यमें मिलनी चाहिये। यह तर्क यदि परोक्ष भूतकालने मन्वन्व रखनेवाली किनी बातके बारेमें हो, तो अुसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना अनभव है। जिसलिअे अैसे तर्कोंके बारेमें ज्यादामे ज्यादा सावधानी यही रखी जा सकती है कि वे अपने समयके अनेक अनुभवोके आघार पर रचे हुअे हो। लेकिन चाहे जितनी सावधानी क्यो न रखी गयी हो, फिर भी परोक्ष भूतकालके बारेमें निफं अितना ही कहा जा सकता है कि नभवतः अैसा हुआ होगा। निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। अुसी प्रकार प्रत्यक्ष जीवनके द्वारा अनुभव न किये जा सकनेवाले भविष्यके बारेमें सम्भवनीय आशा ही रखी जा सकती है।

अूपर द्विया हुआ धुअें और अग्निका अुदाहरण विलकुल सादा है। लेकिन हम जीवनमें तर्कशक्तिका अुपयोग बड़े कठिन विषयोकी खोजमें करते हैं। जिन विषयोका पहले अनुभव न किया गया हो, अैसे विषयोकी खोजमें भी तर्कशक्तिका अुपयोग किया जाता है। अुदाहरणार्थ, रनायनगास्त्रियोने कुछ न देखी हुआ अानुअोंके अस्तित्वके बारेमें पहले तर्क किया और बादमें अुन्हे खोजा। ज्योतिषियोने धुरेनस और नेपच्युनको देखनेने पहले अुनके अस्तित्वके विषयमें तर्क किया। जिस तरह तर्कशक्तिका व्यापार नीवा-नादा नहीं है।

फिर भी जिस व्यापारका चाहे जितना विकास किया जाय और वह चाहे जितना पेचीदा हो तो भी, यदि यह चीज हमेशा ध्यानमें रखी जाय कि पग-पग पर अुनका आघार अनुभव पर ही होना

चाहिये और उसके फलस्वरूप जो तर्क हो उसे भी अनुभवसे सिद्ध करना ही चाहिये, तो अनेक वाद-विवाद, मत-मतांतर, भ्रम वगैराके झगड़े कम हो जायं और तर्कशक्तिका उपयोग वकीलोकी तरह अपने अपने पक्षोंके समर्थनके लिये नहीं, बल्कि सत्यकी खोजके लिये ही हो। जिस प्रकारकी तर्कशक्तिकी तालीम लेनेवाले या देनेवालेके लिये कभी अमन्तोपजनक नहीं मावित होती।

हम अपने मनमें बातचीत चलानेका जो व्यापार करते हैं, उसे मात्रारण तौर पर हम कल्पना, विचार वगैरा नामोंसे पहचानते हैं। यह स्यूट दृष्टिमें ही सच है। सच पूछा जाय तो प्रजाके अधिक अटपटे व्यापार द्वारा विचार पहले पैदा होते हैं और बादमें भाषा द्वारा वे कठमें रखे जाते हैं। जिस तरह प्रजाशक्तिको पहचाननेकी हद तक हमारी दृष्टि नहीं पहुचती, उसी तरह प्रजाका व्यापार भी हमारे अवलोकनमें नहीं आता। और उसका कारण यह है कि अपने अन्त कर्णकी शक्तियोंका उपयोग सत्यकी शोधके लिये ही करनेका और अपनी श्रद्धाओंको अनुभवसे सिद्ध करनेका हमारा आग्रह नहीं होता, बल्कि चित्तके रागद्वेषोंको पोषनेका ही हमारा आग्रह होता है।

विश्वानके लायक मनुष्यके (या शास्त्रोंके) शब्द किम हद तक माने जाने चाहिये, जिसका सम्बन्ध अिन विषयके साथ ही होनेमें जिस वारेमें दो शब्द कहकर मैं तर्कशक्तिका विषय पूरा कर दूंगा।

जिस प्रकार तर्क—अनुमानका आधार पहलेका अनुभव और वर्तमानमें प्रत्यक्ष देखी हुई निगानी होती है, उसी प्रकार दूसरेका शब्द भी उसके द्वारा किया हुआ अनुभव ही है। हम सब सन्धियाको खुद खाकर या किसीको खिला कर यह विश्वास नहीं करते कि वह जहन है, लेकिन विश्वास करने लायक मनुष्योंके वचनमें विश्वास रखते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने अपने अनुभव किये हैं और किसी-लिये यह कहा है। लेकिन जिस तरह अेकाध तर्कके वारेमें किसीको श्रद्धा न बैठे तो वह अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकता है, उसी तरह यदि किसीको सन्धियाके जहन होनेके वारेमें विश्वास न बैठे तो उसके लिये सन्धिया चाकर अनुभव लेनेका दरवाजा खुला है। जिस प्रकार

तर्ककी अन्तिम कसौटी अनुभवसे की जानी चाहिये, असी प्रकार दूसरेके शब्दोकी कसौटी भी अनुभवने ही की जानी चाहिये। जो चीज अनुभवमे अतारी जा सकती है, उस चीजकी तरफ ले जाना ही शब्दप्रमाणका सच्चा अुपयोग है, और अितना ही अुसका सच्चा अुपयोग है।*

* पाठक देखेंगे कि मैं सच्ची और दृढ श्रद्धा अुमीको कहता हूं, जिमका आधार अनुभव पर हो। साधारण तौर पर हमे अैसा अुपदेश मिलता है कि “श्रद्धा रखो तो अनुभव होगा।” अिसमें अनुभवसे पहले श्रद्धाकी माग की जाती है। सच पूछा जाय तो अुपदेशकको अैसा कहना चाहिये . “आप अिसे मान न सकें तो अनुभव कीजिये। अुससे श्रद्धा वैठेगी। या धीरज रखिये, आपको यह अनुभव होगा, मेरे या दूसरे किमीके शब्दोको ही मान लेनेकी जरूरत नहीं।” लेकिन “श्रद्धा रखो तो अनुभव होगा” यह वाक्य दूसरे अर्थमें सच भी है। वहां “श्रद्धा रखो” का अर्थ होगा “अनुभव लेनेके लिये लगनसे परिश्रम करो।” अगर कोअी कहे कि ‘सामने जहा धुआ निकलता है, वहीं अग्नि होगी ही यह मैं नहीं मानता’, और अपनी अिस मान्यताके लिये अुसका अितना आग्रह हो कि त्रिग्वाम करनेके लिये वह हमारे नाय आनेसे भी अिनकार करे, तो अुसे अनुभव नहीं कराया जा सकता। अुमे धुअेंकी जगह जानेका कष्ट करने जितनी श्रद्धा (या अश्रद्धाका अभाव) रखना चाहिये। लेकिन श्रद्धाके अिस अर्थमें वधनका, निश्चयका या कृतार्थताका भाव नहीं है। दूसरे प्रकारकी (अनुभव-निद्ध) श्रद्धामें निश्चय या कृतार्थताका भाव है। लेकिन “श्रद्धा रखो” के नावारण अुपदेशमें वधनका भाव है।

बुद्धि

प्रज्ञा और तर्कके बीचका भेद अच्छी तरह समझ लिया गया हो, तो बुद्धिशक्तिको पहचाननेमें ज्यादा आसानी होगी। बुद्धिको मने निर्णय करनेवाली शक्ति कहा है।

तर्कशक्ति और बुद्धिके बीचका भेद पहले स्पष्ट होना चाहिये। सामान्य भाषामें हम तर्कको भी निर्णय ही कहते हैं। धुंभेवाली जगह पर अग्नि है, असा तर्क होता है। असे हम सामान्य भाषामें असा भी कहते हैं कि 'वहा अग्नि है असा मैं निर्णय करता हूं', और कहते हैं कि यह बुद्धिका व्यापार है।

लेकिन किसी जगह अग्नि है असा तर्क होनेके बाद, वहा आग लगी है अिसल्लिअे दीडकर जाना चाहिये, यह निर्णय होनेके बीच दूसरे मानसिक व्यापार होने है। और ये बुद्धिके व्यापार है। जिसकी बुद्धि जाग्रत न हो, परन्तु केवल तर्कशक्ति ही जाग्रत हो, अमकी वृत्ति अग्नि है असा तर्क करनेके बाद अान्त हो जाती है।

कर्मन्द्रियका व्यापार करनेकी प्रेरणा होनेके पहले अुपयोगमें आनेवाली शक्ति बुद्धि है, असा भी साधारण तौर पर कहें तो चल मकना है। अांअी काम करनेकी अिच्छा हो, अुसके पहले बुद्धिको जाग्रत होना पडना है। मही या गलत रूपमें बुद्धिका कार्य पूरा होनेके बाद ही कर्म करनेकी प्रवृत्ति होती है।

कुछ अुदाहरणोंसे यह चीज स्पष्ट हो जायगी। रास्तेमें जाते दूअे अेक नाला आना है। हम अुने कूद कर लाघ जानेकी अिच्छा करते हैं। दो क्षणके लिये गटे गहकर हम नालेकी चौडाअी देखते हैं, आगपागकी जगह देखते हैं और फिर मनमें निश्चय करते हैं कि अमूक जगहने नालेको आघना ज्यादा आसान होगा। फिर हम वहा जाकर गटे रहते हैं और कदनेके लिये कितना जोर लगाना होगा अिसका मनमें निर्णय करने

है। जिस निर्णयको हम भाषामें व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन अपने मनमें हम अुमे अच्छी तरह समझ सकते हैं। निर्णय होते ही जरूरी जोर लगाकर हम छलांग मारते हैं। मनका यह सारा व्यापार ज्यादा अभ्यससे अेक क्षणमें हो जाय या अुनमें देर लगे, लेकिन अैसा कोअी व्यापार हरअेक काम करनेसे पहले हमें करना पड़ता है।

कभी हम अैसे निर्णय पर पहुंचते हैं कि नालेको कूदकर लाघने जितना जोर हम नहीं कर सकते; जिसलिअे हम लाघनेका प्रयत्न नहीं करते। अैसे निपेधात्मक निर्णयमें सच पूछा जाय तो बुद्धि पूरा काम नहीं करती, कितना जोर लगाना होगा जिसका निश्चय वह नहीं कर पाती, बल्कि अैसा अपक्व निश्चय या शका करके रुक जाती है कि हम जितना जोर लगा सकते हैं वह नाला लाघनेके लिअे काफी नहीं होगा।

अेक दूसरा अुदाहरण लें।

असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ है। नेतागण सरकारी स्कूल-कॉलेज छोड देनेकी प्रेरणा करते हैं। हमारे मनमें कुछ विचार—आवेग पैदा होते हैं। मनमें कुछ—भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सकनेवाला—निर्णय होता है और हम सरकारी स्कूल या कॉलेज छोड देते हैं। यह निर्णय कनेमें हम कुछ अपनी भावनाअोका निरीक्षण करते हैं, कुछ अपने आमपासकी परिस्थितियोंका निरीक्षण करते हैं, कुछ कल्पनायें करते हैं, और तर्क दौडाते हैं, अपनी ताकतकी जाच करते हैं, और अन्तमें छोडनेके निर्णय पर आते हैं। यह निर्णय बुद्धिने सही किया हो या गलत, लेकिन अुसने कार्य किया है।

दूसरा आदमी अैने ही सारे मनोव्यापार करनेके बाद जिस निर्णय पर आता है कि शालाका त्याग नहीं करना चाहिये, जितना ही नहीं, अिम बातका विरोध करना चाहिये, और वह अैमा करनेमें लग जाता है। अुमने भी नहीं या गलत तौर पर बुद्धिका व्यापार चलाया ही है।

लेकिन अेक तीसरे आदमीके मनोव्यापार किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते। असहयोगकी प्रवृत्ति अुससे हो नहीं सकती, वह विरोध करने जैसी है, अिमका भी निर्णय वह नहीं कर पाता। कहा जा सकता है कि यहां बुद्धिका व्यापार अचूरा रहता है।

तात्पर्य यह कि बुद्धि निर्णय करनेवाली शक्ति है; और यह शक्ति अपना पूरा पूरा काम करे, तो किसी भी कर्ममें हमारी प्रवृत्ति* होनी चाहिये। यह मनकी शक्ति है, बाणीकी नहीं। प्राणीमात्रमें यह शक्ति कम-ज्यादा रूपमें खिली हुयी होती है।

यदि जिस शक्तिको ही हम बुद्धिके रूपमें पहचानें, तो जिस बुद्धिकी तालीम अत्यन्त विष्ट वस्तु है।

अब तीन बातोंका विचार करना रह जाता है. १. पांडित्य और बुद्धिके बीचका भेद, २. बुद्धिकी तालीमके अंग, और ३. बुद्धिके निर्णयकी न्यायमत्यता जाननेका मार्ग अथवा बुद्धिशक्ति सही दिशामें ही काम करे जिस तरहकी अुसकी तालीम।

पहले हम पांडित्य और बुद्धिके बीचका भेद नमझ लें।

मान लीजिये, दो भायी आपसमें जिस प्रश्नकी चर्चा करते हैं कि जगत् सत्य है या मिथ्या। और चर्चाके अन्तमें एक कहता है कि जगत् सत्य है और दूसरा भायी कहता है कि जगत् मिथ्या है। मान लीजिये कि जिस चर्चामें दोनोंका आचार पुराने शास्त्र और आचार्योंके भाष्य है और अुन शास्त्रों और भाष्योंका अर्थ लगानेके फलस्वरूप ही अैमे दो पक्ष हो जाते हैं। किन्ती न किन्ती तरह एक भायी जगत्को सत्य ठहराकर अलग होता है और दूसरा भायी जगत्को मिथ्या ठहराकर अलग होता है।

मान लीजिये कि जिस निर्णयके फलस्वरूप दोनोंके जीवनमें कौञ्ची फल नहीं पडता। जैसा पहले चलना था वैसा ही दोनोंका जीवन चलना रहता है। जगत्को सत्य माननेवाला भायी जगत्में चिरकाल तक कायम रहनेवाला कौञ्ची लाभ प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता और अुमे मिथ्या माननेवाला तुच्छ-सी चीजको भी छोड़ नहीं सकता।

* कौञ्ची चल रहा काम करते-करते एक जाना या जो काम किया जाना है वह ठीक ही है अैसा बार बार निर्णय होना और जिस कारणसे अुनमें ज्यादा दृष्टता आना भी कर्ममें प्रवृत्ति ही बढी जायगी। प्रवृत्तिके विस्तारकी अमुक मर्यादा ही होनी चाहिये, अैसा नहीं।

यह सारा व्यापार केवल पांडित्य है, बुद्धि नहीं। क्योंकि पहले तो दोनोंका व्यापार केवल शाब्दिक है। अंशमें जगत्को स्वयं जाचकर निर्णय करनेका प्रयत्न नहीं है। हमारे, जिम शाब्दिक निर्णय पर वे पहुंचते हैं, अंशके फलस्वरूप भी अंशकी प्रवृत्तिमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

ऐसा वाणी-विलास बुद्धिका निर्णय नहीं है।

अिसी तरह, मान लीजिये कि हम रमायनशास्त्री नहीं हैं, कभी प्रयोग करके देखनेका हमारा विचार नहीं है, और फिर भी हम अिम चर्चामें पड़ते हैं कि कोयला और हीरा अेक ही तत्त्व हैं या अलग अलग। दोनों अेक तत्त्व हैं, अैसा ठहराकर हम हीरेको निगडोमें डालनेवाले नहीं हैं और दोनोंको अलग तत्त्व ठहराकर भी कोई प्रयोग करनेवाले नहीं हैं। अंत हमारी यह चर्चा केवल पांडित्य मानी जायगी, अिसमें बुद्धि नहीं है।

बुद्धि प्रत्यक्ष आ पडनेवाले कर्मको दिशा बतानेके लिये — हमारे प्रत्यक्ष जीवनको मार्ग दिखानेके लिये अुत्पन्न हुआ शक्ति है।

अब हम बुद्धिकी तालीमके अगोका विचार करें।

बुद्धिकी शक्ति प्रज्ञाशक्ति और तर्कशक्तिमें ज्यादा अूची है। अिसलिये यह कहनेकी जरूरत न रहनी चाहिये कि बुद्धिकी तालीमके लिये प्रज्ञा और तर्कशक्तिकी तालीम जरूरी है। अंग प्रज्ञा तथा तर्कशक्तिमें जितना असत्य होगा, अुतना बुद्धिके कार्यमें दोष आवेगा ही, यह भी स्पष्ट है। अिसके अलावा, बुद्धिके व्यापारमें हमारी कर्तृत्वशक्तिका, भावनाओंका तथा जीवनके नाय अेकग्रम बने हुए आजसे पहलेके निश्चयो और अंशके कारण दृढ बने हुए रागद्वेषोत्ता भी हिस्सा होता है।

प्रज्ञा और तर्कके दोष दूर हो गये हैं, अैना मानकर हम अलग अलग अुदाहरणोंके साथ अिनका विचार करें।

अेक नाराज हुए बालकको जिमानेके लिये अंशकी मा मनाने जाती है। अेक तरफ तो बालकमें स्वाभिमान और अंशके विचार हैं,

* दया, प्रेम, स्वाभिमान कुलाभिमान, मद, वैर अंश अंश, और्ष्या अदि अच्छी-बुरी भावनायें हैं।

दूसरी तरफ वह भूखमें व्याकुल है, और तीसरी तरफ मांके प्रति अमुका प्रेम है। असे यह निर्णय करना है कि स्वाभिमानकी रक्षा की जाय या खाना खाया जाय। अन्तमें भूखकी व्याकुलतामें कर्तृत्वकी भावना कम हो जाती है, मांका मनाना विकारोंको शान्त कर देता है और वह खानेका निर्णय करता है।

एक आदमी रातमें घुसा देखकर यह तर्क करता है कि फग घरमें आग लगी है; लेकिन वह अघरेमें डरता है और अिन कारणमें कुछ न करके बैठा रहता है।

दूसरा आदमी डरता नहीं और वहां जाता है। जाते जाते अुमें मालूम होता है कि अिन घरको आग लगी है वह अुनके शत्रुका घर है, यह सुनते ही वह लौट आता है।

तीसरा आदमी जाना है और शत्रुके घरको आग लगी है यह देखता है। लेकिन अुमें कुछ दयाकी, शत्रु पर कुछ अुपकार करके अुमें अुपकारके बोझमें दवानेकी भावना पैदा होती है; अिनलिअे यह मदद करने दौड़ता है।

अिन अुदाहरणोंमें यह मालूम हाना है कि अलग अलग भावनाओं, अंतुत्व-शक्ति और रागद्वेषके बलोंने कारण अुद्विके निर्णयोंमें कैसा फर्क पटना है।

कुछ दूसरे ज्यादा अटपटे अुदाहरण लें।

'क' और 'प' अेक कपटेकी दुकानमें जाते हैं। दुकानदार हाय-क्ते मूनकी अेक मादी घोंती बनाता है। 'क' को लगता है कि मादी पहनना अच्छा है, लेकिन अुमें बागीक घोंती ही चाहिये; अिनके अन्धावा अुमें जामुनी रंगकी आमकी तिनारीवाली घोंती पहननेका शौक है। 'प' रंग, टिजाअिन और पोनेके वारेमें अुदासीन है। लेकिन अुमें 'गामी-मन' ने नफरत हो गयी है, अिनलिअे अुमने यह हठ पकड लिग है कि गाधी वहे वैसा हंगिअ न किया जाय। नतीजा यह है कि अलग अलग विचार होने अुअे भी दोनों हाय-क्ते मूनकी घोंती नहीं पहनें।

और अेक अुदाहरण लीजिये।

‘व’ और ‘ह’ रेलमें यात्रा कर रहे हैं। अंक आदमी डिब्बेके भीतर आनेकी कोशिश करता है। अंके चेहरे और पोगाकने दोनों यह अनुमान करते हैं कि वह कोअी अछूत जातिका आदमी है लेकिन सरकारी अफसर है। ‘व’ को अछूतके स्पर्शने कोअी अंतराज नहीं है और अस्पृश्यता-निवारणके लिये अंसका आग्रह भी है। ‘ह’ अिनके बहूत खिलाफ है। लेकिन अिनके साथ ही ‘व’ अिस बातको बडी चिन्ता रग्यता है कि खुदको बैठनेकी तकलीफ न हो। और फिर अुनने अंक अंगा मिद्वान्त बना लिया है कि अफसरोके नामने अकाडकर ही रहना चाहिये। अिनके विपरीत, ‘ह’ खुद चाहे जितना कष्ट अुठाकर भी किनीके लिये जगह कर देनेवाला है, और अफसरोके लिये अुसके मनमें अंगा भय रहता है कि वह ‘सत्ताके नामने सयानपन’ नहीं दिखानेकता।

फलस्वरूप ‘व’ अस्पृश्यता-निवारणमें विश्वास रखते हुअे भी अनी नुविधाके ख्यालमें और अफसरीमें द्वेष रखनेके कारण बैठनेवालेको अदर आनेसे रोकनेका प्रयत्न करता है, और ‘ह’ अस्पृश्यताको धार्मिक वग्नू मानने हुअे भी सौजन्य और भयके कारण अुने आनेने नहीं रोकता।

अिस तरह रागद्वेष, पहलेके निश्चित सिद्धान्त और वनृत्व — ये तीनी बुद्धिके निर्णयमें हाथ बटाते हैं। अिनमें से किनी अंगमें अगर कोअी दोष होगा, तो भी निर्णयमें दोष आयेगा। अिनमें अलावा, भीतर आनेवाला यात्री अछूत है या नरगारी अरिहारी है, यह अनुमान करनेमें कोअी गलती हुअी, तो भी निर्णयमें दोष आयेगा।

अिनलिये बुद्धिकी तालीमका अर्थ होगा प्रजा और तर्गन्तिनी तालीमके अलावा हमारे रागद्वेषोकी बुद्धि, पूवनिदान्तोकी वाग्द्वार परीक्षा और कर्तृत्व-शक्तिकी बुद्धि।

अब बुद्धि सही दिनामें ही काम करे अिन प्रकारकी अंगी तालीमका मार्ग विचारना चाहिये। यह प्रश्न अितना बडा है कि अिन विचार हमारे लेखमें करना ही ठीक होगा।

सत्य निर्णय

अब बुद्धि नहीं दिशामें ही काम करे, जिस प्रकारकी अुसकी तार्थिकका मार्ग विचारे।

बुद्धिकी अेक मर्यादा पहलेमे ही जान लेना आवश्यक है। मैं अेक बार फिर यह याद दिला दू कि बुद्धिका अर्थ है निर्णय करनेवाली शक्ति। किसी प्रसंग पर मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिये, यह निर्णय करनेके लिये जो मानसिक व्यापार होते हैं, वे बुद्धिके व्यापार हैं। चूकि आ पडनेवाले अवसर पर ही बुद्धि काम करती है, अिनलिये अुसके निर्णयोंको तीनों कालोंके लिये सत्य मानना गलत होगा। स्थूल व्यवहारके निर्णय तीनों कालोंके लिये अेकमे होंगे हीं, अैसा नहीं कहा जा सकता। आज अेक बालकको मैं खेलनेके लिये प्रोत्साहन दू और कल अुमे खेलनेमे रोकू। आज मैं अेक बालकको आग्रहमे गिलाअू और कल अुमे ही भूखा रहनेको ममझाअू। आज अुमे विद्यामे अेकाग्र होनेको कहू और कल कर्ममे अेकाग्र होनेको कहू। आज मैं छुनहे रोगके रोगीके संसर्गमे अपनेको बचाअू और कल अुमी रोगीकी सेवा-शुश्रूषामें लग जाअू। आज जिस देशमें सरकार जुल्म करती हो अुम देशको छोड़ देनेका निर्णय नहीं माना जा सकता है, और कल अुम जुल्मको सहकर भी देशमें रहनेका निर्णय सही माना जा सकता है। जिस तरह बुद्धिके सारे निर्णय विशेष अवसरोंके लिये ही ठीक माने जा सकते हैं, और अवसरके भेदोंके कारण अैसे अेक-दूसरेके विरुद्ध निर्णय भी नहीं हो सकते हैं।

अेकिन अेक ही विषयमें अलग अलग आदमी अलग अलग निर्णयों पर पहुंचते हैं, तब दोनों निर्णय कैसे नहीं हो सकते हैं, यह प्रसंग सोचने जैसा है। गांधीजी स्वराज्यकी सिद्धिके लिये अेक मार्ग बतावें और श्री केलकर शायद दूमरा और अुममे अुलटा मार्ग बतावे, गांधीजी सिद्ध-समन्वयमानोंकी अेकनाके लिये अेक मार्ग सुझावें और श्रद्धानन्दजी या मिचट् दूमरा मार्ग सुझावें, गांधीजी अस्पृश्यता-निवृत्तियोंको धर्म रहें

और शास्त्री लोग उसे अधमं कहे, गाधीजी चरखेके गुणगान करें और कविवर रवीन्द्रनाथ उसका मजाक बुझायें। तो ये दोनों प्रकारके निर्णय अेक ही समयमें नही कैसे हो सकते हैं ?

बुद्धिका कार्य किस तरह होता है, जिन विषयमें पिछले प्रकरणोंमें जो कुछ कहा गया है, उसे देखनेमे जान पडेगा कि जहा जहा मत-भेद है, वहा वहा प्रजा (अवलोकन, अनुभव और तुलना), तर्क, राग-द्वेषो, पूर्वसिद्धान्तों और कर्तृत्व-शक्तिके भेद मौजूद हैं।

जिनमें मे प्रजा और तर्कके दोष प्रमाणोंमे दूर किये जा सकते हैं, कुछ हद तक रागद्वेषो और पूर्वसिद्धान्तों पर भी जिनका अमर पडेगा। लेकिन केवल प्रमाणोंमे रागद्वेषो, पूर्वसिद्धान्तों और कर्तृत्व-शक्तिके भेद टाले नही जा सकते। अंभी परिस्थितियोंमे माधारण मनुष्य कैसे जाने कि किसके निर्णयोंके पीछे रहनेवाले रागद्वेष विगुद्व हैं, पूर्वसिद्धान्त अचूक हैं और कर्तृत्व-शक्तिवाले हैं ? और वह अपने निर्णयोंकी नत्यता या अनत्यताकी जाच किस तरह कर सकना है ?

जिन प्रश्नोंके उत्तर देना भी बडा कठिन है, क्योंकि मैं किनी अेक रीतिके नही होनेका निर्णय कर, तो उस निर्णयके पीछे मेरे राग-द्वेषो, पूर्वसिद्धान्तों और कर्तृत्वका रग अवश्य होगा। जिनलिअे जिन निर्णयको मैं नत्य कहू, उसे अपने रागद्वेषादिकी दृष्टिमे ही नत्य कह सकता हू। जिनलिअे अभी तकके लेखोंमें जिन नटम्य-वृत्तिमे चर्चा करना सभव था, वह नटम्यता अब नही रह सकनी। जिनके माय मेरे राग-द्वेषादिका मेल बैठे, अभीको मेरे निर्णय नत्य मालूम हो सकने हैं। दूगरेको न भी मालूम हो।*

विकान-विचारके प्रकरणमे हम देखेंगे कि विकानके दो महन्वपूर्ण प्रकार हैं. १. प्राणका सूक्ष्म विकान, और २ गुण-विज्ञान। और दूगरे

* क्या जिनमे 'कि कर्म किमकर्मैति कवयांज्यप्र मोहिता।' कहना पडा होगा ? 'तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जान्वा मोक्षनेज्जान्वा।' अंना प्रतिपादन करने पर भी जिनो श्लोका अयं दैतानेमें और जिन परमे गीताका न्हम्य खोजनेमें कितना मतभेद है !

प्राणियोंमें मनुष्यकी विशेषता अमके गुण-विकासके कारण ही है। मत्र मनुष्य अंक ही योनिके प्राणी है, फिर भी अममें जो अपार विविधता देखी जाती है, अमका मुख्य कारण गुण-विकासका भेद है। मनुष्य मनुष्यतामें कितना आगे बढ़ा है, यह अमके गुण-विकाम परसे जाना जा सकता है।

गुणोंका वृद्धि पर मीथा अमर पड़ता है। मानव-जाति पर अपार प्रेम होनेके कारण ही गीतम वृद्ध 'यह ब्राह्मण है और यह शूद्र' के वचनोंको नहीं मान सके। दीनब्रंयु अन्धूज अिनी कारणमे अपने जातिभाअियोंके ही पक्षमें नहीं रह सकते। अंक-दो शुभ गुणोंका भी खूब विकाम हो जाय, तो वृद्धिको वचनमें रखनेवाले आवरण खुल जाते हैं। फिर वह नकुचित क्षेत्रमें ही विहार नहीं करती, वह विशाल दृष्टिसे विचार करने लगती है। जब तफ गायको हम भक्ष्य वस्तु मानते हैं, स्त्रीको विषय-वामनाकी तृप्तिका भावन मानते हैं या दोनोंको अपना गुलाम मानते हैं, तब तक गोरक्षा, स्त्रियोंकी अुन्नति या मूक प्राणियों पर दयाकी भावना रखनेके विषयमें हम अमक मर्यादामें रहकर ही विचार कर सकने हैं। अधिकमे अधिक हमारी वृद्धिकी दीड हमारा कार्य मिद्ध करने तक और अमका दु.ख थोडा कम करने तक ही सीमित रहेगी। अिन भावनाओंसे मुक्त होकर जब हम मत्रके प्रति मैत्री, करुणा या समानताकी भावनाको दृढ़ बनायेंगे, तब हम अिनमे मंत्रय रखनेवाले प्रश्नोंके बारेमें जो विचार करेंगे, वह विलकुल भिन्न प्रकारका होगा।

जब दो आदमियोंके बीच झगड़ा होता है, तब अमका फैमला वगनेके लिये किनी तटस्थ और निष्पक्ष आदमीका सहारा लिया जाता है। हम जानते हैं कि वह आदमी जितना अधिक तटस्थ होगा, अंक या दूमरेकी जीनके बारेमें जितना अधिक अदानीन होगा, अमना ही वह फैमला करनेके लिये अधिक योग्य माना जायगा। अमकी वृद्धि राग-द्रेपने मुक्त होनेके कारण मत्प खोजनेके लिये अधिक अनुवूठ होगी। अिम तरह मन्थ खोजनेके लिये मनकी वृत्तिका तटस्थ होना बहुत जरूरी है। तटस्थ वृत्तिका अर्थ है पूर्वग्रहने अधिकमे अधिक मुक्त स्थिति; अिनो अिरीय प्रयागरे निर्णयका आग्रह न रखना।

लेकिन तदस्य मनुष्य समभावी (महानुभूतिवाला) या असमभावी हो, तो भी निर्णयमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। दो आदमियोंके बीच झगड़ा हो और उनका फैसला करनेका काम मुझे नौपा जाय, और यदि उनमें से अकेले प्रति मेरी सहानुभूति या समभाव हो तो मैं पूरा पूरा तदस्य नहीं रह सकता, दोनोंके प्रति सहानुभूति या समभावका मुझमें बिलकुल अभाव हो — अदाहरणके लिये, मेरा यह खयाल बन गया हो कि दोनों झूठे या तराजूवाज हैं तो मैं तराजूमें तौलने जैसा शुद्ध न्याय भले दे सकू, लेकिन अमु न्यायमे दोनोंमें से किसीका या मेरा समाधान नहीं होगा। यह निर्णय विचारदोषमे भ्रम लग सकता है, परन्तु अमुमे मेरी भावनाको संतोष नहीं होगा, और जिन कारणमे अमुमें कोई न कोई दोष महसूस हुआ बिना नहीं रह सकता। लेकिन यदि दोनोंके प्रति मेरी अकेली समभावना या सहानुभूति हो दोनोंके लिये मेरी हितकी ही दृष्टि हो, तो मेरा निर्णय कुछ दूररे ही प्रकाश होगा। अमुमें तराजूका स्थूल न्याय भले न हो, परन्तु मौलिक न्याय अवश्य होगा। जिस प्रकार जिन वस्तुके बारेमे निर्णय करना है उनके बारेमें अमु समय मुझमें जो गुण होगा, अमुका मेरे निर्णयमे महत्वपूर्ण भाग होगा।

तदस्यता और समभावका अभाव कभी तरहमे हो जाता है। दूररे गुणोंका बल जिन दोनों पर अमर डालकर बुद्धि पर परोक्ष अमर डालता है। केवल अके विषयका रस भी अमु विषयके बारेमें तदस्य भावसे निर्णय करनेमें बाधा पहुंचाना है। जैसे, अके आदमीको गायनमें अत्यन्त रस है। अब यदि अमुकी बुद्धि अमुने अंमे निर्णयोंकी तरफ गीने, जिनमे गायन-कलाका महत्व घट जाय, तो वह जिने महान नहीं रह सकता। जिनकी तरह यदि अमुने गायन-कलाका खंडन करनेमें ही रस आने लगे, तो भी जिन विषयका वह शुद्ध विचार नहीं कर सकेगा।

यह जिस बातका विवेचन हुआ कि बुद्धिके निर्णयों पर गुणोंका बल तरह अमर पड़ता है। लेकिन बुद्धिके सूक्ष्म होनेमे भी गुणोंका विज्ञान ही प्रधान साधन होता है। नामान्यत हमारा यह खयाल होगा

है कि बाह्य जगत्के अध्ययन, अवलोकन और अनुभवसे बुद्धि सूक्ष्म बननी है। हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे मनुष्य भी सूक्ष्म विचार कर सकते हैं, जिनका चरित्रबल बहुत बड़ा हुआ नहीं होता। और जिनलिजे हमें अना नहीं लगता कि गुण-विकास और बुद्धि-विकासके बीच कोई भेद है। अलते, हमारा यह खयाल है कि बुद्धिका संबध अेकाग्रताके साथ है, और ऐसा माना जाता है कि अेकाग्र होनेके लिजे जितने गुणोंकी आवश्यकता है, अुतने गुण अेकाग्रताकी सिद्धि होने तक ही बने रहें तो भी काम चल सकता है।

किन्तु यह सूक्ष्मता अुम अर्थमें बुद्धिका विकास नहीं है, जिम अर्थमें मैं अुसे बुद्धिका विकास मानता हूँ। यह तो प्रजाशक्ति (अनुभव और तुलनाशक्ति) और तर्कशक्तिकी ही सूक्ष्मता है। अमुक अवसर पर किम तरहका व्यवहार करना चाहिये, यह निर्णय करनेवाली शक्ति मेरे अर्थमें बुद्धिशक्ति है, और जिम शक्तिका विकास गुणोंके विकासके बिना असभव है।

अेकाग्रता, वृत्तियोंके निरोध आदिके अम्याससे मैं प्रजा और तर्ककी सूक्ष्मता साधकर क्षणभरके लिजे भले प्रत्यक्ष रूपमें अद्वैत तत्त्वको जानूँ, आत्माकी अमरताको पहचानूँ, सत्य और अहिंसाकी पराकाष्ठाकी कल्पना करूँ, मत्याग्रहका सिद्धान्त समझूँ, या साम्यवादी (सोशलिस्ट) बन जाऊँ; अुसमें मैं भले वेदान्तके तत्त्वको सिद्ध कर सकूँ, नन्य और अहिंसाकी पराकाष्ठा दिखानेवाली कथा रच सकूँ, मत्याग्रहकी मीमाणा लिख सकूँ, या साम्यवाद पर ग्रथकी रचना कर सकूँ; लेकिन मेरे और पड़ोसीके बालकोंके बीच अभेदभावमें व्यवहार करनेमें, पड़ोसीकी सहायता करने समय मेरे शरीरको स्वतरेमें डालनेमें, कमीटीके समय नन्य पर डटे रहनेमें, परेगान करनेवाली विल्ली या कुत्ते पर नाराज न होनेमें, विगेष टालनेके लिजे मत्याग्रह करनेमें या मेरे नौकरको अपनी बराबरीमें बैठने देनेमें तर्कशक्ति या प्रजाशक्ति अथवा माने हुअे विचार या कल्पनायें बहुत सहायक नहीं होती। नेत्रल प्रेम, दया, धना, महानुभूति, नेज, नन्य, प्रामाणिकता, शौर्य आदि विशिष्ट गुणोंका अुत्कर्ष ही जिममें सहायता करता है।

बाबलाकी* हत्या होते नमय जिन अग्रेजोंने अपने प्राणोकी बाजी लगाकर उसे बचानेका प्रयत्न किया, अन्होंने आत्माकी अमरता या अद्वैत सिद्धान्तके वारेमें शायद स्वप्नमें भी विचार नहीं किया होगा। भगीके बच्चेको स्तनपान करानेवाली स्वर्गवानी मलबारीकी माने नाम्य-वादका शब्द भी कभी सुना न होगा। प्रसूतिके समय कुत्तीकी अपनी पुत्रीके जैसी सार-संभाल करनेवाली और बीमार बदरीकी सेवा-शुभ्रूपा करनेवाली मेरे मित्रकी एक पत्नी है, अुनकी तर्कशक्ति या प्रज्ञा-शक्ति सूक्ष्म है, अैसा कोअी नहीं कह सकता। "मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने पेड काटा है," यह वाक्य जाज वाशिंगटन जिन जुझमें बोला था, अुस अुझमें अुनने सत्यकी महिमाका शायद ही विचार किया होगा। लेकिन अैसे अवसरो पर कैसा व्यवहार करना चाहिये, अिनका निर्णय ये सब लोग विगिष्ट गुणोंके विकासमे ही तुरन्त कर नके।

जिस प्रकार कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोंके कार्य कर्म है, अुनी प्रकार अन्त करणके कार्य भी कर्म ही है। अेक ही तरहके कर्मके अम्यामसे जिस तरह कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोंमें कुशलता आती है, प्रज्ञा और तर्कशक्तिमें कुशलता आती है, अुनी तरह बुद्धिमें भी कुशलता आती है। जिस मनुष्यने जिस गुणका खूब विकास किया होगा, अुसके प्रत्येक निर्णयमें अुस गुणकी छाप स्वभावतः दिखायी देगी। जिसने सत्यकी खूब सावधानी रखी होगी, अुनके अिन मोचे-विचारे किये अुजे निर्णयोंमें भी सत्य या सत्यकी ओर झुकाव दिखायी देगा। जिनने सत्यके लिये कम चिन्ताकी होगी, अुनके खूब मोचे-विचार कर किये अुजे निर्णयोंमें भी शंका और अनिश्चितता मालूम होगी। जिनने जान-बूझकर असत्यका ही आचरण किया होगा, अुनके निर्णयों पर असत्यकी, लुच्चाबीकी छाप मालूम पडेगी। जिनने परोपकारके गुण

* कुछ वरन पहले बम्बयीमें बाबला नामक अेक मुसलमान गृहस्थकी रास्ते पर दांडती अुनी मोटरमें हत्या अुनी थी। अुन नमय प्राणोकी बाजी लगाकर भी अेक-दो अग्रेजोंने अुने बचानेका प्रयत्न किया था। अिन हत्यामें अिन्दौरके राजा तथा बडे अधिवारियोंका हाथ भाग्य अुला था, और अिन्दौरके राजाको गद्दी छोडनी पडी थी।

विकाम किया होगा, अुसके अनायास किये हुअे निर्णयोका झुकाव भी दूसरेके हितकी ओर ही होगा। जिसने स्वार्थ साधनेका ही ध्यान रखा होगा, अुमके निर्णयोमें अपना हित देखनेकी ही दृष्टि सर्वोपरि रहेगी।

जिस मनुष्यमें कोअी गुण अत्यन्त विकसित हुआ होगा, अुस मनुष्यकी बुद्धि अैसी हो जाती है कि वह अुस गुणका पोषण करने-वाला चित्त-प्रकृतिका नियम (अुस गुणका पोषण करनेवाली फिलासफी) तुरन्त समझ सकता है। जिसने लोभको बढ़ाया होगा, वह पूजीवादी अर्थशास्त्रके सिद्धान्त अच्छी तरह समझ सकेगा और अुसीमें अुसे फिलासफीकी पूर्णता लगेगी; 'घनाद्धर्मस्तत सुखम्' यह अुसे सबसे बड़ा सिद्धान्त मालूम होगा। जिसने अिन्द्रियोंके विषयोके आनन्दका पोषण किया होगा, वह विज्ञान द्वारा खोजे हुअे साधनो, कलाओकी महिमा तथा अुसका पोषण करनेवाली दलीलोंको तुरन्त समझ सकेगा। और जीवनके विकासका यही पहलू अुसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जान पडेगा। जो दर्शन (तत्त्वज्ञान) भोग और मोक्ष दोनोंका समर्थन करता है, वह दर्शन अुसे नर्वाणपूर्ण लगेगा। सोने और कला-कौशलसे सजे हुअे देव-मंदिरों और सिंहासनो, फूलोंसे सुशोभित झूलों और झांकियों, अनेक प्रकारके भोजनों और वस्त्राभूषणो तथा दीपमालाओं, ध्वजा-पताकाओ आदिकी रचनामें वह भक्तिमार्ग देखेगा। देलवाडाके मंदिरोंमें जैन धर्मका और अजंताकी गुफाओसे बौद्ध धर्मका अुत्कर्ष हुआ मानेगा। अुसी मार्गसे वह अपने संप्रदायका अुत्कर्ष साधनेका प्रयत्न करेगा। अनन्त काल तक लक्ष्मीनारायणका चतुर्भुज पार्षद या सेवक बनने, गोलोककी कृष्णलीलामें भाग लेने, या अक्षरधामके संमेलनमें जाकर बैठनेका मोक्ष अुने पसन्द आयेगा। जिनने परोपकार-वृत्तिका विकाम किया होगा, अुसे दानधर्म, सेवाधर्म और दयाधर्मकी महिमा गानेवाले बुद्धिवाद सच्चे लगेंगे। जिनने असत्य, लुच्चाओी वगैरका पोषण किया होगा, अुने 'दुनिया चलाना मकाने' * अिम नूत्रमें ही नारे सिद्धान्तोंका सार मालूम होगा।

जिन मनुष्यने जिन गुणका थोड़ा बहुत भी पोषण नहीं किया होगा, अुने अुम गुणमें अुत्पन्न हुआ दर्शन — वह चाहे जितना विद्वान

* छन्द-कपटसे।

हो तो भी — समझमें नहीं आयेगा। असत्यमें निष्ठा रखनेवाले मनुष्यको हरिश्चन्द्रका या राजपूतोंका व्यवहार मूर्खताका प्रदर्शन लगेगा; लोभी आदमीको देशव्युदास या जमनालाल बजाजके त्यागमें व्यवहार-ज्ञानका अभाव मालूम होगा, व्यवहार-कुशल कहे जानेवाले मनुष्योंको सत तुकाराम या रामकृष्ण परमहंसके वारेमें पागलपनका शक होगा। आर्य-दर्शनके अेक प्रसिद्ध आचार्यने मुझे अपनी नस्याका परिचय देते हुअे बताया कि हमारा अुद्देश्य आर्य-दर्शन और पाश्चात्य दर्शनका तुलनात्मक दृष्टिसे अध्ययन करके दुनियाके सामने आर्य-दर्शनकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दिखानेका है। बादमें सत्याग्रह आश्रमके वारेमें बात चलने पर अुन्होंने कहा, “आपको बुरा न लगे तो मैं आपने कहूँ कि मैं गाधीजीका सत्य और अहिंसाका सिद्धान्त नहीं समझ पाता। मैं तो ‘शठ प्रति गाठयम्’ में विश्वास रखनेवाला हूँ। गाधीजीके नारे विचार अव्यावहारिक होते हैं। आप गुजराती लोग भावुक होते हैं। आप अैसी बातोंमें विश्वास कर सकते हैं। परंतु हम तो व्यवहार-सिद्धिकी तरफ ध्यान देनेवाले ठहरे; हमारे गले गाधीजीके सिद्धान्त नहीं अुतरते।” तर्कभेदके पीछे भी गुणभेद रहता है, अिनका यह आचार्य मुझे ज्वलत अुदाहरण मालूम पडा। जिन गुणोंका विक्राम न हुआ हो, अुन गुणोंके परिशीलन-मात्रसे विकास पानेवाली बुद्धि अुन गुणोंमें स्वध रखनेवाले दर्शनको नमझ ही नहीं सकती। अिनके पान अुन गुणोंका थोड़ा भी बल होगा, वह अुनकी दलीलको समझ नकेगा, और अिनमें ये गुण परिपक्व हो गये होंगे, वह अुन पर अमल कर नकेगा।

अिसलिये यद्यपि अैसा कहनेमें दृष्टता या नाहन हो सकता है कि अमुक पुरुषके विचार या अमुक निर्णय नत्य ही हैं, अनत्य नहीं, फिर भी यथाशक्ति सत्य निर्णयोंकी तरफ झुकनेका मार्ग अनिश्चित नहीं है। जो नत्यका ही पालन करनेका प्रयत्न करता है,* नत्यकी ही जिज्ञासा

* सत्य क्या अैसी कोअी निश्चिन वस्तु है, अिनका पालन किया जा सके? सारे नत्य सापेक्ष हैं और जो मनुष्य यह दावा करता है कि ‘मैं करता हूँ वही नत्य है’, वही अनत्यवादी है। अेर दृष्टि अेर मनुष्यको सत्य लग सकती है, और दूसरेको अनत्य लग सकता है,

रखता है, अमुकी तर्कशक्ति और प्रज्ञा सत्यको ही परखनेकी तरफ और बुद्धि सत्य निर्णय करनेकी तरफ ही झुकी हुयी होगी। यह आज सत्य लग सकती है और कल असत्य। जिसलिये किसके पालनका आग्रह रखा जाय? असी शंका कुछ लोग उठाते है। सच पूछा जाय तो असी कठिनायी पैदा करनेकी जरूरत नहीं है। जो चीज आज मुझे सत्य या असत्य लगती है, वह मेरे लिये आज वैसी ही है। आज मेरे लिये मन, वाणी और कर्ममे व्यवहार करनेका नियम जिस मान्यताके अनुसार ही हो सकता है। जिस वारेमें दूसरेका दृष्टिकोण चाहे जो हो, और कल मेरा दृष्टिकोण भी भले बदल जाय। जो वस्तु मुझे सत्य मालूम हो, वह दूसरेको यदि असत्य लगती हो, तो उस परसे उस वस्तुके वारेमें ज्यादा गहरा विचार करनेका मुझे सकेत मिलता है। क्योंकि संभावना यह है कि दोनोमें से किसी अेककी दृष्टि गलत या अधूरी हो। जिस कारणसे अैसे मामलोमें अपनी दृष्टिके अनुसार आचरण करानेके लिये मैं शायद किसी पर दबाव नहीं डालूंगा। फिर, यह याद रखकर कि आज तकके समयमें मेरे विचारोमें कितना ही परिवर्तन हो गया है, और यह भी याद रखकर कि उत्तम गुणोंके विकासके बिना तर्कशक्तिमे किये हुये विचारोंको स्वीकार कर लेना बहुत महत्त्व नहीं रखता, अपने मतोंके अनुसार किसीको तालीम देनेका या अुनमें किसीको शामिल करनेका मैं आग्रह नहीं रखूंगा। आवश्यक हुआ तो अपना दृष्टिकोण नमझानेका मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन उसे स्वीकार करानेका आग्रह रखना अनुचित माना जायगा। और यदि किसी कारणमे मुझे बोलना ही पड़े, तो मुझे जो गलत लगता हो अुमे गलत ही कहना होगा। जो चीज मुझे असत्य लगती है अुमे मैं 'अज्ञानी लोगोंके संतोषके लिये', 'बालकोंके मनोरंजनके लिये' या 'बाँड़ी देरके लिये बालक बन जानेकी लिच्छासे' अिन तरङ्ग नहीं पैज कर सकता कि लोग अुमे नत्य समझ लें। यदि मुझे असा लगे कि दूसरे लोग मेरा दृष्टिकोण नहीं नमझ सकेंगे, या अुनमें असा बुद्धिभेद पैदा होगा कि बड़े मत्यको समझनेकी योग्यताके अभावमे वे छोटे मत्यको भी छोड़ देंगे, या समझ न सकनेके कारण मेरे आचरणसे अुन्हें दुःख होगा, तो मुझे कभी मौन रखनेका या अुनमे अलग

प्रश्न अलग है कि वह सत्य प्रिय है या अप्रिय, मुझ देनेवाला है या दुःख, हर्ष उत्पन्न करनेवाला है या शोक तथा अुसने प्रेय मिद्ध होता है या नहीं। लेकिन जो लोग सत्यको ही श्रेय मानते हो और श्रेयको

हो जानेका रास्ता भी अस्तियार करना पडे। यदि मेरे दृष्टिकोणमें सत्य होगा, तो कभी न कभी लोगोको अुसे स्वीकार करना ही पडेगा; और यदि वह सत्य न हो तो अुसमें रही भूलका नुकसान मुझे अकेलेको ही बुठाना होगा, अैसी मेरी निष्ठा होनी चाहिये। प्रचारके लिअे नहीं, बल्कि अेक शोधकके नाते ही मैं कोअी विचार पेश कर सकता हू। मुझे जो मिथ्याचार या मिथ्या-भाषण लगता हो, अुसका मैं नमयन नहीं कर सकता। अमुक दृष्टिवालेको वह मिथ्या न लगे यह मैं समझ सकता हूँ। परन्तु यदि अुस दृष्टिको बदलना कठिन नमजू, तो अुनके साथ मैं खंडन-मडनके वाद-विवादमें नहीं पडूंगा।

अिसके सिवा, असत्य शब्द दो अर्थवाला है। सत्यसे अुलटा या झूठा, मिथ्या भी असत्य कहा जाता है और अधिक सत्यकी दृष्टिसे कम सत्य भी असत्य कहा जाता है। अेक वस्तु अेक ही समयमें ठूठी और सच्ची दोनो नहीं लग सकती। जिस समय मुझे किनी कमरेमें सापणा भास हुआ हो, अुस समय यदि मैं किसीने कहूँ कि अिन कमरेमें साप है, तो मेरा कयन झूठ नहीं है। लेकिन अुस भासको मिथ्या जाननेके वाद किसीको डरानेके लिअे या विनोदके लिअे मैं अंगा कहूँ तो वह झूठ होगा। लेकिन लोहेके फावडे, हयौडी और कुदाली तीनोंको मैं भिन्न कहूँ और तीनों लोहा ही है अिन दृष्टिसे अुन्हें अेक कहूँ, तो यहा मैं न्यून या स्थूल सत्यका और अधिक या नूदन सत्यका भेद करता हू। फावडे, हयौडी और कुदालीकी अेकता नूदन सत्य है, और अुनका भेद तो स्थूल रूपमें सत्य ही है। अुनकी अेकता और भेद दोनोंको मैं अेक ही समयमें गहण कर सकता हूँ। आवश्यकताके अनुसार कभी मैं अुनके भेद पर जोर दे सकता हूँ और कभी अुनकी अेकता पर। अंगना पर जोर देनेके समय मैं अैसा भी कह सकता हूँ कि भेद नद लोपादिण, गौण या मिथ्या (नगण्य, immaterial) है।

ही प्रेय मानते हों, अन्हें जिस श्रेय और उस श्रेयमें जितना प्रेय होगा अतना तो मिलेगा ही।

जिसी प्रकार अमुक पुरुषके विचार सच्चे ही हैं असा कहना वृष्टतापूर्ण हो सकता है। परन्तु यदि हम यह जानते हों कि वह पुरुष हमेशा सत्यका ही अनुशीलन करनेका और सत्यका ही जिज्ञामु वननेका प्रयत्न करता है, तो हम यह आशा रख सकते हैं कि उसके विचारोका झुकाव सत्यकी ओर ही होगा।

जिस तरह सत्य निर्णय करनेकी शक्ति, अपना और दूसरोका कल्याण साधनेवाली तर्कशक्ति और प्रज्ञा, तथा अैसे तत्त्वज्ञानको ममझनेकी शक्ति सत्य, प्रेम, दया आदि गुणोके विकासके विना अमंभव है। विद्रियोकी शक्तियां सूक्ष्म हो, कल्पनाशक्ति तीव्र हो, तर्कशक्ति कुशाग्र हो, चित्तको तुरन्त अेकाग्र करनेकी शक्ति भी सिद्ध हो गयी हो, परन्तु यदि अुत्तम गुणोका विकास न हुआ हो तो मनुष्यमें सही निर्णय करनेकी शक्ति नहीं आ सकती। असुकी बुद्धिका विकास अवूरा ही रहेगा।

अूपरकी चर्चासे यह भी नहीं मान लेना चाहिये कि सूक्ष्म अव-लोकन, तर्कशक्ति आदिका कोअी महत्त्व नहीं है। जैसे जैसे अवलोकन सूक्ष्म होता है, तर्कशक्ति गहरी होती है और पिछले अनुभवोकी स्मृति स्पष्ट होती है, वैसे वैसे विचारशक्ति शुद्ध होती है। और विचार गुणोको बढाने या बदलनेका अेक महत्त्वपूर्ण साधन है। विचारमे गुणोका विकास होता है; और विचार भी अन्तमें तो अनुभव पर ही आवार रखता है। जिस तरह ये बल कुछ हद तक अेक-दूसरे पर आवार रखते हैं, कुछ हद तक अेक-दूसरेमे स्वतंत्र हैं और कुछ हद तक अेक-दूसरेके विरोधी भी हैं।

जिसके आगेके प्रकरणोमें यह विषय अधिक स्पष्ट होगा।

श्रद्धा

आज अनेक स्थानों पर एक ओर श्रद्धाकी महिमा गाजी जानी है, तो दूसरी ओर उसका जडमूलने खडन होता भी देखा जाना है। कौनसी वस्तु श्रद्धाके योग्य है और कौनसी नहीं, जिस वारेमें बुद्धिमान लोगोमें भी भारी मतभेद पाया जाता है। जिस कारणने और श्रद्धाका बुद्धिके साथ घनिष्ठ संबन्ध होनेसे श्रद्धाकी थोड़ी चर्चा की जा सके तो ठीक होगा।

श्रद्धा शब्दका हम अनेक अर्थोंमें प्रयोग करते हैं जैसे (१) किमी महान भावना, व्यक्ति या कार्यके लिये तीव्र आदर या प्रेमके अर्थमें, गीतामें 'श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम्', 'श्रद्धावाननमूयश्च' आदि स्थानों पर श्रद्धा शब्द जिमी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। तथा कठोपनिषद्में जहां कहा गया है कि 'नचिकेता वालक था, तो भी दक्षिणा ले जायी जाती देखकर उनके हृदयमें श्रद्धा पैठी', अथवा 'विद्यार्थी श्रद्धावान होते हैं', अथवा 'विद्यार्थियोंको श्रद्धावान होना चाहिये' आदि वाक्योंमें जो भी महान अद्देश्यवाला कार्य, भावना या व्यक्ति हो, उनके लिये अत्यन्त आदरकी—प्रेमकी या कोमलताकी भावना, यही श्रद्धाका अर्थ हो सकता है।' (२) शक्तिने मिलते-जुलते अर्थमें, जैसे 'अत्र

१ त ह कुमारं सन्तं दक्षिणामु नीयमानामु श्रद्धाविशेषं मोञ्जन्त्यत। (कठ० १-१-२)

२. किमी मनुष्यके विचार जो स्वीकार किये जाते हैं अन्तमें उन विचारोंके पीछे रहनेवाले मत्स्य, दलीलोंके लौचित्य आदिले शास्त्रकार अथवा मनुष्यके प्रति नुननेवालेके आदरका भी बहुत बड़ा भाग होता है। कौजी सामान्य मनुष्य कौजी विचार बतावे तो अन्तमें नहीं माना जाता, लेकिन वही विचार किमी शास्त्रमें मिल जाय या कौजी प्रसिद्ध पुरुष कहे, तो उसे तुरन्त मान लिया जाता है। अन्तमें शास्त्रकार का

मेरी अधिक चलनेकी श्रद्धा नहीं है।' (३) विश्वास, निष्ठा या मान्यताके अर्थमें; जैसे 'मुझे जिस मनुष्यमे बहुत श्रद्धा है', 'असकी ओम्बर पर अखूट श्रद्धा थी', 'यह अपनी अपनी श्रद्धाकी बात है।' (४) आत्म-विश्वासके अर्थमें; जैसे 'तिलक महाराज अपना काम पूर्ण श्रद्धासे करते और अन्त तक असा पर डटे रहते थे।' (५) प्रकृतिके किमी प्रकारके साथ दृढ़ बने हुये आत्मभावके अर्थमें— जिस शक्तिमें मनुष्यका दृढ़ निश्चय हो वह शक्ति; जैसे गीताके १७ वें अध्यायके आरंभमें श्रीकृष्ण कहते हैं. 'प्रत्येक मनुष्यकी श्रद्धा स्वभावतः असके मत्त्वके अनुसार होती है; जिस मनुष्यकी जैसी श्रद्धा, वैसा ही वह कहा जाता है। आसुरी संपत्तिमें जिसका निश्चय हो, वह तामसी कहा जाता है।' (६) दृश्य परिणामोंके अदृश्य कारणोंके लिये किये गये अनुमानमें रहनेवाली निष्ठाके अर्थमें; जैसे प्लाचेट-जैसे सावनसे जो कुछ लिखा जाता है, वह मृत पुरुषोंके जीव लिखते हैं, यह श्रद्धा।

ये सारे अर्थ अंगे मालूम होते हैं, जो श्रद्धाके अन्तिम अर्थ निष्ठा (अथवा निश्चय) में से निकाले जा सकते हैं। जिसलिये किमी अर्थमें श्रद्धाके विषयकी चर्चा करनेका मेरा बिरादा है।

अस मामान्य मनुष्यकी बुद्धि, चरित्र आदिके लिये लोगोंमें जो आदर होता है, असमे अधिक किमी शास्त्रकार या महात्माकी बुद्धि, चरित्र आदिके लिये अतिका आदर होता है। महात्मा पुरुष जो कुछ कहता है वह सब मामान्य मनुष्योंको सब मालूम होता है। लेकिन असके समकक्ष कहे जा सकनेवाले लोगोंको असके विचार अतने ही मान्य नहीं होते। क्योंकि साधारण मनुष्योंको असकी बुद्धिके लिये जो आदर होता है, वह आदर असके समकक्ष लोगोंको नहीं होता। मायाग्न लोग महापुरुषके चरित्रके लिये आदरभाव रखनेके कारण असकी बुद्धिके लिये भी आदर रखते हैं। लेकिन समकक्ष लोग असकी बुद्धि और चरित्रके बीच भेद करके असके चरित्रके लिये आदर रखते हुये भी बुद्धिके लिये आदर नहीं रख सकने। 'घरका आदमी बैल बगवर' या 'महान्माको असके पामके लोग नहीं पूजते'—असके विन यत्नोके पीछे यह अनादर एक महत्त्वका कारण है।

मुझे लगता है कि पहली बात तो हमें यह ममज्ञ लेनी चाहिये कि श्रद्धा चित्तकी एक अैसी प्रकृति है, जो छोड़ी नहीं जा सकती। यानी श्रद्धाका अभाव कभी हो ही नहीं सकता। श्रद्धाकी शुद्धता और अशुद्धतामें भेद हो सकता है, अतमें तीव्रता और मंदताका भेद हो सकता है, बुद्धियुक्त या बुद्धि-रहित श्रद्धा हो सकती है, अनुभव-युक्त या अनुभव-रहित श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धाके विषयोंमें भी भेद हो सकता है, परंतु अश्रद्धा अैसी कोभी वस्तु है ही नहीं। अैसा कोभी मनुष्य देखनेमें आ सकता है, जिसकी अैकाव विषयमें ही जीती-जागती श्रद्धा हो। लेकिन अैसे प्राणीका होना असंभव है, जिनकी किसी विषयमें किनी तरहकी श्रद्धा ही न हो। जिसलिये 'अश्रद्धा' शब्दका अर्थ केवल अितना ही है कि अमुक विषयमें अश्रद्धा या मामूली श्रद्धा।

श्रद्धा प्राणीके मुख्य गुणको स्थिर बनानेवाली वृत्ति है। जिन मनुष्यकी अैसी श्रद्धा होगी, वैसा अुनका चरित्र बनेगा। हम जिनो मनुष्यको लोभी या कजून कहें, तो अुनका अर्थ यह होना है कि अुनकी धनकी शक्तिमें तीव्र श्रद्धा है, भक्तकी अपने अिष्ट देवमें तीव्र श्रद्धा होती है; अग्निमानो मनुष्यकी अपनी किनी स्थितिमें तीव्र श्रद्धा होती है; समदृष्टिवाले पुरुषकी जगतकी अेकतत्त्वतामें श्रद्धा होती है; शूरवीरकी अपनी वीर्यशक्तिमें तीव्र श्रद्धा होती है, कायर मनुष्यकी जीवनमें तीव्र श्रद्धा होती है। जिन तरह हरअेक मनुष्य (और प्राणी) के मुख्य गुणमें अुनकी श्रद्धाका पता चल जाता है।

यदि श्रद्धामें फर्क पड जाय तो मनुष्यके चरित्रमें भी फर्क पड जाता है। किनी मनुष्यको अपने परकी अंगार श्रद्धा बदल कर परमेस्वरमें बैठ जाय, तो तुरन्त अुनका चरित्र बदल जाता है। भोग-विलासमें श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यकी श्रद्धा मोक्ष पर बैठते ही अुनकी विषय-व्यवस्थाका लोप हो जाता है।

जिन तरह किनी मनुष्य या बालकका स्वभाव बदलनेका अर्थ है अुनकी श्रद्धाका विषय बदलना। हृदय-परिवर्तनका भी यही अर्थ है। अैसी तर्कगतिवाले मनुष्योंके मनभेदकी जाच बने, तो मान्य रहेगा कि अुनके पीछे श्रद्धाभेद होना है। मेरी तर्कगति चाहे जितनी शुद्ध

हो, लेकिन यदि अमीरीमें ही मेरी अतिशय श्रद्धा हो, तो मैं टॉल्स्टॉयके अुत्पादक श्रम (bread labour) से ही जीनेके शास्त्रको स्वीकार नहीं कर सकता। यदि मेरी विषय-सुखमें अतिगय श्रद्धा हो, तो त्याग या सयमका महत्त्व मेरे गले नहीं अुतरेगा। यदि अधिकार या सत्तामें मेरी श्रद्धा हो, तो मैं न्यायवृत्तिका पालन नहीं कर सकता और प्रतिष्ठा (prestige) का विचार नहीं छोड़ सकता। यदि मुझे कुल या वर्णमें श्रद्धा हो, तो मैं अभेद दृष्टिके सिद्धान्त पर अमल नहीं कर सकता। तर्कशक्ति और वृद्धि चाहे जितनी सूक्ष्म हो जाय, तो भी वह हमेशा श्रद्धाका ही अनुसरण करती है। जिस विषयमें मनुष्यकी दृढ़ श्रद्धा होती है, अुस विषयका विभिन्न प्रकारसे समर्थन करनेमें तर्कशक्ति वकीलका काम करती है। जिम क्षण मेरी श्रद्धा विषय-सुख परसे अुठ जायगी, अुसी क्षणसे मेरी तर्कशक्ति त्याग और सयमको बल पहुचानेमें अपनी सारी शक्ति र्च करने लगेगी।

अिस परसे हमें अेक नियम मिल जाता है : जहां यह देखनेमें आवे कि मतभेद नहीं टाला जा सकता, वहा मूलमें श्रद्धाभेद है असा निश्चित समझना चाहिये। अिसलिअे सभव हो तो किसी भी अुपायसे सामनेवाले आदमीके श्रद्धाके विषयको ही बदलनेका प्रयत्न करना चाहिये।

यह न मान लेना चाहिये कि अिम नियमको समझ लेनेमे नफलतापूर्वक अिस पर अमल भी किया ही जा सकता है। क्योकि यह नियम भी चित्त-विकासके अनेक नियमोंके आवार पर काम करता है, परन्तु यदि दूसरी परिस्थितियां अनुकूल हो, तो यह नियम अपना काम अवश्य करता है।

अिन प्रकार मतभेद दूर करनेका शुद्ध अुपाय यही है कि अयोग्य विषय पर बैठी हुअी श्रद्धाको या किनी विषय पर बैठी हुअी अयोग्य श्रद्धाको शुद्ध बनाया जाय। जब तक यह नहीं होता तब तक अपनी श्रद्धाके विषयका प्रतिपादन व्यर्थ जाता है।

अिम तरह श्रद्धा और अश्रद्धाकी जांच करनेमे हम अथश्रद्धाके धारेमें कुछ विचार कर सकते है।

अंधश्रद्धा अंक प्रकारकी नदोष श्रद्धा है। यहा श्रद्धाणा अं विश्वास या मान्यता ही हो सकता है। किन्ती पदार्थमें अुनके स्वाभाविक धर्मके बदले या अुन धर्मके अुपरात दूनने धर्मोका आरोपण करना अथवा किसी परिणाममें अुसके कुदरती कारणोके बदले दूनरे कारणोका आरोपण करना सदोष श्रद्धा है। कसी वार अधूरे अवलोकनके फलस्वरूप अैसी सदोष श्रद्धा पैदा होती है। अुदाहरणके लिअे, रस्सीमें सापके धर्मोका आरोपण करके अुने डरका कारण मानना नदोष श्रद्धा है। अिसी तरह, प्रतिबिम्बको बिम्ब मान लेनेकी गलतीमें मृगजलमें जलका होना मान लिया जाता है। ये तो कभी-कभी होनेवाली घटनाओंके अुदाहरण है। किन्तु व्यवहारमें और खाम करके मूधम विषयोमें हम वार वार यह गलती करते है। हमारे भीतरकी अनेक शक्तियो या कमियोके कारण हमें जीवनमें जो यश-अपयय मिलता है, अुनका कारण हम बहुत वार किसी बाह्य सत्त्वमें निहित शक्तिको मान लेते है; और अुस बाह्य सत्त्वमें हम अपनी श्रद्धा वैठाने है। फिर, बहुत वार जिन कार्योंसे हमारी अुन्नति होती है, अुन कार्योंमें हम नारे जगता कल्याण देखते है, अिनलिअे अैने कार्योंमें जगहिकी दृष्टिमें हमारी श्रद्धा दृढ होती है। अिनका अंक सुन्दर अुदाहरण हमें महान्मा टॉल्स्टॉयकी 'तव करेगे क्या?' पुस्तकमें मिलता है। मनुष्यमें ग्ही हुआ दया और परोपकार-वृत्तिके पूर्ण विकानमें अुनकी अुन्नति नमाओ हुआ है। जब तक यह गुण पूर्णताको न पहुँचे, तब तक मोक्ष चाहनेवालेको अिन वृत्तियोका विकान करनेको स्वाभाविक प्रेरणा होती है। अिसलिअे दया और परोपकारके कामोंमें अुनकी श्रद्धा दैठे अिन नही रह सकती। अुनके लिअे अिन वृत्तियोका पोषण आवश्यक होनेके अिस पर वह दया या अुपकार करता है अुनका जिन कामोंमें भला ही होगा, अैनी अुनकी दृष्ट श्रद्धा जमनी है। टॉल्स्टॉयके अिनमें भी अैना ही हुआ था। परन्तु अज्र पूर्णताको पहुँचनेके बाद ये गुण स्वाभावका रूप ले लेते है तब मालूम पटना है कि अुनका अैना करनेवाले आदमीका भला अुन गुणोंमें हुआ या नही यह अिसानमें नही कहा जा सकता। हम मानते है कि नत्वमेंगे अुनको अिन करने

है; दूसरोका हित हो या न हो, परन्तु सत्कर्म करनेवालेकी तो अग्रति होती ही है और दूसरोको अतने समय तक सन्तोष मिलता है। लेकिन जैसे किसीके दियासलाखी मागने पर दियासलाखी देनेमें हमें कोखी परोपकार करनेका भान नहीं होता, अुसी प्रकार बडेसे बडा दान करनेमें भी हमें कोखी विगेषता न लगे, अँसा जब तक सद्गुणोका विकाम न हो तब तक हममें यह श्रद्धा बनी रहती है कि सत्कर्मसे दूसरोका हित होता है। ये सब अधूरे अवलोकनके परिणाम हैं।

दूसरा अुदाहरण लीजिये। मूर्तिको अपने विष्टदेवकी स्मृतिको जाग्रत करनेवाला और जिस तरह ध्यानाभ्यासमें सहायता करनेवाला सायन समझना श्रद्धा है। मूर्तिके कारण पवित्रता और पूज्यताका जो भाव अुत्पन्न हांता है, अुमका कारण अुमके साथ जुड़ी हुयी विष्ट-देवकी स्मृति है। जिस प्रकार अुम मूर्तिके प्रति आदर और भक्तिका भाव अुत्पन्न हो यह अुचित्त है। लेकिन मूर्तिके वारेमें मनुष्यके भावोकी कल्पना करके अुसकी अुपचार-विधि करना, नदीमें वचानेके लिखे अुसे रजाखी ओढ़ाना, गर्मीसे वचानेके लिखे चन्दनकी अर्चा लगाना, भूख-प्यासके बग होनेवाली मानकर अुसे भोग लगाना — बिन सबमें भक्तिनिष्ठा है, जिससे बिनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भक्ति सदोप श्रद्धासे प्रेरित है। जो धर्म मूर्तिमें नहीं है, प्रकृतिके नियममे मूर्तिमें हो नहीं सकते, अुनका मूर्तिमें आरोपण करके यह पूजा होती है; और अुसके द्वारा जो चमत्कार अनुभव किये जाते मान्य होने हैं, अुनमें किमी प्रकाशका अधूरा अवलोकन होता है।

बिनी तरह गांधीजीने खादीके वारेमें कुछ लोगोकी सदोप श्रद्धाका निषेध करते हुये बताया था कि खादीमें देशका धन वचानेकी शक्ति है यह श्रद्धा ठीक है, लेकिन अँसा मानना सदोप श्रद्धा है कि अुममे चरित्रको शुद्ध करनेकी कोखी विगेष शक्ति है। खादीका स्वदेशी धर्मके माय मन्बन्ध होनेके काग्य और सब धर्मोका अन्तमें चरित्र-शुद्धिके माय मन्बन्ध होनेके कारण जब तक खादीमें नवीनता

मालूम हो और स्वदेश-प्रेमके कारण अुसकी महिमा समझमें आती हो, तब तक सभव है अुसका चरित्र पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन यह परिणाम अुत्पन्न करना खादीकी अगभूत प्रकृति नहीं है। अुपर बताया हुआ मूर्तिकी पूजानिष्ठामें और खादीमें रही चरित्र-शुद्धिकी निष्ठामें प्रतिविम्बको विम्ब माननेका अधूरा अवलोकन है। मनुष्यके भीतरकी आध्यात्मिक अुन्नति करनेकी बलवान बिच्छा कोभी निमित्त या आलम्बन खोजती है, और मूर्ति या खादी यह निमित्त जगवा आलम्बन बन जाती है। बिसकी बदौलत चित्तका विकास बढी तेजीसे होने लगता है। बिस परमे मनुष्य बिस आलम्बन या महारेको ही चित्तका विकास करनेवाला मानता है।

अधूरे अवलोकनसे जिस प्रकार सदोष श्रद्धा अुत्पन्न होती है, अुसी प्रकार कभी कभी योग्य पदार्थमें भी अश्रद्धा रहती है, और जिसे अैसी अश्रद्धा न हो, अुस पर अधश्रद्धाका दोष लगाया जाता है। अुदाहरणके लिये, श्रद्धाके बलको ही लीजिये। कोअी मनुष्य आग पर चल सकता है, अैसा माननेसे बहुतेरे लोग बिनकार करंगे। किसीको अैसा करते देखें भी तो यह मानेंगे कि वह पावमें कोअी दवा लगाता होगा या दूनरी चालाकी करता होगा, और जो लोग बिस बात पर श्रद्धा रखते हैं अुन्हें अधश्रद्धालु कहेंगे। अवलोकनके अभावमें हठयोगकी, तत्रविद्याकी और मन्त्रविद्याकी अनेक शक्तियोंके बारेमें बिस प्रकार अश्रद्धा रखी जाती है, और अुनमें श्रद्धा रखनेवाले अधश्रद्धालु माने जाते हैं।

अैसी अश्रद्धाको हमेशा दोषरूप नहीं माना जा सकता। कोअी भी मनुष्य जब तक स्वयं अनुभव न कर ले, तब तक किसी वस्तुमें श्रद्धा न रखनेका अुने अधिकार है। अुनके द्वारा दूनगे पर लगाया जानेवाला अधश्रद्धाका आरोप यदि गलत हो तो उज्ज्वल करवाकर अुनकी गलती दूर की जा सकती है। फिर, बड़ा बात अैसा होता है कि जिस पर मनुष्य अधश्रद्धाका दोष लगाता है, वह मनुष्य ही अधश्रद्धालु होता है। बिसलिये यह भी हो सकता है कि अुना रखनेवालेकी श्रद्धाके पीछे कोअी भी अवलोकन या अनुभव न हो।

भूतयोनि जैसी चीज वास्तवमें हो, और बसका अनुभव कर चुके लोग बसमें श्रद्धा रखें, तो हो सकता है वह अंधश्रद्धा न हो। परन्तु मुझे यदि ऐसा कोई अनुभव न हुआ हो, किसी अनुभवी और विश्वासपात्र मनुष्यसे ऐसे अनुभवके बारेमें मैंने विस्तृत जानकारी भी हासिल न की हो, परन्तु केवल लोकज्ञानके रूपमें ही मैं बस पर श्रद्धा रखूँ, तो जिस श्रद्धाका विषय सच्चा होने पर भी बसके बारेमें मेरी दृष्टि अंधश्रद्धावाली ही मानी जायगी।

कभी बार अंधश्रद्धाका एक लक्षण यह होता है कि अंधश्रद्धालु मनुष्य दुनियामें दो शक्तियोंका अस्तित्व मानता है : (१) प्राकृतिक शक्तियोंका; और (२) प्रकृतिके नियमोंसे परे, प्रकृतिके नियमोंको तोड़ कर घटनाओंको जन्म देनेवाली दैवी शक्तियोंका। प्रकृतिके नियमों और शक्तिका अवूरा ज्ञान होनेके कारण जो घटनार्यें समझमें न आ सकनेवाले ढंगसे घटती हैं, अन्के बारेमें हमें चमत्कारकी निष्ठा होती है। जिसलिसे अन् घटनाओंके प्राकृतिक कारण खोजनेकी झंझटमें न पड़कर हम यह मान कर सन्तोष कर लेते हैं कि कोई दैवी शक्तिया अन्हें जन्म देती है। अनुभवका कोई भी विषय प्रकृतिके नियमोंसे परे नहीं हो सकता, जिस श्रद्धा या निष्ठाका अभाव कुछ सदोप श्रद्धाओंका कारण होता है।

श्रद्धा और गुणका बहुत निकटका सम्बन्ध है। जिस क्षत्रियमें शौर्यका गुण बलवान है बसके लिसे जीवनको अत्यन्त प्रिय समझना या जिस वैश्यमें अधिमानदारीका गुण बलवान है अन्के लिसे धनको अत्यन्त प्रिय समझना अथाव्य है। जिसमें प्रेमवृत्तिका गुण बलवान है, अन्की अहिंसामें श्रद्धा होना स्वाभाविक है। जिसके स्वभावमें ही सत्य भरा है, अन्में सत्यकी अपेक्षा दुनियाकी चीजोंमें या कल्पनाओंमें कभी अधिक श्रद्धा हो ही नहीं सकती।

परन्तु भावनावग होनेका और सदोप श्रद्धाका भी निकट सम्बन्ध है। भावनाको अतृप्तता श्रद्धाका पोषण करती है। परन्तु जहां भावनाके भाव विवेक या भावधानों जुड़ी हूँगी न हो, जहां विकारकी तरह

भावना चित्त पर अधिकार कर लेती है, वहा वह अथश्रद्धाका पोषण करती है। भयभीत मनुष्य परछाईंमि डरता है, झाडके दूडगो मून या चोर मानता है। भयके नाय यदि धोडी नावधानी हो, तो वह परछाईं या झाडसे नहीं डरेगा; हा, नाप या वावने जरूर डरेगा। निर्भय मनुष्य सर्प या मिहको नाय लेकर सोनेकी हिम्मत कर नक्ता है। लोभकी भावनाकी बुक्तदताके नाय यदि मैं विवेकी भी होऊ, तो पैसा पानेके लिअे खूब मेहनत कल्गा, मेरा लोभ विनना ही बलवान न्यो न हो, अपने मनका काबू मैं खो नहीं दूगा। परन्तु मुजमें यदि विवेकका अभाव हो और केवल लोभ ही भरा हो, तो मैं गेयचिल्ली बन जाऊगा। मनमें बुत्पन्न होनेवाली तरगो या मपनोको मैं मत्प मान बैठूगा। दूसरे शब्दोमें यह कहा जा नकना है कि जिन तरह अये मनुष्यका अयं है विना आसका मनुष्य, अुनी तरह अथश्रद्धाका अयं है विवेकचक्षु-रहित श्रद्धा।

जिस प्रकार कभी कभी बुचित श्रद्धा पर अथश्रद्धाका दोष लगाया जाता है, अुनी प्रकार कभी पूर्व-श्रद्धा पर भी यह दोष लगाया जा नकता है; जिसलिअे जिन दोनोका भेद भी नमज लेना चाहिये। श्रद्धा-मात्रका अन्तिम प्रमाण और आधार तो अनुभव ही है। जिन प्रकार श्रद्धा अेक ओर तर्कका अनुसरण करती है, अपवा श्रद्धा अंग तर्क दोनो नाय-नाय चलते हैं, अुसी प्रकार दूसरी ओर वह अनुभव या बुद्धिो पफले आती है। बुदाहरणके लिअे, बालक खूब मेहनतमे विज्ञा नोपता है। विद्याके लाभका अुने अनुभव नहीं होता। अुने केवल पुण्ड तर्कमे अुसके लाभकी कल्पना की है। यह तर्क नच्चा है, जिन श्रद्धामे वद विद्या प्राप्त करनेका प्रयास करता है। विद्या प्राप्त कर्ने यदि अुने लाभका अनुभव करना है, तो विद्याके प्रति अुनकी श्रद्धा नू होनी है, पर्ना स्वतम हो जाती है। जिनो प्रकार विज्ञानशास्त्री अपनी प्रत्येक गोजंके लिअे परिश्रम करनेमे पहले तर्क द्वारा मत्पकी कुण्ड पणना कर्ना है और फिर अुन कल्पना पर श्रद्धा रखकर अुनका अुनकर कर्नेका प्रयत्न करता है। अुन अनुभवमें यदि वह मफ्त होता है, तो अुनी यह श्रद्धा निदान्मका रूप लेनी है। अंभी पूर्व-श्रद्धा (अनुभवो कर्ने

रहनेवाली, 'कच्ची' या कामचलाजू श्रद्धा) आवश्यक होती है। उसके बिना जीवनमें कोशिश भी कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।

अधुना अवश्रद्धाको सदोप श्रद्धा कहा है। परन्तु मेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक सदोप श्रद्धा मनुष्यको नीचे ही गिराती है। पूर्व-श्रद्धा और सदोप श्रद्धाके बीच यह भेद किया जा सकता है कि जब विशेष अवलोकन और अनुभव हमारी पूर्व-श्रद्धाको दृढ़ बनावें और सिद्धान्तका रूप दें तो कहा जा सकता है कि वह सच्ची श्रद्धा थी, जब विशेष अवलोकनसे पूर्व-श्रद्धाके प्रकारमें महत्त्वका परिवर्तन हो जाय और उसका स्वरूप बदल जाय, जब पूर्व-श्रद्धा गलत मालूम हो और उसके स्थान नयी श्रद्धा ले ले, तो माना जायगा कि वह सदोप श्रद्धा थी। पूर्व-श्रद्धा सदोप है या सच्ची, यह अनुभविके लिये महत्त्वकी चीज नहीं है। महत्त्वकी बात तो यह है कि उसके साथ अवलोकन करने और अनुभव प्राप्त करनेकी वृत्ति—विवेक—है या नहीं। वह न हो तो वादमें सत्य सिद्ध होनेवाली श्रद्धा भी उसके लिये अंधश्रद्धा है और असत्य सिद्ध होनेवाली श्रद्धा भी अंधश्रद्धा है।

यह विचारसरणी यदि निर्दोष हो, तो जिसमें से नीचेके नियम सामने आते हैं.

१. गुण और श्रद्धाका निकट संबंध है।

२. गुणकी अकुटता श्रद्धाका पोषण करती है, परन्तु भावना-वशता—अर्थात् विवेकहीन भावना—अवश्रद्धाको जन्म देती है।

३. श्रद्धा प्राणीके चित्तका स्वभाव ही है; अतिलिये श्रद्धाका अभाव कभी नभवं ही नहीं होता। अतः अवश्रद्धाका अर्थ है श्रद्धाकी कमी या हमारे किमी विषयमें श्रद्धा।

४. मतभेदकी जड़ है श्रद्धाभेद और श्रद्धाभेदकी जड़ है गुणभेद। केवल दलीलोंमें गुणभेद नहीं टाला जा सकता और अतिलिये मतभेद भी नहीं टाला जा सकता। श्रद्धाका पोषण करनेवाला गुण निर्माण हो नके अर्थमा अनुभव करा दिया जाय तो ही मतभेदको दूर करनेकी दिशामें कदम अठाया जा सकता है।

५ श्रद्धा मनुष्यके व्यक्तित्वको स्पष्ट करनेवाली चीज है।

सत्त्वानुल्पा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत।

श्रद्धामयोज्य पुत्रो यो यच्छ्रद्ध. न भेद स ॥* (गीता १८-३)

६ नदोष श्रद्धाका अर्थ है अद्वारे अवलोकनवाली श्रद्धा, जो अवश्रद्धाका अर्थ है अवलोकनका अभाव होते हुअे तथा अनुभव प्राप्त करनेकी वृत्तिके बिना रखी गयी श्रद्धा। किन्ती पदार्थमें प्रकृतिकर घर्मोति भिन्न या अनुभवे अतिरिक्त दूसरे घर्मोंका आरोपण, अथवा देवी शक्तिका आरोपण, या अके शक्तिका दूसरी शक्तिके रूपमें अज्ञान और ग्रहण आदि सदाप श्रद्धाके कुछ लक्षण हैं।

७ श्रद्धाके दो विभाग हैं कच्ची या अनुभवमें पहुँचकी श्रद्धा और पक्की या अनुभवमें दृढ़ बनी हुअी श्रद्धा।

८ पूर्व-श्रद्धाका फल सिद्धान्त है, जिसदिशे श्रद्धाका विषय अनुभवमें सिद्ध हो, तभी श्रद्धा कर्माटी पर खरी जुतरा सर्ही जा सकती है।

९ तर्कशक्ति श्रद्धाकी बनील है जो अनुभवा समझन करनेका प्रयत्न करती है। परंतु वह बुद्धिके जागे चली है और अनुभवी जो अनुभवको ले जाती है।

१० श्रद्धाकी गुणिका अर्थ है किन्ती भी विषयमें रहनेवाले अवश्रद्धाको तथा अयोग्य विषयमें रहनेवाली श्रद्धाको दूर कर दिया जाय नदोष श्रद्धाको सुधारा जाय और योग्य विषयमें श्रद्धाको देखा जाय। श्रद्धाकी बुद्धि अनुत्तिकारक है; अश्रद्धा या अज्ञान श्रद्धाकारक नहीं है।

* हे भारत प्रत्येक मनुष्यकी श्रद्धा अपने अपने रस — भावना और बुद्धि — के अनुसार होती है। अनुभवनाम गुणित प्रकाश है। जैसी जिनकी श्रद्धा होती है, वैसा ही वह बनता है।

विकासके प्रकार

शिक्षाशास्त्री बार बार कहते हैं कि शिक्षाकी योजना बिन प्रकार की जानी चाहिये कि जिनसे बालककी शक्तियाँ बिल्के, उनका विकास हो। जिसके लिये यह भी सुझाया जाता है कि बालकको हमारे विचारोंसे पढ़ानेका प्रयत्न न किया जाय, बल्कि जिस बातका पता लगाया जाय कि उसमें क्या पढ़नेकी शक्ति है, और फिर वही उसे पढ़ाया जाय।

बिन कथनमें अकेतरफा सत्य है। जिसलिये जीवनके विकासका अर्थ क्या है, जिसका थोडा विचार करना आवश्यक मालूम होता है।

आमके जिस पेड़ परसे पाव भर वजनका एक एक फल अउतरता हो, उस परसे दुगुने वजनका फल अउतरे बिन तरह उसे सुधारना आमका एक प्रकारका विकास है।

उसका गुदा बढाकर गुठली छोटी करना दूसरे प्रकारका विकास है।

उसके एक सेर रसमें पाच प्रतिशत मीठा तत्व हो, तो उसके वजाय सात प्रतिशत मीठा तत्व करना उसका तीसरे प्रकारका विकास है।

जिसी तरह हम प्राणियोंके विकासका विचार करें। कीड़ेकी अत्यन्त बडी आवृत्ति सर्प कही जा सकती है; बिल्लीकी बडी आवृत्ति बाघ है। जिस तरह कीड़े और बिल्लीके बनिस्वत सांप और बाघका विकास अधिक हुआ है। दोनोंके अवयव, स्वभाव और बल एक ही प्रकारके हैं। लेकिन दोनोंका खूब विकास हुआ है। कीड़े और बिल्लीके प्रत्येक अंगकी वृद्धि होनेने वे माप और बाघ बने असा कहा जा सकता है। यह एक प्रकारका विकास है।

साप बहुत बडा और बलवान प्राणी है; कीड़ी बहुत छोटा और कमजोर प्राणी है। परंतु कीड़ीके जो अंग प्रकट रूपसे फूटे हैं, वे मापके नहीं फूटे। कीड़ी पावसे चलनेवाला प्राणी है; माप पेटके बल चलनेवाला प्राणी है। माप बटा हुआ, पन्तु कीडा ही बना रहा, कीटी

छोटी रही, परंतु कीड़ेकी दगाकी छोड़कर दूसरी जातिके प्राणीकी पक्तिमें मिल गयी। उसने वजन ढोनेकी शक्ति प्राप्त की है, नाय मिलकर काम करनेकी शक्ति प्राप्त की है और नमाज बनानेकी शक्ति प्राप्त की है। उसमें घर बनाकर रहनेकी और अन्नका संग्रह करनेकी शक्ति है। सापमें ऐसा कुछ नहीं है। अिस तरह बल और शरीरकी दृष्टिसे सापके सामने कीड़ेकी कोशिश दिसात नहीं है, फिर भी अनेक गुांती दृष्टिसे कीड़ी सापसे अधिक विकास पाया हुआ प्राणी है। जिस तरह कीड़ेका विकास भिन्न प्रकारका है।

अब तीसरे प्रकारका विकास लें। हाथीने अपने प्रत्येक अंगको बढ़ाया है, परंतु उसने दो दातो और नाकको लंबा बनानेमें तो लैजी हद ही नहीं रखी है। लंबे लंबे ही जमीन तरु पहुंचनेवाले दात और नाक दूसरे किनी प्राणीने नहीं बढ़ाये। अिनके विपरीत, नाधारण बड़े प्राणियोंमें मनुष्यकी नाक और दात अत्यन्त छोटे हैं। यदि शरीरकी स्थूलतासे तथा दात और नाकके बल और लम्बाजीने विचारकर नाप निकाला जाय, तो हाथी बहुत विकसित प्राणी माना जायगा।

हाथीके नामने बदर राक्षसके नामने बाने जैना लगता है, परंतु हाथी चाहे जितना बडा हो, तो भी वह नीचा नहीं बैठ सकता। अगले दो घुटनोका आधार अुते लेना ही पडता है। कुते अथ वने जैसे होते हैं, परंतु किनी चीजको पकडनेके लिये जूनती अगुलिया बेंकार होती है। बदर नीचा बैठ सकता है, दो पावोंने चला सकता है और अगुलियोंका अुपयोग कर सकता है। अिन तरह बदरका विकास हाथीसे भिन्न प्रकारका है।

गाय-भैंसकी दूध धारण करनेकी शक्ति किनी बढी होती है? और गाय अपने बच्चे पर जो हैत और ममता रखती है, अुने अुपयोग रूप ले लिया है। फिर भी गाय दूसरी किनी गायके बच्चे पर ममता नहीं रख सकती; अुने मारने ही शैडनी है। अगर भैंसके अुमने गायके बच्चा अुनका दूध पीने चला जाय तो वह अुने लाल मारती है।

कुते अपने छोटे बच्चोंके नाय लेने हैं, अुने अुपयोग हैं। बड़े कुते आपसमें लडते हैं, लेकिन छोटे बच्चोंको प्राण नहीं लेते।

एक बड़ा कुत्ता दूसरे बड़े कुत्तेको कोबी चीज खाने नहीं देता, अक्सर छीन भी लेता है। लेकिन खुद भूखा हो तो भी वह छोटे बच्चोंके भागको नहीं छूता।

बन्दर जिससे भी आगे बढ़े हुये है। हम जिस तरह दूसरोंके बच्चोंको खेलानेके लिये लेते हैं, गोदमें अुठाते हैं, उसी तरह बन्दर दूसरे वानर-बच्चोंको खेलाते हैं, अुठाते हैं, छातीसे लगाते हैं और कोबी बच्चा अपनी माँसे अलग पड गया हो तो उसे माँके पास पहुँचाते हैं। यह पाँचवे प्रकारका विकास है।

कहा जाता है कि शूतुरमुर्गने मेल ट्रेन जितनी दौड़नेकी शक्ति बढ़ायी है। उसके पंख केवल शोभा बढ़ानेवाले होते हैं, और जिसीलिये उसके नाशके कारण बनते हैं। चिड़ियाके पाँव और पंख दोनो कमजोर होते हैं, फिर भी चिड़ियाके पंख शूतुरमुर्गके पंखोंकी तरह निकम्मे नहीं हो गये हैं। शूतुरमुर्गने अपनी एक अिन्द्रियकी अपेक्षा की है और दूसरी अिन्द्रियको बलवान बनाया है। यह छठे प्रकारका विकास है।

अब हम ननुप्यका विचार करें।

मुतार और लुहारकी भुजायें बलवान होती हैं और हरकारके पाँव बलवान होते हैं। समुद्रमें से मोती निकालनेवालेमें साँस रोकनेकी जबरदस्त ताकत होती है। मोती पिरानेवालेकी आँखें तेज होती हैं। सुनारकी छोटेसे छोटे वजनको पहचाननेकी शक्ति बढी हुई होती है; और कुशल अस्त्र-चिकित्सकमें वारीक कारीगरी करनेवाले मुतार, लुहार, सुनार, दरजी सबकी शक्ति होती है। वारीक कारीगरी करनेवालोंमें अस्त्र-चिकित्सक शायद सबसे विकसित कारीगर कहा जा सकता है। स्थूल स्नायुबलमें पहलवानोंका विकास हुआ होता है। गवैये, हलवायी, गंधी, चित्रकार, तीरंदाज आदि लोग भिन्न भिन्न अानेन्द्रियोंकी शक्ति काफी बढा लेते हैं।

वेकनमें किमी भी विद्याको समझ लेनेकी महान शक्ति थी। टॉन्स्टॉयमें काल्पनिक कहानियाँ रचनेकी अद्भुत शक्ति थी। रबीन्द्र-

नाथ, शेक्सपियर आदिकी कल्पनाशक्ति असाधारण रही जयगी। राजचन्द्र की स्मरणशक्ति अनोखी थी।

वेकन अत्यन्त बुद्धिमान था, लेकिन यह माना गया है कि उनमें प्रामाणिकताकी वृत्तिका विकान नहीं हुआ था। औरगजेव धर्मनिष्ठ माना जाता था, परतु पितृभक्ति और बन्धुप्रेमका उनमें अभाव था। उसकी तेज बुद्धि कपटके रास्ते ही चलती थी। युरोपके अनेक रवि अत्यन्त सुच्च कोटिके माने जाते हैं, परतु उनमें पत्नीव्रतके विचारका संपूर्ण अभाव पाया जाता है। भारतके अनेक पुराण वेदान्तके विषयमें विपुल माने गये हैं, परतु उनमें नैतिक चरित्रके विकानका अभाव था।

रामकृष्ण परमहंस और तुकाराममें बीश्वरके अनुरागकी वृत्तिका अपार विकान हुआ था, परतु वे वेकन जैसे समय विद्वान नहीं माने जा सकते। महावीरकी भूतदया पराकाष्ठाको पट्टी हुई थी। बड़े मानव-प्रेमका कोशी पार नहीं था।

मनुष्यको छोड़कर दूसरी किसी एक ही जातिके प्राणियोंके विकासका नियम लगभग एकना होता है। किनी दिनमें जगम अवयव जितने विकसित होंगे, उतने ही दूसरी नारी विल्लियोंमें भी विकसित हुअे मालूम होंगे। किनी विल्लीके जगले पत्ते मजबूत जग किनीके पिछले मजबूत, अना नहीं होगा। यह भी नहीं होगा कि किनी विल्लीकी पूछ लरवा तो किनीकी मूछ लरवा है।

मनुष्य-जातिमें विविधताका कोई पार नहीं है। नारे मनुष्योंके नारे अवयवोंमें अकसा बल नहीं होता। किनीका दाहिना हाथ बहुत मजबूत होता है, तो किनीका बाया। किनीके पाय मजबूत होंगे, तो किनीकी अगुलिया, तो किनीकी भुजायें। जोकी मोटरगाड़ी चालने जितना बलवान होता है। किनीकी दृष्टि तेज, किनीके भावनायें तेज तो किनीकी कल्पनाशक्ति तेज होती है। जोकी मजबूत किनी चिन्तन करनेवाला होता है, तो कोशी तूलिकाने। जोकी अन्तर्गत किनी चिन्तन करनेवाला होता है, तो कोशी तूलिकाने।

* बन्धुप्रेमके अंक अतावधानी, जिन्दगीमें अपनी भावनाओं के आध्यात्मिक वृत्तिके कारण नारीजीने प्रदर्शित जीवन पर नारी अन्तर डाला था। 'आत्मकथा' में नारीजीने जितना लिखा है, उतना ही

होता है, तो कोधी जवरदस्त ठग। किसीमें वेहद लोभवृत्ति है, तो किसीमें वेहद अुदारता। कोधी क्रोधकी मूर्ति है, तो कोधी दयाकी मूर्ति। रूप, रग, आकृति, वजन, बल, स्फूर्ति (smartness), अवयव, हड्डिया, स्नायु, ज्ञानतंतु, कल्पनाशक्ति, विचारशक्ति, ग्रहणशक्ति, स्मृति, विकार, शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति आदिमें जो प्रकृति जन्मसे प्राप्त हुयी हो, अुसमें वृद्धि करना ही यदि विकास शब्दका अर्थ समझा जाय, तो विशेष चरवीवालेका और चरवी बढाना, बडी हड्डियोवालेका अुन्हें और बडा करना, अेक मोटर रोक सकनेवालेका दो मोटरें रोकना, अेक कविता रचनेवालेका अनेक कवितायें रचनेकी शक्ति प्राप्त करना, अेक भाषा सीखनेवालेका अनेक भाषायें सीखना, थोड़े क्रोधीका अधिक क्रोधी बनना, थोड़े लोभीका बहुत ज्यादा लोभी बनना, चोरनेकी वृत्तिवालेका अुसीमें प्रवीणता प्राप्त करना, झूठ बोलनेकी वृत्तिवालेका विना प्रयास झूठ बोल सकनेकी शक्ति बढाना — यह सब विकास ही माना जायगा।

लेकिन स्पष्ट है कि यदि विकासका केवल अितना ही अर्थ किया जाय, तो अुसके अुल्टे परिणाम आयेंगे।

अुपरके विवेचनसे मालूम होगा कि विकास छ प्रकारका है। विकास स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकारका हो सकता है। स्थूल विकासका अर्थ है किसी भी मूल शक्तिका स्वरूप कायम रहते हुअे अुस शक्तिमें वृद्धि होना; सूक्ष्म विकासका अर्थ है अुस शक्तिका किन्हीं दूसरी जातिकी शक्तिमें रूपान्तर होना।

(१) अिन प्रकारके स्थूल विकासमें पहला कद-विकास माना जा सकना है। जैसे, बिल्ली और कीड़ेकी तुलनामें बाघ और सापका विकास। जो अवयव, स्वभाव आदि बिल्ली और कीड़ेमें है, वे ही बाघ और नापमें हैं। लेकिन प्रत्येकका कद बड़ा बना हुआ है।

(२) दूसरा विकास अवयवोका होता है। अुंढकी गर्दन सूब बढी हुयी होती है। दूसरे प्राणियोकी तुलनामें हाथीकी नाक और दात अमाधारण लम्बे होते हैं। बन्दरकी पूछ लम्बी होती है। बन्दर और मनुष्यकी अंगुलियां भी लम्बी कही जायगी। चरगीशके कान लम्बे होते हैं। बगैरेकी चोंच लम्बी होती है। अलग अलग धंवा करनेवाले लोकोकी

ध्वेमें काम आनेवाली कर्मेन्द्रियो या ज्ञानेन्द्रियोके कद बढे गये होते हैं। यह अिन्द्रियोका स्थूल विकास कहा जा सकता है।

लेकिन चीलकी निगाह तेज होती है। मकडीकी स्पर्शशक्ति तेज मानी जाती है। खरगोशके कान तेज होते हैं। कुछ प्राणियोकी घ्राण-शक्ति तेज होती है। पोपटकी वाणीमें विशेषता होनी है। छोटे जौर नुतुरमुर्गके पावोमें विशेष बल होता है। जिस तरह अवयवोंके स्पर्श कदमें नहीं, बल्कि अुन अवयवो द्वारा बल दिवानेकी शक्तिमें बढि होना अिन्द्रियोका सूक्ष्म विकास कहा जा सकता है।

(३) चीटी और पतंग पहले अडेमें से अिल्लीका और अिल्लीमें से परिवर्तन पाकर चीटी और पतंगका रूप लेते हैं। मेंढक, पक्षी, मनुष्य आदि प्राणियोमें जिससे भी अधिक परिवर्तन होते हैं। कुछ पशुवर्तन अडेमें या गर्भमें होते हैं, कुछ बाह्य जगत्में होते हैं, कुछ अग नाष्ट हो जाने हैं, कुछ नये आते हैं। जिस तरह स्थूल रूपमें परिवर्तन होना है।

मनुष्यके स्वभावमें भी अैना अद्भुत पशुवर्तन होता है। गुरु चोरसे साधु बनता है, जडमे वृद्धिमान बनता है, जुपद्रवीमे शान्त बन जाता है, अुताबलेमे गभीर बनता है। जिस तरह प्रत्येक बालक पूर्वजोंके शरीरोमें हुअे रूपान्तरके क्रमसे गुजरता है, वुनी प्रकार पूर्वजोके स्वभावके रूपान्तरका क्रम भी प्रत्येक बालक का या अिन्तु समझने लिये बताता है। माता-पिताके बचपनके दोष अुनकी बडी अुन्में गर्व से दूर हो चुके हो, तो भी वे बालकमें कुछ नमय तक बने ही अिगाजी देते हैं।

शरीर और स्वभावके अैने पशुवर्तन स्थूल या सूक्ष्म पशुवर्तन — विकान — कहे जा सकते हैं।

(४) चौथा विकान आयुकी मर्यादाता है। नामान्तरक अिभिन्न प्राणियोकी आयु-मर्यादा निश्चित होती है। अुनके नमयमें वे पत्नी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्थाके चार अुरे अर गते हैं। अलग अलग कारणोसे यह मर्यादा कम-अ्यादा होती है।

(५) गाय और भैंसको अुगाह और अुनके पावोका अुनीग अेकना ही होता है। भैंस अ्यादा ताबतबर अिन्ती है, जिस की गाय चचल और तेजस्वी तथा भैंस अुड मालूम होती है। अुनके

पाये हुये कुत्ते और जंगली कुत्तेके तेजमें भेद होता है। मुसंस्कारी और कुमस्कारी मनुष्यके तेजमें भेद होता है। बन्दके हाथ-पाव मनुष्यके हाथ-पावमें बहुत छोटे, पतले और नाजुक मालूम होने हैं, फिर भी वह अलग अलग तरह काम लेता है मानो वे फुटबॉलकी तरह हवामे भरे हुये हों। मनुष्य बितनी चपलता नहीं दिग्ना मरता। कोभी मनुष्य पतला दिग्ना है, परन्तु मोटे मनुष्यको हरा नकता है। यह बताता है कि अलगके शरीरके तत्त्व मोटे मनुष्यमें अधिक गुद्ध है। अरुपर कहा जा चुका है कि जिम आमके नेरनेर रसमें ने पाच प्रतिगत मीठा तत्त्व मिलता हो, अरुसमें असा सुधार करना कि नात प्रतिगत मीठा तत्त्व मिले, यह अंक प्रकारका विकाम है। असी तरह शरीर या अन्द्रियोंके कदमें फर्क न पडने पर भी अलगके तत्त्वोंकी शुद्धि बढे और अलगमें शरीरकी या चित्तकी शक्ति बढे, तो यह पाचवें प्रकारका विकाम है। जिसे नेजविकाम या प्राणविकाम कहा जा नकता है।

(६) कुत्ते और घोटेमें स्वामिभक्तिकी भावनाका विकाम हुआ है, चींटी, मधुमक्खी आदिमें समाज-रचना और अद्यमशीलताकी भावना विकसित हुयी है; और सापमें बैरकी तीव्र वृत्ति है, असा कहा जाता है। कुछ पक्षियोंमें मुन्दरताकी अमाधारण दृष्टि होती है। मनुष्योंको देखे तो किमीमें द्वेषवृत्ति बलवान होती है तो किमीमें प्रेमवृत्ति; किमीमें झूठी वाने बनानेकी अजीब करामात होती है तो किमीमें अत्यन्त मत्यनिष्ठा; कोभी पगक्रमी होता है तो कोभी कायर, कोभी बुद्धार है तो कोभी कंठन। अिम तरह विविध गुणोंका विकाम हुआ दिग्ना देना है। जिसे भावना-विकाम या गुणविकाम कहा जा नकता है।

अब हम अिमकी चर्चा करेंगे कि अिम छ प्रकारके विकामोंमें किम प्रकारका बितना विकाम मनुष्यके लिये वाछनीय जीवन-विकाम माना जायगा।

अिसका हम अनुक्रममें विचार करें।

(१) कद-विज्ञान — मनुष्य बितना अूंचा और मोटा हो नकना है, अिमकी किमी प्रकारकी मर्यादा होनी है। चाहिये, असा माननेवा कोभी कारण नहीं। परन्तु प्रत्येक युग और देशके लोग अपने समयके

लिजे अंक वाग कदको ठीक मानने है; सुनने कम या ज्यादाको ठीक नहीं मगझते। बहुत सूचे मनुष्यको ताड-जैमा कहकर, बहुत ठिगनेको बीना कहकर, बहुत मोटेको हाथी जैजा कहकर और बहुत दुबले-भतलेको बानकी लुपमा देकर हमने कदके प्रमागकी जमुक मर्यादा बना ली है। सुतने कदको पहुंचना हम म्दके लिजे बाछनीय ममझते है और सुतने कदको धृज युग और देशके लिजे काफी मानने है। सुनने सूची मर्यादाको भागी जाति पहले तो सुने बुरा नहीं मानते, परन्तु अेकाध व्यक्तिका विम दिनामं अपवादरूप विकान आदर्ग नहीं माना जाता। विम तरह कद-विकानकी मर्यादा दब चुकी है। कद-विकानकी दृष्टिसे जीवन-विकानग अयं हमने निश्चित किया है — सुग दधी हुजी मर्यादा तन पहुंचना। कद-विकानकी मर्यादा न बाचना और सुने अमर्यादित रूपमें बढानेके लिजे अपना भाग पुनराय ल्गा देना गिनीको ध्येयके रूपमें स्वीकारने जैमा नहीं लगता।

(२) जब अिन्द्रिय-विकानका विचार करें। मनुष्यको प्रत्येक अिन्द्रियके विकानकी कोअी सामान्य मर्यादा निश्चित नहीं की जा सकी है। अत्यन्त नाटा या अत्यन्त सूचा कद विम तरह बरछा नहीं लगता और मजाक सुझाकर सुनके प्रति बनादर दियाया जाता है, देना नारे अिन्द्रिय-विज्ञानके लिजे नहीं है। शरीरके अ्वयवोंके कने लिजे — अिन्द्रियोंके म्यूठ विज्ञानके लिजे — अमुक मर्यादा अ्वरूप मानी गयी है। तद्वन, जगन्गियां, आर्से, कान, नाग जाति बहुत ल्वे या दहन छोटे हो, तो जन्मी दीया की जाती है। परन्तु जिन अिन्द्रियोंकी शक्तिके लिजे कोअी मर्यादा नहीं तय की जाती। गतिती दृष्टिमें सुनना बनायाया विम आदरमान माना जाता है। पन्नामकी कुन्ती ग्ने, मोटर गेने, भागी बजन छोी पर सुझने या नाग नोअनेकी गति गिनाते-नाही आगोही भेरी, गायक या दग्गता अन्त पर प्राप्त किया अे अिधवार, यति या नाट्य-गगी अिन्द्रिय अ्वन-गति गानर-गनीमें अद्भुत म्कान-गति, दनीनी तर्गति और शैर्वातकी अन्वोहन-शक्ति अिन्दी अिन्दी हो सुनी बाअनीय गन्गी जाती है। और विम ग्ने नामार-नः म्क गना गत है।

बालककी जिस विन्द्रियकी शक्तिमें विशेषताकी ओर जानेका झुकाव मालूम होता हो, अमीको प्रोत्साहन देना ठीक है।

मेरी नम्र रायमें जिस मान्यता पर तीन दृष्टियोंमें विचार किया जाना चाहिये।

साधारणतः हमारा यह खयाल होता है कि हममें अनेक प्रकारकी स्वतंत्र शक्तियाँ हैं, अलग अलग कर्मेन्द्रियोंकी शक्ति या अलग अलग ज्ञानेन्द्रियोंकी शक्ति एक-दूसरेसे स्वतंत्र है; कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंकी शक्ति एक-दूसरेसे स्वतंत्र है; ज्ञानेन्द्रियों और अन्तःकरणकी शक्ति एक-दूसरेसे स्वतंत्र है। अन्तःकरणकी कल्पनाशक्ति, स्मृतिशक्ति, तर्क-शक्ति आदि एक-दूसरेसे स्वतंत्र है। जिसलिये एकका अधिक विकास करनेमें दूसरी किसी बाहरी या भीतरी विन्द्रियके कुठिन होनेका भय रखनेकी जरूरत नहीं।

यह खयाल मुझे गलत मालूम होता है।* मुझे लगता है कि किसी एक समयमें प्रत्येक मनुष्यके पास समग्र शक्तिका एक निश्चित भंडार होता है। हर मनुष्यका यह भंडार कम-अधिक हो सकता है, जीवनके अलग अलग समयमें एक ही मनुष्यका यह भंडार कम-अधिक हो सकता है। बचपनमें बढ़ सकता है, बूढ़ापेमें घट सकता है; बीमारी, भुखमरी वगैराके कारण घट सकता है। व्यायाम, प्राणायाम, अन्न, औषधि आदिमें बढ़ सकता है। यह एक ही भंडार अलग अलग विन्द्रियोंमें बँटा हुआ होता है। यह बँटवारा कम-ज्यादा अंशमें हुआ रहता है। किसी मनुष्यकी एक कर्मेन्द्रियमें इसका बड़ा अंश होता है तो किसीकी दूसरीमें। किसीकी कर्मेन्द्रियमें तो किसीकी ज्ञानेन्द्रियमें। किसीकी एक ज्ञानेन्द्रियमें तो किसीकी दूसरी ज्ञानेन्द्रियमें। किसीकी एक कर्मेन्द्रिय और एक ज्ञानेन्द्रियको अमुका अधिक अंश मिला होता है, तो किसीकी अन्तरिन्द्रियोंको अमुका विशेष अंश मिला होता है। अतः समग्र भंडारमें वृद्धि हुई बिना किसी एक

* अतः विषयमें मेरा अवलोकन पूर्णताको पहुँच गया है, अतः विश्वास न होनेके कारण मैं यहाँ निश्चयान्वित क्रियापदानों का प्रयोग नहीं करता।

अिन्द्रियका अधिक विकास दूसरी किसी अिन्द्रियमें न्यूनता अुत्पन्न किये विना नही हो सकता । असलिये यदि किसीमें गानेकी या चित्र बनानेकी विशेष शक्ति हो और अपनी समग्र शक्तिके भंडारमे वृद्धि हुये विना वह केवल अपनी अिस शक्तिको ही वढावे, तो दूसरी किसी अिन्द्रिय या अन्त करणकी शक्तिमें कमी हो सकती है ।*

यह अेक वात हुआ ।

मनुष्यका स्वाभाविक झुकाव अैसा मालूम होता है कि अुसे भरे हुयेमें अधिक भरना ज्यादा अनुकूल लगता है । असलिये जीवनमें मालूम होनेवाले दूसरे दोषोको दूर करनेके अुपायके रूपमें वह अैसा करता है और यह अुसे सुखपूर्ण लगता है । अुदाहरणके लिये, मान लीजिये कि अेक मनुष्यकी समग्र शक्ति १०० तोला है । अुसमें से २५ तोले अुसकी आखोमें, २५ तोले अुसकी अगुलियोमें, २५ तोले कल्पनाशक्तिमें और वाकीके २५ तोले दूसरी कर्मेंन्द्रियो, ज्ञानेन्द्रियो तथा अन्त करणमें है । अपनी आखो, अगुलियो और कल्पनाशक्तिको २५-२५ तोलेके बजाय ३०-३० तोले देना अुसके लिये आसान है, परतु वहा २०-२० तोलेका प्रवाह भेजकर दूसरी अिन्द्रियोको १५ तोले ज्यादा देना अधिक कठिन

* यह वात लिखनेके बाद शरीर-विज्ञान (Physiology)की अेक पुस्तक पढनेसे मुझे मालूम हुआ कि अूपरका कथन वेवुनियाद नही है । शरीरशास्त्री मानते है कि हमारे शरीरकी कुछ गाठें हड्डिया वढानेवाली है, कुछ मास, चरवी, शक्ति आदि वढानेवाली है । अमुक आयु तक हड्डिया वढानेवाली गाठें अितनी खाअू होती है कि हम जो कुछ खाते-पीते है, अुसका अधिक भाग ये गाठें ही चूस लेती है, यहा तक कि दूसरी गाठें भूखो मरती है । किसी किसी प्राणीको खुराक न मिलती हो, तो भी अुसकी हड्डियां बढती मालूम होती है । यदि अन्नमें से रस न मिले, तो शरीरमें जो थोडा-बहुत मास होता है, अुसे भी चूस कर ये गाठें हड्डिया वढानेका काम करती है । अिसी तरह कुछ लोगोके सब रसोको चरवीमें बदलनेवाले भाग खूब क्रियाशील होते है, और कुछके दूसरे भाग । यही नियम अिस विषयमें भी लागू होता दिखाअी देता है ।

और विशेष प्रयासके बिना असाध्य होना है। जिमलिजे असे २५ के वजाय ३० तोले देना अधिक सुखकारक और विकास करानेवाला लगता है। जिस तरहका विपम बटवारा यह भान कराये बिना नहीं रहेगा कि जीवनमें कुछ कमी है। लेकिन मनुष्यके जिम झुकावके कारण असे असा लगता है कि यह कमी दूर करनेका अुपाय ३० तोलेके वजाय ३२ तोले करनेमे है। जिस तरह मनुष्य अपनी अिन्त्रियोंके झुकावका अधिकाधिक आग्रहपूर्वक अनुसरण करता है। बुद्धिमान मनुष्य मानता है कि मेरे जीवनमें मालूम होनेवाली कमी बुद्धिको ही ज्यादा कसनेसे पूरी होगी। कल्पनाशील मनुष्य कल्पनामें अधिक रमता है। ध्यानी ध्यानमें रत रहनेका प्रयत्न करता है। पहलवान यह मानता है कि जीवनमें मालूम होनेवाला असतोप ज्यादा कुशियां लडनेसे दूर होगा। गायक गान्या कर दुःख मिटानेका प्रयत्न करता है। डॉक्टर किसी बुद्धिजीवीने पढना बन्द करनेको कहता है, तो वह असे ज्यादा कठिन मालूम होता है; और वह असा मानता है कि जिससे तो मैं अुलटा जल्दी मर जाअूंगा। यह बात कौन नहीं जानता?

यह हुआ दूसरी बात।

स्वाभाविक झुकावका पोषण करनेके निद्वान्तके पीछे यह खयाल है कि अनुकूल परिस्थितिया ही विकासके लिये अुपयोगी है। विकासके अुपर बताये अूये प्रकारोका विचार करनेमे मालूम होगा कि किसी विकासके लिये अनुकूल परिस्थितिया जरूरी होती है; तो किसी विकासके लिये असह्य न लगनेवाली प्रतिकूल परिस्थिति या आघात आवश्यक होता है। किसी विकासके लिये शक्तिका अुपयोग हो अैमा श्रम करना आवश्यक होता है। और किसी विकासके लिये शक्तिके रोकनेको रोकना — अुगे संयममें रखनेका प्रयत्न करना आवश्यक है। अेक छोटा बच्चा भी घोडेको दौटा नकता है; परन्तु अने रोकनेके लिये हाथियार आदमीकी जरूरत पडती है। ट्रामका ब्रेक टवाते समय ही मालूम होता है कि असे चलाना कमजोर आदमीके बूनेका काम नहीं है। रेलगाडीकी पटरिका साधा बदलनेमें बहुत जोर लगाना पडता है। अुगे प्रकार अेक ही दिशामें बहते रूनेवाले शक्तिके प्रवाहको

रोककर दूसरी दिशामें मोड़ना कठिन है, लेकिन विकासके लिये बहुत जरूरी है।

यह तीसरी बात हुई।

गुणविकास — भावना-विकास — का विचार करते समय अिन बातोंका महत्त्व अधिक मालूम होगा।

अिन तीन बातोंका विचार करने पर यह जरूरी मालूम होता है कि जिस तरह कद और अिन्द्रियोंके स्थूल विकासकी मर्यादा बाधनी चाहिये, अुत्ती प्रकार अिन्द्रियोंके सूक्ष्म विकासकी भी मर्यादा बाधनी चाहिये। मैं शरीरको बलवान बनाऊंगा। किस हद तक? हाथोंको बलवान बनाऊंगा। कहा तक? सास रोकनेकी शक्ति बढ़ाऊंगा। किस दर्जे तक? मैं कानों और आंखोंको तेज बनाऊंगा, वक्तृत्व-शक्ति प्राप्त करूंगा, गानेकी कलाका विकास करूंगा, चित्रकला सीखूंगा; तर्कशक्ति, कल्पनाशक्ति और स्मरणशक्ति तेज करूंगा। परंतु सब कहा तक? शरीर, अिन्द्रिया, अन्त करण सबका बलवान या तीव्र होना जरूरी है। परंतु किसी अेक अगके अपार बल या तीव्रतामें जीवनकी पूर्णता नहीं है। अपने देश, काल, जाति, वय, परिस्थिति आदिका ध्यान रखकर किसी अगका कहा तक विकास किया जाय, अिसकी कोअी सीमा तो होनी ही चाहिये। प्रत्येक मनुष्यमें कुछ अगोंका दूसरे अगोंमें अधिक विकास होगा ही। सुतारकी आंखों, हाथों वगैराका विकास होगा ही। हरकारेके पाव अवश्य मजबूत बनेंगे। केवल परिस्थितिके कारण ही अिस तरह अिन अिन्द्रियोंको मिलनेवाला अक्तिका अधिक प्रवाह अनिवार्य और अनिष्ट नहीं होता। परंतु तालीमकी बुद्धिपूर्वक योजना बनानेवालेके लिये केवल बालकके स्वाभाविक झुकावको पोषण देनेकी दृष्टि रखना अुचित नहीं होगा।

कद-विकासके बारेमें साधारणत यह कहा जा सकता है कि अेक अुत्रके बालक अेक ही वर्गमें आते हैं। अुनके लिये समान व्यवस्था की जा सकती है। अमुक अुत्र तक अनिवार्य रूपसे कद-विकास करनेका नियम बनाया जा सकता है। लेकिन अिन्द्रिय-विकासके बारेमें वर्ग बनाना कठिन होता है। अेक ही अुत्रके दो बालकोंका अिन्द्रिय-

विकास अकसा नहीं होता। किसी बालककी कोशी अिन्द्रिय जन्मसे ही अत्यन्त विकसित हो सकती है, और संभव है किमीकी वह अिन्द्रिय जरा भी विकसित न हो। जिसकी जो अिन्द्रिय विकसित होगी, उसकी वह अिन्द्रिय सामान्य कद-विकासके साथ और शक्तिका कुल भंडार बढ़नेके साथ अधिक बलवान होगी। जिस बालकका अैसा न हो, उसे उस अिन्द्रियके विकासके लिये विशेष प्रकारकी सुविधा देनी पड़ सकती है। अिमलिये अैसा भी हो सकता है कि बालकका स्वाभाविक झुकाव जो चीज चाहे, वह चीज उसे देनेकी व्यवस्था करनेके वजाय (कमसे कम उसके साथ-साथ) शिक्षकका कर्तव्य धुममें जो कमी हो उसे पूरा करनेका हो जाय।*

(३) परिवर्तन-विकास—जगतकी विभिन्न प्रजाओ द्वारा किये गये स्वर्गके वर्णनमें चार या चारसे ज्यादा हाथों, पैरों और अनेक आखोंवाले शरीरकी कल्पना की गयी है। नरकके वर्णनमें

* यह माननेका कोशी कारण नहीं मालूम होता कि जिस अिन्द्रियको जन्मसे ही विशेष शक्ति प्राप्त हुई है, उस पर कम ध्यान देनेसे वह शक्ति घट जायगी। दूसरी अिन्द्रियोंकी ओर शक्तिका प्रवाह मोड़नेमें श्रम करना पडता है, क्योंकि बलवान अिन्द्रिय अधिक विरोध करती है। 'अिन्द्रियाणि प्रमायीनि हरन्ति प्रसभ मनः।' बलवान पाँचे या बलवान प्राणीकी अपेक्षा करें, तो भी अन्तमें तो वही बड़ा हिस्सा दबा जानेवाला है। मेरे कहनेका यह आशय नहीं कि अिन्द्रियोंकी स्वाभाविक शक्तियोंकी वृद्धिको कृत्रिम तरीकोंसे रोका जाय, या किमीमें गानेकी शक्ति मालूम हो तो अुनके लिये न गानेका नियम बना दिया जाय और अुस शक्तिको कुंठित करनेका प्रयत्न किया जाय। अितनी अनुकूलता अुत्पन्न कर देना काफी होगा, जिनसे वह शक्ति अपने ही प्रयासने विकसित हो सके। लेकिन शिक्षाशास्त्रको बालककी दूसरी अिन्द्रियों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। अिनके लिये आवश्यक होने पर वह गानेकी प्रवृत्ति पर नियंत्रण भी रखेगा। अेर बात हमेशा याद रखना चाहिये कि नारे प्रयत्नोंके बावजूद जो प्रकृति बलवान होगी, वह अपना स्वभाव पूरी तरह नहीं छोटेगी। 'प्रकृति यान्ति नूतानि निग्रहः कि वरिष्यति?'

नीगवाले, पेटमें आखो या मुहवाले और भुलटी अडियोवाले यमदूत चित्रित किये गये हैं। जिसलिये चतुर्भुज, अष्टभुज, भुड सकनेवाले, सहस्राक्ष आदि प्राणियोंमें रूपान्तर पानेकी भिच्छा कुछ लोगोको अच्छी मालूम होती है। और विकृत — विपरीत — विकास (भुलटा विकास) क्या होता है, जिसकी भी कल्पना की गयी है। परंतु साधारण मनुष्य, कमसे कम जिस जीवनमें, स्थूल परिवर्तनकी भिच्छा नहीं रखते और आज मनुष्य जितने और जैसे अवयवोवाला प्राणी है, भुत्तसे सतुष्ट मालूम होते हैं। जिसलिये स्थूल परिवर्तन-विकासका विचार करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती।

लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन-विकास अत्यंत महत्त्वपूर्ण और चिन्ता भुत्पन्न करनेवाला है।

अेक छोटे वारीक कीडे जैसे जलचर जन्तुमें से लवे समयके बाद जमीन पर फुदकनेवाले मेंढकका रूपान्तर होना चाहे जितना आश्चर्यजनक मालूम हो, फिर भी हमारा विश्वास है कि यह रूपान्तर धीरे धीरे — परिवर्तनकी गति निगाहसे न पकडी जा सके जिस तरह — हुआ है। नाटकमें पिस्तौलके धडाकेके साथ जिस तरह दृश्य-परिवर्तन किया जाता है, वैसे यह परिवर्तन अेकाअेक नहीं होता। जमीन पर हाथ-पैर मारने-वाला और रोनेके सिवा दूसरी आवाज न निकाल सकनेवाला बालक धीरे धीरे बैठने, घुटने चलने, खडा होने और चलने लगे तथा मामूली आवाजें करते-करते बडोकी तरह स्पष्ट बोलने लगे, तब तक हम धीरज रख सकते हैं। परंतु स्वभाव-परिवर्तनके वारेमें हम अितना धीरज नहीं दिखाते। कोअी हमसे कहे कि अेक बालक परसो पैदा हुआ, कल घुटने चलने लगा और आज दौडने लगा है, तो हम जिसे अद्भुत मानकर भुसकी तरफ कोअी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जिस बालकको आज चोरी करनेकी आदत है, दूसरे ही दिन भुसके सुशील बन जानेकी आशा हम छोड नहीं सकते। हमारी अैसी मान्यता दिखाअी देती है कि स्वभावके परिवर्तनमें मानो कोअी क्रम ही नहीं है, जाडूके खेलकी तरह वह अेकाअेक हो जाता है। पिता स्वयं जिस हठ, कुटेवो और दुर्गुणोका शिकार हो चुका हो, भुनका दर्शन बालकमें

होने पर वह अधीर बन जाता है और अनुसरे बालकको छुटानेके लिये जमीन-आसमान अंक कर डालता है। लेकिन स्वभावका जो परिवर्तन माता-पितामें हुआ होगा, वह परिवर्तन ययासमय — कोसी स्यास रोक्नेवाले कारण न हो तो — बालकमें हुअे विना नही रहेगा। अनुसरे अधिक परिवर्तन होनेमें अिससे ज्यादा लंबा नमय लगेगा, और अनुसका परिणाम बहुत लंबे नमयके बाद देखनेमें आयेगा। स्वभावके परिवर्तनकी गति अितनी सूक्ष्म होती है कि स्थूल दृष्टिसे तो अैना ही लगता है कि मूल स्वभाव कभी मिट ही नहीं सकता।

सदृश चैष्टते स्वस्या. प्रकृतेर्जातिवानपि।

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह. कि करिष्यन्ति ॥ (गीता ३-३३)

(ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वभावके अनुसार ही व्यवहार करता है। प्राणीमात्र अपनी प्रकृतिकी तरफ ही जाते हैं; निग्रह क्या कर सकता है?)

फिर भी, यह अंतिम नत्य नहीं है। धीरे धीरे ही क्यों न हो, स्वभावमें परिवर्तन अवश्य हो सकता है। और जान-अनजानमें अिस बातको हम जानते भी हैं, तभी तो अिन दिशामें अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं। गालाधो, जेलो, रिफॉर्मेटगियो, धार्मिक नप्रदायो तथा सामाजिक और राजनीतिक नुधारके आन्दोलनोंका हेतु व्यक्ति या प्रजाके स्वभावमें परिवर्तन करानेका ही होता है। अिस तरह मूढम नृमिकाके विकासमें हम किनी प्रकारकी मर्यादा नहीं बाधते।

(४) आयु-विकान — अिस विषयमें कुछ लोगोकी महत्त्वाकांक्षा शरीरको अमर बनाने तक पहुँची है। लेकिन नाधारणतः १०० वर्षकी आयुको हमने अत्यन्त नतोपकारक और ७५ वर्ष तक पहुँचनेमें नंतोपमाना है। केवल दीर्घायु वांछनीय भी नहीं लगती। दीर्घायुके साथ शरीरकी, अिन्द्रियोंकी, दुष्टिकी शक्तियाँ बनी रहें, नये नस्कार प्राप्त करनेकी शक्ति कुठित न हो और अिन माधियोंके माय हमारा जीवन बीता हो वे हमें छोडकर चले न जायं, तो ही दीर्घायु स्वागतके योग्य मालूम होती है। अिनअिसे आयु-विकानके बारेमें भी हमने आकाशकी मर्यादित रखा है।

(५) अब तेज या प्राण-विकासके प्रश्न पर विचार करें। गृज-रातीके कवि नानालालने गावीजीकी दुर्बलताको ध्यानमें रखकर अन्हें 'मानव तिनका' — तिनके जैसा मानव — कहा है। गावीजी शरीरकी शोभा बढानेके लिये कोजी मेहनत नहीं करते। उनकी चमडी भी गोरी नहीं है। फिर भी उनके मुह पर आखोमें समा जानेवाली काति दृष्टि-गोचर हुअे विना नहीं रहती। उनके अग-प्रत्यगसे जैसा जीवन फूटता दिखाजी देता है, वैना बहुतसे व्यायाम करनेवालोमें भी नहीं दिखाजी देता। उनकी वृद्धि कभी कुठित नहीं होती। सूक्ष्म और पेचीदा वातोके पीछे रहे तत्त्वको भी वे तुरत समझ लेते हैं। दूसरी ओर देखें तो अनेक विषयोमें उनकी जानकारीका भडार अुससे बहुत कम है, जिसकी अपेक्षा जैसे महान कार्य करनेवाले पुरुषसे रखी जा सकती है। जानकारीके भडारका अर्थ यदि हम ज्ञानकी समृद्धि करें, तो बहुत बार गावीजीका अज्ञान आश्चर्यजनक माना जायगा। उनकी काम करनेकी शक्ति पहलवानोको भी शरमानेवाली है। नारे दिन काम करने पर भी न तो उनका मन थकता है और न शरीर। कमसे कम आरामसे उनका काम चल जाता है। सख्तसे मख्त बीमारीके बाद भी वे तेजीसे स्वास्थ्य-लाभ कर सकते हैं। यह सब बताता है कि गावीजीकी प्राण-शक्ति अत्यन्त बलवान हैं। यदि गेहूँ और वादामकी अपुमा काममें ली जाय, तो कह सकते हैं कि अनेक लोगोके शरीरमें यदि गेहूँके तत्त्व होते हैं, तो गावीजीके शरीरमें वादामकी गिरी भरी हुअी है।

बोझ ढोनेवाले घोडे और मवारीके घोडे, भैंस और गाय, भेड़ और बकरी, कायर और शूरके बीच जैसा प्राण-विकासका भेद ही नमझा जा सकता है।

कद-विकास और अिन्द्रिय-विकासमें भी प्राण-विकासका अधिक नहत्त्व है।* शक्तिके भडारकी वृद्धि, अिन्द्रियोकी शक्तिकी वृद्धि और

* जैसा नहीं समझना चाहिये कि किनी भी प्रकारका विकास दूसरे प्रकारके विकाससे विलकुल स्वतन्त्र है। प्रत्येक विकास कुछ हद तक दूसरे विकास पर आघार रखता है, कुछ हद तक स्वतन्त्र रूपसे निद्ध किया जा सकता है और कुछ हद तक अेकका विकास दूसरेके विकासका विरोधी होता है। जिसकी अधिक चर्चा अन्यत्र की गयी है।

प्राणशक्तिकी वृद्धि अेक ही है, अैसा नही मानना चाहिये। अहमदावादमें मैंने अेक अैसा शक्तिशाली पहलवान देखा है, जो मेरे जैमके हडे केवल दो हायोंके बीच दबाकर ही तोड़ सकता था। परन्तु मैंने देखा कि मेरे जैसा ही दुबला-पतला अेक कारकुन अुमके माथ अितनी अुद्धततामें बान करता था कि वह अुने नह कैसे सकता होगा, यह मेरी समझमें नही आता था। पहलवानकी शक्तिमें तेजस्विता नही थी। कोयलेका पूरा थैला अेक ही बारमें मुल्गा दे, तो भी अुसके प्रकाशमें पढा नही जा सकता। परन्तु अेक छोटीसी मोमवत्तीके प्रकाशमें पढा जा सकता है। अथत् दोनोंके तेजयमों होते हूअे भी दोनोंमें गुणभेद है। मोमवत्तीकी तेजशक्ति अधिक शुद्ध है। अिसी तरह बालकका प्राण-विकास हो, अुनकी मारी शक्तिया अधिक तेजस्वी बनें, यह महत्त्वकी चीज है।

लेकिन अतिशय प्राण-विक्राम भी मनुष्यताका विशेष लक्षण नही कहा जा सकता। बाघ और सिंह भी अतिशय तेजस्वी प्राणी है। यह कहा जा सकता है कि जहां जहां पराक्रम है, वहां वहां प्राणकी अविकता है। परन्तु अैमें अनेक पराक्रमी पुण्य हैं, जिन्हें अयम पुरुष कहा जा सकता है। परशुराम और रावण अथवा निकदर और नेपोलियन प्राणवाद मनुष्यकी अूची श्रेणीमें रखे जा सकते हैं, परन्तु वे आदर्श नही कहे जा सकते।

(६) अन्तमें गुण-विकासके प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

संभव है अिन्द्रिय-विकासके विषयमें मैंने जो दृष्टि मामने रखी है, वह अरुचिकर मालूम हो। किसी बालकका किसी विशेष अिन्द्रियकी शक्तिकी ओर स्वाभाविक झुकाव मालूम होता हो, तो अुसीके पोषणके लिये अनुकूलता अुत्पन्न करनेके बदले किसी अन्य अिन्द्रियके विक्रामके लिये परिश्रम करना कुछ लोगोंके विचारमें अनुचित है। परन्तु अिसी सिद्धान्तका गुण-विक्रामके सम्बन्धमें अमल करनेमें कितना विषगीत परिणाम आयेगा, यह आसानीमें समझा जा सकता है। मनुष्यको जिन तरह अिन्द्रियोंकी शक्तिकी अत्यन्त विविध प्रकारकी विगमन मिली होती है, अुसी तरह गुणोंकी विगमन भी अत्यन्त विविध होती है। वहन जग तक यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्यकी विशिष्टता

बिन दो कारणोंसे है। कोअी बालक वचपनसे ही क्रोधी होता है और कोअी क्षमाशील होता है; कोअी अुदार होता है तो कोअी कजूम, और कोअी परोपकारी होता है। क्रोधीके क्रोध गुणका और कंजूसके अनुदारता गुणका विकास करना क्या अुचित होगा? अथवा अुसकी क्रोधवृत्तिको किसी दूसरे गुणकी ओर मोडनेका प्रयत्न अुचित माना जायगा?

अभ्यास — अर्थात् अेक ही प्रकारका सतत परिश्रम — अेक ही शक्तिको बढाता और दृढ करता है, आगे चलकर वह अितनी दृढ हो जाती है कि यत्रकी तरह अुसका अुपयोग किया जा सकता है। टाइपिस्ट आख मीचकर टाइप कर सकता है। कपोजीटर आख मीचकर टाइप जमा सकता है। कर्मोन्द्रियोंके सम्बन्धमें अिन्द्रियोंकी अैसी दृढ आदत बन सकती है अिममें हमें कोअी गका नहीं होती। परन्तु यह नियम जानेन्द्रियों और अन्त करणको भी लागू होता है। आखोको सीधा-डेढा देखनेकी ठीक तालीम मिल जानेसे वे तुरन्त सीधे और टेढेको पहचान सकती है, अेक क्षणमें लक्ष्यको अच्छी तरह वीध मकती है। अन्त करणके व्यापार भी अिमी नियमसे चलते हैं। झूठी बातें बनानेकी आदत डालते डालते बिना प्रयास झूठी बातें गढ लेनेका अभ्यास हो जाता है। कल्पनायें करनेका स्वभाव बनाते बनाते बिना प्रयास मनमें नअी नअी कल्पनायें स्फुरित होनेकी आदत पड जाती है। शब्दालकारवाले वाक्य दोलनेकी आदत डालने पर अुसमें भी कुशलता प्राप्त हो जाती है। अिम दिशामें विचारोके प्रवाहको मोडें, अुस दिशाके विचार स्वयं स्फुरित होते मालूम होते हैं। दलीलके भीतर रही हुअी गलती आसानीसे खोजी न जा सके अिस प्रकार दलील करनेका अभ्यास वकील लोग करते हैं, और कुछ समय बाद वह अुनका दृढ स्वभाव बन जाता है। बादमें अनजाने भी प्रत्येक विषयमें अुन्हें शब्दोकी गहराअीमें अुतर कर बालकी खाल निकालनेकी आदत हो जाती है। स्मृतिको कमते कसते अुसमें भी अनोखी प्रवीणता प्राप्त हो जाती है।

यही बात गुणोको भी लागू होती है। क्रोध करते करते मनुष्य हवाके माथ भी लड पडे अैसा क्रोधी बन जाता है। लोभ बढाते

बढ़ाते अतना बढ़ सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य पा लेने पर भी सन्तोष न हो।

जो बात दुर्गुणोंके लिये मच है, वही सद्गुणोंके लिये भी है। 'अुत्तर-रामचरित' में जिस आशयका एक श्लोक है कि मामान्य मनुष्योंकी वाणी घटनाओंका वर्णन करती है, परन्तु मत्पुरुषोंकी वाणीके पीछे घटनाएँ आती हैं। मत्यकी अपासना करते करते ऐसा स्वभाव बन जाता है कि अनायाम बोला हुआ वाक्य भी सत्य ही निकले। अहिंसाकी अपामना करते करते अहिंसा ही मनुष्यका स्वभाव बन जाती है। किमीके साथ विरोधका प्रसंग उत्पन्न होने पर हमें खोजने पर भी सत्याग्रहके अपाय नहीं सूझते; किमी क्रोधयुक्त विरोधका ही मार्ग सूझता है। और गांधीजीको, मानो विचार किये बिना ही, सत्याग्रही अपाय ही सूझते हैं।

हमारी प्रत्येक छोटी-मोटी क्रिया और हम पर बाहरसे पड़नेवाला प्रत्येक छोटा-बड़ा सस्कार केवल हमारी अिन्द्रियों अथवा अन्तःकरणको ही किसी प्रकारका मोड नहीं देते, बल्कि हमसे किसी गुणका मस्कार भी डालते हैं। एक ही प्रकारका ऐसा सस्कार पड़नेसे वह गुण दृढ़ बनता है, और समय पाकर वह हमारी दृढ़ प्रकृति बन जाता है। प्रत्येक मनुष्यकी ऐसी दृढ़ प्रकृति ही अनुका स्वभाव है।

हमारी अपनी अुन्नति-अवनति, सुख-दुःख, शान्ति-व्यथाका आधार हमारे कर्त-विकार, अिन्द्रिय-विकार या प्राण-विकारसे अधिक हमारे गुण-विकास पर होता है। हम जिन ममाजमें और जिन प्राणियोंके बीच रहते हैं, अनुकी अुन्नति-अवनति, सुख-दुःख और अनुकी शान्ति-व्यथाका आधार भी हमारे गुण-विकार पर ही रहता है। प्रेमल और नमनालु मनुष्य स्वयं ही सुखका अनुभव नहीं करता, परन्तु अपने परोमियोंको भी सुख देना है, दयालु मनुष्य स्वयं ही मात्त्विक आह्लाद अनुभव नहीं करता, दया देनेवालेको भी सुखी करता है। व्यवस्थित मनुष्य स्वयं ही व्यवस्थाके लाभ नहीं अुठाना, बल्कि आमपानके सभी लोगोंको अनुका लाभ मिलना है। जिस प्रकार अुँची जानिके परन्तु छोटे आमका मोटा रस जो स्वाद दे सकता है, वह बड़ा केकिन

खट्टा आम नहीं दे सकता, अुयी प्रकार नाटा, छोटी अुमरका, विकलेन्द्रिय, बहुत शक्ति न रखनेवाला परन्तु मीठे स्वभावका मनुष्य जो सतोप दे सकता है, वह सतोप शक्तिशाली, सारी अिन्द्रियोमें परिपूर्ण और अत्यन्त प्राणवान होते हुअे भी दुर्वासि जैसा क्रोधी मनुष्य नहीं दे सकता ।

अिस तरह विचार करने पर पता चलता है कि सद्गुणोका विकास अेक अैसी चीज है, जिसके साथ यदि अन्य प्रकारका विकास हुआ हो तो अधिक अच्छा फल अवश्य मिलता है, परन्तु सद्गुणोके विकासके विना अन्य सारे प्रकारोका विकास न केवल जीवनको या समाजको सुख-शान्ति देनेमें निष्फल सिद्ध होता है, बल्कि अभिशापका रूप भी ले सकता है। गीताके श्लोकार्धमें थोडा परिवर्तन करके कहा जा सकता है

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य कल्याणाय भवेत् सदा ।

(अिसका अल्पाश भी कल्याणको देनेवाला ही होता है।)

किसी अेक ही सद्गुणका अतिशय विकास मनुष्यको अेकागी और अेक दृष्टिवाला बना सकता है, अुतने अश तक अुसमें अपूर्णता भी रह सकती है। फिर भी अेक ही सद्गुण अुसे और समाजको सुखी बनानेमें अवश्य हाथ बटाता है। अैसे अनेक गुणोका विकास अुसे मनुष्योमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कराता है।

विचारनेसे मालूम होता है कि मनुष्यके मनुष्यत्वका विकास अुसके गुणोत्कर्षमें है, अुसके स्नायुवल, कारीगरी, कल्पनाशक्ति या सूक्ष्म बुद्धिमें भी नहीं है।

अिसलिये विकासमें गुण-विकासका सबसे बडा महत्त्व है। अुसके साथ अन्य सब प्रकारका विकास आगीवदिरूप हो सकता है। वह हो तो फिर प्राण-विकास कितना भी बढ़ाया जा सकता है, अिन्द्रियो और कदका विकास भी अनुकूलताके अनुसार बढ़ सकता है। परन्तु गुण-विकासके अभावमें मनुष्य या तो असुर रहेगा या पशु रहेगा।

विकासके मार्ग

विक्रामके विषयका विचार करते हुये मुझे अँमा लगा कि विक्रामवादके शास्त्रियोने जितना कद-विक्राम, अिन्द्रिय-विक्राम और पग्वर्तन-विक्रामका विचार किया, अतना प्राण-विकास और गुण-विक्रामका नहीं किया है। और अिनलिजे हमरे विक्रामों पर होनेवाले अुनके परिणामोका भी विचार नहीं किया है।

अिकके सिवा, विक्रामका अवलोकन तो हुआ है, परन्तु अुमके कारणोका वृहत् विचार नहीं किया गया। अेक कोपके 'अेमीवा' का विक्राम होकर वह दो कोपवाला प्राणी बना यह बात तो कही गई, परन्तु अिन बातका विचार किया मालूम नहीं होता कि अिस तग्ह अेक कोपवाले प्राणीके दो कोपवाला हो सकनेका कारण क्या है।

अुमी प्रकार विल्ली अिननी छोटी क्यों रही और बाघ अितना बड़ा कैसे हो सका, वानर और मनुष्यके बीच भेद निर्माण होनेका कारण क्या है—अिन पर भी कोअी विचार किया गया हो अँमा मालूम नहीं होता। गुण-विक्रामके प्रश्नको तो छुआ ही नहीं गया है।

विकासके कारणोंमें भी बाह्य परिस्थितियोंके कारण विक्राम पर जो अमर होता है अुम असरका जितना विचार किया गया है, अतना प्राणीके आचरणका विचार नहीं किया गया। देश, हवा, अुनु, सुकाल, दुष्काल, अनुकूलता, प्रतिकूलता अित्यादिके परिणामोका विचार तो किया गया है, परन्तु प्राणीके स्वतत्र आचरणके परिणामोका विचार नहीं किया गया।

अिसका अेक कारण तो यह मान्यता ग्नी है कि प्राणी केवल बाह्य परिस्थितियोंके दबावमें अुत्पन्न होनेवाली प्रेग्णा (instinct) में चलनेवाले जीव है। यह स्वीकार नहीं किया गया कि अुनमें नयद अदवा आत्म-नियमन (self-regulation) की कोअी शक्ति है।

मनुष्योंके बारेमें यह सच नहीं है, अना जन्म माना गया है, परन्तु अन्य प्राणियोंके विषयमें भी यह सोलह आने सच नहीं है।

फौलादको लोहचुम्बकके साथ घिसा जाय तो वह स्वयं लोहचुम्बक बन जाता है। कच्चे लोहेको घिसा जाय तो जितने समय तक वह लोहचुम्बकके साथ जुड़ा हुआ रहता है अतः समय तक अंशमें लोहचुम्बकके धर्म पाये जाते हैं, परन्तु अंशमें अलग करने पर वह फिर अपनी मूल स्थिति ग्रहण कर लेता है। लोहचुम्बककी शक्तिको वह अपने भीतर टिकाये नहीं रख सकता। लोहेमें लोहचुम्बककी शक्ति प्रकट करनेकी शक्ति होती है, परन्तु कच्चे लोहेमें और साधारण फौलादमें वह शक्ति साम्यावस्था (equilibrium) में रहती है। उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी शक्तियाँ जिस तरह स्थित हैं कि वे एक-दूसरेके कार्यको पूरी तरह मिटा देती हैं। दूसरे लोहचुम्बकके समीप आनेसे यह साम्यावस्था भंग हो जाती है और उत्तरमुखी शक्ति एक तरफ और दक्षिणमुखी शक्ति दूसरी तरफ व्यवस्थित हो जाती है। कच्चा लोहा तत्काल तो जिस नयी व्यवस्थाके वशमें हो जाता है, परन्तु अंश पचा नहीं सकता। लोहचुम्बकको दूर हटानेसे वह पुनः साम्यावस्थामें चला जाता है। फौलाद जिस नयी व्यवस्थाको नडाके लिये पचा लेनेकी क्षमता रखता है, परन्तु अंश वार पान आने पर वह तुरन्त ही लोहचुम्बक नहीं बन जाता। समान रूपमें वार वार यह क्रिया अंश पर करनेसे धीरे-धीरे अंशके कण नयी व्यवस्था स्वीकार करते जाते हैं और अंतमें वह स्वयं लोहचुम्बक बन जाता है। असा कहा जा सकता है कि लोहचुम्बककी शक्ति प्रकट करनेमें कच्चे लोहेके कणोंकी अपेक्षा फौलादके कण अधिक विकसित होते हैं, और फौलादकी अपेक्षा लोहचुम्बक वने अंश फौलादमें ये कण विशेष व्यवस्थित रूपमें होते हैं। जिसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि फौलादमें अपनी स्थिति बनाये रखनेकी शक्ति कम है। वह न केवल बाह्य आघातके वश हो जाना है, बल्कि अंशमें अंशके स्वरूपमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है। जिनके विपरीत साधारण लोहा बाह्य आघातके तुरन्त वश होता दिखायी देते हैं।

भी अुस आघातके दूर होने पर तुरन्त अपनी मूल स्थितिको अुमी प्रकार स्वीकार कर लेता है, जिस प्रकार वाढमें अथवा जोरकी आघीमें बडे बडे वृक्ष वह जाते या टूट कर गिर जाते हैं, परन्तु वारीक और कोमल घास तुरन्त नम गयी मालूम होते हुअे भी अपनी मूल स्थिति कायम रखती है। अिम तरह फौलादकी अपेक्षा लोहा अधिक शुद्ध है, अैसा कहा जा सकता है।

लोहेमें किमी प्रकारका बल नहीं मालूम होता; लोहचुम्बक बने हुअे फौलादमे बल प्रकट रूपमें अुत्पन्न होता है, क्योकि चुम्बक फौलादकी अेक विघेप अवस्था (व्यवस्था) है। परन्तु लोहेमें चुम्बकके बलके सामने अपने रूपको कायम रखनेकी शक्ति है, जब कि फौलाद आघातके बग हो जाता है।

अिसी प्रकार विकास-विचारके भी दो पहलू हैं: (१) आघातान्त्रिक मामने टिके रहनेकी शक्ति, और (२) बलको प्रकट करनेकी शक्ति। बलको प्रकट करनेमें व्यवस्थितताका विकास होता है।

व्यवस्थितताका विकास स्वरूप-स्थितिको टिकाये रखनेकी शक्तिका विरोधी है, अैसा पहली दृष्टिमें मालूम होगा। परन्तु स्वरूप-स्थितिको टिकाये रखनेकी शक्तिका नाश नहीं होता। नया स्वरूप ग्रहण करनेके बाद अुम नअी स्थितिको टिकाये रखनेकी शक्तिका नाश नहीं होता, परन्तु वह शक्ति बादमे अुम नअी स्थितिको टिकाये रखनेका काम करने लगती है।

दुमरे शब्दोंमें कहे तो, शक्ति पहले प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पानेका प्रयत्न करती है। यदि अिममें वह अमफल रहती है, तो नअी परिस्थितिके अनुकूल हो जाती है। परन्तु जब फिरमे दुमरे प्रकारकी प्रतिकूल परिस्थिति अुत्पन्न होनी है, तब वह शक्ति अुमका विघेप करनेके लिये कटिबद्ध हो जाती है। अिम प्रकार यह द्रम चलना रहता है।

आघातोंके विरुद्ध अपना स्वरूप कायम रखनेकी योग्यता जितनी अधिक होगी अुनना प्राण-विकास अधिक शुद्ध माना जायगा और

जितनी बलको अधिक प्रकट करनेकी योग्यता होगी अतना प्राण-विकास अधिक बलवान माना जायगा। अिन दोनोका प्रमाण जितना यथायोग्य होगा, अतना ही विकास अधिक पूर्ण माना जायगा।

मिट्टीके ढेले पर घूसा मारे तो वह बदलेमें अितने जोरका आघात करता है कि हमारे हाथको चोट पहुंचती है, परन्तु साथ ही ढेलेका अैसा चूरा हो जाता है कि अुसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। पानी पर घूसा मारे तो जवाबमें अुमका आघात अतना प्रबल नहीं होता, परन्तु वह केवल थोडा अुछलकर फिर जैसेका तैसा हो जाता है। वायुका प्रत्याघात अिमसे भी कम बलवान होता है; परन्तु वह न तो अितनी अुछलती है और न अुसके स्वरूपमें किसी तरहका परिवर्तन होता है। आकाश प्रत्याघात करता हे, अैसा कहा भी नहीं जा सकता, अुसी तरह वह स्वयं हिलता भी नहीं। पृथ्वीका बल देखनेमें बहुत जवरदस्त मालूम होता है, परन्तु अुसकी जीवन-शक्ति कम है। पानी अुसे काटकर अन्दर चला जाता है; वह भारोके अेक-अेक कणको अलग कर देता है और अुन्हे घुलाकर अदृश्य बना देता है। वायु तो पानीमें भी प्रवेश कर जाती है, और आकाश सबको व्याप्त कर लेता है। बल जितना अधिक सूक्ष्म होगा अतनी अुसकी शुद्धि अधिक होगी, परन्तु बाहरी दिखाव कम होगा। बल जितना अधिक स्थूल होगा अतना अुसका बाहरी दिखाव अधिक होगा, परन्तु शुद्धि कम होगी। पदार्थकी रचना जैसे जैसे व्यवस्थित और सूक्ष्म बनती जायगी, वैसे वैसे अुसका प्राण अधिक शुद्ध और बलवान बनेगा। बल जितना अधिक सूक्ष्म होगा, अतना दिखावमें कम और अधिक अदृश्य रूपमें काम करनेवाला होगा।

जिस प्रकार जड सृष्टिमें यह नियम काम करता दिखाओ देता है, अुसी प्रकार चेतन मृष्टिमें भी काम करता है। हाथीका स्थूल बल दिखनेमें मनुष्यसे बहुत ज्यादा होता है, फिर भी मनुष्य हाथीका स्वामी है, हाथीका शरीर मिहने बहुत बडा होता है, परन्तु सिंहका बल अधिक सूक्ष्म होनेसे वह हाथियोंके नमूहकी भी परबाह नहीं करता।

मनुष्य मनुष्यके बीच पाये जानेवाले भेदमें भी यही नियम है। एक तिनके जैसा दुबला-पतला मनुष्य अनेक मनुष्योंको बचग सकता है, अनेकोंको अपने बगमें रख सकता है। जड मनुष्य जिन रिवाजको पकड रखता है, अने न छोड़नेके लिये काफी बल काममें लेता है; परन्तु जब हार जाता है तो जिन तरह नये रिवाजके बरा हो जाता है कि असे भी अतने ही आग्रहसे पकड रखता है।

यह प्राण-विक्रानका विरोध विवेचन हुआ। परन्तु यह प्रश्न तो खडा ही है कि जैसे विक्रानका साधन क्या है।

यत्रोके विक्रानमें हम देखने हैं कि ज्यो-ज्यो अनेमें नुयार होता जाता है, त्यो-त्यो अनेके भीतर अन्हें व्यवस्थित रखनेकी क्रियाओं, जिनके लिये पहले मनुष्यको गावधानी रखनी पडती थी, अपने-आप होने लगती हैं। यंत्र केवल हमारा काम ही नहीं करते, परन्तु अनेका नियमन भी अपने-आप करते हैं। आजके अंजिनमें भाप प्रवेग करनेका द्वार जब खुलना चाहिये तब वह अपने-आप खुल जाता है, और जब अने बन्द होना चाहिये तब वह अपने-आप बन्द हो जाता है। तेलके छिद्रमें तेल अपने-आप नियमित रूपमें टपकता रहता है। कोली चीज कम-ज्यादा हो तो अनेका मकेत बह कर देता है। यत्र जितने अधिक आत्म-नियामक (automatic) होते हैं, अतने ही वे यत्रकलाकी दृष्टिमें अधिक विक्रानित माने जाते हैं।

जीवनके अधिकाधिक विग्राममें भी अंसा ही होना है। कुछ प्राणियोंके चित्तमें अिच्छा अत्यन्त होते ही वे नुम्त अनेके बरा होकर क्रिया करने हैं। धीरे-धीरे वह चित्त विशेष व्यवस्थित बनता है; वह क्रियाको रोक सकता है, अिच्छाका परीक्षण कर सकता है, स्वयं अपना नियमन कर सकता है; अपनेको पन्नान भी सकता है। अंसा कहा जा सकता है कि ज्यो-ज्यो चित्तमें आत्म-नियामनकी शक्ति बडती है, त्यो-त्यो अनेका विक्रान अधिक होना है।

हम देख सकते हैं कि आत्म-नियामनकी यह शक्ति निर्गोत्र या नयममें अत्यन्त होती है। अिच्छाके अद्भवके साथ ही क्रियाकी प्रेरणा होती है; जिन क्रियाकी प्रेरणाका बिनी भी कारणमें नयम या

निरोध हुआ कि तुरन्त वह शक्ति कोभी दूसरा मार्ग ग्रहण करती है। यह मयम या निरोध अिच्छाके विरुद्ध किमी प्रबल कारणसे ही तो वह मृत्युकी ओर भी ले जा सकता है। परन्तु अुसमें अिच्छा मिल जाय तो वह विकासके मार्ग पर ले जाता है।

अिस प्रकार यह देखा जा सकेगा कि विकासका अेक कारण सयम है। अुदाहरणोके साथ हम अिस पर विशेष विचार करे।

विल्ली और वाघ अथवा वानर और मनुष्यमें अेक भेद यह दिखाओ देगा कि विल्ली और वानरमें वाघ और मनुष्यकी अपेक्षा काम-विकार अधिक जल्दी अुत्पन्न होता है। विल्ली और वाघके वारेमें हमारा अवलोकन नही है, परन्तु वानरके वारेमें हम जानते हैं। किसी भी क्रियाकी प्रेरणा होने पर क्रियाको रोकनेकी शक्ति वानरकी अपेक्षा मनुष्यमें बहुत अधिक होती है। वानरके स्नायुओंमें बहुत बल होता है, चपलता होती है, किन्तु अुसमें आत्म-नियमनका विकान नही हुआ है।

अेक ही जातिके परन्तु कदमें और आयु-मर्यादामें भेद रखनेवाले प्राणियोंको देखनेसे पता चलेगा कि बडे और दीर्घायुपी प्राणीमें विकारोको वशमें करनेकी शक्ति अधिक होती है, अुनकी पौगण्डावस्था (puberty) देरने आरभ होती है और लम्बे समय तक टिकी रहती है। अिस पौगण्डावस्थाके समयमें प्राणियोंके कद, बल और आयुकी वृद्धि बडी तेजीने होती देखनेमें आती है। अिस समयमें जो प्राणी अपनी प्रेरणाओको अधिकमे अधिक टिकाये रख सकता है, अुसका अनेक प्रकारका विकान अधिक तेजीसे होता है।

माधारणतया सब प्रकारका आत्म-नियमन, पौगण्डावस्थाके कालमे वीर्यकी स्थिरता और अूर्ध्वगमन — ये विकासके मुख्य आन्तरिक कारण कहे जा सकते हैं।

आत्म-नियमन और पौगण्डावस्थाका ब्रह्मचर्य कद-विकान, आनु-विकास और स्थूल अिन्द्रिय-विकास तथा प्राण-विकासके प्रत्यक्ष आन्तरिक कारण हैं; जब कि अिन्द्रिय-शक्तिके विकान, सूक्ष्म प्राण-विकान, चित्त-विकान और परिवर्तन-विकासके वे परोक्ष आन्तरिक कारण हैं।

पीगण्डावस्थाके बादका ब्रह्मचर्य पहले प्रकारकी शक्तियोंको टिकाये रखनेमें सहायक होता है, और दूसरे प्रकारके विकासको बढ़ानेका आवश्यक कारण बनता है।

जिनका ब्रह्मचर्य भलीभांति स्थिर रहता है, उनको दीर्घायु, जीवनके अन्त तक अन्द्रियोंकी कार्य करनेकी शक्ति आदि टिकी रहती है, जिसका प्रमाण मिलना कठिन नहीं है।

मनुष्यके विकासमें एक अन्य बड़ा और आन्तरिक कारण विचार है। यहा विचारका अर्थ किसी भी वस्तु या क्रियाके विषयमें 'कैसे?' और 'क्यों?' का प्रश्न किया जा सकता है। जीवनमें कभी बातोंको हम गृहीत मानकर चलते हैं; अनेक क्रियाओं केवल रिवाज या आदतके वश होकर करते हैं। जब जिन मान्यताओं और क्रियाओंके औचित्यके विषयमें सका उत्पन्न होती है, तब विचारकी जागृति पैदा होती है। क्रोधका त्याग करना चाहिये; जीवहिंसा अधर्म है, व्यभिचार पाप है, सूर्य और चन्द्रका ग्रहण राहुके वैरमें होता है; जपयोग श्रेष्ठ है, अस्पृश्यता कलक है — आदि आदि बातोंमें 'क्यों' और 'कैसे' के प्रश्न अुठें और उनके विषयमें स्वतंत्र रूपमें मोचनेकी प्रवृत्ति हो तो अुमें विचार कहा जायगा। जिस प्रकार विचारके अुठनेमें मनुष्यका अपना अवलोकन कारणभूत होगा या दूसरोंकी प्रेरणा, अुम विचारके फलस्वरूप मनुष्यकी मूल मान्यता स्थिर बनेगी अथवा अुममें परिवर्तन होगा, तथा अुम विचारमें तर्कदोष होगा, अवलोकन-दोष होगा या वह शुद्ध होगा — यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी अुसकी प्रकृतिको दृढ़ बनाने या बदलनेमें जिस विचारका बड़ा हाथ होगा। कौसी विचार मनुष्यके जीवन-सवर्षी दृष्टिकोणको पूरी तरह बदल डालनेवाला होता है। अुमके कारण मनुष्यका मपूर्ण जीवन जड़मूलमें बदल जाता है। प्रत्येक वस्तु अब अुमें दूसरे ही रूपमें दिखने लगती है। जगत्को वह दूसरी ही दृष्टिमें देखने लगता है। जिस दृष्टि-परिवर्तनमें अुमके शरीर मन, बुद्धि — सबमें परिवर्तन हो जाता है; अुमकी प्रवृत्तियोंमें भी परिवर्तन हो जाता है। ग्लानकर जैसा लुटेरा बारासीकी बन जाता है। जिसे लोग पवित्र आचरणवाला मानते हैं, वह दुर्गचारी बन जाता

है। कर्ममें अतिसाह न रखनेवाला मनुष्य कर्ममें प्रवृत्त हो जाता है। और बड़े बड़े काम हाथमें लेनेवाला मनुष्य कर्म-सन्ध्यामी हो जाता है। यह सब विचारका ही परिणाम है।*

ठंडे पानीको चूल्हे पर गरम करनेके लिये रखते हैं तब कुछ समय तक अंमकी अुष्णता बढ़ती रहती है। ७० अंश गरमी हो तो वह बढ़ते बढ़ते २१२ अंश तक पहुँचती है। जिसके बाद पानी अुबलने लगता है। हम अुसे चूल्हे पर रहने दें तो भी बादमें अंमकी अुष्णता २१२ से बढ़कर २१५ नहीं होती, वह अुबला करता है और भाप बनकर अुडता रहता है। पानीके गरम होनेकी जब चरम सीमा हो जाती है, तो अंमके बादकी गरमी अुसे भापका रूप देनेमें काम आती है। भापका रूप पानीमें अधिक सूक्ष्म होता है। अेक खास मर्यादाके बाद गरमी अंमके स्वरूपको अधिक सूक्ष्म बनाती है।

जिसी प्रकार ब्रह्मचर्य कुछ समय तक हमारे शरीर और अिन्द्रियोंकी शक्तियोंको स्थूल रूपमें बढ़ाता है। पाँगण्डावस्थामें वीर्यकी स्थिरता हमारी हड्डियों, रक्त आदिको बढ़ाकर हमारे सारे अवयवोंको बढ़ाती है। पूर्वपरम्परा आदिके कारण हमारी कद बढ़ानेवाली शक्तिकी सीमा आ जाती है। अुसके पश्चात् ब्रह्मचर्यका कोअी विशेष अुपयोग हो सकता है यह खयालमें नहीं आता। क्योकि अुसका माप रुक जाता है। परन्तु अंमके बाद यदि वीर्य स्थिर रहे तो वह हमारा सूक्ष्म विकास करनेमें अुपयोगी होता है। हाथ ३० अिंच लंबा और १२ अिंच परिधिवाला ही रहे तो भी अुसमें बल बढ़ानेकी शक्ति आती है, आखे बड़ी नहीं होती, किन्तु अंमकी शक्ति सूक्ष्म होती है। मन, बुद्धि, स्मृति सबकी शक्ति बढ़ती है। अिमका अर्थ यह हुआ कि अेक खास मर्यादाके पश्चात् ब्रह्मचर्य हमारी शक्तियोंको सूक्ष्म और तेजस्वी बनाता है। अिम दृष्टिसे ब्रह्मचर्य प्राण-विकामका अेक प्रत्यक्ष या नीचा कारण है।

* दूसरे प्राणियोंमें विचारका विलकुल अभाव है, अँमा मानना ठीक नहीं। अनुभवसे वे भी समझदार बनते हैं, अर्थात् अंममें भी थोडा विचार पैदा होता ही है। परन्तु यहा हमें केवल मनुष्यका ही विचार करना है।

परन्तु गुण-विकामके लिये ब्रह्मचर्यका होना ही काफी नहीं है। क्रोधो मनुष्य ब्रह्मचारी हो तो मभवत वह अधिक क्रोधी बनेगा, लोभी मनुष्य ब्रह्मचारी हो तो अमुका लोभ बढ सकता है; कायर ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यके होते हुअे भी कायर ही रहता है, अँमा भी देखनेमें आता है। अिमका कारण यह है कि गुणके विषयमें मनुष्यकी जो मूल शक्ति होनी है अुमे ब्रह्मचर्य पराकाष्ठाको पहुंचा देता है, परन्तु गुणमें परि-वर्तन करनेके लिये केवल ब्रह्मचर्य पर्याप्त नहीं होता। अुमके लिये तो विचार और दूसरे मयम ही मुख्य होते हैं।

विचार ब्रह्मचर्यकी तुलनामें अधिक सूक्ष्म शक्ति है। भावनाओको प्रेरित और विकसित करनेवाले मूल स्थानके माथ विचारका मवध है। विचार-भेद होनेसे भावनामे भेद होता है, और अुमने गुणमे भेद होता है।

अिस प्रकार बाह्य परिस्थितियोंमे पैदा होनेवाले कारणोंके अलावा विचार, ब्रह्मचर्य और मयम जैसे आन्तरिक कारणोंका विकाममें कम हाथ नहीं होता। और विशेषत मनुष्यके गुण-विकास तथा बुद्धि-विकासके भेदोंमें ये तीन कारण बहुत बलवान होते हैं। *

* गुण (अथवा दृढ बनी हुअी भावना) की अुत्पत्ति विचारमे होती है। बाह्य स्पर्श जाननतुओ पर असर करते हैं; जानततु स्मृतिको जाग्रत करते हैं और किमी सहचारी विचारका स्मरण कराते हैं; अुम विचारमे जानततुओ पर प्रतिक्रिया होती है, अुम प्रतिक्रियाका असर स्नायुओ पर होना है; और यह असर भावनाके रूपमें पहचाना जाता है। अुदाहरणके लिये, कोअी दुःखी मनुष्य हमारी नजरमें आता है। वह दर्शन दुःखका स्मरण कराता है। दुःखकी स्मृति अँना महचारी भाव पैदा करती है कि यह अनिष्ट और दुर्भाग्यकी बात है तथा यह दुःखी मनुष्य हमारे जैसा ही मनुष्य है, अुमकी प्रतिक्रिया जाननतुओ पर होती है; और अुमके फलस्वरूप स्नायुओ पर जो असर होना है, अुमे हम दयाकी भावनाके नाममे पहचानते हैं। अिस भावनाका स्वरूप पट जाने पर वह गुण बन जाती है।

जीवनमें आनन्दका स्थान

मेरे निबंधोंकी पांडुलिपि पढ़कर अंक मित्रने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि आपके विचारसे जीवनमें आनन्दका कोयी स्थान है या नहीं ? अुन्नतिकी दृष्टिसे या सत्यकी शोधकी दृष्टिसे आपने काल्पनिक कहानियो, नाहित्य, संगीत, कला आदि पर टीका की है परन्तु क्या आनन्दमें कोयी अुन्नतिकारक बल नहीं है ? और जिसलिअे बालकको आनन्दका अनुभव करानेके लिअे ही शिक्षकको कोयी प्रयत्न करना चाहिये या नहीं ?

अिन विषयका विचार करनेके लिअे आनन्दकी भावनाका थोडा विश्लेषण करना होगा, अैसा समझकर अिस विषय पर मैं अंक स्वतंत्र लेख लिखनेको प्रेरित हुआ ह।

सामान्य भाषामें हम अंक ही प्रकारकी भावनाको आनन्दके नामसे नहीं पहचानते। बालक माताको देखकर आनन्दित होता है, अुनी तरह मिथ्रीका डला मिलनेसे भी अुसे आनन्द होता है, मनुष्यको अित्र लगानेसे आनन्द होता है, खुली हवामें घुमनेसे अथवा थक जानेके बाद स्नान करनेसे आनन्द होता है, ताजमहल देखनेसे आनन्द होता है, अुसी तरह अुसे व्रत करनेसे, पूज्य पुरुषके दर्शनसे, देव-दर्शनसे या तीर्थमें स्नान करनेसे आनन्द होता है। 'भद्रभद्र' * जैसी पुस्तक पढनेने भी आनन्द होता है और किनी भूखेको अन्न देनेसे भी आनन्द होता है। कुछ लोगोको जीभर कर क्रूरता बतानेमें भी आनन्द आता है, और

* यह गुजरातीके प्रनिद्ध लेखक श्री रमणभाजी नीलकण्ठी लोका-प्रिय रचना है। अिसके मृत्य पात्रका नाम भी भद्रभद्र है। अिनमें लेखकने अंग्रेजी मन्थताको हिन्दू समाजमें दाखिल करनेका विरोध करनेवाले कट्टर सनातनी लोगोका मजाक अुडाय़ा है।

व्यमनीको व्यमनके मेवनसे भी आनन्द होता है। स्त्रियोको विवाहादि प्रसंगोने तथा मुन्दर वस्त्र या आभूषण पहननेसे आनन्द होता है और बालक या पतिका मुह देखनेमे भी आनन्द होता है। अंसे विभिन्न अनुभवोके कारण जो भावनाये पैदा होनी है, उन सबको हम आनन्द नाम देते हैं।

सब पूछा जाय तो ये सारी भावनाये समान नहीं हैं, और अिनमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ बहुत मामूली हैं और कुछ तो निश्चित रूपसे बुरी हैं। फिर भी अिन सारी भावनाओमे एक अज समान है और वह है अनुभव करनेवालेको थोडे समय या अधिक समयके लिये खुश करना।

अिमलिये प्रश्न यह अुठता है कि आनन्दके कौनसे प्रकारको जीवनमें स्थान देना अुचित कहा जायगा ?

पानीके स्थिर होने पर यदि हम यह कहे कि वह अपनी स्वाभाविक स्थितिमें है, तो जब वह तरगाकार हो तब यह कहा जा सकता है कि वह अस्वाभाविक स्थितिमें है। तरंगमे पानीमें दो प्रकारके विकार अुत्पन्न होते हैं अेक अुमे अपनी स्वाभाविक सतहसे अूचा अुठानेवाला और दूसरा अुममे नीचे ले जानेवाला। अिन दोनों प्रकारके विकारोका बिना रुके सतत जारी रहनेका नाम तरंग है। पानी अपनी सतहसे अूचा तो चढे परन्तु नीचे न अुनरे, अिम प्रकार अुममे तरंग अुत्पन्न होना असंभव है। वह जितना अूचा चढेगा, अुतना स्वाभाविक स्थितिमे नीचे अवश्य अुतरेगा। परन्तु प्रत्येक तरंग अपनी गतिके दौरानमे अेक क्षणके लिये पानीको अुमकी स्वाभाविक स्थितिमें लाती है। अुपग्मे नीचे गिरने हुअे अथवा नीचेसे अुपर चढने हुअे पानीको क्षणभंग्ते लिये अपनी स्वाभाविक स्थितिमें से गुजरना ही पटना है। पानी सतत तरगाकार होता ही रहे, तो भी अुमे थोटे थोटे समयके अन्तरके बाद अपनी स्वाभाविक स्थितिमे गुजरना पटना है।

पानीके साथ चित्त और भावनाओके सम्बन्धकी तुलना की जा सकती है। भावनाये चित्तस्पी जलमें अुठनेवाली तरंगें हैं। चित्तकी

निश्चल दशाको उसकी स्वाभाविक सतह कहे तो भावनाओको उस सतहकी खलवलाहट कहा जा सकता है। यह खलवलाहट चित्त-जलको सतहसे ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी बुतारती है, और थोड़े थोड़े समयके अन्तरके बाद उसके प्रत्येक भागको स्वाभाविक दशामें भी लाती है। चित्तकी स्वाभाविक दशाको किन्नी भावनाका नाम देना हो तो वह केवल प्रसन्नताकी स्थिति कही जा सकती है; बुत्तमें न तो हर्षका बुभार है और न शोकका गड्ढा है। उसमें विराम — विश्रान्ति — है; और थके हुअे मनुष्यको विश्रामसे जितना और जैसा सुख अनुभव होता है, बुतना और वैसा ही चुख बिस शुद्ध प्रसन्नतामें है।

चित्तकी अैसी प्रसन्नताको ही यदि आनन्द कहा जाय तो वैसा आनन्द चित्तकी सहज स्थिति है; अन्य सारी भावनाओको आनन्दका नाम दिया जाय या दूसरी किसी भावनाका नाम दिया जाय — वे है सब विकार ही।

प्रसन्नता चित्तका स्वरूपभूत धर्म है, वह बाह्य परिस्थितियोंसे निर्माण नहीं होता है, चित्तके भीतर ही रहता है। प्रसन्नताके आधार पर ही चित्तमें अन्य सारी भावनाओका बुदय-अस्त होता है। थोड़े थोड़े समयके अन्तरके बाद वह अपनी स्वाभाविक स्थितिमें से गुजरता है।

फिर भी प्रयत्नके बिना यह हमारे ध्यानमें नहीं आता। जिस प्रकार तरंग-रहित समुद्र हम नहीं देखते, बुनी प्रकार निश्चल चित्त भी हम साधारणत नहीं देखते। समुद्रमें तरंगोके निरन्तर बुठते रहने पर भी जिस प्रकार उसके पानीकी प्रत्येक बूद थोड़े थोड़े समयके अन्तरके बाद अपनी स्वाभाविक सतह पर आ जाती है, बुमी प्रकार चित्त भी थोड़े थोड़े समयके अन्तरके बाद अपनी सहज प्रसन्नताकी भूमिका पर आ जाता है। यह ध्यानमें न आनेका कारण यह है कि हमारा अबलोकन गहरा नहीं होता, तथा चित्तकी तरंगोकी गति अितनी अविक अटपटी और विविध है कि उसका पृथक्करण नहीं हो सकता। फिर, बहुत बार चित्तकी स्वाभाविक दशाका ताल बहुत लम्बे समयके बाद और क्षणभरके लिये ही आता है। चित्तके अटपटेपनमें ही अितनी मोहकता है कि साधारणत. उसकी सहजता देखनेकी अिच्छा भी नहीं होती, जिस तरह

कि सामान्य मनुष्यको समुद्रकी अुत्ताल तरंगें देखनेका आनन्द लेनेमें जिस बातका निरीक्षण करनेकी विच्छा ही नहीं होती कि समुद्रका पानी अपनी स्वाभाविक दशामें कब आता है। फिर, जिस प्रकार समुद्र पर अनेक स्थानोंसे अलग अलग ढंगसे वायुका दबाव पड़नेके कारण सारा समुद्र अेक ही समयमें स्वाभाविक सतह पर नहीं आता, परन्तु अलग अलग बूटें अलग अलग क्षणोंमें अुम स्वाभाविक दशामें गुजरती हैं, अुमी प्रकार चित्त पर भी अनेक विन्द्रियो द्वारा अनेक प्रकारके बल अेकसाथ असर डालते हैं। जिसके कारण चित्तके सब भाग अेक ही समय सहज स्थितिमें कठिन प्रयत्नके बिना नहीं आ पाते; और अैसा प्रयत्न करनेवाले मनुष्य विरले ही होते हैं।

फिर भी चित्तका प्रत्येक भाग थोड़े थोड़े समयके अन्तरके बाद अपनी सहज दशामें आता है, जिसीलिये हमें अुम दशाकी कल्पना कर सकने लायक थोड़ा-बहुत अनुभव रहता है और अुस दशाको प्राप्त करनेके लिये जाने-अनजाने हमारे प्रयत्न चलते रहते हैं।

हम समुद्रकी तरंगें देखने बैठते हैं तब हमारा ध्यान जिस बातकी ओर ही होता है कि वे सतहसे कितनी अूंची अुठती हैं, जिस समय अेक भाग अूचा चढा हुआ होता है, अुसी समय अुसका कुछ भाग और थोड़े समयके बाद अुसका अूचा चढा हुआ भाग भी सतहमें अुतना ही नीचे अुतर जाता है। परन्तु अुम अुतारकी ओर ध्यान देनेकी हमारी विच्छा ही नहीं होती। तरंगोका चढाव ही हमारी आसोंमें भर जाता है, अुतारकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जिसी प्रकार चित्तमें अेक प्रकारकी भावनाका चढाव आनेके कुछ समय पश्चान् विरुद्ध अांग अुमसे अुलटी भावनाका अुतार आये बिना नहीं रहता। परन्तु जब तक चढती हुई भावनाके प्रति हमारा पक्षपात होता है, तब तक हमें अुतरती हुई या स्वाभाविकताकी भावना पर ध्यान देनेकी विच्छा नहीं होती। हमारा ध्यान जवरन् अुमकी ओर खिचता है, तब अुभरती हुई भावनाके प्रति हम चित्तको हर तरहमें खिचनेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु यह नहीं समझ पाते कि वह प्रयत्न ही बादमें अुतर्गती हुई भावनाकी तर्फ जानेमें कारणभूत होता है।

अतः जो भावनायें हमें प्रिय लगती हैं अन्हें आनन्दकी भावनायें कहें, तो वैसी प्रत्येक भावना अपने साथ जुडी हुई अेक शोककी भावनाका बीज होती है।

अिस तरह कमसे कम अेक प्रकारका आनन्द और अुसका जोडीदार अेक प्रकारका शोक — अिन दोके बीच हरअेक प्राणीका चित्त अेकसा झूलता रहता है। प्रसन्नता अिनमें से अेकमें भी नहीं होती, परतु दोके बीचमें होती है। अिसका ताल अितने समय वाद आता है अुसी पर प्राणीकी वास्तविक शान्तिका आवार रहता है। चित्तकी प्रसन्नताका ताल बार-बार आवे अैसा प्रयत्न करना वाछनीय है।

तात्पर्य यह कि चित्तकी प्रसन्नता वाहरसे निर्माण होनेवाली कोअी वस्तु नहीं, वह चित्तका आन्तरिक धर्म ही है। परतु हमारे चित्तके तार सदा हिलते ही रहते हैं; अिस प्रयत्नसे यह गति अैसी नियमित हो कि चित्त बार-बार अपनी स्वाभाविक स्थितिमें आता रहे, वह प्रयत्न प्रसन्नता लानेके लिये अनुकूल कहा जायगा।

परतु प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये किया जानेवाला प्रत्येक प्रयत्न यह अुद्देश्य पूरा करनेमें समान रूपसे सफल नहीं होता। अिसका अेक कारण तो हमारे प्रयत्नकी गलत दिशा ही होती है। प्रसन्नताको भीतरसे देखने और विचारकी सहायतासे विकसित करनेके वजाय हम वाहरसे देखने और वाहरी वस्तुओंमें से प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। हम भूल जाते हैं कि वाहरी वस्तुओंमें हमें बहुत बार जो आनन्द मालूम होता है, अुसका कारण हमारे चित्तकी आन्तरिक प्रसन्नता होती है। वह आनन्द वस्तुकी किसी मोहकताके कारण नहीं मालूम होता।

मेरे देखनेमें अैसा आया है कि कुछ वाहरसे विनोदी और खुश-मिजाज माने जानेवाले लोगोंके हृदयको जाच करें तो वह किसी भारी शोकके भारसे दबा हुआ मालूम होता है। वे दूनरोको खूब हसा सकते हैं, स्वयं भी अुतने समय तक आनन्द-मग्न मालूम होते हैं, परतु अुनके हृदयके भीतर तो मानो होली जलती रहती है। अिनके विपरीत, कुछ मानो 'काजीजी दुवले क्यों, दाहरके अदेशसे' कहावतके

अनुसार चिन्ताका भार अपने सिर लेकर धूमनेवाले, गपशप मारनेके लिये अेकत्र हुये मडलोमें शायद ही बैठनेवाले और जीवनके गंभीर पहलूका ही विचार करनेवाले लोगोमें ऐसी प्रसन्नता देखनेमें आती है, जिसकी अुन विनोदी और खुश-मिजाज लोगोमें गंभ भी नहीं होती।

मैंने सुना है कि पहले प्रकारके लोगोमें अेक फ्रेंच विद्वपकका अुदाहरण प्रसिद्ध है। अतिशय विनोदी होनेके कारण वह विनोदके खेल करके लोगोको खुश करता और अुससे खूब पैसा कमाता था। मनोरंजनके लिये लोग भारी फीस देकर अुसके प्रयोग देखने जाते थे। वही विद्वपक अेक वार अेक डॉक्टरके पास गया, जो अुसे जानता नहीं था, और कहने लगा कि मुझे जीवनमें कोअी रस नहीं मालूम होता, जिसलिये आप जाच कर देखिये कि मुझे क्या हो गया है। डॉक्टरने अुसे जाचकर कहा कि आपको कोअी रोग नहीं है, परंतु आपके चित्त पर शोकका भार है। अुसे दूर करनेके लिये आपको थोडा मनोरंजन करना चाहिये। अैसा कहकर डॉक्टरने अुसे अुमीका नाम देकर कहा कि आप फला विद्वपकके खेल देखने थोड़े दिन जायं तो आपका मन प्रसन्न हो जायगा। जब अुसने डॉक्टरसे कहा कि वह प्रसिद्ध विद्वपक तो मैं ही हूँ, तब डॉक्टरके आश्चर्यका पार नहीं रहा। प्रत्येक मनुष्य अपने आमपास अैसे अनेक अुदाहरण ढूढ सकता है।

जिससे अुलटा अुदाहरण गाधीजीका है। अुनकी गिनती गभीर मनुष्योमें की जायगी। अुनके लेखोमें कभी कभी विनोदकी झाकी देखनेको मिल जाती है, परंतु साधारणत अुनके लेख गभीर कहे जायेंगे। और कुछ लोगोको तो अुनमें अतिशय गभीरता भी मालूम हो सकती है। कहावतके काजीको केवल सारे शहरकी ही चिन्ता थी, किन्तु गाधीजी तो दिनरात सारे देशकी चिन्ता करते रहते हैं; फिर भी अुनके सहवासमें आनेवाले लोगोने शायद ही कभी अुन्हें प्रसन्नतासे रहित और दूनरोको प्रसन्न किये बिना बिदा करते देखा होगा। गाधीजीके पाम बैठनेवालोको वार-वार अुनके या दूमरे लोगोके अट्टहामकी आवाज सुनाओ दिये बिना नहीं रहेगी। साधारणतया हम मानते हैं कि कटाक्ष (satire), गब्दचातुरी (wit) और हास्य (humour) — ये तीन

हास्यरसके साधन है। जिन तीनमें से अेक भी प्रकारकी भापा-चातुरीमें गाधीजीके पारगत होनेकी ख्याति नहीं है। फिर भी विनोदी लेखकोकी अपेक्षा अुनके मण्डलमें अधिक हास्य खिलता रहता है। यह प्रसन्नता शोकके बीच भी अुनके चित्तमें अनुभव होनेवाली प्रसन्नतासे ही अुत्पन्न होती है। शब्दो आदि बाह्य वस्तुओका हाथ अुसमें बहुत कम होता है।

जिसलिअे प्रत्येक मनुष्य सदा दी जुडी हुआ भावनाओका अनुभव करता है; परतु अुनमें से अेक भावनाका ससारको परिचय होता है और दूसरी भावनाको अुसके समीपके लोग ही जान सकते हैं। यही कारण है कि जगत् अुसे जिस गुणके लिअे प्रसिद्धि देता है, अुससे विरोवी गुण अुसके पासके लोग अुसमें देखते हैं।

जिसीलिअे बहुत बार हम देखते हैं कि सब लोग जिसे समझदार, भला, हसमुख, परिश्रमी आदि गुणोवाला बताते हैं, अुसे समीपके लोक मूर्ख, निष्ठुर, चिडचिडा, घरकी परवाह न करनेवाला कहते हैं। समाजको जो मनुष्य कठोर मालूम होता है, वही समीपके लोगोको प्रेमल और ममतालु मालूम होता है। मनुष्य बाह्य समाजमें यदि अपने स्वभावका अेक ही पहलू बताया करे तो अुस स्वभावका अुलटा पहलू अुसके व्यक्तिगत जीवनमें प्रकट हो जाता है। अत्यन्त शुद्ध चित्तका मनुष्य ही भावनाकी दोनो सीमाये सबके सामने समान रूपमें प्रकट करता है।

भीतर प्रसन्नताका अनुभव हो रहा हो तब बाह्य सृष्टिके प्रति हमारी भावना — हमारा आनन्द या हमारा शोक — और भीतरकी प्रसन्नताका ताल खो बैठे हो तब कृत्रिम अुपायोसे आनन्दित होनेका प्रयत्न — जिन दोनोके बीचका भेद हम थोडे विचारसे जान सकते हैं।

भीतरी प्रसन्नताका ताल अनुभव करनेके बाद जब तक अुसके स्मरणका असर रहता है तब तक कृतार्थताकी — वन्यताकी — नृप्तिकी — भावना अुठती रहती है। यदि अैसे मनुष्यकी क्रियाशक्ति बलवान हो, तो वह अपनी प्रसन्नताको बाहर प्रकट करनेका और अुमकी छूत

फैलानेका प्रयत्न करता है। वह बाह्य सृष्टिके रूप, रंग अथवा गुणों आकर्षित नहीं होता, परंतु रूप, रंग अथवा गुणका विचार अठे बिना ही सारी बाह्य सृष्टि उसे सुन्दर मालूम होनी है। बाहरकी मचेतन सृष्टिके प्रति अमका भाव थोड़ी-बहुत शुद्धिवाले प्रेमका होता है।

जिसके कुछ अुदाहरण मैं यहा देता हूं।

बालकको अपनी प्रसन्नताका ताल मिल जाता है, तब अपनी माको देखकर वह हम पड़ता है, उससे मिलनेके लिये दीड़ना है, माके प्रति अमका प्रेम अमड़ पड़ता है। जिस प्रेमके पीछे जिस बातका विचार ही नहीं होता कि मा सुन्दर है या कुरूप, लाड़ लड़ानेवाली है या लडनेवाली, गरीब है या अमीर। 'मैं प्रसन्न हूं, और यह मेरी मा है' — ये दो बातें ही उसे आनन्दसे भर देनेके लिये काफी होती है। जिस प्रसन्नताके अनुभवसे उत्पन्न हुआ कृतार्थताके कारण अेक अदरका 'मा' शब्द ही तथा माका अुने प्रोत्साहन देनेवाला हास्य ही 'मेरा जीवन धन्य है' की भावना बालकमें पैदा करनेके लिये काफी होता है। जिस धन्यताके अवसर पर जगत्की अत्यन्त आकर्षक वस्तु भी अुनके रंग, रस अथवा गुणके कारण बालकको अधिक प्रिय नहीं लग सकती।

परंतु जब जिस प्रसन्नताका ताल न्यो जाता है, तब बालक केवल मातामें से ही जिस रसके घूंट नहीं पी सकता। वही मा अनेक तरहसे अुने मनाने — समझाने — का प्रयत्न करती है तो भी बालकको कृतार्थता — धन्यता — का अनुभव नहीं होता। अम नम्य हम नब बडे लोग तुरन्त अमका ताल उसे खोजकर दे नहीं सकते, जिसलिये जिन्द्रियोंको ललचानेवाले कुछ अुपायोंसे उसे बहलाने या बहकानेका प्रयत्न करते हैं। सुन्दर गिल्लीना या चित्र बनाने, मिरियोंकी डली देकर, घंटोंकी आवाज सुनाकर, अेकाध 'चिटा-चिड़ीकी कहानी' कहकर या अैसे ही किसी अन्य अुपायसे हम उसे मुग्ध करनेका प्रयत्न करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप वह अेक प्रकारके तनावके अनुभवमें से दूसरे प्रकारके तनावकी ओर विचरता है। कभी वह अनुभव पहली ही दार होनेसे, कभी अम अनुभवकी अचानकतासे, तो कभी

असके साथ रागात्मक भावनाका पूर्व-संस्कार होनेसे बालककी पहली भावनाको हम भुला सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं और अतनेसे हम संतोष मान लेते हैं तथा धीरे धीरे जैसे ही प्रकारसे मतोष माननेकी उसे आदत डालते हैं। जिसमें आनन्दके नामसे पहचानी जाने-वाली किसी भावनाको अक्षेजन जरूर मिलता है, परंतु प्रसन्नतासे वह सर्वथा भिन्न होती है। असमें कृतार्थता — धन्यता — तृप्ति—का अनुभव नहीं होता। अक खिलौना अनेक बार बालकको रिझा नहीं पाता, मिश्रीकी अक डलीसे हमेशा काम नहीं बनता, अक कहानी कहनेके बाद अलुटी दूसरी कहानी सुननेकी प्यास बढती है। क्योकि आन्तरिक प्रसन्नताका ताल मिले बिना ये सब बाह्य अुपाय मृत्युकालके ठडपनको औपधि मलकर दूर करनेके प्रयत्न जैसे हैं।

जो बात छोटे बालकके लिये सच है, वही हम सबके लिये भी सच है। जब प्रसन्नता भीतरसे अुत्पन्न होती है, तब जिस चेतन-अचेतन पदार्थके साथ हमारा ममत्व बढा होता है असका रूप, रग अयवा गुण कैसे ही क्यो न हो, वह हमें प्रिय ही मालूम होता है। अस समय असका सबंध हमें मुखकी वेदना करानेवाला है या दुःखकी, जिसकी हम परवाह नहीं करते। अैसी कौनसी भूमि है जो असके निवासीको 'स्वर्गादिपि गरीयसी' नहीं लगती? राजपूतानेका रेगिस्तान किसी राजपूतको अतना ही प्रिय होता है, जितना कि गुजरातीको बगीचे जैसा हराभरा गुजरात। हम गाते जरूर हैं कि:

'कहा हिमालय होगा अैसा,

कहा पुण्य पावन गगा ?'

परंतु वह हिमालय भारतसे अुडकर चीनमें चला जाय, अयवा युरोपका आल्प्स पर्वत अससे अधिक अूँचा हो जाय और गगा अफ्रीकामें चली जाय तथा असकी जगह कोअी चीनकी नदी आकर बहने लगे, तो भी अस समयका भारत हमें कम प्रिय नहीं मालूम होगा। जिसका कारण यह है कि हिमालय या गंगाके कारण हमें भारत श्रेष्ठ भूमि नहीं लगता, बल्कि भारतके साथ हमारा ममत्वका सबंध अुने हमारी दृष्टिमें प्रिय बनाता है, और जिस भारतके नाय हिमालय और गगाका सबंध

होनेसे वे भी हमें प्रिय लगते हैं। हिमालय अथवा गंगाके प्रति हमारा आदर अुमकी अुच्चतमता अथवा विगालताके कारण नहीं, वल्कि अिसल्लिअे हैं कि वह हमारे देअमें हैं।

अिस देअके प्रति अव तक मेरे मनमें ममत्वका भाव अना रहता है, तव तक अिमके साथ अंबंध रखनेके कारण मुझे मुख ही या दु ख, मेरी समृद्धि वढे या मुअ पर विपत्तिके वादल टूट पड़े, अुसके खातिर मुझे मरना ही क्यो न पड़े, तो भी अिन सबमें मुझे धन्यताका ही अनुभव होता है। वयोकि मेरे भीतरकी प्रसन्नताके तालमें से वह प्रेम और ममता अुत्पन्न हुयी है।*

परंतु अव किसी कारणसे मैं अपनी प्रसन्नता खो बैठता हू, तव अपने आचरणसे ही मुझे अंतोप नहीं मिलता। फिर मैं हिमालय, काश्मीर, महावलेश्वर या मेरा वतन छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाना चाहता हूं। परंतु अुन अुन स्थानोके साथ मैं ममत्व नहीं वाध सकता, अिसल्लिअे अुनके रूप-रंगके नांदर्यसे आनन्द प्राप्त करनेका प्रयत्न करता हू। मेरी भीतरी प्रसन्नता चली गयी है, अिसल्लिअे मैं वाहरकी सुन्दरताको ध्यानपूर्वक देखता हूं। अपनी प्रसन्नताके अभावमें सामान्य वस्तुमें रही सुन्दरताको देखनेकी मेरी वृद्धि जड़ वन जाती है। अिस

* अूपर कही बातका अर्य यह होता है कि आन्तरिक प्रसन्नताका ताल मिल जाय, अुम समय वाह्य नृष्टिके अिन भागके साथ हमारा अह—ममत्वका अंबंध होता है, अुमके प्रति प्रेमका अनुभव होता है। ये दो ही बातें प्रेमके ल्लिअे आवश्यक होती हैं। वाह्य पदार्थके रूप, रंग या गुण अित्यादिकी प्रेमको अपेक्षा नहीं होती। अव अहं—ममताका अत्यन्त नाश हो जाता है, तव प्रियताका भाव भी नहीं रहता। वाह्य सृष्टिका अित्तमें अत्यन्त अभाव कर दिया जाय तभी अैना कहा जा सकता है। अव अहं—ममता नृष्टिके अितनी व्यापक वन जानी है, तव मारी नृष्टि अुमके अ्य-कुल्लन, गुण-दुगुंग, कला-विकला, अुन-दुःसके वाव-जूद प्रेमपात्र ही लगती है। यह अूपर दताये हुअे अित्तकी ही व्याव-हारिक दशाकी स्थिति है।

लिझे जो वस्तु असामान्य होनेके कारण मेरी विन्द्रियोको अपनी ओर खींचती है उसे मैं सुन्दर मान लेता हूँ। अपनी प्रसन्नताके कालमें मेरा कपासका खेत ही मुझे संतोष देता है। परंतु प्रसन्नताके अभावमें काश्मीरका केसरका खेत देखनेके लिझे मैं तड़पता हूँ, जिसकी चौकीदारी विजलीके दीपे जलाकर की जाती है।

किसी तरह प्रसन्नताके कालमें कौनसी माको अपना बालक सबसे अच्छा नहीं लगता? वह बालक काला है या गोरा, रोगी है या नीरोग, सुडौल है या वेडौल, सर्वांग है या विकलांग, बुद्धिशाली है या जड, गुणवान है या गुणहीन — किनोका भी माको खयाल नहीं होता। बालक दुराचारी हो तो भी उसे किसी सद्गुणी बालकसे बदलनेका विचार उसे असह्य लगता है। अपनी प्रसन्नताके ताल पर दृष्टि रखकर ही वह बालकको देखती है, बालकके रूप, रंग अथवा गुण पर दृष्टि रखकर वह बालकको नहीं देखती।

पति या पत्नीको अपनी प्रसन्नताके कालमें अपने जीवन-मायीके रूप, रंग या विद्वत्तादि गुणोका विचार भी मनमें नहीं उठना। जब वे प्रसन्नताका अनुभव नहीं कर सकते और वफादारीकी भावना उनमें कमजोर हो जाती है, तभी वे परस्त्री या पर-पुरुषके रूप-रंगादिने आकर्षित होते हैं।

दो धनिष्ठ मित्रोंके गुणोंमें बहुत बार अत्यधिक विरोध होता है। ऐसा लगता है मानो दोनोंके जीवनके ध्येय अक-दूनरेमें विलकुल भिन्न हैं। फिर भी उनकी धनिष्ठता टूटती नहीं। दोनों हृदयके भीतरकी स्वयंभू प्रसन्नताका अनुभव करते ही, उस नमय बबी हुआ मित्रतामें ही ऐसा होता है। जो मित्रता बाह्य निमित्तोंने निर्माण होती है, वह टूट सकती है।

‘भावे कोशु सुन्दर कहो, भावे कोशु कारे
हमकुं ये ही रूप बिना और सकल वारे।’

परंतु जिस अन्त प्रसन्नताके परिणामस्वरूप होनेवाला वाञ्छ क्रियाओं विविध प्रकारकी होती है। उन नवमें प्रेम — धन्यना — का तत्त्व तो समान होता है, परंतु प्रयोजन, विवेक-शक्ति, शिक्षण,

पूर्व-संस्कारों, दृढ कल्पनाओं आदिके भेदसे अतः क्रियाओंके अनेक प्रकार हो जाते हैं।

अन्त प्रसन्नता अनुभव करनेवाले नागर नरसिंह महेता हो, या मिल-मजदूर वालू हो, दोनोंको समान रूपसे 'आजकी घड़ी सुन्दर' मालूम होती है। जैसे समय अपने किसी प्रियजनका सत्कार करनेका अवसर आये तो सत्कार करनेके ढंगमें दोनोंकी अच्छे-बुरेकी कल्पना, योग्यता और विवेक-बुद्धिके भेदके अनुसार फर्क पड़ता है। नागर नरसिंह महेताको अतः समय,

'हारे हू तो मोतीडाना चौक पुरावती,
मारा वालीडानी आरती अतारती हो जी रे' *

ऐसा ठाटवाट जमानेकी विच्छा होती है और मिल-मजदूर वालू दीनभावसे अपनी स्वाभाविक मपत्ति अर्पण करके कृतार्थ होता है। वह

'मखमल ममुरियानी गादी नथी मारे,
फाटेली गोदडी में छे पाथरी —' +

कह कर संतोष मानता है।

अन्त प्रसन्नताके कालमें मैं अकेला होऊं तो अपने संस्कारोंके अनुसार गीत गाऊंगा, वाद्य बजाऊंगा, पुस्तकें पढ़ूंगा, चित्र बनाऊंगा, कविता रचूंगा, आकाशकी शोभा निहारूंगा, खेतमें काम करूंगा, कातूंगा, घरको नाफ-स्वच्छ करूंगा या दूमरा कोसी काम करूंगा। परंतु यह सब मेरे अपने लिये, स्वान्त-मुखाय ही होगा। अतः बातकी मुझे परवाह नहीं होती कि कोसी मेरी अतः नारी क्रियाओंकी कद्र या प्रशंसा करे। मेरी क्रियाओंको कोसी जानता है या नहीं, अतः वारेमें भी मैं लपरवाह रहता हू।

* मैं नां मोतीके चौक पूगती हूं और अपने प्रियजनकी आरती अतारती हू।

+ मेरे पान मखमल और मधुकी गादी नहीं है; मैंने तो अपनी फटी पुगनी गुदडी ही तुम्हारे लिये बिछायी है।

मुझे जिसकी आवश्यकता नहीं मालूम होती कि कोसी मेरा गीत सुने, या उसे पूर्ण बनानेके लिये कोसी तबले या मितार बजाये, मेरी रची हुई कविता या चित्र कोसी देखे या प्रकाशित करे अथवा मेरी कलाका जगत्में प्रचार हो। कोसी मेरे रागको वेंसुरा कहे या मेरी कविताको प्रतिभाहीन कहे, जिस विषयमें भी मैं अुदासीन रहता हूँ। क्योंकि ये सब काम मैं किसी दूसरेके लिये नहीं करता; मेरी अन्त प्रसन्नतामें से वे सहज रूपमें ही उत्पन्न होते हैं।

अपनी अन्त प्रसन्नताके समय मैं किसीके सपर्कमें आता हूँ, तब अपने सस्कारोके वश होकर मैं विविध प्रकारकी क्रियायें करता हूँ, परंतु उन सबमें मेरा सपूर्ण हृदय अुडेल्ला हुआ होता है। मेरा मुख्य अुद्देश्य अपनी प्रसन्नता व्यक्त करनेका अथवा सामनेवाले व्यक्तिको अुनकी छूत लगानेका होता है। यह छूत लगानेके सबधमें कभी मैं माननेवाले व्यक्तिके सस्कारो, कभी प्रयोजन और कभी मेरी विशेष योग्यताओके साथ अपने विवेकका मेल बैठानेकी दृष्टिसे आचरण करता हूँ। छोटा बालक हो और मेरे पास कहानियोका भंडार हो, तो अुने मैं कहानिया सुनाकर प्रसन्न करनेका प्रयत्न करता हूँ, कहानियोका भंडार न हो अथवा अुस विषयमें मेरे विवेककी कभीटी कडी हो, तो मैं दूसरा तरीका खोजता हूँ। माता-पिता हो तो मैं अुनकी मनपसन्द या आवश्यक सेवा करनेके लिये प्रेरित होता हूँ, कोसी मेहमान हो तो अुसकी और मेरी अच्छे-बुरेकी कल्पनाका मेल साग्रकर अुनकी आव-भगत करनेके लिये प्रेरित होता हूँ; कोसी गरीब हो तो अुने अपनी कोसी वस्तु देनेके लिये प्रेरित होता हूँ; और कोसी बीमार हो तो अुसकी मेवा-शुश्रूपा करनेके लिये प्रेरित होता हूँ। अिन तरह अपनी आन्तरिक प्रसन्नताके फलस्वरूप अिनमें से किसी न किसीके लाभके लिये अपनी किसी वस्तु या शक्तिका किसी भी तरह त्याग करनेकी दृष्टिसे मेरी सारी क्रियायें होती हैं। अिस त्यागके लिये मुझे पदचालाप नहीं होता, अिससे मेरी प्रसन्नता घटती नहीं, अुलटी मेरी कृतार्थता— धन्यता — की भावनामें वृद्धि होती है, भले वह त्याग कितना ही बडा क्यों न हो।

भीतरकी प्रसन्नताके अभावमें मेरी सारी क्रियाएँ वैसी ही हो, मेरा त्याग कितना ही बड़ा हो, तो भी वह सब एक बोझ ही मालूम पड़ता है। समयपत्रमें कहानीका समय रखा गया है जिसलिये बालकोंको कहानी कहनी पड़ती है, माता-पिताने आज्ञा की है जिसलिये उनके पैर दवाने बैठना पड़ता है, मेहमान आ गये हैं जिसलिये उनको व्यवस्था करनी पड़ती है, पैसे मागनेके लिये आनेवाला व्यक्ति नेता है जिसलिये चन्दा देना पड़ता है, बीमारको कहीं फेंक नहीं सकते जिसलिये उसकी सेवा-शुश्रूषा करनी पड़ती है। जिन सब कार्योंमें कला, सामग्री, धन, श्रम आदिका कितना ही अधिक खर्च क्यों न किया गया हो, कितना ही अट्टहास क्यों न जोड़ा गया हो, फिर भी उससे धन्यता — कृतार्थता — का अनुभव नहीं होता।

अमलमें, भीतरकी प्रसन्नता और सामनेवाले व्यक्तिके प्रति रहे प्रेमके अद्वेकमें मे अपने अपने विवेक और अच्छे-बुरेकी कल्पनाके अनुसार दूमगोंके प्रति किये जानेवाले गिफ्टाचारके तरीके पैदा होते हैं। परंतु जैसे-जैसे जीवनमें प्रसन्नताके ताल गुम होते जाते हैं, वैसे-वैसे प्रसन्नता और प्रेमके अद्वेकका स्थान गिफ्टाचारकी क्रियाओंका बढ़ा हुआ आडवर लेता जाता है। बादमें मेहमानके लिये ५ व्यजन बनाये जाय या ८५, राजाको ११ तोपोंकी सलामी दी जाय या १०१ की, जिसकी सूदम विधिया निश्चित करके उनका अत-प्रतिगत पालन करनेवालेको और जिमके लिये वे की जाती हैं उसको मंतोप मानना पड़ता है; — मंतोपका अनुभव नहीं होता, परंतु मंतोप मानना पड़ता है। य सब कृत्रिम जीवनके कृत्रिम आनन्द है। जिन्हें हम आनन्द तो कहते हैं; परंतु उनमें प्रसन्नता — कृतार्थता — धन्यता नहीं होती।

नच कहा जाय तो प्रसन्नता हर्ष अत्यन्न करनेवाली भावनाओंके लिये अधिक पक्षपात करनेवाली और शोक करानेवाली भावनाओंको नापमन्द करनेवाली नहीं होनी; क्योंकि हर्ष और शोक दोनों चित्तकी तरंगके अनिवार्य पहलू होने हैं। हर्ष अत्यन्न करनेवाली भावनाएँ प्रसन्नता लानेवाली तथा शोक अत्यन्न करनेवाली भावनाएँ प्रसन्नताका

नाश करनेवाली हो, असा नहीं है। परतु अमुक प्रकारके हर्ष और शोक प्रसन्नताके तालको समान रूपसे निकट लानेवाले होते हैं।

गुरुजनोके प्रति मुदिता (आनन्द) का अुद्रेक, साथियो और जनताके प्रति मैत्रीका अुद्रेक, आश्रितो और प्राणियोके प्रति वात्सल्यका अुद्रेक, दूसरोको मुखी देखकर अयवा दूसरोके या अपने हाथो हुअे सत्कर्मने नतोपकी अुत्पत्ति — ये प्रसन्नताके समीप रहनेवाले चित्तमें हर्ष अुत्पन्न करनेवाले पहलू हैं। दु.खीको देखकर करुणाका अुद्भव, अपनी गलतियोके पश्चात्तापसे होनेवाला अनुतापका अुद्भव, किसीको पापमें डूवा हुआ देखकर अुसके प्रति अनुकपाका अुद्भव, अपराधीके प्रति क्षमावृत्तिका अुद्भव — ये सब प्रसन्नताके समीप रहनेवाले चित्तके शोक करानेवाले पहलू हैं।

अन्तमें वताओ गओ सारी भावनाओमें अुस क्षण शोकका अनुभव होता है, परतु वह शोक न हो अैसी हमारी अिच्छा नहीं होती। दु.खीको देखकर करुणा अुत्पन्न न हो, पापका अनुताप न हो, असा नहीं लगता। क्योकि अुसीमें से प्रसन्नताका ताल हाथमें आता है।

अिसके अलावा, प्रसन्नतासे अुत्पन्न होनेवाला आनन्द कियो भी प्राणीको पीडा पहुचाये विना या दोषरूप वने विना (भोगना हो तो) भोगा जा सकता है, जब कि बाह्य वस्तुओके जरिये प्राप्त किये जानेवाले आनन्दमें वे वस्तुअें अुत्पन्न करने तथा अुनके द्वारा आनन्द भोगनेमें अनेक निर्दोष प्राणियोको कष्ट अुठाना पडता है। ताजमहल और अजन्ताकी गुफायें भले कला और सौन्दर्यके भडार हो, परतु अुन ताजमहलके पत्ते-पत्ते और फूल-फूलमें अेक जालिम वादगाह द्वारा हजारो गरीब कारीगरो और मजदूरोसे जवरन् कराओ गओ मजदूरीका त्रास भरा हुआ है, और अुने देखनेवाले लोग देशके कंगडे अ्य-भूखोके लिये अुपयोगी सिद्ध होनेवाला धन वरवाद करके ही वहा जा सकते हैं।

अजन्ताकी गुफायें भले वौद्धकालमें हमारे देशके कुछ नावुओ द्वारा कला-कौशलमें प्राप्त की हुओ पराकाष्ठाकी प्रतीक मालूम हो, परतु वे बुद्ध भगवानके आदर्शोको खो बैठनेवाले, सामान्य कर्ममार्गके त्यागना

मूल कारण भूल बैठनेवाले तथा राष्ट्रके अन्न पर जीकर भिक्षुके वेगमें भी विलान और वैभव भोगनेवाले लोगोंकी भी प्रतीक है।

मैंने मुना है कि नजी दिल्लीमें बड़े भव्य और सुन्दर सरकारी भवन बन रहे हैं। मुगल वादगाहोंकी शान-शौकतको भी पीछे रख देनेवाली भव्यता और सुन्दरता अन्तमें लानेका प्रयत्न किया जाय तो बांगी आश्चर्यकी बात नहीं होगी। परन्तु वे सुन्दर भवन किस बातके स्मारक होंगे? क्या वे अके कंगालसे कंगाल देश पर शासन करनेवाले लोगोंकी निष्पूरता और अहंकारके ही स्मारक नहीं होंगे? जिस दिन मुगलोंकी तरह अंग्रेजोंका साम्राज्य भी बूलमें मिल जायगा, अन्त दिन तो नजी मत्ताके प्राचीन अिमारतोंकी रक्षा करनेवाले विभागको ही ये भव्य अिमारतें सँपी जायगी, और जिस विभागके अल्पन्न होनेमें विलम्ब हुआ, तो अतने समयमें गीदड और कुत्ते ही अतके मालिक बनेंगे। अिन अिमारतोंको देखकर भविष्यके यात्री गायद भारतकी समृद्धि और खुशहालीकी कल्पना करेंगे; परन्तु जिन घरती पर वे खड़ी हैं, वह घरती दुनियाकी गरीबसे गरीब घरती है यह क्या हम नहीं जानते?

कला और नान्दर्यके ये अूचेने अूचे नमूने आनन्दके निर्दोष साधन हैं, यह कैसे कहा जा सकता है?

बाहरमें प्राप्त किये जानेवाले आनन्दमें अके दूनरी विलक्षणता भी होती है। हम किसी गायक, वादक, नर्तकी, चित्रकार, गिल्पी नट, नाट-चारण या व्यवधानीकी अद्भुत शक्ति पर मुग्ध हो जाते हैं। अमकी कुशलता पर हमें आश्चर्य होता है। परन्तु अमके साथ हमारा सवध कैसा होता है? और अपनी कुशलतामें स्वयं अमें कितनी कृतार्थता अनुभव होती है? हम देखते हैं कि जब हम अमकी कलामें आश्चर्यचंचित हो जाते हैं, अम समय वह अपनी कलाकी अपेक्षा हमें ही अधिक महत्त्व प्रदान करता है। वह हमारी बाह्वाहीका और अिनामका भग्न होता है। अिनती अद्भुत कलाका स्वामी होते अूने भी वह हमारी खुशामद करना है, और हम भी अमकी कला पर मुग्ध होते अूने भी मनमें तो अच्छी तरह समझते हैं कि हम अूसके आश्रयदाता हैं

और वह हमारा आश्रय चाहनेवाला है। जिसलिसे साधारणत आश्रय-दाता और आश्रितके बीच जैसा संबंध रहता है, वैसा ही संबंध हम अुसके साथ रखते हैं। यदि कालिदासके संबंधमें हमारी दन्तकथायें सत्य हों तो कविकुलगुरु होते हुअे भी अुकी कवितादेवीके भाग्यमें तो अेक राजाकी चाटुकारिता करना ही लिखा था। अुनके काव्य केवल अुनकी प्रसन्नताको ही प्रकट नहीं करते थे। किसी कलाकारको अपना आश्रित माननेके कारण हम अुसके साथ समानताका व्यवहार नहीं करते, बल्कि हमसे नीचेकी पक्तिका मानकर अुसके साथ अैसा व्यवहार करते हैं, मानो अुम पर हम कृपा — मेहरवानी — बरसा रहे हों। सुन्दर कलासे हमारा मनोरंजन करते हुअे भी अुमे अैसा नहीं लगता कि वह हम पर कोअी मेहरवानी कर रहा है; बल्कि हममें मूर्खसे मूर्ख परतु कला-रसिक कहलानेकी अिच्छा रखनेवालेकी प्रशंसा या अिनामसे वह अपनेको अनुगृहीत हुआ मानता है।

यह सब बताता है कि वह कला स्वयं अुने भी तृप्त नहीं कर सकती। अुसमें कृतार्थताकी भावना अुत्पन्न नहीं कर सकती। यदि और जब यह वस्तु भीतर अनुभव की हुअी अुनकी स्वाभाविक प्रसन्नताने अुत्पन्न हुअी हो, तो और तब वह अुने आनन्दका साधन नहीं मालूम होगी, परतु भीतरके आनन्दकी अेक स्थूल अथवा कामचलाअ् (rough) निशानी मालूम होगी। वैसी स्थितिमें वह अपनी कलाका प्रदर्शन करना नहीं चाहेगा, और दूसरोकी कद्र पर अपनी कृतार्थताका जाचार भी नहीं रखेगा। परतु अैसा वह क्वचित् ही अनुभव करता है। जो वस्तु अपने स्वामीको भी तृप्त — आत्मसंतुष्ट — नहीं कर सकती, वह हमें कृतार्थ कर सकती है यह मान्यता क्या गलत नहीं है?

वस्तुस्थिति यह है। जिसलिसे बालकको या अन्य किसी व्यक्तिको आनन्दित करनेका अुपाय संगीत, कला, कहानी, मजाक, चित्र अथवा ताजमहल या अजन्ताकी गुफायें बताना नहीं है, बल्कि जिसका मन्त्र अुपाय अुस व्यक्तिके प्रति हमारा प्रेमोद्रेक और अुम व्यक्तिका ह्मारे प्रति प्रेमोद्रेक है। प्रेमका अुद्रेक ही तो दोनो अेक-दूसरेके नामने चुपचाप देखा करें तो भी कृतार्थता अनुभव करते हैं, अुनके अनावमें

कृत्रिम साधनों द्वारा आनन्दके नामसे पहचाने जानेवाले विकारोंको तो अज्ञेयित किया जा सकता है, किन्तु प्रसन्नताका अनुभव नहीं किया जा सकता। प्रेमका अद्रेक होने पर यह भय रखनेकी आवश्यकता नहीं कि विवेकको बहुत मूकम कर देंगे, तो आनन्दके बहुतेरे साधन अशुद्ध मालूम होनेके कारण हाथसे चले जायेंगे, और फिर दूसरोको रिझाने या खुग करनेके मार्ग ही नहीं रह जायेंगे। आवश्यकता केवल जिस बातकी है कि हम अपनी अन्तःप्रसन्नतासे दूसरोके प्रति देखें, और बालकको अमकी प्रसन्नता खोज कर दे दें। यह हमारी और अमकी सद्भावनाओंके पोषणसे हो सकता है। बालकको अपने माता-पिता, भाभी-बहन, गुरुजन, मित्र, अपनी शाला, अपना घर, अपना कुत्ता या बिल्ली, दूसरोके लिये कुछ करना, दूसरोका दुःख सहन न कर सकना—यही सब आनन्दरूप लगता है; अम आनन्दके फलस्वरूप वह जो कुछ अपने विवेकके अनुसार स्वयस्फूर्तिसे करेगा, वही असे आनन्दित बनानेका उत्तम उपाय है।

ऐसी प्रसन्नता जीवन-विकासमें अमूल्य मानी जायगी। भीतरसे ही सदैव प्रसन्न रहनेका स्वभाव जीवनके मारे आवश्यक आशीर्वाद—स्वास्थ्य, प्राण, सद्गुण, अकता, प्रेम आदि—प्रदान करनेवाला होता है। अिनमें से कुछ आशीर्वादोका अभाव हो तो भी ऐसा स्वभाव मनुष्यको शांति प्रदान करता है। यह प्रसन्नता बालकमें पैदा करना—अर्थात् जब अमका ताल खो जाय तब अम खोज देना—अवश्य ही शिक्षकोका अक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। परंतु यह अकृत्रिम या साहजिक प्रसन्नता शिक्षक अपनी प्रसन्नतामें अुत्पन्न होनेवाले प्रेमके द्वारा ही देर-अवेर प्राप्त करा सकता है। हमारी प्रसन्नताकी छूत तुरंत ही सामनेवालेको नहीं लग सकती; परंतु हममें अयं हो तो सामनेवाले व्यक्तिकी ग्रहण करनेकी शक्तिके अनुमार देर-अवेर वह छूत लगे बिना रहेगी नहीं। अमी प्रसन्नताको यदि आनन्द कहा जाय तो अिम आनन्दके जितने बूट पिये और पिलाये जा सकें अतने अिट ही है।

वह तालीम कौनसी ?

न० १९८० के मार्गशीर्ष महीनेके 'युगधर्म' में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरके दो भाषणोका अनुवाद छपा है। दोनो भाषण विचार करने और परीक्षण करने योग्य है। हमारे देशकी स्थितिकी जाचके फलस्वरूप बुन्होंने जो कुछ बताया है, अुसमें से कुछ बातें अितनी सत्य है कि वे आज हमें अच्छी लगेँ या न लगेँ, किसी दिन बुन्हें स्वीकार करके जडसे ही अुनका अिलाज किये विना हम शातिकी दिशामें प्रगति नहीं कर सकेंगे। फिर भी श्री रवीन्द्रनाथके भाषणोका कुछ भाग अँसा है, जिसकी विवेकके साथ जाच न की जाय तो विना कारण लोगोमें बुद्धिभेद अुत्पन्न हो सकता है। अिसके विपरीत, यह भी सभव है कि रविवावूके भाषणोको विवेकाग्निमें तपानेसे जिस सत्यकी ओर वे समाजका ध्यान खीचना चाहते हैं, अुसका लोगोको अधिक स्पष्ट दर्शन हो। अिस प्रकार अुनके भाषणोकी समालोचना सत्यकी शोधमें सहायक होगी, अँसा मानकर रविवावूकी तुलनामें खडे होनेमें असमर्थ होते हुअे भी मैं आलोचना करनेका साहस करता हू।

श्री रविवावू अपने 'समस्या' नामक पहले भाषणमें यह प्रतिपादित करते हैं कि भारतवर्षकी जनताको दो प्रश्नोका सतोपकारक हल खोजना है। पहला प्रश्न अुबुद्धिके नाशका, और दूसरा प्रश्न हिन्दू-मुसलमानोकी अँकताका है।

अिनमें से पहले प्रश्न और अुसके लिअे सुझाये गये हल पर पहले विचार करें।

"अुबुद्धिके प्रभावसे हमारे मन दुर्बल हो गये है, हम अँक-दूसरेने विच्छिन्न है, केवल विच्छिन्न ही नहीं, अँक-दूसरेके विरुद्ध भी है। हम वास्तविक जगत्को वास्तविक रूपमें ग्रहण नहीं कर सकते, अिनलिअे हम जीवन-यात्रामें प्रतिदिन हार जाते है। अुबुद्धिके प्रभावसे हमने स्वबुद्धिके प्रति अश्रद्धा रखकर आन्तरिक स्वाधीनताके जुछगते

हुये अरनेके मुह पर संपूर्ण देश जितना परवगताका पत्थर ढाक रखा है। जिस समस्याका हल अकेलमात्र तालीम ही हो सकनी है।”

प्रश्न यह नहीं है कि यह समस्या मचमुच कौसी समस्या है या नहीं; वास्तविक प्रश्न यह है कि वह तालीम कौनसी है, जिसकी सहायतासे अबुद्धिका नाग हो सकता है और स्वबुद्धि पर हमारी श्रद्धा दब सकती है? श्री रविवात्रूने अपने भाषणमें मान लिया है कि बुद्धिने जिसका अके असा उत्तर दे दिया है जो सरलतासे सबकी समझमें आ जायगा। परंतु मुख्य प्रश्न तो यही है कि जिस ‘तालीम’ से यह समस्या हल हो सकती है, वह ‘तालीम’ है क्या चीज? रविवात्रूके दोनों भाषण जिस मुख्य प्रश्नके बारेमें चुप है, और जिस सम्बन्धमें जो कुछ भाषणोंमें कहा गया है वह अबूरा होनेके कारण असंतोषकारक है।

भाषणके पहले भागसे लगता है कि श्री रविवात्रू तालीमका अर्थ बुद्धिका विकास करते हैं। बुद्धि अंक असा शब्द है, जो साधारणतया स्पष्ट समझमें आ सकता है। असा मान लें तो भी यह जाचना बाकी रहता है कि बुद्धिके विकासका अर्थ क्या है और वह कैसे हो सकता है। क्योंकि श्री रविवात्रू यह स्वीकार करते हैं कि हमारे देशमें अनेक लोग ‘तालीम प्राप्त किये हुये’ हैं, फिर भी “अनुमें से बहनोंमें बुद्धिकी मुक्तिका बल बहुत देवनेमें नहीं आता; वे भी बुच्छृंगल भावसे चाहे जो मान लेनेको तैयार हैं; वे अंधभक्तिके अद्भुत मार्गमें अकस्मात् यात्रा करनेके लिये तैयार हैं, आविर्भातिक व्यापारोकी आविर्भाविक व्याख्या करते अन्हें जरा भी संकोच नहीं होता: वे भी अपनी बुद्धिके विचारकी जिम्मेदारी दूसरोंको सौंपते लजाते नहीं, बल्कि आनन्द अनुभव करते हैं।”

स्पष्ट है कि जिम अबुद्धिका नाग और स्वाधीन बुद्धिका विकास करना बांछनीय है, वह विष्व-विद्यालयोंकी अुपाधियो अथवा पड्दर्शनके अव्ययनसे होता ही है असा नहीं दिखानी देता। अतः जिस बातका कौसी विश्वास नहीं कि विज्ञानशास्त्रकी पढ़ाबीसे, भाषाओंकी पढ़ाबीसे अथवा न्याय और दर्शनशास्त्रोंकी पढ़ाबीसे अबुद्धिका नाग हो ही जायगा।

जिसलिअे यह प्रश्न तो खडा ही है कि जिस तालीमकी मददसे समस्या हल होनेवाली है, वह क्या चीज है ?

सच वात तो यह है कि अबुद्धिके नाश, स्वबुद्धि पर विश्वास और अवश्रद्धाके त्यागका अतिशय पाडित्य या तार्किक सूक्ष्मताके साथ कोभी अनिवार्य मवध नहीं है। परन्तु अबुद्धिके नाशका सवध भावनाओके विकासके साथ अवश्य है।

जब तक मनुष्यमें भय अथवा लालसा रहेगी, तब तक अबुद्धिके साम्राज्यसे कोभी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। अुसके सर्वविद्या-मपन्न मस्तिष्कके किसी कोनेमें भी कुछ अबुद्धि, कुछ अवश्रद्धा जरूर छिपी हुयी मालूम पडेगी।

जिस भय अथवा लालसाके साथ मनुष्यमें कर्तृत्व-शक्ति होगी, तो वह अधिक स्वावलंबी, स्वाधीन साधनो पर आधार रखनेवाला, तथा वास्तविक जगत्को कमसे कम बाह्य दृष्टिसे अधिक वास्तविक रूपमें ग्रहण करनेवाला मालूम होगा। परन्तु जगत्के प्रति अुसका दृष्टिविन्दु जगत्के लिअे सुखदायी नहीं होगा। वह जगत्के लिअे भयका, त्रासका कारण तो रहेगा ही, क्योंकि वह स्वयं भय या लालसासे मुक्त नहीं है, और वास्तविक जगत्को पूर्णतया वान्तविक रूपमें ग्रहण करनेमें अशक्त है। जहा और जिस क्षण अुसके कर्तृत्वका बल कम हुआ मालूम होगा, वहा और अुस क्षण अुमके मस्तिष्कमें रहा अबुद्धिका अकुर तुरन्त प्रकट होगा।

जिन भय और लालसाके माध जिस मनुष्यमें कर्तृत्वका अभाव होगा, अुसमें अबुद्धिका पूर्ण साम्राज्य होगा। नारी भाषाओका ज्ञान, सारी वैज्ञानिक विद्याओका ज्ञान और सारे दर्शनशास्त्रोंका ज्ञान भी अुमे अबुद्धिकी गुलामीसे नहीं छुडा मकेगा। जहा जहा पाडित्यके होते हुअे भी किसी 'खूटीश्वरी' * में श्रद्धा पाओ जाय, वहा परीक्षा करने पर भय, लालसा और कर्तृत्वका अभाव दिखे विना नहीं रहेगा।

* श्री रविवावूने अपने भाषणमें जिन प्रकार अेक कहानी कही है. अेक वार अेक आदमी अपनी वकरीके साथ किसी गावके चौकमें आया। रात पड जानेसे अन्यत्र कही ठहरनेकी जगह न खोजकर रास्तेके

कहनेका मतलब यह कि भय, लालसा और अकर्तृत्व ये तीनों अबुद्धिके पोषक हैं। यदि और जिस हद तक विद्वत्ता जिस त्रिपुटीके नागमें सहायक होगी, तो और उसी हद तक जिस दिशाकी तालीम हमारा ध्येय सिद्ध करनेमें अपुयोगी मानी जायगी।

परंतु वास्तवमें यह पाया जाता है कि पांडित्यके विना भी मनुष्यमें भय, लालसा और अकर्तृत्वका अभाव हो सकता है, और पांडित्यसे जिनका अनिवार्य रूपमें नाश नहीं होता। परंतु मूलमें जिस त्रिपुटीका अभाव हो अथवा उसका नाश करनेकी वृत्ति हो, तो विद्वत्तासे मनुष्यकी स्वाधीन बुद्धि अधिक शोभा पाती है, तथा उसका कार्यक्षेत्र और समाजकी दृष्टिसे उसकी अपुयोगिता बढ़ सकती है।

जिसलिये केवल 'तालीम' कहनेसे ही समस्या हल नहीं हो जाती। परंतु जिस तालीमसे भय और लालसाका बुच्छेद तथा कर्तृत्वका अचित मात्रामें विकास हो सके, वही तालीम हमारी समस्या हल कर सकेगी।

'कर्तृत्वकी अचित मात्रा' कहनेमें मेरा विशेष हेतु है। केवल अपार कर्तृत्व सुखदायी नहीं होता। केवल संतोष प्रगतिकारक नहीं होता। कर्तृत्व और संतोषका यथायोग्य समन्वय ही प्रगतिकारक और सुखावह होता है।

बीचमें ही उसने अक लकड़ीकी खूंटी गाड़ दी और बकरीको उससे बांधकर सो गया। सवेरे सूर्योदयके पहले ही वह अठा और बकरीको खोलकर चल दिया। परंतु जो खूंटी उसने रास्तेके बीच गाड़ी थी, उसे अखाड़नेकी उसने परवाह नहीं की। सवेरे गावके लोंगोको रास्तेके बीच गड़ी हुयी खूंटी देखकर आश्चर्य हुआ और अन्होंने अनुमान कर लिया कि यह किसी अदृश्य शक्तिका कार्य होना चाहिये। उसकी वजहसे आने-जानेमें लोगोको अमुविधा होती थी, परंतु उसे अखाड़नेकी हिम्मत कौन करे? अलट्टे लोगोने यह तय किया कि उसी स्थान पर उसकी पूजा की जाय। जिस तरह रास्तेके बीच 'खूंटीबरी' देवीकी स्थापना हुयी!

रोगकी परीक्षा करनेसे डॉक्टरके मनको अवश्य सतोष होता है, परंतु रोगीको केवल परीक्षासे सुतोष नहीं हो सकता। उसे तो रोगकी परीक्षा और उसका सुलभ उपचार दोनों चाहिये। उसी तरह देरके रोगकी दवा (मेरी वताबी हुआ) तालीम है, असा कहनेने भी अमुका रोग दूर नहीं होगा। प्रश्न यह है कि असा तालीमके प्रचारका अुपाय क्या है? अबुद्धिका नाग करनेवाली तालीम जनताको किम तरह दी जा सकती है?

काफी विचार करने पर भी जिसका कोजी राजमार्ग मालूम नहीं होता।

किसी अपढ विद्यार्थीको सालभरमें पाणिनिका व्याकरण सिखानेका वीडा शायद अुठया जा सकता है; परतु यह कह सकना सभव नहीं है कि दूसरा कोजी अुसके भय, लालसा और अकर्तृत्वका नाश अमुक नमयमें कर ही देगा। जिसमें सीखनेकी जिजासा है, अुसे सर्वया अपरिचित विषयका ज्ञान भी थोडे समयमें दिया जा सकता है, परतु क्या नीखनेकी जिजासा नये सिरेसे पैदा करानेवाला कोजी अबूक अुपाय है? शायद जिसका भी अुपाय है, असा कहा जाय; क्योंकि पढनेके त्यूल और लालमाका पोषण करनेवाले फल हो सकते हैं। परतु लोगोकी कल्पनामें यह चीज अुतारना भी कठिन होता है कि अुपर्युक्त त्रिपुटोके नागके फल सुखदायी होते हैं।

क्योंकि जो सच्ची तालीम है, जिस पर मनुष्यताके विकानका आधार है, वह तालीम कुअँके पत्यर पर लकीर या निगान बनानेकी कला जैसी है। आप लोहेकी छड़ घिमते रहें तो भी अेक दिनमें अुन पत्यर पर कोजी असर नहीं होगा। परतु कच्ची रस्नीकी रोजकी घिसाजीसे अुस पर सुन्दर चिकनी लकीर या निगान बन जाता है। अबुद्धिके संस्कारोका नाश गुणो — शुभ भावनाओ — दैवी मपत्ति — के अुत्कर्षसे ही हो सकता है। और वह किनी बडेसे बडे विद्वान् या महान् वक्ताकी सहायतासे अयवा पडाजीके विषयोंनि भरपूर नमयपत्र बनानेसे नहीं होता। अुदात्त चरित्रवाले आदर्श नन्त तथा अुनके छोटेने छोटे और बडेसे बडे कर्म ही अैसी तालीम देनेवाले निझक बन नकने

है। हजारों वर्षों में पैदा होनेवाला ऐसा अेक शिक्षक भी मानवताके विकासके जिज्ञासुओंके लिये सदियों तक प्रकाश-स्तंभका काम देता है। उस प्रकाश-स्तंभकी ओर बढ़नेवाला नम्र मावक भी कुछ अंगमें यह तालीम दे सकता है। परंतु मनुष्यत्वका विकास करनेवाली सार्वजनिक शालायें खोली जा सकती हैं या नहीं, इस बारेमें शंका है। यह कार्य थोड़े-बहुत अंगमें भी केवल अुदात्त भावनाओंका श्वासोच्छ्वास लेनेवाले सतत जाग्रत पुरुषोंके जीवनसे ही हो सकता है। जाग्रत पुरुषोंके विद्यार्थियोंके लिये पंडित बनना अनिवार्य नहीं है; परंतु अुनके साथ सपूर्ण तादात्म्य साधना अत्यन्त आवश्यक होगा।

समस्याका सच्चा हल इस प्रकारका है। इसलिये श्री रवीन्द्रनाथने चरखा, गुरुमुखता (गुरुको सर्वस्व समझना) आदि विषयोंके विरुद्ध जो अुद्गार प्रकट किये हैं, अुनमें थोड़ा विचारदोष मालूम होता है।

अिनमें से पहले हम चरखेको लें। श्री रविवावू कहते हैं, “पहले सूत कातेंगे, कपड़ा बुनेंगे, खायेंगे-पियेंगे और अुसके जरिये स्वराज्य प्राप्त करेंगे। अुमके बाद अवकाश मिलने पर मनुष्यत्व प्राप्त करेंगे— ये वचन मनुष्यके नहीं हो सकते।” इस अुद्गारके पीछे ऐसी मान्यता दिखायी देती है कि सूत कातना, कपड़ा बुनना आदि काम मनुष्यत्वकी प्राप्तिमें बावक हैं।

यह मान्यता गलत है। जिस मनुष्यने यह समझ लिया है कि मनुष्यत्व किस बातमें है, और अुसकी प्राप्तिकी कुजी जैसे सतत विचारमय जीवनमें जो सदा जाग्रत रहता है, अुसके लिये प्रत्येक शुद्ध क्रिया विकासकी दिशामें ले जानेवाला अेक कदम ही है। परंतु जिसे यह समझमें नहीं आया है, जिसके हाथमें विचारकी कुंजी नहीं आयी है, अुसके लिये जगत्की सारी पुस्तकोंका परिचय (अथवा संगीत और कला-कौशल भी) ध्ययका भार ही सिद्ध होनेवाला है। जगत्में ऐसी बहुत थोड़ी पुस्तकें हैं, जो मनुष्यत्वकी प्राप्तिमें सहायक होती हैं; और साहित्य, संगीत तथा कला ही अुसकी प्राप्तिमें साधन हैं, यह अनेक अंधविश्वासोंमें से अेक अंधविश्वास है।

यह मैं साहित्य, संगीत आदि विषयोकी निन्दा करनेके लिये नहीं लिख रहा हूँ। फिर भी जो मनुष्य दिनका महत्त्वपूर्ण भाग मानसिक भोजनकी प्राप्तिके लिये वितानेमें जीवनकी सफलता मानता है, उसे दूसरोके हितोका भी विचार करना चाहिये। बुद्धिकी भूख अन्नकी भूखसे बढकर होगी और उसमें अधिक सस्कारिता भी होगी, परन्तु अन्नके विना बुद्धिभोजीका भी काम नहीं चलता, जिस सत्यकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अन्न खाते हुअे भी यदि मैं अन्न उत्पन्न करनेमें भाग न लूँ, तो स्पष्ट है कि दूसरे किसीको मेरा और उसका अपना अन्न उत्पन्न करनेमें समय लगाना ही होगा। इसी प्रकार मेरा अन्न या भोजन तैयार करनेमें, वस्त्र बनानेमें तथा मेरे अपभोगकी प्रत्येक वस्तु तैयार करनेमें किसी दूसरेको समय खर्च करना ही होगा। जिनके अपरान्त, उसे अपनी आवश्यकतायें पैदा करनेमें तो समय खर्च करना ही होगा। अर्थात् शरीरके लिये जिस आवश्यक सामग्रीका मैं नित्य अपभोग करता हूँ, उसके बनानेमें यदि प्रतिदिन १० घंटे लगते हों तो दुनियामें किसी न किसीको यह १० घंटेका समय देना ही होगा, उसके सिवाय, अपनी खुदकी आवश्यकताओके लिये भी उसे जितना ही समय देना होगा। जिसका परिणाम है जगन्की वर्तमान स्थिति (१) कोजी २० घंटे परिश्रम नहीं कर सकता, परन्तु मेरे लिये तो उसे १० घंटे परिश्रम करना ही होगा, जिसलिये उसे अपने शरीरकी आवश्यकतायें अवरी रखकर मेरे लिये — मैं पडित हूँ, बुद्धिनाली हूँ जिसलिये — खपना होगा। और (२) जिन बुद्धिके भोजन पर मैं जितना मुग्व हूँ, उसकी तृप्तिकी उसे तो आशा ही छोड देनी चाहिये। क्योंकि जिस पृथ्वीकी परिक्रमा २४ घंटेमें ही पूरी हो जाती है और चौबीसो घंटे परिश्रम करनेको शक्ति सुरक्षित रखनेकी मनुष्यमें ताप्त नहीं है।

यदि बुद्धिभोजी लोग बुद्धि-भोजनके अनुपातमें शरीरके अपभोग कम करते हो अथवा गरीबसे गरीब मनुष्यके जितने ही रखते हो, तो भी श्रम-विभाजनकी किमी पद्धतितसे अथवा यत्रकलासे जैना कोःनी हल हूडनेकी आशा रखी जा सकती है, जिसमें सबको सन्तोष हो। परन्तु

देखा यह गया है कि बुद्धिभोजीकी शारीरिक अपभोगोंकी भूख बुद्धिके अनुपातमें ही बढ़ती रहती है; बुद्धिभोजी मनुष्य पैसा-बाजारकी स्थितिके स्रंभमें अदासीन नहीं रहता। वह पैसा-बाजारमें भी अपनी बुद्धिकी कीमत अर्ची करानेकी विच्छा रखता है। उसने बुद्धि प्राप्त की है, जिसलिये उसकी दृष्टिमें अपना समय बहुत महत्त्वका होता है। जिस दुनियामें अेक ही स्थान पर बैठकर जीवनके सारे व्यवहार नहीं हो सकते, और हर स्थान पर चलकर जानेमें समय बरवाद होता है, जिसलिये उसे कोवी मन्वारी अवश्य चाहिये। उसका समय बड़े महत्त्वका है। अपने विचार भी स्वयं लिखने बैठनेमें या डाकमें पहुंचानेमें उसका समय खर्च नहीं होना चाहिये। अतः उसे कारकून और चपरामी चाहिये; अच्छेसे अच्छा दीपक चाहिये; अच्छेसे अच्छा मकान चाहिये; लिखने-पढ़नेके लिये टेबल-कुर्सी चाहिये। जिसके अलावा, उसकी बुद्धिको शोभा देनेवाला सम्मान भी उसे मिलना चाहिये। और उस सम्मानकी रक्षाके लिये आवश्यक टीमटाम और तड़क-भडक बनाये रखनेके लिये दूसरे खर्च करनेकी सुविधा भी होनी चाहिये।

आवश्यक हो तो ये साधन उत्पन्न करनेमें बड़े बड़े यंत्रोंका उपयोग किया जाय या यंत्रोंका वहिष्कार किया जाय, परंतु अितना तो निश्चित है कि अपना समय बचानेके लिये अथवा अपनी बुद्धिकी महिमा दूसरोंको समझानेके लिये मैं जिन जिन सुविधाओंका अपभोग करूं, उनके बदले दुनियामें दूसरे किसीको अितना समय देना ही चाहिये; अर्थात् उसे अपनी बुद्धिकी भूख मिटाना भूलना ही चाहिये।

परिणाम :— पांडित्यकी मेरी अपार अभिलाषाको पूरा करनेके लिये दूसरे अेक ही मनुष्यको नहीं — परंतु सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा मेरी आवश्यकतायें अधिक होनेके कारण — अनेक मनुष्योंको अपना बुद्धि-विकास थोड़ा भी न होने देनेकी स्थिति स्वीकार करनी चाहिये। यदि बुद्धि-विकास मनुष्यकी पूर्णताके लिये सर्वथा अुचित हो और यदि न्यायवृत्ति मनुष्यत्वका अेक आवश्यक अंग हो, तो मेरा बुद्धि-विकास कितना ही क्यों न रहे, दूसरोंको हानि पहुंचा कर अपनी भूख तृप्त करनेकी मुझे कभी भी विच्छा नहीं रखनी चाहिये।

परंतु पंडितवर्ग कहता है “जिसमें सचमुच कोअी अन्याय नहीं होता; सच बात तो यह है कि अनेक मनुष्योंको बुद्धिकी भूख ही नहीं होती। वे शारीरिक श्रम करके जीवन वितानेमें नतोप मानते हैं। बुद्धिका विकास करनेकी अुनमें योग्यता भी नहीं होती। आप अुन्हें पढाने जायेंगे तो वे अूघने लगेंगे। मैं अपनी बुद्धिसे अुपभोगके सावन जल्दी अुत्पन्न करनेमें भी सहायता करता हू। मेरी बुद्धिने दुनियाको भी लाभ है। मुझमे बुद्धि होगी तो मैं अनेक लोगोको पढा सकूंगा — बुद्धि दे सकूंगा। मेरा समय वचानेमें नसारका ही हित है।”

जिस अुत्तरमें सर्वत्र अन्याय ही अन्याय है। अनेक लोगोमें बुद्धिकी भूख नहीं होती और वे शारीरिक श्रम करके जीनेमें नतोप मानते हैं, जिसका अेक कारण तो यह है कि अुन्हें बुद्धि-विकासका स्वाद चखनेका जीवनमें कोअी अवसर ही नहीं मिला और दूसरा कारण यह है कि अुन्हें शारीरिक श्रम करके जीवनमें सतोप माने मिवाय कोअी चारा ही नहीं है। जिस प्रकार हम रास्तेसे जा रहे हों, हमारे पास छाता न हो, मूसल्धार वारिण पडने लगे और अैसे समय कोअी पेड पाममें दिख जाय तो वह अत्यन्त सतोषजनक बात ही मानी जायगी, अुनी प्रकार नरीरमें प्राण टिकाने रखनेके लिये शारीरिक श्रम किये विना कोअी चारा ही न हो तो अुस स्थितिमें संतोप मानना ही पडेगा।

संभव है दूसरे लोगोका समय वचानेसे वे अुन नमयका अुपयोग अपनी बुद्धिका विकास करनेमें न करें, परंतु जिसने मुझे अुनका नमय सचं कराकर अपनी बुद्धिके विलास करनेका अधिकार कैसे मिल सकता है ?

तोमरा कारण यह है कि मेरी बुद्धिकी भूखके पीछे किननी ही पीडियोंका परिश्रम है, अुन लोगोको जितना समय मिले तो वे भी जरूर तीव्रबुद्धि हो सकेंगे।

यहा शायद यह गंका की जा सकती है कि “श्रम-विभाजन जैनी कोअी वस्तु दुनियामें है या नहीं ?” मैं कहता हू, है। परंतु श्रम-विभाजनकी भी अेक मर्यादा है। मैं अनाज लाजू और मेरी पत्नी रसोअी बनावे, मैं कपडे धो लाजू और मेरी पत्नी घरमें जाडू लगा दे — यह अेक प्रकारका श्रम-विभाजन है, जिसमें भी अेक नवदिष्ट

वाद अन्याय हो सकता है। घर बसाये बिना मनुष्य रह नहीं सकता। परंतु घरसे बाहर निकलनेका काम मैं अपने हाथमें रखू और स्त्रीका घरमें रहनेका श्रम-विभाजन करूं, यद्यपि घरसे बाहर निकले बिना अुमका काम चलता नहीं, तो जिससे गृहस्थीमें विपम स्थिति उत्पन्न होती है। किसी प्रकार कच्चा माल मैं उत्पन्न करूं और पक्का माल मेरा पड़ोसी तैयार करे, जिस श्रम-विभाजनसे भी जो विपम स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम जानते हैं। परंतु जिससे भी अधिक अन्याय तो जिस श्रम-विभाजनमें होता है कि बुद्धिका काम मेरे पास रहे और मेरा पड़ोसी शारीरिक श्रम करे। क्योंकि जैसे 'तू दोनोंकी तरफसे रसोबी बना और मैं दोनोंकी तरफसे खाऊँ'—यह श्रम-विभाजन नहीं हो सकता, वैसे ही बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रमका न्यायपूर्ण विभाजन नहीं हो सकता।

चाँया, मेरी बुद्धि जगत्के लिये अुपयोगी सिद्ध हो तो भी पैसा-बाजारमें बुद्धिकी विशेष कीमत आंकनेका कोई कारण नहीं दिया जा सकता। जिसके विपरीत, यदि बुद्धिके विकासमें मनुष्यता बढ़ती हो तो अुस कारणसे तथा आवश्यक अन्नके अुत्पादनमें मेरी सीधी सहायता न होनेके कारण भी मेरे जैसे बुद्धिशाली मनुष्यकी शारीरिक आवश्यकतायें साधारण मनुष्यसे कुछ कम होनेमें ही न्याय है।

पाचवाँ, बुद्धि द्वारा जगत्की सेवा करनेमें ही गुरु बननेकी इच्छाका बीज निहित है। मैं दूसरोंकी अपेक्षा अधिक तीव्र बुद्धिवाला बनकर अुसका लाभ सबको दूँ, जिसका अर्थ क्या यही नहीं है कि मैं दूसरोंका गुरु बनूँ? जो लोग परबुद्धिके आधारको ठीक नहीं मानते, अुनका मौन रहना ही अुचित कहा जायगा। मैं दूसरोंकी अपेक्षा तीव्र बुद्धिवाला बनूँ, जिसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे मेरी बुद्धिके आश्रित बनें; जिसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई बिना नहीं रहेगी, जिसमें दूसरे मेरी बुद्धिके आश्रित बननेके लिये मजबूर हो जायें। जिसलिये जो गुरुमुन्नता अिष्ट नहीं मालूम होती, वह टाली नहीं जा सकती।

हमें यह सच्ची बात न भूलना चाहिये कि सुशिक्षित लोग अधिकतर जिस बुद्धिके विकासके पीछे पड़े रहते हैं, वह बुद्धि अबुद्धिके

नाशमें थोड़ी भी सहायता नहीं करती। वह केवल चित्तको अके स्वच्छन्दता ही होती है।

जिसी प्रसंगमें श्री रवीन्द्रनाथने गुरुमुखताके विरुद्ध जो अद्भुत प्रकट किये हैं, उन पर विचार करना ठीक होगा।

श्री रविवाबूने दैव, गुरु और चमत्कार तीनोंको अके ही पक्तिमें बैठा दिया है और तीनों पर रखे जानेवाले विश्वासको अकेसी अन्वता बताया है।

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार मनुष्य अपना अन्न अपने पेटके भीतर ही पैदा नहीं कर सकता, वल्कि विष्वमे से उसे वह अन्न लेना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्यको अपनी बुद्धिके विकसिके लिये भी विश्व पर आधार रखना पड़ता है। जिस प्रकार वह अन्नके लिये प्रकृति और दूसरे मनुष्योंकी सहायता लेता है, उसी प्रकार प्रज्ञारूपी अन्नके लिये भी प्रकृतिके अवलोकनकी तथा दूसरे मनुष्योंकी सहायता लेता है। जिस मनुष्यकी बुद्धिकी सहायतासे वह अपनी बुद्धिको विकसित करता है, उसके प्रति गुरुभाव रखनेमें वह गलती करता है असा कोअी नहीं कह सकता।

जो मनुष्य दूसरेको नअी दृष्टि प्रदान करता है, वह अुमका गुरु होता है। फिर भी, आश्चर्यकी बात यह है कि जो गुरुका अस्वीकार करते हैं, वे भी दूसरोको नअी दृष्टि देनेका प्रयत्न करते हैं।

जिसके अलावा, गुरुका अस्वीकार करनेवाले लोग पुन्तवोके अध्ययन पर अधिक भार देते हैं। जिनलिये व्यवहारमें अना देना जाता है कि किसी मनुष्यके कहे हुअे शब्द अप्रमाण माने जाते हैं, पन्नु दह चाहे जैसा रही-सही भी लिख जाय और अुसका लिखा हुआ निनी न किसी प्रकार काल-प्रवाहमें थोडे नमय टिका रहे, तो वह विष्वगनीय और विचारणीय बन जाता है। जब कि सच तो यह है कि जज पुस्तककी अपेक्षा अपूर्ण किन्तु सचेतन मानव गुरु बननेका दिग्गय अधिकारी माना जाना चाहिये।

परन्तु पाठक कहेंगे कि मैंने रविवाबूके कथनको नमजा ही नहीं। उनका कहना अितना ही है कि छोटे दालक जयवा जेडे

जन्तुसे भी वृद्धि अवश्य ग्रहण करो, परन्तु किसीके वचनको 'वेदवाक्य' न मानो।

ठीक बात है। परन्तु जितनेसे ही कठिनायी हल नहीं हो जाती। दूसरोके वचनोकी योग्य परीक्षा करनेका साधन अतमें तो हमारी अपनी विवेकशक्ति ही होती है। और यह विवेकशक्ति यदि मूलसे ही पगु हो तो अतः वचनोकी योग्य परीक्षा सच्ची ही होगी अतः नहीं कहा जा सकता। अतः जिनके विषयमें हमें लगता हो कि वे दूसरो पर केवल अवश्रद्धा रखते हैं, अतःसे पूछा जाय तो अतःसे अतिकर लोग अवश्रद्धाके आक्षेपको स्वीकार नहीं करेगे। वे कहेंगे कि "हमने गुरुके वचनोकी अपनी वृद्धिसे जाच की है और हमें अतः पर विश्वास हो गया है; जहा हम केवल अतःके वचनो पर ही श्रद्धा रखते हैं, वहा हमें अतःकी नित्यवादिता पर विश्वास है। गुरु-वचनों पर विश्वास बैठे अतःसे प्रमाण अतःहोने हमें दिये है। जिस प्रकार दवा कराते समय डॉक्टरकी योग्यताके वारेमें अच्छी तरह विश्वास कर लेनेके बाद अतःकी वृद्धि और अनुभव पर विश्वास करना ही पड़ता है, जिस प्रकार किसी वस्तुके जहरीलेपनके वारेमें आप्तवाक्यको प्रमाण मानना ही पडता है, अतःसी प्रकार हम कुछ बातोंमें गुरुके वचनोंको विश्वमनीय मानते हैं। जिसका कारण हमारी अवश्रद्धा नहीं, परन्तु अतःके विषयमें हमें जो अनुभव हुआ है अतःमें अतःपन्न हुआ हमारा विश्वास है।" जिस प्रकार लगभग प्रत्येक गिप्य अपने गुरुके विषयमें हमें यकीन दिलायेगा। अतःकी विवेकदृष्टि सदोप हो सकती है, परन्तु आज जितनी विवेकशक्ति अतःके पास है, अतःके द्वारा अतःने अपनी श्रद्धाको शुद्ध बनानेका प्रयत्न अवश्य किया होगा। अतःसा कौनसा मनुष्य है, जो दृढ़तापूर्वक कह सकता है कि अतःकी वृद्धि जीवनके किसी भी क्षेत्रमें परम्परागत कल्पनाओ और मान्यताओके प्रवाहमें थोड़ी भी नहीं बहती? सत्यकी गोधका मार्ग ही अतःसा है कि अतःमें पहले स्थूल परिणामका दर्शन होता है, बादमें कारणकी कल्पनाओं आती हैं और बादमें शायद सत्य नियमका दर्शन होता है। अनेक वार तो अतःके कल्पनाके खंडन और दूसरी

कल्पनाके मण्डनमें ही सत्यका आरोप होता है। अनेक अैसे निश्चय, जिन्हें हम बुद्धियुक्त मानते हैं, वास्तवमें आजकी दृष्टिसे सुसगत लगनेवाली कल्पना ही होते हैं। ही सकता है कि आजके वडसे वडे ज्ञानीके अनेक विययो पर प्रकट किये गये मत हजार वर्ष पश्चात् केवल हास्यास्पद कल्पना ही माने जाय।

अिसलिअे गुरु पर रखी जानेवाली अयोग्य श्रद्धाको दूर करनेका अुपाय किसी पर अिलकुल विश्वास न करना नहीं है, परन्तु अिवेक-शक्तिको शुद्ध करना है। यह अिवेकशक्ति कैसे गुत्र हो नकनी है ?

हम अिसके कारणकी जाच करे कि गुरुसे ढोखा खाना कैसे संभव होता है। गुरु स्वार्थी हो या स्वयं प्रामाणिक गलती कर रहा हो, तो वह अपने शिष्योको गलत रास्ते ले जायगा।

गुरु यदि स्वार्थी हो तो अुसे मिला हुआ शिष्य-मण्डल लोभी या जड होना चाहिये। जो शिष्य किसी सच्चे या काल्पनिक भयके अिवारणके लिअे, अथवा किसी भी प्रकारके अैहिक या पारलौकिक सुख अथवा भोगकी प्राप्तिके लिअे, अथवा किमी अिद्धि, चमत्कार, शक्ति या आनदकी अिच्छासे गुरुकी खोज करता है और अुमके लिअे स्वयं कुछ भी करनेकी अिच्छा नहीं रखता है—नअेपमे मानवताके विकासके सिवाय कोअी भी दूसरी वन्तु प्राप्त करनेकी अिच्छा रखता है या पुरुषार्थ करनेकी मेहनतमे वचनेकी अिच्छा रखता है, वह किसी भी समय गुरुसे ढोखा खाये तो अुममें दोष केवल अुमके भय, लालसा और कर्तृत्वहीनताका ही माना जायगा। अिनमें हमारा देश और युरोपीय देश समान रूपसे ही गलतीमें फनते हैं। अिमका अेक अुदाहरण पेटेन्ट दवाअिया है। रोगका कारण दूर कग्नेका श्रम किये अिना और अुसके लिअे अुचित नयमका पालन अिये अिना नीरोग बननेकी आशा रखनेवाले युरोपियन कम नहीं हैं, और अुनकी अचुद्धि पर घनवान बननेवाले दवाके अुत्पादक भी बन नहीं हैं। युरोपकी प्रजाअें भी अपनी मनोकामना पूरी करनेकी आशामें गज-नीतिक नेताअो, वकीलों, डॉक्टरों और अन्य सैकडों प्रकारके अिण्णानों

द्वारा बैसी ही ठगी जाती है, जैसे हमारे देशकी जनता। जहां गिप्य लोभी, भयभीत या आलसी होंगे, वहां लोभी गुरु अवश्य रहेंगे।

सिद्धान्तकी बात यह है कि जब तक मानवताके विकासके सिवाय दूसरा कोयी भी फल प्राप्त करनेकी अच्छा हो और अमुके प्रकृतिगत नियमोंका पूर्ण शोषण न हुआ हो, तब तक गुरु या गिप्य दोनोंकी बुद्धिमें दोष होनेकी निरन्तर संभावना रहेगी ही। जिसलिये अविकसे अधिक यही कहा जा सकता है कि मानवताके विकासके सिवाय दूसरा कोयी भी फल प्राप्त करनेकी पद्धतिके विषयमें मानवमात्रकी बुद्धि गलती कर सकती है। जिस वारेमें किमीकी भी बुद्धिके सम्बन्धमें यह विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि वह नदा अचूक बनी रहेगी। जिस हद तक प्रकृतिगत नियमोंका शोषण हुआ होगा, अतः हद तक कुछ क्षेत्रोंमें गलती होनेकी संभावना कम रहेगी; अथवा अमुक देश या कालके लिये अचूक मार्ग हाथ लग जाना संभव माना जायगा। परन्तु प्रकृति अतनी अनन्त दिखायी देती है कि उसके खोजे हुए भागकी अपेक्षा भविष्यमें खोजा जानेवाला भाग सदा अधिक ही रहेगा।

परन्तु जिसकी दृष्टि केवल अपनी मानवताके विकास पर ही रहती है, जो विश्वमें मानवताकी ही खोज करता फिरता है, जिस बुद्धि और दृष्टिमें मानवता प्राप्त की जा सके अथवा बुद्धि और दृष्टिको प्राप्त करनेके लिये ही जो गुरुके पास जाता है, अथवा गुरु-स्वीकारके लिये कभी पञ्चानाम करनेका कोयी कारण नहीं मिलता। गुरु असे बोला नहीं दे सकता या वह गुरुमें बोला नहीं जा सकता। वह जहां जितनी मानवताका विकास देखता है, वहांसे अतनी ले सकता है; और जहां वह देखता है कि अमुके परिचित किमी भी मनुष्यकी अपेक्षा अन्य किसी व्यक्तित्वमें मानवताका अनन्त गुण विकास हुआ है, वहां विश्वकी कौनसी शक्ति है जो असे जैसे व्यक्तिका भक्त बननेसे रोक सके? जैसे पानी ढालकी ओर ही ढीँडता है, वैसे अमुका चित्त जैसे मनुष्योत्तमकी भक्ति किये बिना रह ही नहीं सकता। जिसने मानवताके विकासकी अपेक्षा दूसरे किसी फलकी आशाने अमुके चरण पकड़े होंगे, उसके विषयमें ऐसा विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। असे मोचा

हुआ फल प्राप्त न हो, अथवा फल मिलनेके पहले ही अनुका धैर्य छूट जाय, तो भी सभव है वह उस नरोत्तमका त्याग कर दे। जिसमें दोष मनुष्यमें रही गुरुभक्तिकी वृत्तिका नहीं, परन्तु मनुष्यताके सिवाय अन्य वस्तुकी लालसाका और उसके लिये आवश्यक पुरुषार्थ तथा धैर्यके अभावका है।

परन्तु हम तो चरखेकी बात परसे गुरुभक्ति पर आ गये। मूल प्रश्न पर आनेसे मालूम होगा कि यदि मनुष्यताका विकास ही मनुष्यकी अमूल्य सम्पत्ति हो, यदि अपरिमित न्यायवृत्ति ही मनुष्यताका एक आवश्यक अंग हो, तो हम जिस परिणाम पर पहुचते हैं कि जो मनुष्य अपने आवश्यक भोगोंकी उत्पत्ति और उनके लिये आवश्यक वस्तुओंके निर्माणमें दिनके अमुक घंटोंके नियमित श्रमसे जितना कम समय देता है, उतना ही वह — गीताके शब्दोंमें कहे तो — 'स्तेन भवेत्' (चोर है)। जिस दोषसे वह दो ही तरहसे मुक्त हो सकता है शारीरिक अपभोगोंको घटाकर और जिस तरह नमयका वचाव करके वचे हुए समयमें अपनी बौद्धिक अभिलाषाओं पूरी करना, अथवा दूसरेकी अच्छाके वधा होकर, दूसरेकी असहाय दशाको देखकर (अपने हितके लिये समय देना ही चाहिये — न देनेमें भी नमाजके प्रति हमारे धर्मका पालन नहीं होता — अर्थात् समझकर) शारीरिक धर्मके कर्तव्यसे मुक्त रहना। असाधारण रोगोंकी सेवा-शुश्रूषाके लिये, गिप्यको जिज्ञासा-तृप्तिके लिये, देशकी रक्षाके लिये, अत्यादि। परन्तु अती परिस्थितिमें 'यदृच्छालाभसत्तुष्ट' ही अमुके जीवनका नियम हो सकता है। वह शारीरिक भोगोंको कमसे कम कर दे और नमाज अपनी मरजीसे उसकी जितनी चिन्ता करे उसने अविकारी बाना न रखे। जिसकी निशानी यही है कि सेवाके लिये भी वह दौलतियोंके विपयता है रोग, वचपन, बुढ़ापा वगैरा मनुष्यको परवश बना देनेवाले कारण हैं। जिसलिये अती स्थितिमें धर्ममार्ग वही हो सकता है, जो उपर बताया गया है।

जिसलिये हाथ-बुनायीके अभावकी देशाग्निके भस्मांशसे तुलना करनेमें कवित्व तो है, परन्तु जिससे देशकी स्थितिकी सच्ची कल्पना होती है वैसे विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। काव्यमय कल्पना अनेक प्रकारसे की जा सकती है। कोयी वैसे भी कह सकता है कि ज़ादीका पुनरुद्धार देशाग्नि पर पानी डालनेके लिये नहीं है, बल्कि अके अघजले मकानको अधिक जलनेसे बचानेका और जले हुए भागकी मरम्मत करनेका प्रयत्न है।

मुझमें कवित्वका अभाव होनेके कारण दोनोंमें से कौनसी कल्पना अधिक सुन्दर है, जिसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। और चूँकि दोनों केवल कल्पनाएँ ही हैं, जिसलिये जिस प्रश्न पर विवेकपूर्वक विचार करनेके लिये मैं दोनोंको छोड़ देने जैसी मानता हूँ। जिससे देशकी अग्नि बुझेगी या नहीं, अथवा कितनी बुझेगी, यह बात भविष्यके गर्भमें है। अुमकी कल्पना करना व्यर्थ है। चरखा चलानेमें शुद्ध न्याय है, चरखा मानवताके विकासका विरोधी नहीं है, चरखेसे देशकी गरीबी थोड़ी तो कम हो ही सकती है, चरखा चलानेमें संसारके किसी भी व्यक्तिकी हिंसा नहीं होती, सारा संसार चरखा-धर्मको स्वीकार कर ले तो अुससे भी किसीको नुकसान नहीं होगा और चस्त्रोके विना शरीरका निर्वाह अब नहीं हो सकता—अितने कारण कतायी-बुनायीको धर्मकार्य निश्चित करनेके लिये मुझे पर्याप्त मालूम होते हैं।

अन्तमें :

(१) यह सच है कि अबुद्विका नाश और स्वबुद्विका विकास करना हमारे देशकी समस्या है।

(२) यह भी सच है कि जिसका अुपाय 'तालीम' है।

(३) परन्तु यह 'तालीम' पाण्डित्य नहीं है—भाषाज्ञान, साहित्य-सगीत-कलायोका ज्ञान, दर्शनशास्त्रोका ज्ञान अथवा वैज्ञानिक विद्यायोका ज्ञान नहीं है; यह सब गौण तालीम है।

(४) गौण तालीम सच्ची तालीमके साथ प्राप्त हो तो वह अपयोगी सिद्ध हो सकती है, परन्तु सच्ची तालीमके अभावमें वह मनुष्यत्वके विकासके लिये निकम्मी ही है।

(५) केवल गौण तालीमका अतिस्वाद अंक प्रकारकी विषय-वासना ही है, जिस प्रकार शब्दस्पर्शादिका अचित्तसे अधिक अपभोग अन्द्रियोंकी स्वच्छन्दता है, अुसी प्रकार गौण तालीमका अतिस्वाद बुद्धिकी स्वच्छन्दता है। अुससे मनुष्यकी अुन्नति नहीं होती।

(६) भय, लालसा और अपुरुषार्थ अबुद्धिकी जड हैं।

(७) केवल कर्तृत्व या केवल सतोप प्रगतिकारक या सुखकारक नहीं है। दोनोंका अुचित्त मिलाप होना चाहिये।

(८) सच्ची तालीमका अर्थ है अिन भयादि जडोंका अुच्छेद, या मानवताका विकास, या दैवी सपत्तियोंका अुत्कर्ष।

(९) गौण तालीमके विना सच्ची तालीम हो सकती है और सच्ची तालीमके विना गौण तालीम भी ली जा सकती है।

(१०) सच्ची तालीमका कोअी राजमार्ग नहीं है, सत्पुरुषोंके जीवन-चरित्र, अुनका समागम, सेवा, अुनकी अुदात्तता प्राप्त करनेकी मिच्छा और अुसके लिये विचारमय पुरुषार्थ ही अुसकी पाठ्यपुस्तकें हैं। दूसरी विद्याओंकी तरह सच्ची तालीमकी जिज्ञानाके लिये भी सत्पुरुषों द्वारा अुस विषयके मिलनेवाले अपदेशोंके जरिये तथा अुनके चरित्रके जरिये पढनेवाले सत्कारोंसे सच्ची तालीमकी भूमिका जरूर तैयार हो सकती है।

(११) सच्ची तालीमके फलस्वरूप निर्भयता, निर्लोभता और पुरुषार्थ बढता है और शुद्ध विचार जाग्रत होता है। अुस मार्ग पर चलते हुअे अनेक गौण विद्याओंका भी अनायास विकास होता है। गौण विद्यायें रास्तेमें आनेवाले फल-झाडों जैसी हैं। भूख मिटानेके लिये अुनका अपयोग किया जाय तो ठीक है, परन्तु मनुष्य अुन्हींमें लुब्ध होकर रुक जाय तो अुसकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती—मानवताकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

(१२) सच्ची तालीममें कोयी भी शुद्ध कर्म बाधक नहीं होता ।

(१३) शरीरकी सुविधाके साधन युत्पन्न करने या बनानेमें जो अपना पूरा हिस्सा नहीं देता वह 'स्तेन' है। दो अपायो द्वारा जिस स्थितिसे बचा जा सकता है: अपभोग कम करके और बचे हुये समयमें वीद्विक अभिलाषाओं तृप्त करके, अथवा दूसरेकी आवश्यकता या प्रार्थनाके वग होकर सेवाभावसे 'यदृच्छालाभसन्तुष्ट' की वृत्ति स्वीकार करके ।

(१४) गुरुभक्ति या परवृद्धिकी सहायता लेनेकी वृत्ति अनर्थका कारण नहीं है, भय, लालसा आदि अवृद्धिके मूल ही अनर्थके कारण हैं ।

(१५) मानवताके विकासके लिये तो गुरुभक्ति युदात्त वृत्ति है और जिसलिये युन्नतिकारक है। तथा परवृद्धिकी सहायता स्ववृद्धिकी युन्नतिके लिये आवश्यक भोजनका काम करती है। उसकी मुझे आवश्यकता नहीं, असा माननेमें भ्रम, गर्व या कृतघ्नता है ।

(१६) मानवताके विकासके सिवाय दूसरे फल प्राप्त करनेके लिये किसीकी भी वृद्धि अच्छी है, असा विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता। जिस हृद तक प्रकृतिके नियमोका सगोचन हुआ होगा, उस हृद तक दोष कम होनेकी संभावना रहेगी, अथवा किसी विशेष देग या कालके लिये निश्चित मार्ग प्राप्त होनेकी संभावना रहेगी। परन्तु प्रकृतिकी अनन्तताके कारण अविकसे अविक जितना ही कहा जा सकता है कि उस विषय तक वृद्धिका निर्दोष होना संभव है ।

(१७) गौण तालीममें होनेवाला भौतिक तथा चित्त-प्रकृतिका शोचन सच्ची तालीममें सबसे ज्यादा लाभकारी हो सकता है, परन्तु लाभकारी होगा ही असा विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता ।*

* पहली बार 'युगधर्म' में माघ १९८० में छपे लेखकी संशोधित आवृत्ति ।

तालीमकी बुनियादें

दूसरा भाग

अतिहास-संबंधी दृष्टि

मनुष्यके व्यक्तिगत विकासमें जीवनके सारे अनुभवोंकी स्मृति ताजी बनी रहनेका जो महत्त्व है, वही महत्त्व प्रजाके विकासमें अतिहासको प्राप्त है। कुछ लोग दूसरोंके अनुभवोंकी जाच करके कुछ बोध ग्रहण करते हैं; कुछ लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवसे सबक सीखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बार-बार अनुभव मिलने पर भी कोई बोध लेते मालूम नहीं होते।

बिना भेदोंके अनेक कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मनुष्योंके अनुभवोंकी स्मृतिकी जागृति न्यूनाधिक होती है। सावधानी या असावधानीकी स्थितिमें हुआ प्रत्येक अनुभव हम पर कुछ न कुछ सस्कार डालता है। प्रत्येक मस्कार हमारे शरीर, बिन्द्रियो, मन, बुद्धि, गुणों आदिमें कुछ परिवर्तन करता है, क्षणभर पहले हम जैसे थे, अतःसे वह हमें कुछ भिन्न बना देता है। जो अनुभव बार-बार होते हैं, अतःसे हमारी जीवन-रचनाको कुछ खास ढंगसे स्थिर करता है; जो अनुभव क्वचित् ही होते हैं, अतःसे अतः स्पष्ट न होनेसे अज्ञात रहता है। कोई अनुभव सावधान रहकर प्राप्त किया हो, तो वैसा अनुभव फिरसे लिया जाय या नहीं और अतःमें कैसा परिवर्तन किया जाय, बिना सबधमें मनुष्य जान-बूझकर अपना मार्गदर्शन कर सकता है। असावधानीमें प्राप्त किये जानेवाले अनुभव हमारे जीवन पर सस्कार तो डालते हैं, परन्तु अपने जीवनका जान-बूझकर मार्गदर्शन करनेके प्रयत्नमें हम अतःसे अधिक उपयोग नहीं कर सकते। अतःसे संस्कारोंका अतःसे प्राकृतिक प्रेरणा (natural instinct) कहा जा सकता है। जो मस्कार असावधानीकी दशामें हम पर पड़ते हैं, अतःसे परिवर्तन करना कठिन होता है, क्योंकि अतःसे अतःसे अतःसे होनेवाली क्रिया बहुत बार हमारे ध्यानमें नहीं आती। और, ध्यानमें आने लगती है, तब भी क्रिया हो जानेके बाद हमारा ध्यान

असकी ओर खिंचता है। जैसे संस्कारोके वश होना आसान होता है; अन्हें अपने वगमें करना कठिन होता है।

जैसे असावधानीमें प्राप्त हुअे संस्कारोंमें जन्मके और बाल्या-वस्याके संस्कार मुख्य हैं। और असके बाद भी जो मनुष्य जितना कम सावधान होगा, अतना ही जैसे संस्कारोका जमाव अधिक होगा।

सावधानीकी दशामें प्राप्त हुअे अनुभव विस्मृत-से मालूम हो और लम्बा समय बीत गया हो, तो भी अउनका स्मरण प्रयत्नसे जल्दी ताजा किया जा सकता है। असावधानीकी दशामें प्राप्त किये हुअे संस्कारोके परिणाम देखे जा सकते हैं, परन्तु वे अनुभव थोड़े ही समय पहलेके ही तो भी अउनकी तफसील याद करना कठिन या लगभग असभव हो जाता है। दूसरे साक्षीकी सहायतासे अउनकी कुछ तफसील शायद याद की जा सके; परन्तु सारी तफसील याद करना कठिन होता है। असावधानीकी दशामें दो क्षण पहले बोले हुअे शब्द या अुठा हुआ विचार भी हमें याद नहीं रह सकता; जब कि सावधानीकी दशामें दो-ढाभी वर्षकी आयुमें किये हुअे अनुभव भी याद रहते हैं।

अिसमें शक नहीं कि हम जन्मसे ही अपने साथ बहुतसे संस्कार लेकर आते हैं। बालक कोअी कोरा पृष्ठ, मिट्टीका लोदा या मोमका रम नहीं है कि अस पर जैसे संस्कार हम डालना चाहे वैसे आसानीसे डाल सकें। अिन संस्कारोको आनुवगिक कहा जाय, पूर्वजन्मके कहा जाय अथवा दोनोके कहा जाय, अिस चर्चामें यहा जानेकी आवश्यकता नहीं। परन्तु आनुवगिक संस्कार कहे तो असका अर्थ होगा हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त किये हुअे अनुभवोंसे दृढ बनी हुअी प्रकृति, पूर्वजन्मके संस्कार कहे तो असका अर्थ होगा हमारे पूर्वजन्ममें प्राप्त किये हुअे अनुभवोंसे दृढ बनी हुअी प्रकृति और दोनोंके कहे तो असका अर्थ होगा दोनोंके मिले-जुले बलसे दृढ़ बनी हुअी प्रकृति। अिन अनुभवोंसे ये संस्कार हमारे पूर्वजों पर या हम पर पडे, अउन अनुभवोंकी स्मृति आज जाग्रत करना अत्यन्त कठिन है। यदि थोड़ी-बहुत स्मृति जाग्रत की जा सके, तो अनादि भूतकालके किसी अणु जितने विभागकी और जीवनके विविध पहलुओंमें से अेकाव पहलूकी ही की जा सकती है।

परन्तु जैसे अपार अनुभवोंसे उत्पन्न हुए नस्कारोंने हमारी प्रकृतिका निर्माण किया है। कौन कह सकता है कि बुन अनादि भूत-कालमें कितने सस्कार दृढ़ हुए होंगे, कितने सस्कार विरोधी अनुभवोंके फलस्वरूप नष्ट-से हो गये होंगे और कितने विपरीत संस्कार दृढ़ बने होंगे, और जिस प्रकारकी पुन दृढ़ता और पुन लोपकी कितनी आवृत्तिया हुआ होगी? हमारे सस्कारोंमें से कुछ अत्यन्त अर्वाचीन होते हुए भी बहुत बलवान नहीं मालूम होंगे; कुछ बलवान मालूम होते होंगे, फिर भी हमारी कीटदशाके चिह्न होंगे। कुछ नस्कार अर्वाचीन होनेसे बलवान होंगे, और कुछ प्राचीन होनेके कारण लुप्तप्राय हो चुके होंगे।

विज्ञानशास्त्री कहते हैं कि बालक अपने जिस जीवनके पहले क्षणसे लेकर युवावस्थामें प्रवेश करने तक अपने अत्यन्त प्राचीन पूर्वजोंसे आरम्भ करके अपने माता-पिताके जीवन तकष्ण थोड़ेमें दर्शन कराता है; जिन जिन अनुभवोंके कारण पूर्वजोंके जीवनमें जो जो परिवर्तन हुए, उन सबकी साक्षी प्रत्येक बालक नन्पमें देता है।

हमें भूतकालके अनुभवोंकी — इतिहासकी — तफसीलका स्मरण नहीं होता; परन्तु उन अनुभवों द्वारा किये गये परिवर्तनोंका हमने जिस जीवनमें भी अनुभव किया है; और हमारी आजकी स्थिति अन्हीं सस्कारोंका फल है। इतिहासका ज्ञान हमें भले न हो, परन्तु इतिहासका जो परिणाम आया वह हमारा जाना हुआ है। वह परिणाम हमारा आजका जीवन है।

यह सिद्धान्त व्यक्ति और नमाज दोनोंको लागू होता है।

अब अके दूसरी बातका विचार करे। अन्ना कहा जाता है कि भिन्न-भिन्न प्रजाओंका इतिहास जाननेमें हम समझदार और दृष्टिमान बन सकते हैं। दूसरी प्रजाओंने जो गलतिया की हों उनमें हम बच सकते हैं। दूसरी प्रजाओंको किनी विशेष स्थितिमें पहुँचनेके लिये जिन कठिन अनुभवोंमें ने गुजरना पडा, उन स्थितिमें हम उन कठिन प्रसंगोंमें से गुजरे बिना प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार सही होने आने बच हो, अन्ना नहीं मालूम होता। कितने मनप्रायोंके शरीरों

हमारा यह अनुभव है कि वे दूसरोंकी खाओ हुओ ठोकरोंसे बोव लेकर समझदार बने है? कितनी प्रजाओंने जानते हुओ भी अुन्ही दुर्गुणोंका पोषण नही किया, जिन दुर्गुणोंके कारण दूसरी प्रजाओंका पतन हुआ? कितनी प्रजाओंने नामशेष बनी हुओ प्रजाओंका इतिहास जानकर राज्य-विस्तारकी महत्त्वाकांक्षाका त्याग किया है? सच पूछा जाय तो प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्रजाको विकासके किसी निश्चित क्रमसे गुजरना पडता है। जिस प्रकार अमुक भूमिकामें से निकले विना मनुष्य-योनिा कोओ प्राणी मनुष्य-शरीरकी पूर्णता प्राप्त नही करता, अुसी प्रकार अमुक भूमिकामें से पार हुओ विना कोओ प्रजा प्रजाके रूपमें पूर्णता प्राप्त नही करती।

अिसके अलावा, विकासका अेक नियम अैसा भी मालूम होता है कि प्रत्येक जीव अपने नाशके बीज साथ लेकर ही अुत्पन्न होता है। अिसी तरह प्रत्येक प्रजा भी अपने नाशके बीज अपने साथ रखती है। केवल इतिहासके जानसे नाशके अिन बीजोंको वढनेसे रोका जा सकता है या नही, अिसमें अंका है। परन्तु जीवकी तरह किसी प्रजाका प्रयत्न भी अिस नाशसे बचनेकी दिगामे हो सकता है।

तब इतिहासके जानका फल क्या है? और अुस जानकी प्राप्तिा ध्येय क्या है?

प्रत्येक अनुभव हमारे शरीर पर कोओ क्रिया करके अुसके द्वारा चित्त पर संस्कार डालता है। और प्रत्येक संस्कार हमारे शरीरके किसी न किसी भागमें अपना असर पैदा करता है। प्रत्येक संस्कार अेक ओर कोओ गुण* निर्माण करता है, और दूसरी ओर कोओ शारीरिक परिवर्तन पैदा करता है। जिस तरह विजलीका दीया तार द्वारा अदृश्य रूपमें वहनेवाली शक्तिको प्रकट करता है, अुसी प्रकार हमारा शरीर, मन, बुद्धि और जीवन हमारे भीतर अदृश्य रूपमें वहनेवाली गुणशक्तिको प्रकट करते है। साधारण मनुष्य अतिशय सावधान या

* जैसे दया-क्रूरता, लोभ-अुदारता, धमा-दंड, शीर्ष-कायरता, हिना-अहिंसा आदि।

जाग्रत नहीं होते। अंक ही संस्कार बार-बार डाला जाय, तो बुझने कोभी न कोभी गुण अनुमें निर्माण हुआ बिना नहीं रहता।

लेखक, अपदेशक, शिक्षक और देशनेता जाने-अनजाने जिस नियमसे परिचित होते हैं। जिसलिसे वे जनतामें जो गुण उत्पन्न करना चाहते हैं, अनुके अनुकूल संस्कार डालनेका मतन प्रयत्न करते हैं।

प्रत्येक युगमें कम-ज्यादा महत्त्वाकांक्षा रखनेवाले अनेक पुरुष जिस नियमका उपयोग करते हैं। परन्तु मदा जिस नियमका मनुष्योपयोग ही होता है, अथवा विवेकयुक्त विचारसे ही उपयोग होता है, अना नहीं कहा जा सकता। किमी समय प्रजाको अपनी स्वार्थमिदिका माधन बनानेके लिसे जिस नियमका उपयोग किया जाता है, किनी नमय अपने गुणोके विषयमें पक्षपात होनेके कारण जनतामें वैसे गुण निर्माण करनेके लिसे जिस नियमका उपयोग किया जाता है, कभी तात्कालिक परिणाम उत्पन्न करनेके लोभसे कुछ संस्कार डाले जाते हैं, कभी बिना किसी अिरादेके, कभी जान-बूझकर, कभी मोहमे और कभी विवेक-बुद्धिमे अमुक संस्कार डालनेका कार्य राष्ट्रके विविध वृत्तियाँ लोभ विविध प्रकारसे करते हैं। जिस युगमे तो अँने संस्कार डालने-वालोकी मत्स्या और अनुको संस्कृतिया अगणित हैं, अँने अनेक मनुष्योका असर प्रत्येक मनुष्य पर होता है। जिस कारणमे विविध प्रकारके परस्पर विरोधी संस्कारोका अँकसाय पोषण करनेवाले लोग भी देने जाते हैं। जिस सबमें आश्चर्यकी बात तो यह है कि मेरे भीतरके विरोधी संस्कारोका विरोध मैं नामान्यत देय नहीं मक्ता, अँने कोभी यह विरोध बतावे तो अँसे मैं स्वोकार नहीं कर मक्ता। मुझे अनुमें चुनंगतता ही मालूम होनी है।

जिस प्रकार प्रजाका निर्माण करनेकी अिच्छा रखनेवालोंमें अितिहास-वेत्ता भी अँक है।

प्रजाका निर्माण करनेवाले पुरुषोके राजनीतिज्ञ और धर्मोपदेशक जैसे दो विभाग किये जाय, तो अितिहास-वेत्ता अधिकांशने राजनीतिज्ञों वर्गका मालूम होगा। दोनो जान-बूझकर जनतामें मन्वार करनेका कार्य करते हैं। परन्तु राजनीतिज्ञके कार्यमे बहुत बार निश्चिन योजना

(scheme) अधिक दिखायी देती है। वेशक, यह नहीं कहा जा सकता कि वह योजना सद्हेतुपूर्ण ही होती है। अधिकतर अुसके पीछे रागद्वेषात्मक हेतु ही होता है। धर्मोपदेशककी प्रवृत्तिमें न्यूनाधिक तत्त्व-दृष्टि होती है, परन्तु स्वार्थके अभाव अथवा अन्य कारणसे अुसमें कोई निश्चित योजना नहीं मालूम होती। परन्तु अुसका हेतु विगेष शुद्ध होता है। अिममें दोनो ओर अपवाद हो सकते हैं, परन्तु बहुधा यही स्थिति होती है।

अुदाहरणके लिये, हमारे देशके अंग्रेज राजनीतिज्ञोंने अितिहासका अुपयोग अिस ढंगसे किया कि अंग्रेजोंके प्रति हमारे मनमें आदर और देशके लोगोंके प्रति वृणा अुत्पन्न हो। राष्ट्रीय राजनीतिज्ञोंका अितिहासके अिक्षणमें अिससे अुलटा रुख दिखायी देने लगा है। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले अमेरिकाकी अितिहास सिखानेकी पद्धतिमें अैसा रुख अस्तित्थार किया जाता था, अिससे अंग्रेज प्रजाके प्रति अमेरिकनोके मनमें द्वेष पैदा हो। अब वहाके राजनीतिज्ञोंका रुख बदला है, अिसलिये अब तककी अितिहासकी पाठ्यगुस्तके रद्द करके नयी पुस्तके तैयार की जा रही हैं। जर्मनीमें कुछ वर्ष पूर्व अितिहास अिम तरह चित्रित किया जाता था अिससे बालकोंके मन पर बचपनसे ही यह सस्कार पड़े कि कैसरके बिना जर्मनीकी अपार हानि होगी, और कैसरकी मना टिकाये रखनेमें जर्मन प्रजाका स्वार्थ और धर्म निहित है।

दो पडोसियोंके बीच लड़ायी होती है, तब वे पचीस-पचीस वर्षकी पुरानी बातें याद करके अेक-दूसरेको ताने मारते हैं। दोनो अपने किये हुअे अुपकारोंको और दूसरेकी बतानी हुअी नीचताको ही याद कर सकते हैं; क्रोधके आवेगके कारण सामनेवालेने जो अुपकार किये हो या खुदने अुमके साथ जो अन्याय किये हो वे याद नहीं आते। और याद कराये जायं तो भी अुनका महत्त्व नहीं मालूम होता। दोनोंके अगडेको अुग्र रूप देनेमें यह रीति बहुत असरकारक हो सकती है, परन्तु अुनके अगडेको मुनकर हम दोनोंके विषयमें कोई राय बनाने बैठें तो वह गलत ही होगी। द्वेषमें कही हुअी बातें गलत ही होती हैं।

अुसी प्रकार जिस ढगसे लिखे हुअे और नीसे हुअे शित्तिहामने भूतकालमें घटो घटनाओका सच्चा जान प्राप्त करनेकी आशा व्यर्थ सिद्ध होती है। अेक तो राजनीतिज्ञका अर्थ है माधारणत बाहर दिताओ दे अुससे दस गुना गहरा मनुष्य। कोओी कार्य करते समय अपने साथियोके साथ जो हेतु निश्चित किये हो अुनमे नर्वया भिन्न हेतु वह प्रकट करता है, यह भी मभव है कि अपने साथियों पर रहे विश्वास या अविश्वासकी मात्राके अनुमार अुनके साथ जो चर्चा हुआ हो अुससे कितना ही अधिक और भिन्न अुनके मनमे भग हो। जैसे दो पक्षोंके राजनीतिज्ञ परस्पर जिस तरह व्यवहार करते हैं, अुनमें वस्तुस्थितिका पता जब अुम समयके लोगोंको — जन्यन्त निगटने लोगोंको भी — बहुत बार नहीं होता, तो लम्बे समयके बाद अितिहान-सशोधनका कार्य करनेवालोंके अनुमान अुन घटनाओं पर सच्चा प्रकाश डालनेवाले हो यह कितना कठिन है। यह नच है कि कभी-कभी लम्बे समयके बाद भी अकल्पित रूपमें सत्य प्रकट हो जाना है, परन्तु प्रत्येक घटनाके बारेमें अना होना होगा, जिनमे गरा है। और यदि होता भी हो तो कितने लम्बे समय तक प्रजाके किनने बड़े भागको भ्रममें रहना पडता है। अितिहामके पात्रोंकी राजनीतिक गूढताके कारण पैदा होनेवाली यह अेक कठिनायी हुआ।

फिर अितिहाम-लेखक भी राजनीतिज्ञ ही होते हैं, अिमन्त्रि अितिहासमें वे लोग अनेक तरहमे अत्यका मिश्रण कर देने हैं। अुदाहरणके लिअे, (१) विलकुल झूठी बातें गडक (२) नञ्ची बातोंको दबा कर, (३) अपने अुद्देश्यके अनुकूल नञ्ची बातों पर मुलम्मा चढाकर अुन्हे अधिक आकर्षक बना कर, (४) अपने प्रतिद्वन्द्व सच्चो घटनाओको गौण बता कर (५) अलग अलग नञ्ची घटनाओंके बीच झूठा सम्बन्ध कायम करके, (६) काफी नन्यमें धोखे — परन्तु अपने अुद्देश्यकी सिद्धिके लिअे अत्यन्त महत्त्वका — जन्यन्त निगटन।

वकील अच्छी तरह जानते हैं कि विलकुल सच्चे माधीओ अुन्हे पक्षमे तोडना लगभग असभव होता है। विलकुल झूठे पक्षना कठिन नहीं होता, परन्तु काफी नचाबीमें अपने पदाओं काभ हो अना

थोडा असत्य बोलनेवाले साक्षीको तोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। अक मनोरजक बुदाहरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी। अक गावमें प्लेग फैलता है, उस गावकी अक घनाढ्य स्त्रीके दो पुत्र प्लेगके शिकार हो जाते हैं। और दोनो दो-तीन दिनके अन्तर पर मर जाते हैं। बड़ा पुत्र विवाहित होनेके कारण अपने पीछे अक विधवाको छोड़ जाता है। अनेक वर्ष बाद साम-ब्रह्ममें झगडा खडा होता है। मुझ यह है कि बड़ा लडका पहले मर गया हो तो छोटे लडकेकी वारिसके नाते मा सारी सम्पत्तिकी स्वामिनी बनती है और छोटा लडका पहले मर गया हो तो बहू सारी सम्पत्तिकी स्वामिनी बनती है। इसलिये सासका पक्ष कहता है कि बड़ा लडका पहले मरा और बहू कहती है कि छोटा लडका पहले मरा। जन्म-मरणके रेकार्डमें गडबडी हो जानेसे उसकी साक्षी बंकार-सी हो जाती है। और अधिकतर सगे-सम्बन्धियो तथा गाववालोकी साक्षी पर आधार रखना पडता है। सम्बन्धी सास या बहूके प्रति अपनी सहानुभूतिके अनुसार अक या दूसरे पक्षमें शरीक होते हैं। अब दोनो पक्षके साक्षी जो हकीकतें पेश करते हैं वे अधिकतर मच्ची होती हैं; केवल सासके साक्षी जो घटना रविवारको घटी बताते हैं अथवा जिस जगह बड़े लडकेका नाम बोलते हैं, वह घटना बहूके साक्षी बुधवारको घटी बताते हैं अथवा उस जगह छोटे लडकेका नाम बोलते हैं। जैसे मामलोंमें झूठको खोजना बड़ा कठिन होता है। मूल घटनाके वर्णन परसे सत्यासत्य खोजनेके वजाय कहनेवालेकी प्रतिष्ठा, चारित्र्य, अक पक्षके साथ निकटका सम्बन्ध और दूसरे पक्षके साथ वैर, परोक्ष बातें पेश करनेमें प्रकट हुआ असम्बद्धता आदि परसे ही निर्णय करना आवश्यक हो जाता है।

इतिहास लिखनेमें ऐसी चालाकी बहुत बार की जाती है।

अिन सब कारणोसे जो मनुष्य सकुचित राष्ट्रियता या किसी विशेष राष्ट्र या पक्षके प्रति राग अथवा द्वेष निर्माण करानेके हेतुसे परे होना चाहता है, और जिस तरह अपना विकास करनेके लिये अपने पिछले जीवनका अवलोकन करता है उसी तरह राष्ट्रके विकासके लिये राष्ट्रके पिछले जीवनका अवलोकन करनेके हेतुसे

इतिहासका अध्ययन-अध्यापन करता है, अतः इतिहासके विषयमें कैसी वृत्ति रखना चाहिये जिस सबबमें मैं नीचेके परिणामों पर आया हूँ :

१ इतिहास-वेत्ताको अपनी प्रजाकी आवुनिक स्थिति, अतः पाये जानेवाले सद्गुणों या दुर्गुणों, अतः पाये जानेवाले गुणों, अतः बुद्धिशाली और अबुद्धिशाली वर्गके रहन-सहन, वासनाओं, अभिलाषाओं आदिकी स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये। थोड़ेमें कहे तो अतः अपनी प्रजाके आजके संस्कारोंका अच्छा ज्ञान होना चाहिये। जीवनके किन्हीं वर्तमान क्षणमें कालका केवल अंक काल्पनिक अंग ही नहीं रहता, बल्कि प्रत्येक वर्तमान क्षणमें अनादि भूतकालका मग्न नार-रूपमें रहना है।

२ इतिहासका अर्थ केवल प्रजाका राजनीतिक इतिहास नहीं, बल्कि अतःके समग्र जीवनका इतिहास है, अथवा नीतिमान्यकी परिभाषामें कहे तो प्रजाके गुणोंके अद्वय और अस्तका इतिहास। प्रजाके जीवनमें जो जो घटनायें घटीं, अतः अतःके जीवनमें किन्हीं गुणोंका अद्वय हुआ, किन्हीं गुणोंकी वृद्धि हुई और किन्हीं गुणोंका अन्त हुआ अतःका अध्ययन। प्रजाकी अतःके विजय या पराजय, अतःके कालकी समृद्धि या दरिद्रता किन्हीं आकस्मिक तथा बाह्य कारणोंसे हुई, अतः ही नहीं बल्कि किन्हीं गुणोंके विकास या न्यूनता—अथवा किन्हीं दोषोंकी वृद्धिके कारण हुई अतःका अध्ययन।

अतः सबबमें नामशेष हो चुकी प्रजाओंके इतिहासका अध्ययन अनेक तरहसे अतःयोगी होता है। अतः प्रजाओंका इतिहास लिखनेमें लेखकको राजनीतिकी दृष्टि रखनेका कोई कारण न होनेसे सम्भव है वह अतःके तदर्थ दृष्टिसे लिखा जाय। अतःके अतःके अध्ययनसे अतः प्रजाके गुणों और स्वभावके विकासक्रम और परिणामका अच्छी तरह अवलोकन किया जा सकता है। अतः अनेक प्रजाओंके इतिहासोंसे यह खोज की जा सकती है कि मानव-जातिके अतःके और स्वभावके अद्वय, अतःके, रूपान्तर तथा अतःके कोई मानान्य नियम है या नहीं और यह भी खोजा जा सकता है कि वर्तमान प्रजाओंमें से प्रत्येक प्रजा अथवा अतःके किन्हीं भागोंकी विकास-भूमिका प्राचीन प्रजाके अतःके स्थितिसे मिलती-जुलती है।

३ हिन्दुस्तानका इतिहास सिखानेमें अभी तककी पद्धति मुनलमान कालसे आरभ करनेकी थी, परन्तु अब अना मत बनता जा रहा है कि अुसका शिक्षण प्राचीन कालमें आरंभ करना चाहिये। अुपरके विचारोके अनुसार मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इतिहासकी व्यैरेवार शिक्षा वर्तमानकालमें प्राचीन कालकी ओर जानेवाली होनी चाहिये। व्यैरेवार शिक्षा आरंभ करनेसे पहले प्राचीनसे लेकर आज तकके सपूर्ण इतिहास पर अेक शॉत्र या सरसरी दृष्टि अवश्य डालनी होगी। जिस छोट्टेमें बीजसे हमारे इतिहासका आरभ हुआ मालूम पड़े, वहामें लेकर आज तककी थोड़ी-बहुत कल्पना आ सके अैसा अवलोकन कराना आवश्यक है, परन्तु अुसका व्यैरेवार अध्ययन वर्तमानसे बीरे-बीरे प्राचीन युगकी ओर जाना चाहिये। जिस तरह हम नदीके अुद्गमकी ओर बीरे बीरे जाते हैं, अुसी तरह किसी प्रजाके भूतकालकी ओर जाना पूरी तरह सभव नहीं है। इसलिये वर्तमान युगका अध्ययन भी २५, ५० या १०० वर्ष पहलेकी घटनाओंसे आरभ करना पड़े और वहामें आज तकके इतिहास पर आना पड़े तो इसे मैं समझ सकता हूँ। अैसा आरभ कहासे किया जाय, इसका निर्णय इतिहास-लेखक आत्तानीमें कर सकते हैं; परन्तु मुझे लगता है कि बहुत दूरके भूतकालसे अुनका आरभ नहीं होना चाहिये। जिस घटनासे हमारी प्रजाकी आजकी स्थितिकी ओर आनेके लिये पहली प्रेरणा मिली, अुस घटनासे व्यैरेवार अध्ययन आरभ करना चाहिये। अुदाहरणके लिये, हिन्दुस्तानका इतिहास युरोपियन कपनियोंके अयवा १९५७ के विद्रोहके समयसे आरभ करना चाहिये।


इसका कारण मैं फिरसे समझाता हूँ।

जैसा कि मैंने अुपर बताया, हमारे आजके जीवनमें हमारा सपूर्ण भूतकाल मार-रूपमें समाया हुआ है और इतिहास-वेत्ताको हमारी वर्तमान स्थितिका यथामभव निश्चित और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये। हमारी आजकी स्थिति, संस्कारो, विशेषताओं और दोषोंमें से कुछ लगभग सृष्टिके आरंभ जितने पुराने होंगे, हमारे वर्तमानका निर्माण करनेमें अुनका काफी हाथ रहा होगा। परन्तु इस प्रकार समान

रूपसे टिका हुआ सस्कारोका ऋग, बहुत समव है, सारी मानव-जातिमें अकसा ही हो। केवल हमारी प्रजामें भी — स्मृतिके रूपमें नहीं परन्तु जीते-जागते रूपमें पाये जानेवाले — अत्यन्त प्राचीन कालमें चले आये सस्कारोकी सख्या घोडी ही होगी। समग्र अितिहासके सिद्धा-वलोकनमें इसका निरूपण करना चाहिये। परन्तु वर्तमान विकसित जीवनमें हमारी प्रजा जिन जिन गुणों और स्वभावका दर्शन करानी हैं वे कुछ हद तक अर्वाचीन बल्लोके फलस्वरूप पंदा हुआ है। हमारे वर्तमान युगके अितिहासके अमुक रूपमें घटनेमें युगके आदिकालकी हमारी स्थिति और गुण-स्वभाव कारणभूत है, परन्तु वर्तमान समयकी स्थिति और गुण-स्वभावका निर्माण करनेमें वर्तमान युगका अितिहास कारणभूत है। इसलिये वर्तमान युगके आरम्भके समाज-जीवनकी नमग्र स्थितिके विवेचनसे गुरु करके वर्तमान युगके अितिहासकी जाच करते हुए आजकी स्थितिके अवलोकनमें अुसका अन्त होना चाहिये। और अितिहासकी आलोचनासे अुत्पन्न होनेवाले अनुमानों तथा वर्तमान स्थितिके प्रत्यक्ष अवलोकनका ठीक मेल बैठना चाहिये। अिसे मैं अितिहासके अध्ययनका महत्त्वपूर्ण प्रयोजन समझता हूँ। कुशल डॉक्टर रोगीके शरीर पर प्रत्यक्ष दिखाओ देनेवाले आजके चिह्नोका वारीकीमें अध्ययन करना है, फिर भी अुस रोगसे सम्बन्ध रखनेवाला रोगीके जीवनका प्राग अितिहास वारीकीसे जान लेता है। अिनका कारण यह नहीं है कि डॉक्टरको रोगीका जीवन-चरित्र जाननेमें कोअी दिलचस्पी है बल्कि यह है कि रोगकी आजकी स्थिति तथा अुसका कारण समझने और अुसका अुपचार खोजनेके लिये पूर्व अितिहास जानना बहुत आदश्यक है। अिसी प्रकार प्राचीन कालमें गुरु अपने विद्यार्थियोंके वृत्त, गोप, कुलाचार आदिकी वारीक जाच करते थे। अुसका जुद्दश्य विद्यार्थीके जीवन-चरित्र और वशावलीका लेखा रखना नहीं होता था, गर अिसलिये अिम अितिहासकी छानबीन करते थे कि अुसमें विद्यार्थीके आजके सस्कार जाननेमें तथा अुसके विशेष सस्कारोके अनुहार अुसकी तालीमका प्रकार निश्चित करनेमें नहायता मिलनी थी। अिनी प्रकार कोअी मनुष्य अपनी आजकी अिच्छाओं, भावनाओं, दिशारों

आदिको अच्छी तरह समझना चाहे तो उसे अपने पूर्व जीवनका अवलोकन करना चाहिये। यही न्याय किसी प्रजाके इतिहासके अध्ययनमें भी लागू करना चाहिये।

४ जिसके सिवाय, अेक दूसरी बात भी याद रखनी चाहिये। हिन्दुस्तानके जैसी विशाल प्रजाके सारे भाग गुणो और स्वभावके विकासमें अेक ही भूमिकामें नहीं हो सकते। कोअी दो मनुष्य भी समान भूमिका पर नहीं होते; परन्तु अनेक मनुष्योंमें जो स्थूल समानता होती है, उसके भी हिन्दुस्तानकी प्रजाके अनेक वर्गोंमें अनेक भेद हो सकते हैं। अेक तो हमारी वर्णाश्रम-व्यवस्था ही प्रजामें विशिष्टताके गुण निर्माण करनेवाली है। फिर स्थानिक भेद, हिन्दू धर्मका विशाल स्वरूप, दूसरे अत्यन्त भिन्न धर्मोंके सस्कारोवाली प्रजाओके साथ सम्बन्ध—अिन सबके कारण हमारी प्रजाके विभिन्न वर्गोंकी भूमिकायें विविध हो सकती हैं।



मान लीजिये कि हम रोमन जैसी अेक प्रजाके गुणोंके इतिहासका अपर्यक्त ङंगसे आलेख (ग्राफ) तैयार करते हैं; जिस जिस गुणक्रममें से

वह प्रजा गुजरी, उसका छोटे छोटे व्यारेवाला नकना चित्रित करें और हमारी प्रजाके विविध वर्ग जिन गुणोंका जैना बुद्ध या अस्त बता रहे हो उनका नाम उन गुणोंके स्थान पर रखें, तो उस नकले परमे हमें जिस बातको स्थूल कल्पना आ सकती है कि हमारी प्रजाके भविष्यका विकास-क्रम कैसा मार्ग लेगा। मैं जानता हूँ कि यह काम अतना आसान नहीं कि आलेख द्वारा बताया जा सके। परन्तु मैं आशा करता हूँ कि जिससे इतिहासके अध्ययनकी मेरी दृष्टि स्पष्ट होगी।

जिसी सम्बन्धमें एक बात यह भी याद रखनी चाहिये कि बाह्य परिस्थितियोंके समान होने पर प्रजाके सारे भाग उनसे एक ही प्रकारके सस्कार प्राप्त करते हैं, वैसे कोजी अकान्तिक नियम नहीं है। जिन तरह एक ही प्रकारके खादने गन्ना मोठा रस निर्माण करने लगता है और नीम कड़वा रस निर्माण करता है, अथवा जैसे जेब ही सुन्दर चित्रवाली पुस्तकका अपुयोग एक वर्षके, सात वर्षके या दस वर्षके बालक अलग अलग ढंगसे करते हैं, वैसे ही प्रजाके अलग अलग भाग एक ही प्रकारकी बाह्य परिस्थितियोंमें से अलग अलग गुणोंका विकास करते हैं। कुछ मस्कार (विशेषतः स्थूल मस्कार) सब पर समान रूपसे पडते हैं। प्रत्येक प्रजाके आजके और भावी जीवनके मार्गका अन्दाज निकालनेमें यह तफतील ध्यानमें रखने जैसी मानी जायगी।

५ किमी भी प्रजाका इतिहास जावने पर यह पता चरेगा कि उसमें कुछ गुण पहले मालूम नहीं होने, अनुग्रह नमद दाद दिग्गी देते हैं और कुछ समय रह कर लुप्त हो जाते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी यही बात लागू होती है। जैसे गुणोंका अवलोकन महत्त्वपूर्ण वस्तु है। बहुत बार ये अन्ति या परिवर्तन प्राप्त करनेवाले गुण गुण-विकासका क्रम निश्चित करनेमें बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं। विना-शास्त्रका अवलोकन सही हो, तो उनके निर्धारित नियमोंके अन्तर्गत एक अपेक्षा रखी जा सकती है। कोजी प्रजा अलग अलग समय पर जिन जिन गुणों और स्वभावोंका दर्शन करके नष्ट हो जाती है,

अनु गुणों और स्वभावोंमें से सभव है कुछ अंशमें आकस्मिक कारणोंसे ही दिखायी दिये हो और कुछ मानव-जातिके जीवनका विकास-क्रम सूचित करनेवाले रहे हो। दूसरे प्रकारके गुण-स्वभाव अंश प्रजाके प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें कभी न कभी दिखायी दिये बिना नहीं रहते। अंश गुणों और स्वभावोंका थोड़े समयके लिये भी दर्शन कराये बिना वे व्यक्ति अंशके वादके गुण-स्वभावोंका दर्शन नहीं कराते। किसी प्रजाके इतिहासकी जांच करनेमें अंश नियमका काफी अंश उपयोग किया जा सकता है। जिस प्रजाके अथवा अंशके जिस वर्गके इतिहासकी जांच करनी हो, अंशके कुछ सामान्य (average) व्यक्तियोंके जीवनका सूक्ष्म अवलोकन किया जाय, तो वे अंश गुण-स्वभावोंमें से गुजरे हों तथा अंशमें जिस स्थान पर आकर रुके हों, अंश परसे अंशकी संपूर्ण जातिके पिछले इतिहासकी सूचना मिल सकती है। और अंश जातिमें यदि कोई असाधारण पुरुष हो गये हों तो वे सामान्य व्यक्तियोंकी तुलनामें किस मार्ग पर आगे बढ़ गये, अंशका निरीक्षण भी शायद अंशयोगी होगा। अंशलिखे हमारे सामान्य व्यक्तियोंके संपूर्ण जीवनका अवलोकन हमारे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहासकी शोधमें अंशयोगी हो सकता है; और अंशके विपरीत हमारा प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास हमारी प्रजाके अलग अलग वर्गोंके आजके जीवनको समझनेमें अंशयोगी हो सकता है। जीवनको अंश ऊँचा या अंश नीचे चढ़ने अंतरनेवाला जीना मान लें, तो प्रजाका कौनसा भाग किस सीढ़ी पर आज है अथवा अंशकालमें था, अंशका दर्शन अंश तरह हम कर सकते हैं।

विकास-विचारकी दृष्टिसे विज्ञानकी शिक्षा

पिछले लेखोंसे पाठकोंको लगेगा कि नारी भौतिक विद्याओंमें विज्ञानके लिये मेरा सबसे अधिक पक्षपात है। और यह बात गलत नहीं है। मुझे लगता है कि सत्यकी गोष्ठीके लिये वैज्ञानिक आदतें अनिवार्य हैं।

फिर भी, विज्ञानशास्त्रोंने नमारमें जो महा अनर्थ किया है, उनसे मैं अपरिचित नहीं हूँ। आज विज्ञानकी महायत्नामें गरीब प्रजाओंका नाश, मूक प्राणियोंकी हत्या, खूरेजी, अन्याय-अत्याचार और लूट-नामोटे रातदिन चल रहे हैं। आज विज्ञानी अज्ञानीको मताने और पीडा पहुँचानेमें ही विज्ञानका उपयोग करता है और मानता है कि यह जगत्का सनातन कालसे चला आया नियम है। वह चारों तरफ देखता है कि बड़ा प्राणी छोटे प्राणीको मार कर जीता है, और भुत्तीको जगत्की रुढ़ि मानता है। परन्तु वह यह नहीं समझता कि जिस प्रकार वह कम विकसित पायी हुई सृष्टिको अपना आदर्श बनाना है। मनुष्यका विकास पशुमें से हुआ है, यह देखकर वह पशुके नियमोंके अनुसार ही व्यवहार करना चाहता है। परन्तु यह वान वह नहीं समझ पाता कि वह स्वयं पशुमें आगे बढ़ा हुआ है, जिनलिसे पशु-स्वभाव उसके जीवनका आदर्श नहीं हो सकता।

जिमीलिसे मैं कहता हूँ कि शरीर, अन्द्रियों, बुद्धि आदिकों किनी भी प्रकारकी विशेषताके कारण मनुष्यकी पशुता मिटनी नहीं, केवल मद्गुगोंका विकास ही मनुष्यकी मनुष्यताका अच्छा लक्षण है। जिसके बिना जगत्की सारी विभूतियाँ जगत्के लिये शापस्वरूप बन सकती हैं।

परन्तु जिस लेखमें मैं दूसरी ही दृष्टिसे जिस वस्तुका विचार करना चाहता हूँ। मेरे देखनेमें यह आया है कि हमारे देशमें—

गुजरातमें विशेष रूपसे — विज्ञानका शिक्षण हजम नहीं हुआ है। अेम० अेम-सी०, या वी० अेस-सी० तक विज्ञानका शिक्षण लिये दूअे अेसे अनेक ग्रेजुअेट मैने देखे है, जिन्होंने विज्ञानका व्यावहारिक जीवनमें क्या अुनयोग किया जाय यह न सूझनेसे विज्ञानका सर्वथा त्याग कर दिया है और जो बकालतमें, व्यापारमें या सरकारी नौकरीमें लग गये है। मै स्वयं भी अुमी वर्गका हूं। विज्ञानकी ही महायतासे जीवन-निर्वाह कैसे किया जाय अितना भी जब अुहें नहीं सूझ नका, तो विज्ञानशास्त्रमें नअी खोज करनेकी आगा तो अुनसे रखी ही कैसे जाय? कुछ लोगोको मैने विज्ञानकी किमी शाखामें लीन होकर जीवन-निर्वाह करते देखा है, परन्तु अुनका विज्ञान अुनकी प्रयोगशाला तक ही सीमित रहता है; अुनके घर जायं तो आपको अैसा कुछ नहीं दिखायी देगा जिमसे अुनके और अुनके पड़ोसियोके घरमें आपको कोअी फर्क मालूम हो।

आप किमी संगीत-शास्त्रीके घर जायेंगे तो वहां आपको संगीतका वातावरण मालूम होगा, चित्रकारके यहां चित्रविद्याका वातावरण दिखायी देगा, पंडितके यहां पांडित्यका वातावरण दिखायी देगा। किन्तु हमारे देशमें वैज्ञानिकके यहां विज्ञानका वातावरण नहीं मालूम पड़ेगा। मेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि अुनके घरमें कांचकी नलियां, थर्मामीटर, बैरोमीटर, गाल्वानोमीटर आदि वस्तुअें होनी चाहिये। परन्तु अपनी गृह-व्यवस्थामें विज्ञानके नियमोका अमल करनेके अिराटेसे अुनने कोअी परिवर्तन किया हो अैसा नहीं दिखायी देगा। अैसा लगेगा कि अुनकी प्रयोगशालाकी व्यवस्था और गृह-व्यवस्था दोनो कोअी निराली ही दुनियायें है। शायद बम्बयी जैसे शहरमें आप वैज्ञानिक मिट्टान्तसे युरोपमें बनी हुई किमी नअी वस्तुका अुपयोग देखेंगे, परन्तु वह वस्तु तो विज्ञानका विषय न जाननेवालेके घर भी आपको देखनेको मिलेगी। परन्तु वैज्ञानिकने स्वयं अपने चूल्हे या सिगड़ीकी बनावटमें, कपडे धोनेकी पद्धतिमें, कपडो पर लगे दूअे दाग मिटानेकी रीतिमें या कूडे-कचरेका नाश करनेके तरीकेमें कोअी परिवर्तन किया हो अैसा नहीं मालूम होगा।

असके कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवादरूप व्यक्तियोंके वारेमें मुझे कुछ नहीं कहना है, अुसी तरह सर जगदीशचन्द्र बोस या प्रो० गज्जर जैसे अत्यन्त विरले व्यक्तियोंके वारेमें भी कुछ नहीं कहना है।

विकास-विचारकी दृष्टिसे देखते हुअे विज्ञानका अस प्रकार केवल बोलने, सिखाने या परीक्षा देनेका विषय बन जाना आश्चर्यकारक नहीं लगता। विज्ञानकी — अवलोकन, तुलना, प्रयोग और नियमोका जीवनमें अमल करनेकी — आदतें हमें नहीं पडी है, ये गुण हमारा स्वभाव नहीं बने हैं। विज्ञानसे सवय रखनेवाले अनेक सूक्ष्म नियम हम जानते होंगे, परन्तु अधिकतर प्रोफेसरो और लेखकोके शब्द-प्रमाण पर ही। हमारा अपना अवलोकन, मानो हमने ही खोजा हो अस तरह किसी नियमका ज्ञान, हम नहीं करते। स्वयंप्रेरणासे कोअी नया प्रयोग करके हम अेक भी नियम नहीं अपनाते।

हमें अैसी आदतें नहीं पडी, असमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है। विज्ञानका अस प्रकारका विकास हमारे देगमें विलकुल नया ही कहा जायगा। ये सस्कार हमें अुत्तराधिकारमें प्राप्त नहीं हुअे हैं, वल्कि हम अुन्हे नये रूपमें प्राप्त कर रहे हैं। असलिये अुन्हे जीवनमें अुतारनेमें लम्बा समय लगेगा।

परन्तु मुझे लगता है कि अिमी कारणसे यह विषय सीखनेकी हमारी पद्धति भिन्न प्रकारकी होनी चाहिये। जैसे अलकारशास्त्रका ज्ञान होनेसे कविताकी कद्र करना गायद आ जाय परन्तु कवि नहीं बना जा सकता, अथवा दर्शनशास्त्रके ग्रन्थ पढनेसे आध्यात्मिक चर्चा करना आ सकता है परन्तु दर्शनशास्त्री नहीं बना जा सकता, वैसे ही विज्ञानकी किसी शाखा पर लिखी हुअी युरोपकी अच्छी अच्छी पुस्तकें मगाकर प्रयोगशालाकी मददसे अुसके सिद्धान्तोका ज्ञान कर लेनेसे वैज्ञानिक नहीं बना जा सकता।

अत हमे अपने विज्ञानको दृढ बनानेके लिये अस प्रकार विज्ञानका आरंभ करना चाहिये, मानो युरोपकी पुस्तकें हमें मिल ही नहीं सकती। विज्ञानकी भिन्न-भिन्न विद्याओकी युरोपमें पहले-पहल

नीव डालनेवालोंने जिन तरह प्रयोग, अवलोकन आदि किये और जिन सावनोंका अुपयोग किया, वही भूमिका विज्ञानके क्षेत्रमें आज हमारी है, अँसा समझकर अुस स्थानसे हमें अपने विज्ञानको आगे बढ़ाना चाहिये ।

यह सच है कि आज जितने थोड़े समयमें वैज्ञानिक नियमोंकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, अुतने थोड़े समयमें अँसा करनेमे वह हमें प्राप्त नहीं हो सकती । परन्तु जितने दशक या शताब्दियाँ जिसमें युरोपकी गयी, अुनी हमारी भी जायंगी ही अँसा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि अुन नियमोंसे सर्वथा दूर तो हम रह ही नहीं सकते । भाप, विजली आदिके अुपयोगमे चलनेवाले सार्वजनिक माधन तो कहीं चले नहीं जायगे । जिन सावनोंके पीछे रहे वैज्ञानिक नियम आज हम पुस्तकों द्वारा जानते हैं, अुसके बदले यदि हम अुन्हे अवलोकनसे खोजें तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वह हमारा ही होगा । और कभी अितनी शताब्दियाँ लगी भी तो क्या हुआ ? अिमसे विज्ञानके नियम हमारा स्वभाव बन जायेंगे ।

परन्तु मेरा जोर जिस बात पर है कि विज्ञानका मनुपयोग सत्यके ज्ञानके लिये ही होना चाहिये । कोअी भी विचारक जगत्को कुछ अंशमें भी समझे बिना जगत्के आदि तत्त्व तक नहीं जा सकता । विज्ञानका व्यावहारिक अुपयोग अपने अुच्च गुणोंके विकासके लिये अथवा दूसरोंके दुःख दूर करनेके लिये जितना किया जा सके अुतना अनायास होगा ही । परन्तु यदि अपने जीवनमें अँग-आराम पानेके लिये अुमका अुपयोग किया जाय, तो वह आध्यात्मिक दृष्टिसे हुआ नहीं माना जायगा ।

जिसमें दूसरोंको पीडा पहुंचानेकी अपार शक्ति है, अँनी भयंकर वस्तुकी महिमा मेरे जैसा गुण-विकास पर जोर देनेवाला मनुष्य गाये, यह पाठकोंको आश्चर्यजनक लगेगा । परन्तु मुझे लगता है कि विज्ञानमें अुद्विष्टिकों, भ्रमोंको और अन्धविश्वासोंको मिटानेकी जो शक्ति है, अुसका निरादर करनेमे काम नहीं चलेगा । दूनियाकी अँसी कौनसी शक्ति है, जिनका गुणहीन मनुष्यने दुष्प्रयोग नहीं किया ? स्वय

अव्यात्म विद्याका भी — जिसे सारी विद्याओकी शिरोमणि कहा गया है — मनुष्यने अनाचारके पोषणके लिये अुपयोग किया है। योगमें भी पाखड चलाया जा सकता है। भक्तिके नाम पर भी पाखड चल सकता है। अुनी तरह विज्ञानसे भी जगत्को पीडा पहुंचाअी जा सकती है। परन्तु चित्त-विकासके पश्चात् सत्यकी अुपासनाके लिये दूसरा साधन भौतिक और चित्त-प्रकृतिकी शोध है, अत विज्ञानका त्याग नहीं किया जा सकता।

३

विज्ञानके बारेमें चेतावनी

विज्ञानके विकासके पक्षमें मैंने अितना अधिक कहा है कि अिस विषयमें अेक खास चेतावनी देना भी आवश्यक है।

जाने-अनजाने पाश्चात्य विज्ञानने आज तक अैसा खल अपनाया है, जो चार्वाकके मतके अनुकूल कहा जा सकता है। अर्थात्, चैतन्य जडका विकार है, अैसी मान्यताकी ओर पाश्चात्य भौतिकशास्त्रियों और मानमनास्त्रियोंका झुकाव दिखाअी दिये विना नहीं रहता। पाश्चात्य वैज्ञानिकके मनकी गहराअीमें अपने स्वरूपके बारेमें अैसा खयाल बना हुआ मालूम होगा कि मैं अेक प्रकारका अत्यन्त जटिल रासायनिक द्रव्य हूँ, और विविध नैसर्गिक बलके कारण सरल तत्वोंमें अुत्पन्न हुआ क्रियाओसे मेरा निर्माण हुआ है। करोडों पीडियों पूर्व यह रासायनिक द्रव्य आजकी अपेक्षा अतिगह्य तादे रूपमें निर्माण हुआ, बादमें क्रमशः अिसकी जटिलता बढ़ती गयी और अुनके फलस्वरूप मैं आजका बीमवी सदीका अत्यन्त अटपटे स्वरूपवाला और अुमी लिये अत्यन्त सुधरा हुआ प्राणी बना हूँ। और अिसी प्रकार मेरे वंशजोंमें सुधार होते होते किमी दूरके कालमें अिसकी पराकाष्ठा आयेगी।

और, अिनो कारणसे अुनके हृदयकी अैसी मान्यता मालूम होती है कि अरिस्तियति और सयोगोने मुझे जैना बनाया वैसा मैं बना हूँ।

परिस्थितियों और संयोगों (environments) के अनुकूल होनेकी ही प्रेरणा मेरे भीतर है। मुझमें उत्पन्न होनेवाली प्रेरणाओंको विच्छा कहो, क्रिया कहो या ज्ञान कहो वे सब मेरे आसपासकी परिस्थितियों और संयोगोंसे ही निश्चित होती है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकारकी कुछ प्रेरणाओंको — बुदाहरणके लिये, आत्मरक्षा, वंगवृद्धि आदिकी प्रेरणाओंको — वह अटपटे रसायनमें उत्पन्न हुये वर्म मानता है।

जिन मान्यताओंके आवार पर ही चार्वाककी तरह पाञ्चात्य विज्ञानके रंगमें रगे हुये लोग भी भौतिक मुखवादमें विश्वास रखते हैं। अमुक प्रेरणाओं, जिन्हें वे चैतन्यात्मक रसायनका स्वरूप मानते हैं, उत्पन्न हों और उनका पोषण किया जाय — जिसे ही वे मृष्टिका साधारण नियम मानते हैं, प्रेरणाओंके उत्पन्न न होनेको अपवाद मानते हैं, और अपवादको न्यूनता, विकलांगता या रोगका चिह्न मानते हैं।

अक दो बुदाहरणोंसे यह चीज अविक स्पष्ट हो जायगी। सब प्राणियोंको अपना शरीर प्रिय होता है; अकाव मनुष्य शरीरके प्रति बुदासीन हो तो उसे ये लोग अपवाद समझकर विकलांग मानेंगे। फिर जिस बुदासीनताका कारण उसके शरीरकी भौतिक रचनामें खोजने लगेंगे। सारे प्राणियोंमें कुछ ग्रन्थिया (glands) होती है, जिस मनुष्यमें वे ग्रन्थिया नहीं हैं। परिणाम है शरीरके प्रति जिसकी बुदासीनता। सारे प्राणियोंमें वंगवृद्धिकी विच्छा होती है; जिस मनुष्यमें नहीं है। उसके शरीरकी जांच करने पर अमुक ग्रन्थिया छोटी अथवा कम मालूम पडती है। परिणाम है वंगवृद्धिमें उसका वैराग्य; और अपवाद होनेके कारण अक प्रकारकी विकलांगता।

मूल चैतन्यका अिनकार करनेके कारण और अपवादका अर्थ विकलांगता या रोग माननेके कारण, खुसी मनुष्यमें अमुक ग्रन्थियां क्यों नहीं है, जिस प्रश्नका उत्तर वे देंगे: “आसपासकी परिस्थितियां और संयोग।”

कोअी मनुष्य अक तमाचा मारनेवाले आदमीको दस तमाचे लगा दे तो वह पाञ्चात्य वैज्ञानिकको सृष्टिके नियमके अनुमार मालूम

होगा, परन्तु यदि वह औसामसीहका शिष्य निकले और तमाचा मारनेवालेके सामने अपना दूसरा गाल कर दे, तो वैज्ञानिकको शंका होगी कि अुसमें कोअी विकलागता तो नहीं है? वैज्ञानिकको यह देखना जरूरी मालूम होगा कि अुसके मस्तिष्ककी सब ग्रथिया ठीक हैं या नहीं।

किसी मनुष्यको अनेक स्त्रिया हो, तो वैज्ञानिक कहेगा कि अुसके मस्तिष्कका अेक खास भाग अतिशय बढ गया है, किन्तु कोअी रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नीको माता कह कर अुसके चरणोंमें प्रणाम करे, तो वैज्ञानिकको शंका होगी कि अुसके मस्तिष्कमें किसी ग्रथिकी कमी है या किसी ग्रथिका ठीक ठीक विकास नहीं हुआ है।

थोडेमें, पाश्चात्य विज्ञानका झुकाव यह माननेकी तगफ है कि प्राणियोंके स्वभावकी विविधता अुनकी शरीर-रचनाका परिणाम है। हमारे तत्त्वज्ञानकी परिभाषामें कहे तो पाश्चात्य विचारसरणी अैसी मालूम होती है. लिंगदेह स्थूलदेहका कार्य है और स्थूलदेह पूर्वजों और आसपासकी परिस्थितियोंका कार्य है।

संभव है हमारे पूर्वजोंको कारणरूपमें ही — (परिणामरूपमें नहीं) — आत्मतत्त्वके निश्चय पर आनेसे पूर्व अिसी क्रममें से गुजरना पड़ा हो। पाश्चात्य विज्ञान चाहे जिन दिशाओंमें बढ जाय, तो भी अिस बातमें अिनकार नहीं किया जा सकता कि वह अनन्य निष्ठासे जगत्के स्वरूपको खोजनेका अविश्रान्त प्रयत्न कर रहा है, और अिसलिजे यह आशा रखी जा सकती है कि अन्तमें वह भी सत्य पर ही आकर रहेगा। परन्तु पाश्चात्य विज्ञानके साथ हम अपने अुत्तराधिकारका त्याग न करे तो अच्छा हो।

हमारा अुत्तराधिकार है आदिकारणके रूपमें आत्मतत्त्वकी शोध। अधिक गहराअी या विवादास्पद विषयोंमें न जाकर अिमका कमसे कम अर्थ यह है कि आसपासकी परिस्थितियों और सयोगोंका भले मुझ पर असर पडता हो, भले मुझे बहुत बार अुनके अनुकूल बनना पडता हो, भले अुनके कारण मेरे लिंगदेहमें भी लम्बे समयके बाद

फर्क पड़ता हो, फिर भी मूझमें अेक अैसी शक्ति भरी हुयी है जिसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि मैं परिस्थितियो और संयोगोका बनाया बना हूँ। यह शक्ति मेरा संकल्प या बहुत विशाल अर्थमें मेरा कर्म है। मेरे सकल्पसे धीरे-धीरे सृष्टिमें भी अैसा परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप परिस्थितियो और संयोगोको मेरे संकल्पकी सिद्धिके अनुकूल बनना पडता है। जिस प्रकार वालूमें से आलू किस तरह पोपक द्रव्य खीच लेते हैं, जिसका ठीक ज्ञान न होनेके कारण अुनकी जिस क्रियाको हम अद्भुत कहते हैं; अुमी प्रकार मेरा सकल्प धीरे धीरे अद्भुत रीतिसे बाह्य प्रकृतिको भी जिस तरह बदल देता है कि परिस्थितियां अुमकी सिद्धिके अनुकूल बन जाती हैं।

जिसलिये कोयी मनुष्य साधारण मनुष्योसे भिन्न विवेकता रखनेवाला हो, तो जिसका कारण अुसकी परिस्थितियोसे अुत्पन्न हुयी विकलागता है या वह अुस मनुष्यके संकल्पका परिणाम है, यह अेक स्वतंत्र प्रश्न है। जिसका अुत्तर केवल अुस मनुष्यका शरीर चीरकर अुसकी ग्रन्थियोकी संख्या जानने या रसोका रासायनिक विश्लेषण करनेसे नहीं मिल सकता। कुछ अंग तक अुसकी शरीर-रचना अुसके संकल्पका परिणाम है, परिस्थितियोके कारण अुसकी शरीर-रचना हुयी और अुसके फलस्वरूप अुसका स्वभाव बना है, तथा अैसी असाधारणता अुस मनुष्यकी विकलागताकी निगानी है या अुसके लोकोत्तर विक्रमकी निगानी है, यह सब हर मामलेमें स्वतंत्र रूपसे विचारनेकी चीज है। यह अुमके समग्र शरीर, अिन्द्रियो, मन, बुद्धि और नैतिकताके विकासका तथा जिस वातका विचार करके निश्चित किया जा सकता है कि-अुसका जीवन किस हद तक अेकमा और शक्तिपूर्ण है।

भाषाज्ञान

कुछ वर्ष पहले 'नवजीवन अने सत्य' नामके (गुजराती) मासिकमें मैंने 'अंग्रेजीकी मदिरा' शीर्षकसे अेक लेख लिखा था। अुसमें मैंने अंग्रेजीका हम पर जो मादक अमर हुआ है, अुसका कटाक्षपूर्ण विवेचन किया था। हममें से बहुतेरे लोगोका यह खयाल है कि अंग्रेजी भाषामें ही अैसी कोअी मोहक शक्ति है। यह भाषा तेजस्वी है, वह भाषा शिथिल है, फला भाषा नवुर है, फला आक्रामक (aggressive) है— आदि विशेषण हम बहुत बार भाषाओके नाथ लगाने हैं। विंगेप विचार करनेसे मालूम होता है कि अंग्रेजी भाषाने हमारे मन पर जो अधिकार कर लिया है, अुसका कारण अंग्रेजी भाषाकी विंगेपता नहीं है, बल्कि अुनका कारण हमारी प्रजाकी विंगेपता है।

प्राचीन कालसे हमारे अितिहासकी जाच की जाय तो पता चलेगा कि अलग-अलग भाषाओमें अुनके दोलनेवालोके जैमी ही प्रवीणता प्राप्त करनेका प्रेम और स्वभाषाकी अपेक्षा परभाषाके लिये अधिक आदर हमारे देशमें बडे लम्बे समयसे चला आया है। आज हम अंग्रेजीको जो महत्त्व देते हैं, वही महत्त्व किमी नमय नस्कृत भाषाको देते थे, और आज भी अुन भाषाके प्रति हमारा आदर बहुत बार स्वभाषासे अधिक होता है। जिम तरह हमारे विद्वानोको मातृभाषामें दोलनेकी अपेक्षा अंग्रेजीमें दोलना आज अधिक पसन्द होता है और बहुत ज्यादा परिश्रम करनेके कारण वे अंग्रेजीमें अच्छी तरह दोल नकते हैं, जिम प्रकार स्वभाषामें हिज्जो या व्याकरणकी भूलें होनेकी अपेक्षा अंग्रेजीमें वैसी भूलें होने पर हम बहुत लज्जित होते हैं या वैसी भूलें करनेवालेका मजाक अुडानेकी हमारी बिच्छा होनी है, अुनी प्रकार अेक समय हमारी दगा सस्कृतके नवधमे थी। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा सीखनेके बाद मातृभाषा दोलनेको जगलीपन माननेवाले और बालकोओ मातृभाषासे पहले अंग्रेजी दोलना सिखानेके लिये घरमें अंग्रेजीका अुपयोग करनेवाले हमारे देशमें कुछ लोग हैं, अुनी

प्रकार संस्कृतमें ही बोलनेका व्रत लेनेवाले और अपुनयन संस्कारके साथ ही या उससे भी पहले बालकोंको गव्दरूपावली और धातुरूपावली सिखानेवाले गार्त्री भी हमारे देशमें किसी समय थे, और आज भी कुछ होंगे। आज जैसे गावीजी अंग्रेजी भापाके मोहके लिये प्रजाको बुलाहना देते हैं, वैसे ही संस्कृत भापाके अनुचित मोहके लिये अखा, अकनाथ और जानेव्वर जैसे जानियों और मन्तोको अपने समयके लोगोंको बुलाहना देना पडा था; और स्वभापामें ही ग्रन्थ रचनेका आग्रह रखनेवाले अकनाथ जैसे लोगोंको संस्कृतके आग्रहियों द्वारा दिये गये कष्ट भी सहने पड़े थे।

प्राचीन कालमें संस्कृतके बजाय मातृभापाका आदर बढ़ानेवालोंमें बृद्ध और महावीर अग्रणी मालूम होने हैं। उसके बाद महाराष्ट्रके मंतोंने मराठी भापाको संस्कृत जितना ही महत्त्व देनेका प्रयत्न किया। गुजरातमें प्रेमानन्दने गुजराती भापाकी सेवा आरम्भ की। परन्तु प्रेमानन्दको संस्कृत और गुजरातीकी तुलना नहीं करनी थी; अन्हें प्रान्तीय भापाओंमें गुजरातीको अुच्च स्थान दिलाना था। गुजरातमें संस्कृतके साथ स्वभापाकी तुलना तो अखाने की। अकनाथ जैसी ही परन्तु अविक तीखी भापामें अन्होंने कहा था :

‘भापाने शु वळगे भूर, जे रणमा जीते ते गूर;
 संस्कृत बोले ते शु थु, कांजी प्राकृतमायी नाशी गयु;
 वावननो सघळो विस्तार, अखो त्रेणनमो जाणे पार।
 संस्कृत प्राकृत जे वडे भणे, जेम काष्ट विपे रह्यो भाया कणे;
 ते छोड्या वाणो नावे अर्थ, तेम प्राकृत विना संस्कृत ते व्यर्थ;
 ववा दाम वेपारी लखे, अखा व्याज न्होय छूटा पखे.’*

* इसका अर्थ यह है—हे मूर्ख, तू भापासे क्या चिपटा रहता है? जो रणमें जीतता है वही गूर है। संस्कृत भापा बोलनेसे क्या हुआ? क्या इस कारण प्राकृत भापामें से कुछ नष्ट हो जाता है? नारा विस्तार ५२ अक्षरोका ही है। परन्तु अखा कहता है कि इसके परे रहनेवाला ५३ वां ब्रह्मन्त्त्व हम जानें तभी अिम संसार-सागरसे पार हो सकते हैं। संस्कृत प्राकृतकी मददसे पढ़नी होती है। जिस

परन्तु शास्त्रियोंमें आन्तर-प्रान्तीय भाषाके रूपमें तो सस्कृत ही आज तक अुपयोगमें आती रही है।

किन्तु परभाषा सीखनेका हमारा यह अुत्साह सस्कृतके विषयमें थोडा कम हुआ, तो दूसरी किसी भाषाके विषयमें बढा। जिस प्रकार मुसलमानोका राज्य स्थापित होने पर हमारे पूर्वजोंने फारसी भाषाको वही महत्त्व दिया, जो आज हमने अंग्रेजी भाषाको दिया है। फारसी भाषाके ज्ञानमें मुसलमानोंसे भी ढक्कर लेनेवाले फारसीके समर्थ विद्वान् हिन्दुओंमें हो गये हैं। अुस जमानेमें फारसी जाननेवाले आदमीकी सब अिज्जत करते थे। जिम तरह रास्ते पर बैठे हुआ किमी मोचीको अंग्रेजीका अच्छा ज्ञान है अैसा जानकर हमें आश्चर्य होता है, और जिस तरह रेलवे स्टेशन पर जो काम गुजराती बोलनेसे नहीं हो सकता वह अंग्रेजीमें अेक वाक्य बोल देनेसे हो जाता है, वैसी ही अुस समय फारसीकी स्थिति थी। 'पढे फारसी बेचे तेल, देखो यह कुदरतका खेल' जिस कहावतका अर्थ ही यह है कि फारसीका ज्ञान रखनेवाला तेल बेचनेवालेकी सामान्य स्थितिमें ही यह बात अुस जमानेमें आश्चर्यकी मानी जाती थी।

जिस प्रजाका जुआ (अधीनता) हमने स्वीकार किया, अुस प्रजाकी पोशाक, भाषा, रीति-रिवाज सब कुछ अपना लेनेकी हमें पुराने जमानेसे आदत पड़ गयी है। शिवाजी महाराजने हिन्दू राज्य स्थापित किया, परन्तु राजभाषा, वेशभूषा और लिपि तो बहुत समय तक मुसलमानोकी ही रही। राजपूतानेके बहुतसे हिन्दू राज्योंमें आज भी राजभाषा अुर्दू है, और पहले वह शायद फारसी रही होगी। अुत्तर भारतमें अनेक हिन्दू अैसे हैं, जिन्हे वचनसे अुर्दू लिपि ही सिखायी जाती है और देवनागरी लिपि वे पढ ही नहीं सकते।

प्रकार लकडिंकोको गडुरके रूपमें घुमाते रहनेसे कोअी लाभ नहीं होता, गडुरको छोडने पर ही लकडिंकोका अुपयोग किया जा सकता है, अुनी प्रकार प्राकृतके विना सस्कृत व्यर्थ है। व्यापारी हजारोंकी रकम वही-खातेमें लिखता है, परन्तु जब तक पैसोको तुडता नहीं तब तक व्यापार नहीं हो सकता।

यही कारण है कि अंग्रेजी राज्यके आते ही अंग्रेजी भाषाने भी स्वभावतः वही प्राधान्य ग्रहण कर लिया। प्रारम्भसे ही उच्चारण-शुद्धि और व्याकरण पर हमारे देशमें बहुत भार दिया जाना था और उसके लिये नूत्र परिश्रम किया जाता था। जिसलिये किन्हीं भी भाषाके शुद्ध उच्चारण करने और भाषा पर अविकार प्राप्त करनेमें हमारी प्रजाओंमें हम अधिक सफल रहे हैं। दो चार भाषायें सीख लेना हमारे लिये वाये हाथका खेल है। अतः राष्ट्रीय शिक्षणका आन्दोलन आरंभ होने पर हिन्दीको पाठ्यक्रममें स्थान देनेमें कोबी कठिनायी नहीं हुई। अतः नमय कुछ लोगोंकी यह धारणा थी कि हिन्दीको अनिवार्य बनाकर अंग्रेजीको वैकल्पिक स्थान दिया जाय अर्थात् उसे कोबी कोबी विद्यार्थी ही सीखें; परन्तु अविकतर शालाओं और विद्यार्थियोंने अंग्रेजीको तो जारी रखा ही, अपरमे हिन्दीको और दाखिल कर दिया। जिसीलिये आज अनेक विद्यार्थी गुजराती, अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत, फार्सी या फ्रेंच बिना तरह चार भाषायें सीखते हैं। जो लोग काते नहीं वे अके भाषा अधिक सीखें, असा विकल्प यदि रखा जाय तो बहुतसे विद्यार्थी अके और भाषाका आभूषण पहननेको तैयार हो जायंगे।

वेशक, यह हमारी प्रजा द्वारा प्राप्त की हुई अके सिद्धि कही जायगी। परन्तु प्रत्येक सिद्धि जैसे अंतिम व्ययको प्राप्त करनेमें बाधक होती है, वैसे ही यह सिद्धि भी बाधक होती है। सिद्धि अपना मूल्य बढ़ाकर व्ययको भुला देती है। किन्हीं भाषाको विशेषता, किन्हीं भाषाका प्राण उसके शब्दोंमें नहीं, बल्कि उसके बोलनेवालोंके चरित्रमें होता है। जिस बातको हम भूल जाते हैं और यह मानते हैं कि अमुक भाषामें ही अधिक तेज, मायुयं, कर्कशता आदि गुण हैं, और उस भाषाको सीखनेसे हममें भी वे गुण आ जायंगे। अके अमेरिकन व्यायामशास्त्रीने शौर्यका विकास करनेकी अके विचित्र सलाह दी है। वे कहते हैं कि पीठ, गरदन और सिरको अके विशेष स्थितिमें रखकर चलनेसे आप लोगों पर रोव जमा सकेंगे। सच बात है; जिस तरह रोवसे चलनेका ढोंग तो किया जा सकता है; परन्तु जब तक कोबी सच्चा रोवदार आदमी सामने आकर खड़ा नहीं होता तभी

तक। जैसे किसी आदमीके सामने आ जाने पर रोव जमानेकी आदत होते हुअे भी पीठ, गरदन और सिर विंगेप स्थितिमें रखना संभव नहीं होता। क्योंकि घडकते दिलसे यह सब कैसे हो सकता है ?

‘वूम पडे जब वाहरे, सब नीकले ससार,
सच्चा पक्का पारखा, जब नीकसे तरवार।’*

—शोरगुल होने पर सभी लोग घरसे वाहर निकल आते है, परन्तु सच्चे और पक्के वीरकी परीक्षा तलवार निकलने पर ही होती है।

जिसी प्रकार हमारा यह खयाल है कि जिस भाषामें हम बोलते है, उस भाषाके बोलनेवालोके गुण हममें आ जाते है। दूसरी प्रजाकी भाषा (और वेशभूषा) अपनातेसे यदि उस प्रजाके गुण किसी प्रजामें आते हो, तो गया सिंहका चमडा ओढकर सिंह बननेकी आशा क्यों न रहे ? गुण या ज्ञान चित्तके गुण है, वाणी (या कपडो) के नहीं, वाणी (और वेश) उनकी थोडी झाकी करा सकते है, परन्तु अन्हें पैदा नहीं कर सकते।

मातृभाषाका अनादर हमारा प्राचीन कालका रोग मालूम होता है। हमें अपनी भाषा सदा पगु ही मालूम हुआ है। और स्वभाषाका यह अनादर हममें आत्म-विश्वासके अभावके कारण अुत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार गुलामीके स्वीकारकी जडमें स्वाभिमान और आत्म-विश्वासका अभाव है, उसी प्रकार परभाषाके मोहमे भी जिन गुणोका अभाव है।

स्वभाषाका आदर वढानेका अुपाय यह नहीं है कि दूसरी भाषायें सीखी या सिखायी न जाय। यह तो काकाका अपमान करके पिताका मान वढाने जैसा विचित्र मार्ग होगा। परतु यह खयाल मिट जाना चाहिये कि परभाषा जानना कोशी मान, वडप्पन या विद्वत्ताकी बात है। किमी प्रयोजनके अभावमें मनुष्यको मातृभाषाके सिवाय अेक भी दूसरी भाषा जाननेकी आवश्यकता नहीं, परतु आवश्यकता होने पर अुसे वार-वार नयी भाषायें सीखनी पडती है। लेकिन जिन भाषाओके वारेमें विश्वासपूर्वक यह मालूम हो कि जीवनमें उनकी जरूरत पडेगी, अुन्हें

* यह अेक गुजराती कविकी हिन्दीमें की गयी रचना है।

सीखनेकी मुविधा प्रयोजनके अनुसार की जानी चाहिये। परंतु यह नहीं मानना चाहिये कि अुस भापाके जानके कारण विद्यार्थी कुछ ज्यादा आदर पानेका अधिकारी हो जाता है, न हमारे मनमें यह भ्रम रहना चाहिये कि दूसरी भापार्ये न जाननेसे विद्यार्थीके विकासमें कोअी रुकावट आती है।

दूसरीकी भापा हमें अुसके बोलनेवालोकी तरह ही शुद्ध रूपमें बोलते और लिखते आना चाहिये, अैसा मिथ्याभिमान हमारे ही लोगोने बढ़ाया है, और वह जिस प्रजाकी गुलामी हमने स्वीकार की अुसके हम पर पड़े हुअे प्रभावका परिणाम है। जापानी लोग टूटी-फूटी अंग्रेजीसे लाखोका व्यापार चला सकते है, अच्छी अंग्रेजी न जाननेसे अुन्हें गरम नहीं मालूम होती। श्री पॉल रिशार जैसे पुरुष भी अशुद्ध अंग्रेजी बोलनेमें गरमाते नहीं। क्योकि वे लोग जानते है कि 'अंग्रेजी हमारी भापा नहीं है, काम चलाने जितनी ही अंग्रेजी हम जानते है।' परंतु हमारे दफतरोंमें अंग्रेजी पर प्राप्त किये हुअे अधिकारकी वेहद कीमत आकी जाती है। बरसोंसे बम्बयीमें रहने पर भी हम मराठी बोलनेमें गलती करें या महाराष्ट्रीय लोग गुजराती बोलनेमें गलती करें, तो बोलनेवालो या सुननेवालोको हास्यास्पद नहीं मालूम होता। परंतु अंग्रेजीमें अेक मामूली-सी भी गलती हो जाय तो हमें अैसी गरम लगती है कि पृथ्वी जगह कर दे तो हम अुसके भीतर समा जाय।

गुजराती या संस्कृतका भापा-सवव होनेके कारण गुजरातीका अच्छा जान प्राप्त करनेके लिये संस्कृतका ज्ञान आवश्यक माना जाय, अिसे तो मैं समझ सकता हूं। परंतु जब कोअी यह कहता है कि जो संस्कृत नहीं जानता वह पूरी तरह गिदित नहीं है या संस्कृतके ज्ञानके बिना कोअी हिन्दू अपना पूरा विकास नहीं कर सकता, तब ये शब्द मुअे बड़े विचित्र मालूम होते है। अैसी बात सुनकर मुअे लगता है कि हम अिस बातको समझे ही नहीं है कि जान पदोका नहीं परंतु पदार्थोका विषय है। जो पदार्थको जानता है, वही जान प्राप्त करता है। किमी पदार्थके लिये किसी विशेष भापामें दिया हुआ नाम न जानता हो तो वह अुसे नया नाम दे सकेगा; परंतु केवल पदको जाननेवाला पदार्थको नहीं पहचान सकता।

साहित्य, संगीत और कला

आज गुजरातमें हर जगह मै साहित्य, संगीत और कलाकी अुपासना होती देखता हूँ। हमारे महाविद्यालयमें भी अिनके लिअे वडी सावधानी रखी जाती है। सत्याग्रहाश्रमके बुनाजी-मदिरके द्वार पर अेक तख्ती लगी है, जिस पर लिखा है 'कला राष्ट्रका प्राण है'। और अँमा कहे तो गलत नहीं होगा कि पिछले २५ वर्षोंमें वहीने 'मगीत' की अुपासना गुजरातमें आरंभ हुआ। भर्तृहरिने साहित्य, संगीत और कलासे विहीन मनुष्यको पशुमे भी गया-त्रीता माना है। अेक श्रुति रसको ही ब्रह्मरूप कहती है। अितने प्रबल आधार होते हुआ भी साहित्य, संगीत और कलाकी आज जो विचारहीन अुपासना चल रही है, अुनका निषेध करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मै यह माननेसे अिनकार करता हूँ कि साहित्य, संगीत और कला मनुष्यको पूर्णताके समीप ले जाते हैं। अँमे अुदाहरण खोजे जा सकते हैं कि किमी मनुष्यमें ये तीनों हो तो भी वह मनुष्योंमें अधमसे अधम हो। वैसे तो कोअी भी वस्तु ब्रह्मसे भिन्न न होनेके कारण (रसका अर्थ साहित्य, संगीत और कलाका पोषण करनेवाली वृत्ति किया जाय तो भी) 'रमो वै स.' अिस वाक्यको मै गलत नहीं कह सकता। परंतु अितना तो मुझे कहना चाहिये कि साहित्य, संगीत और कलाकी अुपासना वह अुपासना नहीं है, जो हमें मनुष्य-जन्मकी पूर्णता तक पहुँचा सके और जिसकी महायतासे नमस्त प्रजाका कल्याण हो।

मै मानता हूँ कि अेक मनुष्यको किमी दनरे मनुष्यमे कार्यवशात् या अुसके हितके लिअे जो बात कहनी पडे, अुमे वह अुचित शब्दों द्वारा (सम्भ्यता और नौजन्यकी दृष्टिसे) शुद्ध भाषामें, अेक ही अर्थ निकल सके अँसी वाक्य-रचना द्वारा, मनका भाव ययाभभव पूर्णरूपसे प्रकट कर सकनेवाले स्पष्ट शब्दों और दृष्टान्तोंकी योजना करके कहनेकी शक्ति प्राप्त कर सके, अिनके लिअे साहित्यकी

जितनी अपासना आवश्यक हो अतनी की जानी चाहिये । अुसके हृदयमें अनुभव होनेवाली सात्त्विक प्रसन्नता तथा अुसके जीवनकी पूर्णता वाणीमें जितना आनन्द अुत्पन्न कर सके वही साहित्यका सच्चा रस है, और अुसमें जितनी स्वाभाविक सुन्दरता दिखायी दे अुतनी ही सच्ची कला है ।

जिन अुद्गारोके साथ किसी भी आवश्यक कार्यका सवध नही, जिनसे किसीका हित नही माधा जा सकता, वैसे अुद्गारोके लिये किये जानेवाले वाणीके आडम्बरको — भले अुसकी गिनती अुच्च माहित्यमें हो तो भी — मैं मनुष्यताके विकासके लिये निरुपयोगी समझता हू ।

अुमी प्रकार हृदयमें चलनेवाले अुदात्त मन्यनके फलस्वरूप स्वाभाविक रूपसे रागवद्ध या तालवद्ध अर्थवाले जो शब्द भीतरसे निकल पड़ें, अुनमें गृहे संगीतको मैं क्षम्य मानता हूं । केवल वैज्ञानिक शोधके लिये अुस संगीतमें रहे स्वरोंके अभ्यासको भी क्षम्य मानता हू । परंतु अर्थको छोड़कर या गौण बनाकर केवल स्वरोंकी जो कसरत की जाती है, अुसने मानव-जातिके विकासमें कोयी सहायता मिलती है, यह मेरी समझमें नही आता ।

कलाको भी मैं अितना ही मर्यादित स्थान देता हू । मेरे अुपयोगकी वस्तु अितने व्यवस्थित ढंगसे बनायी गयी हो कि अुनके अुपयोगसे मुझे पूर्ण सुविधाका अनुभव हो, तो मैं मानता हू कि वैसी और अुतनी कलामें अुसकी आवश्यक मर्यादा आ जाती है । अुदाहरणके लिये, मुझे जिस चरखेका अुपयोग करना है वह टिकाभू हो, अुनके सारे जोड़ बिस तरह जोड़े गये हो कि तकलीफ न दे, अुसके सारे भाग ठीक अनुपातमें हो, अुनमें घर्षण कमसे कम हो, अुसके तक्रुवे और चक्र आसानीसे घूमते हों, अुसमें तेल देनेके स्थानोंकी वैसी रचना की गयी हो कि जिन जगहोंमें तेलकी जरूरत न हो अुन्हें तेल बिगाडे नही, तो मैं मानूंगा कि अुम चरखेको बनानेमें कारीगरने अपनी पूर्ण कुशलता या कला बनायी है । मैं अुम चरखेको विविध रंगोंसे सजा हुआ देखनेकी आशा नही रखूंगा, न अुसके स्तंभों पर नक्काशीकी आशा रखूंगा । जितनी कला कर्ममें कुशलता अुत्पन्न करनेवाली है, अुतनी ही कला

मनुष्यत्वके विकासके लिये आवश्यक है, अतःसे अधिक आडम्बर मनुष्यको मानव-जीवनके ध्येयसे विमुक्त करनेवाला है।

परन्तु जिन लोगोको साहित्य, संगीत और कला पर किया हुआ भोग यह प्रहार अरुचिकर लगे, अतःसे मेरा निवेदन है कि वे अतिना तो अवश्य करें कि जिन तीनों विभूतियोंको अपने जीवनमें नपूर्ण रूपसे अतारें।

जब मैं किन्हीं साहित्यकारकी व्यक्तिगत वातचीत गन्धी और धृष्टतासे भरी सुनता हूँ, तब मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि अतःसे लिखे हुए साहित्यको पढ़ने और अम पर विचार करनेका अतःनाह मनुष्यमें नहीं रहता।

दुनियामें ऐसे गायक होते हैं जिनका गायन सभाके लोगोको मन्त्र-मुग्ध कर देता है, परन्तु अतःसे जीवनमें संगीतका नाम भी नहीं होता। अतःसे रागवद्ध वाणी जितनी मधुर होती है, अतःसे ही सदी वात-चीतकी वाणी कठोर होती है; अतःसे कारणसे अतःसे नाथ व्यवहार करना कठिन हो जाता है।

मैंने ऐसे चित्रकार और सुतार देखे हैं, जिनकी कला और कारीगरीके लिये हृदयसे वाह-वाह निकले बिना नहीं रहता, परन्तु अतःसे कपडे, घरबार, साज-नामान अतःसे भड़े और अव्यवस्थित होते हैं कि देखकर मन अतःसे जाता है। अतःसे समय मेरे मनमें ये भाव अतःसे हैं कि कलाकार अपनी कला-निपुणताको थोडा कम करके अपने कपडे धोनेमें, अतःसे जोडने-सीनेमें, घरकी सफाई करनेमें, खिडकियो और दरवाजोको साकल-चटकनो ठीक करनेमें, खटिया या पलंगके पाव सीधे करनेमें, कपडे खूटी पर टांगनेमें और कलाके साधन और औजार किन्हींको चोट न लगे अतःसे डगसे जमा कर रखनेमें समय दे, तो गायद अतःसे विद्वकर्मा देव अतःसे प्रमन्न होंगे। जिन लोगोके चरित्रके विषयमें मेरे मनमें आदर न हो, अतःसे अतःसे आध्यात्मिक लेखोंमें चाहें जितनी कुशल तर्क-पटुता अथवा योग-सामर्थ्य हो तो भी मैं अतःसे त्याज्य मानता हूँ, अतःसे प्रकार जिनकी दिनचर्यामें साहित्य, संगीत और कलाकी भक्तिसे आवश्यक

परिवर्तन हुआ नहीं देखता अतः अिन सिद्धियोने थोड़ा भी लाभ अुठानेकी मेरी अिच्छा नहीं होती।

साहित्य, मगीत और कलाके प्रति हमारी अिम वृत्ति पर पुन. विचार करनेकी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मेरे विचार मुझसे यह कह रहे हैं कि जैसे मितव्ययिता और परिश्रममें समृद्धिके प्राण हैं, और भोग-विलासमें समृद्धिका व्यय है, वैसे ही गीत, भाषा और श्रमकी मादगी तथा व्यवहारोपयोगितामें राष्ट्रका प्राण है और संगीत, साहित्य तथा कलाके विलास या विकासमें राष्ट्रके प्राणके व्ययका आरंभ है।*

६

सामुदायिक अुपासनाके बारेमें व्यावहारिक चर्चा +

शालाओ, छात्रालयो और अिसी प्रकारकी दूसरी मस्याओमें सामुदायिक अुपासना जैसा कोअी कार्यक्रम रखनेकी आज लगभग परिपाटी-अी हो गअी है।

साथ ही विद्यार्थियो और अिक्षकोमे सामुदायिक अुपासनाके विरुद्ध भी अेक आन्दोलन चल रहा है। गुजरातकी प्रत्येक मस्यामें आज यह प्रश्न खडा हुआ दिखाअी देता है।

अिस विरोधके पीछे अनेक प्रकारकी दलीलें और मानसिक वृत्तिया हैं। अुदाहरणके लिये, कुछ लोगको सामूहिक अुपासना अिसलिये ना-पसन्द है कि अुसे अनिवार्य बना दिया जाता है। आज अिक्षण-

* 'सावरमती' पत्रके स० १९८० के वर्षा-अकमें विद्यार्थियोको लिखे गये पत्रमें मे।

+ 'जीवनशोधन' के दूसरे भागके दमवे प्रकरणमे अिस विषयकी मैने तात्त्विक दृष्टिसे विस्तृत अानवीन की है। अुमके आधार पर छात्रालयो जैअी संस्थाओकी दृष्टिसे अिस विषयमें कुछ व्यावहारिक सूचनाअे ही यहां की है। अुम प्रकरणको अिसके साथ पढना चाहिये।

शास्त्रियोंमें अनिवार्य और अँच्छिकके संवधमें जवरदस्त विवाद चल रहा है, और अुस विवादको सामूहिक अुपासनाके क्षेत्रमें भी दाखिल कर दिया जाता है। कुछ लोग अिम विचारसे अुसका विरोध करते हैं कि अुपासना सामुदायिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत ही होनी चाहिये। कुछ अुपासनाके लिये ही श्रद्धा मन्द पड जानेके कारण अुसका विरोध करते हैं। अिस तरह कुछ लोग विचारपूर्वक अिसका विरोध करते हैं और कुछ वादमें दूसरोको देखकर विरोध करने लगते हैं।

सामुदायिक अुपासनाके शुद्ध स्वरूपमें क्या क्या वाते होनी चाहिये, अिमका हम विचार करे।

१. श्रद्धा

सबसे प्रथम वस्तु तो यह है कि अुपासनामें श्रद्धा होनी चाहिये। सामुदायिक अुपासना होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये, अिस चर्चाके कारणकी जाच करनेसे पता चलेगा कि यह अुपासना करनेका कर्तव्य अश्रद्धालु पर आ पडता है। अुपासना किसके लिये रखी गयी है, यह पूछा जाय तो मालूम होगा कि अुसे कौजी भी अपनी चीज नहीं मानता। छात्रालयोके गृहपति मानते हैं, “मुझे अिम अुपासनाकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने लिये तो व्यक्तिगत रूपमें या भिन्न प्रकारसे अुपासना करता हूँ। यह अुपासना केवल विद्यार्थियोंके लिये छात्रालयो द्वारा स्वीकार किये हुअे नियमके अनुमार रखी गयी है।” विद्यार्थी मानते हैं, “हमें अिस अुपासनाकी भूख नहीं है। गृहपतिके नियमके वश होकर हम अिसमें हाजिर रहते हैं।”

सम्प्रदायोके लिये यह बात नहीं है। आरतीके घटे मुनते ही नव कौजी जब मन्दिरमें दौड जाते हैं तब किनीको अँमा नहीं लगता कि अपने सिवाय दूसरे किसीके लिये वे मन्दिरमें जाते हैं। क्योंकि वे अपनी श्रद्धासे ही वहा जाते हैं।

छात्रालयो जैसी सस्थाओमें अँसा नहीं होता। कारण यह है कि अुपासनाकी प्रथा और पद्धतिको जन्म देनेवाले गृहपति स्वमनोप या आत्मोन्नतिके लिये अँमा नहीं करते, न विद्यार्थी स्वयंप्रेरणासे अुसका

स्वरूप गढ़ते हैं, बल्कि दोनो किसी दूसरेके लिये ही उसकी रचना करते हैं। सामुदायिक अुपासना मंथी झगडोका, अुसकी निष्फलताका तथा अुसके विषयमें होनेवाले वाद-विवादका यही कारण है।

तब पहली आवश्यकता यह है कि समुदायकी रचना करनेवाला — गृहपति या दूसरा कोभी सस्थापक — स्वयं सत्सगका भूखा हो। अुसकी वृत्ति यह होनी चाहिये कि अुसे खुद अुपासना कर्नी है और अुसके लिये वह विद्यार्थियोका समागम खोजता है। विद्यार्थी अपनी शक्तिके अनुसार अिसमें से जो कुछ ले सकें लेंगे, कोभी अिससे दम, पाखड या दुराचार तो हरगिज नही सीखेंगे और मै स्वयं तो अिस अुपामनासे बहुत लाभ अुठाअूगा, अैसी अुसकी मान्यता होनी चाहिये। संस्थाके अन्य कार्योंमें भले वह गुरुस्थान पर और दूसरे गिष्यस्थान पर हो, परन्तु अुपासनामें तो वह जिज्ञासु और दूसरोकी — किसी छोटे बालककी भी — माधुताका पुजारी बन कर ही रहे।

यदि व्यवस्थापक अैसी वृत्तिवाला होगा, तो वह विद्यार्थियोकी नही बल्कि अपने अभ्युदयको चिन्ता करता रहंगा और अपनी अुपामनामें दूसरे सत्पुरुषोको वार-वार बुलाकर अुनके सत्संगका लाभ अुठानेकी अिच्छा रखेगा।

यदि व्यवस्थापक श्रद्धावान होगा तो अुसका असर सरल चित्त-वाले तथा स्वभावमें ही पूजनेकी वृत्तिवाले विद्यार्थियो पर पड़े बिना नही रहंगा, और यह प्रश्न तीव्र रूपमें नही अुठेगा कि अुपामना अनिवार्य होनी चाहिये या अैच्छक।

विद्यार्थियोको भोजन करना ही चाहिये, अैसा नियम बनानेकी शायद ही किसी मस्थाको जरूरत पड़ती है। परन्तु यह नियम अवश्य बनाना पड़ता है कि जिन्हे खाना हो वे अमुक समय पर हाजिर रहे। अुपासना यदि अन्नकी तरह ही तृप्ति देनेवाली हो तो वह भी अिसी नियमका अनुसरण करेगी।

अिसलिये अुपासनाका निर्माण अुपामकोकी श्रद्धासे होना चाहिये और अुसमें सत्पुरुषोका समागम प्राप्त होना चाहिये — यह सामुदायिक अुपामनाका प्रथम आवश्यक तत्त्व है।

२. विविधता

सामुदायिक अुपासना अेक ही अगवाली हो तो अुपासकोको सन्तोष नही देगी। भिन्न-भिन्न रुचिवाले अुपासकोकी भिन्न-भिन्न भावनाओका पोषण करनेवाली विविधता सामुदायिक अुपासनामें होनी चाहिये। अुपासनाको यदि मोहक, रम्य अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण महिमाके भारसे भव्य न बनाया जाय और अुसे मकाम भक्तिके रग-विरगे फूलसे सजाया न जाय, तो विविधतासे डरना नही चाहिये और न यह मानना चाहिये कि अुससे कोअी हानि होगी।

जहा अनेक खानेवालोकी मेस चलती है वहा अमुक व्यजन हर सदस्य खायेगा ही अैसा मान लिया जाता है, परन्तु दूसरे कुछ व्यजन खानेवालेको अपनी रुचिके अनुमार लेने या न लेनेकी छूट हो सकती है। और यदि सब व्यजन जीभको ललचानेकी दृष्टिसे नही परन्तु स्वास्थ्यप्रद भोजनको रुचिकर बनानेकी दृष्टिसे ही बनाये जाते हो तो वे व्यजन भोजनमें दोषरूप नही, बल्कि गुणरूप ही माने जायगे। यही बात अुपासनामें साधी हुअी विविधताके बारेमें भी नमझना चाहिये।

अुपासनामें विविधता होनेसे अनिवार्य और अैच्छिकका झगडा भी बहुत हद तक खतम हो जायगा। जिम तरह खुराकके रोटी या भात जैसे महत्त्वके पदार्थोंमें सबका भाग होता ही है, जिस तरह शिक्षणमें स्वभाषा जैसे महत्त्वपूर्ण विषयमें सबका भाग अवश्य होता है, अुसी तरह अुपासनाके महत्त्वपूर्ण अगोमें सबका भाग होगा। परन्तु जैसे अचार या साग-भाजी वगैरामें खानेवाले अपनी रुचिके अनुसार चलते हैं, जैसे परभाषा सीखने न सीखनेमें विद्यार्थियोकी रुचिका खयाल किया जा सकता है, वैसे ही अुपासनाके गौण अगोमें अुपासकोकी रुचिका खयाल किया जाना चाहिये।

अब अिस बातका निश्चय करना चाहिये कि अुपासनाके महत्त्वपूर्ण अग कौनसे और गौण अग कौनसे है।

अुपासनाके स्वरूपका विचार करते हुअे हमने ('जीवनगोधनमें') देखा है कि अुसमें तीन प्रयत्न होते हैं . (१) परमात्माके साथ अनुभवान

स्थापित करनेका प्रयत्न, (२) सात्त्विक भाव निर्माण करनेका प्रयत्न, और (३) तत्त्व या धर्म-विचारका प्रयत्न।

मेरी दृष्टिसे अिन तीनों प्रयत्नोमे से अनुसन्धानके प्रयत्नका समुदायमें गौण स्थान है। जिस प्रकार बड़े समुदायमें संगीतकी केवल अभिरुचि अुत्पन्न की जा सकती है, परन्तु किसीको संगीतमें निष्णात नहीं बनाया जा सकता, अुमी प्रकार सामुदायिक अुपासना द्वारा परमात्माके साथ अनुसंधान करनेकी रुचि अुत्पन्न की जा सकती है, परन्तु अुसका विकास तो वैयक्तिक अुपासनामें ही हो सकता है। अिसलिअे सामुदायिक अुपासनाकी रचना अैसी होनी चाहिये, जिससे अुपासकोमें अिम अनुसंधानका बीज पड़े और नये पड़े अुबे बीजको पोषण मिले। अिस कारणसे जिस मनुष्यमें अिस बीजका पोषण हुआ है और जो वैयक्तिक रूपमें परमात्माके साथ अनुसंधान करनेके लिअे प्रयत्नशील रहता है, अुमकी सभवत सामुदायिक अुपासनाके अिस भागमे कोअी रुचि न हो। अिस दृष्टिसे अिस भागको गौण अग समझना चाहिये।

सात्त्विक भाव निर्माण करनेवाला अग सामुदायिक अुपासनाका महत्त्वपूर्ण स्वरूप कहा जा सकता है। जिस प्रकार भोजनको स्वादिष्ठ और रुचिकर बनानेवाले मसाले और व्यजन अनेक प्रकारके होते हैं और मारे मसाले और व्यजनोंका अुपयोग अेक ही दिनमे नहीं किया जाता, अुमी प्रकार अिस प्रयत्नका भी है। अिसका स्वरूप सदाके लिअे नियत नहीं किया जा सकता, अिसमे प्रतिदिन थोडा-बहुत परिवर्तन हो सकता है। यह सात्त्विक भाव निर्माण करनेवाला अंग होना जरूरी है; परन्तु जैसे मसाले और व्यजनोंका अतिरेक दोष माना जायगा, वैसे ही अुसमें किये जानेवाले परिवर्तनका अतिरेक भी दोष माना जायगा। सात्त्विक भाव भी 'मुखसंगेन वध्नाति जानमगेन चानध।' (मुख और जानकी आसक्ति द्वारा वधन निर्माण करता है।) वह भी अेक प्रकारका अुन्माद निर्माण करता है। जब अुन्माद निर्माण होता है, तब सात्त्विकता लगभग दोषरूप हो जाती है।

मराठी नाटकोंमें जैसे किमी पात्रके गलेमें, जो सगीतमें निपुण होता है, गीत ठूस ठूमकर भर देनेका रिवाज पड गया है। जैसे पात्रके रगभूमि पर आते ही आवे दर्जन गीत सुननेकी प्रेक्षकोंको तैयारी रखनी चाहिये। मैं जानता हू कि बहुतेरे प्रेक्षक अितना अधिक नगीत सुनकर अबते नहीं, परन्तु अिसके पीछे प्रेक्षकोंकी विकसित अभिरुचि होती है अैसा मुझे नहीं लगता। जिस तरह किसी मनुष्यकी जीभ केवल गुड खाये बिना मीठेपनका अस्तित्व महसूस न कर सके और तृप्त न हो सके तो हम अुसे जड कहेंगे, अुसी तरह जो व्यक्ति अेकाध दर्जन गीत सुने बिना सगीतसे तृप्त न हो सके अुनके कान मेरी दृष्टिसे जड माने जाने चाहिये। नियम तो यह होना चाहिये कि जो पात्र सगीतमें प्रवीण हो अुसके सिवाय दूसरे किसीको गाने न दिया जाय और वह पात्र भी अेक-दो गीत ही सुन्दरसे सुन्दर ढगसे गाकर सुनाये।

अिसी तरह, सात्त्विक भाव निर्माण करनेके लिये अनेक रीतियोंका अेक ही दिन आयोजन करनेकी पद्धति मुझे असंस्कृत मालूम होनी है। धुनके दो-चार प्रकार, अुन प्रकारोमे आरोह-अवरोहकी युक्तिया, अनेक भजन आदि रीतिया मेरी रायमे अुचित नहीं है। धुन और भजन नगीतके लिये अथवा अपने आमान ताल और आसान 'सा रे ग म'से जनसमूहको पागल बनानेके लिये नहीं है। लोगोंके झुण्ड धुन या भजन सुनकर पागल बन जाय और डोलने लगे नाचने लगे तथा ताल देने लगे तो माना जाता है कि अच्छा रस जना है। 'रस जमाने'की दृष्टिसे यह सब ठीक है। परन्तु अुपासनाकी दृष्टिसे यह अुपासनाकी निष्फलता है। धुन या भजन जब अिस प्रकार आगे बढ़ते जायं कि धीरे-धीरे नाचनेवाले बैठ जाय, डोलनेवाले स्थिर हो जाय, ताल देनेवाले शान्त हो जाय, तार स्वर्गमें गानेवाले मद्र स्वरमे आ जाय और अैसा लगे कि सारा समूह जाग्रत होते हुअे भी गभीर बन गया है, तब मानना चाहिये कि धुन या भजन नफरत हुअे। अुपासनामे जो कुछ होता है अुसका स्पष्ट अमर क्या हुआ यह अुपासना पूरी होनेके दो-चार घंटे बाद मालूम पडे और अुस

समय अेक प्रकारकी शान्त प्रसन्नताका अनुभव हो, तो कहा जायगा कि अुपासना सफल हुयी ।

पहले अगकी अपेक्षा यह सामुदायिक अुपासनाका अधिक महत्त्वपूर्ण अंग है । फिर भी जैसे अधिकतर लोग रोटी या भातके साथ दाल या कडी जैसी चीजें लेते हैं, परन्तु कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं और वे केवल दूध, मट्ठे या मीठेसे काम चला लेते हैं, अुमी तरह सभव है कुछ लोगोको अैनी सामुदायिक अुपासनाके द्वारा सात्त्विक भावोका पोषण करनेकी आवश्यकता न मालूम हो । अैसे अपवादोके लिये सामूहिक अुपाननामें गुजाबिग होनी चाहिये । यह माननेमें कोअी हर्ज नहीं कि सामान्यतः अैसा अपवाद करनेवाले थोड़े होते हैं ।

परन्तु सामुदायिक अुपासनाका मुख्य अग तो अुस समुदायमें होनेवाला धर्म-विचार और तत्त्व-विचार है । यह विचार किसी मत्पुस्तके चरित्र-वाचन द्वारा हो, प्रश्नोत्तर द्वारा हो, किमी ग्रन्थके अव्ययन द्वारा हो, प्रवचन द्वारा हो, सन्तवाणी या भजन द्वारा अुत्पन्न हो अथवा कोअी भक्त-कीर्तनकार अपने कीर्तन द्वारा करावे, परन्तु वही अिम अुपाननाका महत्त्वपूर्ण अंग है । जो विचार-शुद्धि मनुष्य अपने-आप करनेमें नदा सफल नहीं होता और अिसलिये मत्पुस्तो, सच्छास्त्रो या सद्ग्रन्थोका आश्रय खोजता है, अुसकी सुविधा कर देना ही सामुदायिक अुपाननाका बड़ेसे बड़ा प्रयोजन है । वेगक, अुपाननाके संचालक अिम हद तक जाग्रत, विचारशील और विशाल दृष्टिवाले कर्मयोगी पुरुष होंगे, अुमी हद तक अुपानना केवल रुद्धिग्रस्त मननेसे बचेगी । परन्तु अुपासना रुद्धिग्रस्त हो या नये प्रकारकी हो, श्रेयार्थी अैसे ही अुपासक-समुदायकी खोजमें रहते हैं, अिसमें धर्म-विचार या तत्त्व-विचारका लाभ प्राप्न होता हो ।

यह भी सच है कि धर्म-विचार अथवा तत्त्व-विचारकी चर्चा श्रोताओंकी भूमिकाके अनुसार हलकी या गभीर, मीथी या कयाओं द्वारा होनी चाहिये । पाच या पन्द्रह वर्षके श्रोताओंके सामने बुद्दालक और ध्वेतकेतुकी चर्चाका विवेचन नहीं किया जा सकता, परन्तु देवो और यक्षका अथवा प्राण और अिन्द्रियोंका सवाद सुनाया जा सकता

है, सूक्ष्म धर्मोंकी चर्चा नहीं की जा सकती, परन्तु जीवनके व्यवहारोंमें जिन स्थूल धर्मों या कर्तव्योंका पालन होना चाहिये उनकी चर्चा की जा सकती है। और, जिसमें सीधी चर्चाकी अपेक्षा कथात्मक चर्चाका विशेष स्थान होगा।

सारी भूमिकाओंके मिश्र श्रोताओंमें सचालकोंको चर्चाकी अधिक स्वतंत्रता होती है। कभी सीधी चर्चा की जा सकती है, कभी कथात्मक, कभी हलकी चर्चा की जा सकती है, तो कभी गभीर।

अैसी चर्चाओंमें सचालक रसके लिये या मनोरजनके लिये सत्यको न छोड़ें, पांडित्य दिखानेके लिये अुलझनमें डालनेवाली दलील-वाजीमें न पडें, वक्तृत्व-कला दिखानेके लिये वाणीके आडम्बरमें न पडें, वस्तुके मर्मको प्रकट या अधिक स्पष्ट करनेकी अपेक्षा अधिक गुप्त और अगम्य बना डालनेवाले काव्य-चातुर्य (जैसा धीरो, कवीर आदिके कुछ भजनोंमें होता है) में न पडें। हमारे लिये अुपयोगी नहीं है परन्तु दूसरोंको देना है अैसे खयालसे नहीं, बल्कि हमें भी जिससे कुछ लाभ होगा, जो कुछ हमें प्राप्त हो गया है अुसमें दूसरोंको भी भागीदार बनाना चाहिये, अैसे आशयसे अुपासनाके सचालक श्रोताओंकी शक्तिका खयाल रखकर अुपासनामें विविधता लानेका विवेक करे तो वह गलत नहीं होगा।

जैसे कुछ लोग रोटी और भातके बजाय शाक और अचारमें ही पेट भरनेवाले होते हैं, वैसे ही कुछ अुपासकोंको यह महत्त्वपूर्ण भाग नीरस और अुबानेवाला मालूम हो सकता है और सभव है वे पहले दो अगोंमें ही थोडा-बहुत भाग ले सकें। जिससे परेशान होनेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि सामुदायिक अुपासनामें यदि मानसिक भूखको तृप्त करनेकी कोअी विशेष शक्ति हो तो वह अुसके जिस आखिरी अगमें ही है। सच्ची भूख न हो तभी तक मनुष्य शाक और अचार खाकर अुठ सकता है। परन्तु धीरे-धीरे सच्ची भूख खुलनेके बाद जैसे वह रोटी और भातको छोड नहीं सकता, वैसे ही ये अुपासक भी सामुदायिक अुपासनाके केवल धुन, भजन, नित्यपाठ जैसे अगोंमें तृप्त नहीं हो सकते, महीने-छह महीनेमें जरूर अुनमें अैसे विचारात्मक

अगकी भूख पैदा होगी। जिसीमें सामुदायिक अुपासनाका सत्सग है। जिस समुदायमें अैसा भोजन मिलता होगा, अुसमे बहुत दूर रहना अंकान्तमेवी योगी भी पसन्द नहीं करेगा। अैसे समुदाय जन-समाजमें कभी-कभी ही देखनेको मिलते हैं। जो समुदाय जन-समाजके बीच चलते हैं, अुनमें धर्म-शोधन या तत्त्व-शोधन बहुत कम होता है। यह अनुभव होनेमे ही श्रेयार्थी अुनके विषयमे अुदासीन हो जाते हैं और अंकान्तको अधिक पसन्द करते हैं। परन्तु जब अुन्हे यह लगता है कि किमी स्थान पर सच्चा सन्त-समागम प्राप्त हो सकना है, तब वे (विशेष मायनामे लगे हुअे न हो तो) अंकान्तका ही सेवन नहीं कर्ने। हिमालय पर जानेवाले लोग भी वहा समुदाय खड़े करते हैं।

३. शान्ति और गाम्भीर्य

यदि समुदायमे शान्ति और गाम्भीर्यका पालन न किया जाय तो अुपासकोंको श्रद्धा और सत्संगके फल नहीं मिलते। नाटकोंमें जिस प्रकार 'पिट' के प्रेक्षकोंके लिये कुछ दृश्योंका आयोजन किया जाता है, अुसी प्रकार सामुदायिक अुपासनामें भी होता देखा जाता है। अुसमें गड़बड़ी और शोरगुलका पात्र नहीं होता अथवा गड़बड़ी और शोरगुलको ही सामुदायिक अुपासना समझ लिया जाता है। हिन्दू अुपासकोंके समुदायोंमें शान्तिका गुण मेरे देखनेमें नहीं आया। त्योहारों पर भरनेवाले मेलोंमें जैसा दृश्य होता है, बहुधा अुमीकी छोटी आवृत्ति सामुदायिक अुपासनामें होती है। रोते-विलखते बालकोंका, बूढ़ी बालकोंका, आपसमें बातें करनेवाली स्त्रियोंका, दूसरोंको कुहनी मारकर आगे बढ़नेका प्रयत्न करनेवाले पुरुषोंका अैसा हल्ला मचता है कि कुल मिलाकर सारा दृश्य अुपासनाकी अपेक्षा तमाशेका ही ज्यादा मालूम होता है। अुसमें फिर 'शख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिधे अंकसाय वजकर आकाश और पृथ्वी दोनोंको गुजा देते हैं।' नहिण्णुताकी दृष्टिमे तथा अन्य दृष्टियोंमे मुसलमानोंका चाहे जो कर्तव्य हो, परन्तु सामुदायिक अुपासनाकी शुद्धताकी दृष्टिसे अुपासनाके समय आनपाम शान्त वातावरणकी अुनकी माग अनुचित नहीं कही जायगी। शख, नगाड़े आदि

वाद्योमे ने अेकाव साधनका अुपयोग, शालामें जिस तरह समय नमयके घटे वजते हैं अुन तरह, भले किया जाय, परन्तु अुनकी अुपयोगिताको वही तक सीमित नमझना चाहिये। ये वाद्य देवांको जगानेके लिये नही, अुपासकोको अेकत्र करनेके लिये है। आरतीके समय घटीकी आवश्यकता मानी ही जाय तो अेक छोटीसी घटीकी आवाज काफी होंगी। यदि घटी अुपासनाके रूपमें वजती हो तो अुस नमय अुपासकोमें बैसी शान्ति होनी चाहिये कि नारा समुदाय घटीकी आवाज नुन सके। नच पूछा जाय तो जिस सारे कर्मकाण्डसे मुक्त हो जानेमें ही कल्याण है। परन्तु जिनमें अैसी श्रद्धायें दृढ हो गयी हैं, अुन्हे भी अुपासनाके समय शान्ति और गभीर वातावरण बनायें रखनेके लिये अविकसे अधिक जो कुछ किया जा सकता है या कमसे कम जो करना चाहिये वही मैंने यहा बताया है।

जव मनुष्यका चित्त प्रसन्न होता है, तव अुनमें विनोद सहज रूपमें पाया जाता है। यह विनोद दूसरोके मनोरजनके लिये खोज-खाज कर कृत्रिम रूपसे अुत्पन्न नही किया जाता, परन्तु अपने-आप अुत्पन्न होता है। अुपासनाके भजनो या प्रवचनोमे कभी-कभी अिन तरहका स्वाभाविक विनोद दिखायी दे तो अुसमे चिहनेकी कोअी बात नही है। परन्तु जव श्रोताओके मनोरजनके लिये विनोदी कार्यक्रम तथा श्लेष आदिके शब्द-चातुर्यको जान-बूझकर योजना की जाती है, जव प्रवचनकारोको अुनके अैसे चातुर्यके लिये ही पसन्द किया जाता है, तव वह अुपासना नही रहती, बल्कि हलके प्रकारका नाटक बन जाती है।

४. अुपासनाकी योजना और संचालन

अुपासनाके नित्यपाठ, भजन, धुन आदिके चुनावमें जो विवेक किया जाना चाहिये, अुनके विषयमें भी यहा मैं कुछ कहना चाहूंगा।

नित्यपाठका अर्थ यह है कि अुसकी वस्तु प्रतिदिन मनन करने योग्य मालूम होती है। अुनमे कुछ परमेश्वरका स्तवन होगा, कुछ बन्दनीय महापुरुषोका स्मरण होगा, कुछ वर्म और जीवनके आदर्शोका

चिन्तन होगा, कुछ क्षमा-याचना या कृतज्ञताकी भावना होगी, कुछ चिन्तशुद्धि, कर्तव्य-पालन आदिके सम्बन्धमें प्रतिदिन स्मरण रखने योग्य बातें होंगी।

अस नित्यपाठमें असा कुछ नहीं होना चाहिये, जो उस समुदायके किसी व्यक्तिको खटके। अदाहरणके लिये, सनातनियों और आर्यसमाजियोंके मित्र समुदायके नित्यपाठमें 'वक्रनुण्ड महाकाय' जैसा श्लोक आये तो वह आर्यसमाजियोंको खटके बिना नहीं रहेगा। और 'मूर्तिपूजाज्वमाज्वमा' वाला श्लोक रोज बोलनेके लिये चुना गया हो तो वह सनातनियोंको खटके बिना नहीं रहेगा। अनुकी अश्वर-सम्बन्धी विचारसरणीको वह अतना 'ज्यादा आघात पहुंचानेवाला अथवा अनुचित लगेगा कि असे नित्यपाठके रूपमें स्वीकार करनेमें वे जरूर हिचकिचायेंगे।

अस प्रकार जिस नित्यपाठमें परमेश्वरको कर-चरण-रहित निर्गुण निराकार कहा गया हो, असे रोज बोलनेमें स्वामीनारायण जैसे मगुणोपानक सम्प्रदायके लोगोंको हिचकिचाहट होगी; और इसके विपरीत जिस नित्यपाठमें परमेश्वरको दिव्य साकार कहा गया हो, असे रोज बोलनेका प्रसंग आने पर वेदान्ती या आर्यसमाजियोंको आघात पहुंचेगा। अिन अदाहरणोंमें दोनोंकी दृष्टि अुणसकोको दलील देकर समझा सकना संभव है, परन्तु प्रतिदिन बृद्धिसे समझनेके बाद नित्यपाठ करनेमें किसी भक्तको रस नहीं आयेगा। भक्त असा पाठ पसन्द करेगा, जिसे अपनी समझके अनुसार वह आसानीसे बोल सके; रूपक खड़ा करके या असे निकालकर अथवा बृद्धिवादको ठीड़ाकर पाठ अपनी समझके अनुसार ही है असा माननेका प्रयत्न रोज-रोज करना वह पसन्द नहीं करेगा।

अस ती तरह हिन्दुओं, मुसलमानों, अिनाअियों आदिके मित्र समुदायोंमें भी नित्यपाठकी रचनामें विवेक करना आवश्यक है।

मित्र समुदायका यह अर्थ नहीं कि मेहमानोंकी तरह आ पहुंचनेवाले लोगोंको भी मन्तोप दिया सके अिस तरह पाठकी रचना होनी चाहिये। मित्र समुदाय असे कहा जायगा जो किसी परम्परागत

सम्प्रदायसे चिपटा हुआ नहीं है और जिसमें अनेक धर्मों और सम्प्रदायोंके लोग प्रतिदिन भाग लेते हैं।

नित्यपाठके लिये जो बन्धन लागू होते हैं, वे भजनोके लिये लागू नहीं होते। असा मनुष्य भी, जो तुलसीदासकी तरह अितना अनन्याश्रयी हो कि रामके बदले कृष्णके सामने माथा न नमाये, तुकारामका विठोवाके नामसे रचा हुआ अभग गानेमें हिचकिचायेगा नहीं। वह समझेगा कि अिसमे नाम गौण है, भाव मुख्य है। विठोवा बोलते हुअे भी वह अपने ही अिष्टदेवका विचार करेगा। अिस दृष्टिसे अीश्वर सगुण और साकार है अितना कहते ही चिढ जानेवाले भक्त प्रभुके 'चरणों' में सिर रखनेकी, अुनका वरद 'हस्त' अपने सिर पर रखनेकी और अुनके 'प्रकाश' में स्नान करनेकी अभिलाषा करते हैं। वैष्णव शिव या दुर्गाके भजनोका आदर कर सकते हैं। परन्तु अैसे भजन यदि नित्यपाठमें हो तो अुन्हे वरदास्त करना अुनके लिये कठिन होता है। क्योकि वह चिन्तन अुनकी स्थिर निष्ठाके विरुद्ध होता है।

अुपासनाके समय कर्मेन्द्रियो या जानेन्द्रियोको कातने, कपास चुनने, सीने वगैराके किमी समाजोपयोगी काममें लगाया जा सकता है या नहीं, अिस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक मालूम होता है।

'खाता, पीता, हरता, फरता, करता धरनु काम,

स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, मुखे रटिये नाम —

हो सभारिये रे '*

यह अेक बात है, और स्तवन-अुपासनाके समय कोअी मामाजिक काम — भले वह शुद्ध हो — करना दूसरी बात है। मेरे विचारमे असा करना ठीक नहीं है। 'जीवनशोधन'⁺ नामक पुस्तकमें किये गये

* खाते, पीते, धूमते, फिरते और धरका काम करते हुअे मुखसे स्वामीनारायण (परमात्मा) का नाम रटना चाहिये। अुनीका स्मरण करना चाहिये।

+ नवजीवनसे अिमकी हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित हो चुकी है।

विवेचनके अनुमार कर्मोपासना या महजोपासनमें रहनेवाली अेकागिताको दूर करनेके लिये, कर्म करते हुअे भी कर्मके बन्धनसे तथा प्रवृत्तिके मोहसे मुक्त होनेके लिये स्तवन-अुपासनाकी आवश्यकता है। जिसका यह हेतु सिद्ध हो गया है, अुसके लिये मारी स्तवन-अुपासना निरर्थक हो जाती है। अुसके लिये तो अूपरकी पक्तियां भी बेकार है। वह नीचेकी स्थितिमें रह सकता है :

‘कहू सो नाम, सुनू मो सुभिरन, जो करू सो पूजा ;

.

जब मोअू तव करू दडवत, पूजू और न देवा ।’

परन्तु जिसे स्तवन-अुपासनाकी आवश्यकता है, अुसे चाहिये कि वह अिम हेतुकी सिद्धिके लिये स्तवन-अुपासनाके समय जगत्के सारे स्वार्थी या परमार्थी कर्मोमें दूर रहे और अुन्हें भूल जानेका प्रयत्न करे। अेकाग्र मनसे माला फेरनेकी अपेक्षा भूखेको भोजन देना या नगेके लिये कपडे बनाना अधिक महत्त्वका काम हो सकता है। अैसा लगे तब भूखेको भोजन देना या कातना चाहिये और अुसीको अीश्वरकी पूजा मानना चाहिये। अैमा करते समय अीश्वरका नाम लेते रहना चाहिये, परन्तु दूसरी अुपासनमें नही फसना चाहिये। परन्तु यदि अैमा मनुष्य स्तवन-अुपासनाके लिये कोअी विगेष समय निश्चित करके बैठनेका कार्यक्रम रखे, तो अेकाग्र साधनाकी दृष्टिसे तथा यह जाननेकी दृष्टिसे कि कर्मयोगके आग्रहकी भी मर्यादा है, अर्थ और काममें मम्बन्ध रखनेवाले कर्मोमें निवृत्त होकर बैठना ही ठीक होगा। अैसे कार्य नमस्कार करना, माला फेरना, (मूर्तिपूजक हो तो मूर्तिकी) प्रदक्षिणा करना आदि हो सकते है। मै यह नही कहता कि अिनमें से कुछ न कुछ करना ही चाहिये। शान्त चित्तसे अेकामन होकर स्थिर बैठनेको मै पर्याप्त और श्रेष्ठ मानता हूं। परन्तु चचल अिन्द्रियोके लिये अैमा करना कठिन हो तो अर्थ और कामसे सबध न रखनेवाले कर्मोमें अुन्हें लगाना अधिक अच्छा होगा।

‘मनुवा तो चहु दिशि फिरे’की स्थिति होने पर भी सारे दिन माला हाथमें रखनेका मिथ्याचरण जैमे अेक प्रकारकी कर्म-जड़ता है,

अुसी तरह कातना यज्ञकर्म है जिसलिअे स्तवनके लिअे आग्रहपूर्वक नियत किये हुअे समयमें भी कातना दूसरे प्रकारकी कर्म-जड़ता है । जहां 'अेक पथ दो काज' करनेकी दनिया-बुद्धि अुत्पन्न होती है, वहां तत्त्वका हनन होता है अैसा कहनेमें कोअी हर्ज नहीं ।

अेक शिष्य अेक वार अपनी तुवी चबूतरे पर भूलकर पूजा करने बैठ गया । पूजा करते-करते तुवी भूल आनेकी बात अुसे याद आअी, और कुत्ता अुसे बिगाड देगा जिस डरसे वार वार अुसकी वृत्ति तुवीकी तरफ दौडने लगी । परन्तु पूजा करते-करते अुठा नहीं जा सकता, अैसे प्रतिबन्धके कारण वह अुठ भी नहीं सका । यह देखकर गुस्ने पूछा :

'दैवत तुवीपात्रमें, किंवा दैवत ध्यान ?
दैवत तुवीमें अधिक, किंवा दोअु समान ?'

अगर तुवीको अुसके स्थान पर रचना अधिक महत्त्वकी बात हो तो वह काम पहले करना चाहिये; और यदि पूजाका अधिक महत्त्व हो तो तुवीकी चिन्ता छोडकर पूजामें अेकाग्र होना चाहिये । अिनी तरह यदि कानना विशेष सत्कर्म लगता हो तो अपने स्थान पर शान्तिमे बैठकर कातते रहना चाहिये और स्तवनकी झडटमे दूर रहना चाहिये । यदि अुस समय स्तवनमे सम्मिलित होना अधिक महत्त्वका लगे तो यज्ञार्थ होने पर भी कातना बन्द कर देना चाहिये ।

अन्तमें, अुपर्युक्त सब दृष्टिविन्दुओंको ध्यानमें रखकर समय और कार्यक्रमका बटवारा किस तरह हो सकता है, अिनकी अेक योजना यहां पेश करता हूं ।

अिन योजनामें मैंने अैनी अपेक्षा रखी है कि समुदायका प्रत्येक व्यक्ति कमसे कम बीस मिनट और ऋचि हो तो अधिक समयके लिअे अुपासनामें भाग लेगा । कार्यक्रमके विभिन्न अगोंका नचालन अेक ही व्यक्ति करे या अलग अलग व्यक्ति करे. यह सुविधाका और व्यक्तिकी योग्यताका विषय है । जिन लोगोंको कार्यक्रमके किनी विशेष भागमें सम्मिलित रहनेकी अिच्छा न हो, वे शान्तिमे दूसरोकी अेकाग्रतामें बाधा

पहुंचाये विना झुठकर चले जा सकें और वादमें आनेवाले थिनी तर्ह आ सकें, अैसी व्यवस्था होनी चाहिये। यहा मने यह मान लिया है कि अेक वार बैठ कर झुठ जानेके बाद, फिर दूसरे कार्यक्रमके लिये आने और झुठ जानेकी तथा कार्यक्रम चल रहा हो तब बीचमें ही झुठ जानेकी असम्यता कोबी नही करेगे।

सामान्यतः शिक्षण-संस्थाओंमें पहली घंटी सबको बिकट्टा करती है और दूसरी घंटी होते ही नित्यपाठ आरम्भ होता है। जिसके बदले मेरा यह मुझाव है कि दूसरी घंटीके साथ या उसके पहले भी भजन-मण्डली अपने भजन और अुमके वाद धुन आरंभ कर दे और अपासक अुस बीच चुपचाप आकर बैठते जायं। सवेरे-शाम दोनो समयके लिये समयका बंटवारा जिस तरह किया जा सकता है :

कार्यक्रम

मिनट (लगभग)

१०	भजन
५	धुन
५	स्तवन-पाठ
१५ (सवेरे)	स्वाध्याय (शामको) कथा-कीर्तन-वाचन
५	भजन
१५	प्रवचन
५	धुन

प्रवचन नियमित न होता हो तो कुल समय ४० या ४५ मिनटका होगा, प्रवचनके साथ ६० मिनटका होगा। जो लोग वाचन या प्रवचनमें अूंघनेवाले हों वे शुरूसे स्तवन-पाठ तक भाग लें; जो अुमीकी रुचि रखनेवाले हो वे अुममें भाग ले सकें जिस तरह सम्मिलित हो। जिन्हें पूरे कार्यक्रमके लिये भक्ति, रुचि और अवकाश हो, वे पूरा घंटा दें। ६० मिनटका कार्यक्रम रखना संभव ही न हो, तो सवेरे स्वाध्याय या वाचन और शामको प्रवचन रखा जा सकता है। प्रवचनकारके अभावमें वाचन भी रखा जा सकता है। आवश्यकता

मालूम हो तो दूसरे भजन और धुनकी जिम्मेदारी कोभी अलग व्यक्ति ले।

स्वाध्यायके बारेमें अेक बात कह देना आवश्यक है। बहुत बार स्वाध्याय अितना लवा रखा जाता है कि निश्चित समयमें अुसे पूरा करनेके लिये पजाव मेल दौडानी पडती है। अिससे कोभी लाभ नहीं होता। स्वाध्याय कोअों नित्यपाठ नहीं है; वह मनन करने योग्य कंठाग्र किये अुअे विशाल साहित्यमें से थोडासा भाग होता है और आवश्यकता होने पर अुसका थोडा विवेचन भी अुसमें रहता है। वह रोज अेक ही प्रकारका रहे, अैसा आवश्यक नहीं है।

अुपसंहार

अन्तमें अुपसंहारके रूपमें कुछ सूचनाअें दे दू। जिसे सचमुच ही सामुदायिक अुपासनाकी आवश्यकता नहीं रहनी, वह अैसे किसी समाजके साथ बधा हुआ नहीं रहता, जिसमें स्तवन-अुपासनाके समय अुसका अुपस्थित रहना अनिवार्य माना जाता हो। जो अपवादरूप व्यक्ति अुससे परे हो जाते है, अुनकी अपवाद होनेकी योग्यता सब कोभी स्वीकार करते है। और यदि नहीं स्वीकार करते तो अैसे समुदायके साथ बधे रहनेकी अुन्हे परवाह भी नहीं होती। अिसलिये जहा यह झगडा पैदा होता है, वहा अुसके पीछे कोभी तात्त्विक कारण नहीं, बल्कि श्रद्धामान्द्यके ही कारण होते है।

परन्तु कोभी व्यक्ति सामुदायिक अुपासनाका कुछ भाग व्यक्तिगत रूपमें करनेकी बात कहे अथवा अपने लिये अुसे अनावश्यक बतावे, तो अुमे मिथ्याभिमानी समझना ठीक नहीं होगा। कुछ दालाअोंमें यह नियम होता है कि बालकोको हर पहाडा अमुक बार बोलना ही चाहिये। प्राय बालक अिस पद्धतिका विरोध नहीं करते। परन्तु यदि कोभी बालक यह कहे कि 'मै अेक अेकम अेक-का, दम अेनम दस-का और हर पहाडेका अेक और दसका गुणाकार (जो विलकुल स्पष्ट होता है) नहीं धोटूंगा, तो हम यह मान कर कि वह बालक बुद्धिका अुपयोग करता है, अिन आसान गुणाकारोकी रटाअीसे अुमे

मुक्त कर देंगे या यह कहेंगे कि उसे जड़ नियमके ढांचेमें बंधे ही रहना चाहिये? यही न्याय सामुदायिक अुपासनाके कुछ भागोको लागू हो सकता है।

फिर, सामुदायिक अुपासना आवश्यक है, जिसलिअे चाहे जैसी सामुदायिक अुपासनासे काम चल सकता है, यह कहना भी दुराग्रह ही माना जायगा। अुपासकको वृद्धि और हृदय दोनोके लिअे जो सन्तोषदायक हो, वही अुपासना भोजनके रूपमें मानी जा सकती है। यदि अैसा न हो और कोअी अकेला ही श्रद्धालु अुपासक अुपासनामें कोअी परिवर्तन कराना चाहे तथा दूसरे अुपासक अुससे कम श्रद्धालु न होते हुअे भी कम विचारनिष्ठ हो, तो दूसरोको असतुष्ट किये बिना अुस अेक अुपासकको अधिक सन्तोष प्राप्त हो अैसा परिवर्तन करनेमें ही संचालकको वृद्धिमानो माननी चाहिये।

जिसी तरह, चृकि स्तवन-अुपासना सामुदायिक और वैयक्तिक दोनो प्रकारकी होती है और सामुदायिक अुपासनाका हेतु अन्तमें वैयक्तिक अुपासनाका पोषण करना है, जिसलिअे कुछ बातोंमें अथवा संपूर्ण रूपमें भी कोअी व्यक्ति वैयक्तिक अुपासना ही करना चाहे, तो अुसकी जाच करके वैसी सुविधा कर देनेमें समुदायके संचालकोको कोअी संकोच न होना चाहिये।

थोड़ेमें, संचालक, व्यवस्थापक, गृहपति, आचार्य आदि अपनेको अुपासनाकी कवायद करानेवाले ड्रिल-मास्टर समझे, तो वे अुसे अनिवार्य बनाकर अुममें 'व्यवस्था' कायम कर सकेंगे, अेक ही सप्तकमें, अेक ही स्वरमें, ताल और गतिकी भलीभाति रखा करके अुच्चारणकी शुद्धता भी वे ला सकेंगे। यह भी हो सकता है कि यह कवायद अुपासकोको अुत्रानेवाली न मालूम हो; और अुक्ताहट न मालूम होनेसे स्वभावतः अुमकी आदत भी अुन्हे पड़ सकती है। लेकिन फिर भी अुमे अुपासना नहीं कहा जा सकता। यह कवायद ही रहेगी।

परन्तु यदि संचालक अपनेको नरर्मह महेता या तुकाराम जैसा श्रेयार्थी समझे, अपने श्रेयके लिअे वाल या वडे हरिजनोका मंडल खड़ा करना चाहे और अैसे भजन-मंडलका अकेला या दो-चार सहायक

साथियोंके साथ मुखिया बने, तो वह अुम मंडलमें सच्ची अुपासनाके तत्त्व दाखिल कर सकेगा। जिसके साथ ही यदि अुपर बतायी हुयी व्यवस्था होगी, तो यह अुपासना दुगुनी सुशोभित होगी। वह स्वयं भले नरसिंह महेता या तुकाराम न बन सके, फिर भी यदि अुस समुदायके लिये अुसकी अैज्ञी भक्तिनिष्ठा होगी, तो अुस अुपासनामें सच्चे नरसिंह महेताका भी जुड़नेका मन हो जायगा।

७

स्त्रियोंकी तालीम*

दो पास पास खड़े हुअे आम और नीमके पेडोको दो अलग अलग स्थानोसे देखें, तो अेक स्थानसे आम नीमकी दायी ओर दिखायी देगा और दूसरे स्थानसे बायी ओर; और तीसरी दिशासे आम नीमके आगे मालूम होगा तथा चौथी दिशासे नीमके पीछे मालूम होगा। दर्शनका यह सारा भेद पेडमें कोयी स्थान-परिवर्तन हो जानेके कारण नहीं पैदा होता, परन्तु दर्शकके स्थान-परिवर्तनके कारण पैदा होता है।

तालीमको भी कुछ अंश तक यही बात लागू होती है। जिस स्थान पर खड़े रहकर हम जीवनको देखते हैं, अुसके आवार पर जीवनके विषयमें हमारा खयाल बनता है और अुसका अेक या दूसरा अंग कम या अधिक महत्त्वपूर्ण लगता है। तालीमका ध्येय जीवनको गडना या अुसका निर्माण करना है। अिसलिये अुपर कहे अनुसार दृष्टिबिन्दुका जो भेद पैदा होता है, अुसकी वजहसे अिस विषयमें मतभेद होता है कि शिक्षानें किस चीजको महत्त्व दिया जाय।

परन्तु केवल देखनेवालेके स्थान-परिवर्तनके कारण ही तालीमके प्रश्नोके वारेमें मतभेद पैदा नहीं होता। आम और नीमके सम्बन्धमें

* वनिताश्रम (अहमदाबाद) के रजत-महोत्सवके अवसर पर लिखा गया निबन्ध — दिसम्बर १९३१।

तो केवल देखनेवाला ही स्थानांतर करता है; दोनों पेड़ स्थिर रहते हैं। परन्तु जीवनके विषयमें नये नये अनुभवोंके कारण जिस प्रकार हमारा स्थानांतर होता है, उसी तरह सारे मानव-समाजका जीवन भी नये नये रूप ग्रहण करता रहता है। जिसलिअे तालीमके वारेमें मदा नये नये प्रश्न खड़े होते ही रहे तो जिसमें आश्चर्यकी कोभी बात नहीं।

जिस कारणसे जीवनको किसी अूचे और काफ़ी स्थिर स्थानसे जाचकर तालीमके प्रश्न पर विचार करनेका प्रयत्न हम भले करें, परन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिये कि तालीम-सम्बन्धी हमारे अनेक विचारोंमें वार-वार सुवार होते ही रहेगे, तथा आज जो बातें महत्त्वकी मालूम होती हैं वे कल गौण बन सकती हैं, और आज गौण मालूम होनेवाली बातें कल महत्त्व ग्रहण कर सकती हैं।

जिस तरह हमारे निर्णय अस्थिर हो सकते हैं। संभव है आज हमने जिस स्थान पर पाव रखा है वहासे कल असे हटाना पड़े। परन्तु आजका कदम यदि सच्ची दिशामे पड़ा हो, तो कल असे अुठाकर सच्ची दिशामें ही रखनेकी अधिक आशा रहती है। जिसलिअे भले हम अेक ही कदमको देख सकें, परन्तु यदि वह कदम सही दिशामें पड़े तो हम सुरक्षित रहनेकी आशा कर सकते हैं।

तालीमका अर्थ है जीवनका निर्माण करने या असे गढनेकी पद्धति। मैं मानता हू कि अैभी अेक छोटीसी व्याख्या स्वीकार करके हम जिस विषयका विचार करेगे तो कुछ सुविधा होगी। यह व्याख्या ही हमारे सामने प्रश्नोंकी परम्परा पेडा करेगी।

सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि 'जीवन निर्माण करने' का अर्थ क्या? परन्तु 'निर्माण करना' गठका अर्थ खोजने जाते ही 'किसका जीवन?' यह दूसरा प्रश्न खडा होता है। कदाचित् जिसका अुत्तर यह दिया जाय कि स्त्रियोंका जीवन। परन्तु यह अुत्तर पूरा नहीं है। कारण यह है कि जो स्त्रियां—जिम वर्गकी स्त्रियां—हमारी दृष्टिके सामने होगी, उनको ध्यानमें रखकर हमारी बुद्धि अिन प्रश्नोंके अुत्तर खोजनेका प्रयत्न करेगी। यदि हमारी दृष्टिमें

शहरोकी और अुसमें भी धनी या मध्यमवर्गकी स्त्रिया होगी तो अिनके अुत्तर अेक प्रकारसे सूझेंगे और यदि हमारी दृष्टिमें गावोकी तथा पिछडे हुअे और गरीब वर्गोकी स्त्रिया होगी तो अिनके अुत्तर दूसरी तरहसे सूझेंगे ।

जिस मस्थाने यह निबन्ध लिखनेकी मुझे आज्ञा दी है, अुसका कार्यक्षेत्र बहुत धनी न होते हुअे भी अतिशय कठिनाअिया न भोगनेवाली मध्यमवर्गकी तथा सस्कारी जातियोकी होते हुअे भी गरीब वर्गकी स्त्रियो तक ही मर्यादित है, अैसा मानकर अुतने ही क्षेत्रमें अुत्पन्न होनेवाले प्रश्नोका मैने यहा विचार किया है । गुजरातके सम्बन्धमें कहे तो साधारणत अिसमें ब्राह्मण, वैश्य, पाटीदार, ब्रह्मक्षत्रिय, कायस्थ आदि जातियोका समावेश होता है ।

देशकी विशाल जनताकी दृष्टिसे विचार करे तो यह वर्ग मुट्ठीभर ही माना जायगा । अिसलिअे कोअी यह आक्षेप कर सकते है कि स्त्रियोकी तालीमका बडा नाम देकर अेक छोटेसे वर्गमें ही सम्बन्धित प्रश्नोकी चर्चा करनेमें मैने व्यर्थ अपनी शक्ति खर्च की है । परन्तु सपूर्ण चर्चा करनेमें निबन्ध केवल तात्त्विक बन जाता और मभव है जिनकी प्रेरणासे मैने अिसे लिखा है अुनके लिअे व्यावहारिक दृष्टिसे यह बहुत अुपयोगी सिद्ध नही होता । अिमलिअे मुट्ठीभर होते हुअे भी अिसी वर्गकी स्त्रियोकी तालीमके प्रश्नोका विचार मैने किया है ।

परन्तु अिस तरह क्षेत्रको मर्यादित रखते हुअे भी यथासभव विशाल दृष्टिसे व्यापक विचार करना चाहिये । और अिसके लिअे जीवनके विषयमें यथासभव सच्चा दृष्टिविन्दु खोजकर अुन दृष्टिसे तालीमके प्रश्नोकी चर्चा करनी चाहिये । अिस विषयमें मै कुछ विचार सूत्ररूपमें ही पेश करना चाहता हूँ और मानता हूँ कि विचार करनेने ये सूत्र प्रत्येकको स्वीकार करने जैसे लगेंगे ।

पहले सूत्रके रूपमें मै यह विचार सानने रखता हूँ :

१ मानव-जाति राज्य-पद्धति, समाज-पद्धति, शिक्षा-पद्धति, शानन-पद्धति, धार्मिक आचरणके नियमो, नैतिक आचरणके नियमो अादि

द्वारा अेक ही वस्तु सिद्ध करनेका प्रयत्न करती है : वह है अपने जीवनकी विभिन्न प्रवृत्तियोंमें आन्तरिक सामंजस्य कायम करना, तथा अपने और दूसरे प्राणियोंके जीवनके बीच सामंजस्य कायम करना।

जिन दोनों प्रयत्नोंमें से हम अभी अपने जीवनका सामंजस्य कायम करनेके प्रयत्नका विचार नहीं करेंगे। क्योंकि आज हमें तालीमके प्रज्ञाका विचार करना है, और वह भी अपनी तालीमकी दृष्टिसे नहीं परन्तु दूसरोंको तालीम देनेकी दृष्टिसे। अतः यहा हम तालीमकी योजना बनानेवाले और तालीम लेनेवाले जैसे दो पक्षोंको मानकर चल सकते हैं। जिसलिजे पहले सूत्रके परिणामस्वरूप दूसरा सूत्र नीचे पेश करता हूँ :

२ तालीमका अर्थ है तालीम ग्रहण करनेवालोंके जीवनको जिस तरह गढ़नेका प्रयत्न, जिससे तालीमकी योजना करनेवालोंको यह अनुभव हो कि उनके और तालीम ग्रहण करनेवालोंके जीवनके बीच तथा समाजके विभिन्न अंगोंके बीच मेल है।

जिस तरह तालीमकी योजना करनेवालोंके दो भाग हो जाते हैं : (१) अपने और तालीम ग्रहण करनेवालोंके जीवनके बीच सामंजस्य साधनेका प्रयत्न करनेवाले, और (२) समाजके अलग अलग अंगोंके बीच सामंजस्य साधनेका प्रयत्न करनेवाले।

पहले प्रकारके तालीम देनेवालोंके कुछ अुदाहरण देता हूँ : घोड़े या बैलको तालीम देनेवाला मालिक अुसे तालीम देनेके लिजे जैसे अुपाय काममें लेना है, जिसे वह प्राणी अुनके वशमें रहे और अुसका अविकसे अविक काम करे। अुन प्राणीका जीवन वह जिस ढंगसे गढ़नेका प्रयत्न करता है कि जिससे अुनके जीवनके साथ अुस प्राणीके जीवनका मेल सवे।

जिसी प्रकार राज्यका तालीम-विभाग ऐसी ही पद्धतिसे प्रजाको तालीम देता है, जिसे प्रजाका जीवन सरकारके अस्तित्वमें मेल खाने-वाला बने।

जिनी न्यायसे बहुत बार यह देखनेमें आता है कि विगेप वर्ग आम जनताका, पुरुष-वर्ग स्त्रीवर्गका और वजुर्ग लोग बालकोंका जीवन

तालीम द्वारा जिस ढंगसे गढ़नेका प्रयत्न करते हैं कि तालीम देनेवालोंके जीवनके साथ तालीम प्राप्त करनेवालोंके जीवनका मेल सवे।

जिस तरह, सामजस्य सघे जैसे ढंगसे किसीके जीवनको गढ़नेका प्रयत्न करनेमें ही दोष नहीं है, परन्तु जिसमें तालीम देनेवालेका दृष्टिबिन्दु यदि ऐसा हो जिमके फलस्वरूप तालीम देनेवाले और तालीम लेनेवालेके बीच सदा स्वामी और दासका ही सम्बन्ध बना रहे तो अन्याय होता है।

परन्तु जिस तरह -

३ अपने जीवनमें परिवर्तन किये बिना दूसरेके जीवनको अपने अनुकूल बनानेकी दृष्टिसे गढ़नेके प्रयत्नमें साधारणतः भय, लालच, खुशामद, भ्रमका पोषण, सत्यका छिपाव अथवा असत्य-कथन आदि बुपाय तालीमकी पद्धतिके अग वनते हैं और मनुष्यकी धर्म, भक्ति, प्रेम, कृतज्ञता आदिकी सारी कोमल भावनाओंका अनुचित लाभ भी अुठाय जाता है।

जिस न्यायसे राज्योंने प्रजाओंको झूठा अतिहान, धर्मोपदेगकोने अनुयायियोंको झूठी श्रद्धायें, पुरुषोंने स्त्रियोंको अपने प्रति झूठी भक्ति आदि सिखानेके जो प्रयत्न किये हैं अुन्हे सब कोजी जानते हैं।

परन्तु आखिरमें असत्य टिकता नहो। जल्दी या देरसे अमतोप प्रकट होता ही है और विद्रोह जाग अुठता है।

प्रजाओंका अपनी सरकारके खिलाफ विद्रोह, आम वर्गोंका ग्वास वर्गोंके खिलाफ विद्रोह, स्त्रियोंका पुरुषोंके खिलाफ विद्रोह, युवकोंका वृद्धोंके खिलाफ विद्रोह, अनुयायियोंका अपने धर्मगुरुओंके खिलाफ विद्रोह — ये सब विद्रोह कुछ हद तक अूपर वताओ स्वायंपूर्ण दृष्टिने मेल सावनेके प्रयत्नका परिणाम हैं। और हम आगा रखें कि किसी दिन पशु भी मानव-समाजके खिलाफ ऐसा विद्रोह करेगे।

ऐसा विद्रोह जब होता है, तब बहुत वार तालीमकी जिन पद्धतिके कुछ अच्छे परिणाम भी दोषोंके साथ नष्ट हो जाते हैं।

जिसका यह मतलब न समझा जाय कि तालीमकी योजना करने-वाले लोग नदा जिस तरह जान-बूझकर — हिनाब लगाकर — गलत

ढगसे शिक्षण देते हैं। परन्तु अपने ही वर्गमें संपूर्ण मानव-समाज समा जाता है और अपनी जीवन-पद्धति ही सबसे अुत्तम है, अुसीमें प्राणी-मात्रका कल्याण निहित है, अैसी अपूर्ण दृष्टिके कारण यह अनायास ही हो जाता है। जिस अपूर्ण दृष्टिका कारण, जैसा आरभमें कहा था, जीवनकी गलत स्थानसे की हुअी जाच है।

सपूर्ण सृष्टिके जीवनको पूर्ण रूपसे, अुसके सच्चे सम्बन्धोंमें और किमी भी विगेष वर्गके जीवनके लिये ममत्व रखे विना तटस्थ वृत्तिसे कोअी देख सकता है या नहीं जिसमें गका है; और अैसा कोअी पुरुष निकल आये तो भी अुसके तालीमके सिद्धान्तोको दूसरे स्वीकार करेये या नहीं जिसमें भी शका है। फिर भी अितना तो कहा ही जा सकता है कि

४ यथासभव नि स्वार्थ और विशाल दृष्टिविन्दुसे प्रामाणिक रूपमें जीवनका विचार करके तालीमकी योजना जिस तरह करनी चाहिये कि समाजके सर्व अंगोके बीच सबका ममान हित करनेवाला मेल सधे।

यदि अैसा प्रयत्न सच्चा हो तो तालीमकी योजना करनेवाला भले गलतिया करे, भले जिसे वह विगाल और सबका हित करनेवाली दृष्टि समझता था वह वादमें सकुचित्त दृष्टि सिद्ध हो, फिर भी अुससे किसीकी हानि नहीं होगी। क्योकि अैसा मालूम होते ही वह तालीमकी दिग्गा बदलनेके लिये, और किसी अेक ही वर्गको जीवनका आदर्श न मानकर अुस वर्गके जीवनको भी बदलनेके लिये तैयार रहेगा।

यदि अूपरके चार सूत्रोके वारेमें कोअी मतभेद न हो तो स्त्रियोकी प्रस्तुत तालीमके वारेमें नीचेके दो सूत्र निकलते हैं।

५ भले हमारे सामने मध्यमवर्गकी स्त्रियोकी तालीमका प्रश्न मुख्य हो, फिर भी वह तालीम आम वर्गकी स्त्रियोके जीवनके साथ मेल खानेवाली होनी चाहिये। आम वर्ग और खास वर्गके बीच कोअी विरोध न होना चाहिये और जिसलिये खास वर्गका जीवन गढनेमें आवश्यक परिवर्तन करनेकी तैयारी होनी चाहिये।

और,

६ तालीमकी योजनामें पुरुष या स्त्री दोमें से किसी अंकको प्रधानपद देनेवाले दृष्टिविन्दुसे जीवनका विचार नहीं होना चाहिये, परन्तु दोनोंके जीवनको अंकसा महत्त्व देकर दोनोंके बीच मेल साधनेका प्रयत्न होना चाहिये। जिसलिये पुरुषकी तालीमकी पद्धतिमें स्त्रीके हितका विचार और स्त्रीकी तालीमकी पद्धतिमें पुरुषके हितका विचार होना चाहिये।

जिस परसे यह भी मुझाया जा सकता है कि

७ पुरुषकी तथा स्त्रीकी तालीमकी योजना पुरुष तथा स्त्री दोनोंको मिलकर बनानी चाहिये। तथा अुसमें आम वर्गोंके हितोंको समझनेवाले लोगोंका भी हाथ होना चाहिये। परन्तु ऐसे योजनाकार केवल अपने वर्गके प्रतिनिधियोंके नाते ही विचार करनेकी आदत छोड़ दें और यथासभव सारे वर्गोंसे परे रहकर विचारनेकी आदत डालें।

विचारके लिये जितने सिद्धान्त स्वीकार करके अब हम स्त्रियोंकी तालीमके अंक अंक मुद्दोंकी चर्चा करेंगे।

सबसे पहले तो आम वर्गों और मध्यमवर्गके जीवनमें पाये जानेवाले कुछ बड़े भेदोंको ध्यानमें लेना आवश्यक है, और यह स्वीकार करनेकी आवश्यकता है कि आम वर्गोंका जीवन सही स्थितिके अधिक समीप है।

वे भेद जिस प्रकार हैं

(क) आम वर्गोंमें स्त्री और पुरुष लगभग समान भूमिका पर होते हैं। स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषका ज्ञान, श्रद्धा, विचारसरणी, रुचियोंके बन्धन आदि अधिक अच्छी स्थिति पर नहीं होते। दोनोंका ज्ञान और अज्ञान अंकसा होता है।

(ख) आम वर्गोंमें स्त्री और पुरुष दोनों लगभग अंकोंकी स्वतंत्रता भोगते हैं। विवाह और नलाकके विषयमें दोनोंको बहुत हद तक समान अधिकार प्राप्त हैं। दोनों गावमें और समाजमें अंकी आजादीसे घूमते हैं; दोनोंमें चरित्रकी शुद्धि या धियलता अंकी

होती है। पुरुषकी गुद्धिके लिये अधिक पूज्यभाव और गिथिलताके लिये अधिक अपेक्षा-भाव तथा स्त्रीकी गिथिलताके लिये अधिक दंड या तिरस्कार नहीं होता। पुरुष और स्त्रीमें अपने लिंगभेदका भान, दूसरे वर्गोंकी तुलनामें, कम प्रकट होता है। यदि अिन बातोंमें कोई असमानता उत्पन्न हुई हो तो वह विशेष वर्गोंकी नकल अथवा विशेष वर्गोंके प्रयत्नोंसे पोषित संस्कारोका परिणाम है।

(ग) आम वर्गोंमें पुरुष और स्त्री दोनों अेकसा परिश्रम करते हैं। स्त्री अपने निर्वाहके लिये विवाह या पुनर्विवाह नहीं करती, और विवाहसे पुरुषका बोझ बढ़ता नहीं या दोनों पर अेकसा बढ़ता है। इस कारणसे स्त्रीका वैवध्य निर्वाहकी दृष्टिमें आपत्तिरूप नहीं बनता; वियोगकी दृष्टिसे भले आपत्तिरूप हो।

(घ) आम वर्गोंमें पुरुषकी दृष्टि अधिक विगाल है और स्त्रीकी संकुचित है, अथवा पुरुष अधिक लाभ-हानिका विचार करनेवाला और स्त्री भावनावश होती है अैसा बहुत हद तक नहीं कहा जा सकता। हृदयकी विशालता या संकुचितता तथा लाभ-हानिके विचार और भावनावशताकी दृष्टिसे आम जनताका वर्गीकरण किया जाय, तो संभव है प्रत्येक वर्गमें स्त्रिया और पुरुष समान संख्यामें निकल आयेंगे।

अिनका यह अर्थ नहीं कि आम जनतामें पुरुष और स्त्रीका दर्जा विलकुल समान है। स्त्री अपने अवीन रहे इस प्रकार अुसे गढ़नेका प्रयत्न पुरुषने किया ही है और जिसमें आम वर्गोंके पुरुष अपवादरूप नहीं है। फिर भी अैसी असमानता जितनी विशेष वर्गमें होती है अुननी आम वर्गमें नहीं होती और अिन मामलेमें आम वर्ग सही स्थितिके अधिक निकट है। इसलिये :

८. ज्ञान, धर्म, चरित्र, भावना-बल और व्यवहार-दृष्टिमें पुरुष और स्त्रीकी योग्यता समान रहे, अिम ढंगसे दोनोंकी तालीमकी योजना की जानी चाहिये; गांव और समाजमें धूमनेकी तथा विवाह और तलाककी अनुकूलता दोनोंको अेकनी हानी चाहिये। और निर्वाहके लिये या गृह-व्यवस्था रखनेके लिये विवाह या पुनर्विवाह करना

अनिवार्य न हो जाय, अपना निर्वाह करनेकी अितनी शक्ति स्त्रीमें और गृह-व्यवस्था रखनेकी अितनी शक्ति पुरुषमें होनी चाहिये।

श्रमके विषयमें आम वर्ग और विशेष वर्गके बीच अेक दूसरा भेद भी है, और अुसमें भी आम वर्ग अुचित स्थितिके अधिक निकट है अैसा मालूम होगा। वह यह कि :

(ङ) आम वर्गमें स्त्री और पुरुषके बीच श्रमभेद अवश्य है, परन्तु वह दृढ नहीं है। कुछ काम सामान्यतः स्त्रिया करती है और कुछ सामान्यतः पुरुष करते हैं। फिर भी आवश्यकता पडने पर स्त्रियोंके काम पुरुष कर लेते हैं और पुरुषोंके काम स्त्रिया कर लेती हैं। अुदाहरणके लिये, सामान्यतः निराभी करना, दूध दुहना, छाछ विलोना, धो बनाना तथा कताभी और वुनाओंकी अुपक्रियाओं स्त्रियोंके काम होते हैं और खेत जोतना, बीज बोना, फल काटना, कपडा वुनना आदि पुरुषोंके काम होते हैं। परन्तु अेकका काम दूसरा विलकुल न करे अैसा नहीं होता।

(च) जिसके अलावा, यह श्रमभेद अेक ही धन्नेकी अलग अलग क्रियाओंमें होता है। पुरुष खेती करे और स्त्री दरजीका काम करे अैसा श्रमभेद आम वर्गमें नहीं होता। विशेष वर्गमें स्त्री और पुरुष दोनों निर्वाहके लिये धन्ना करनेवाले हो तो भी अुनके धन्ने अेक-दूसरेसे विलकुल स्वतंत्र हो जाते हैं। अुदाहरणके लिये, पुरुष कारकुन होगा और स्त्री नर्म होगी, पुरुष दुकानदार होगा और स्त्री शिक्षिका होगी। जिस कारण अेकका स्थान दूसरा नहीं ले सकता।

९ पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर अेक ही धन्ना चलाये, जिस तरह पुरुष और स्त्रीकी तालीमकी योजना की जाय और विवाहमें भी यह दृष्टि रखी जाय यह वाछनीय है।

आज तक साधारणतः पुरुष स्त्री पर प्रभुत्व भोगता रहा है, जिनलिये पुरुष अयोग्य हो तो भी अुनमें श्रेष्ठताका मिथ्याभिमान और स्त्री कुशल हो तो भी अुसमें हीनताकी झूठी भावना पोषित हुयी है। जिस कारणसे अपना पति कुशल हो और न्त्रय मन्द हो तो भी स्त्रीको पतिसे अीर्ष्या नहीं होती या पतिको कुशलताको दवा

देनेकी अथवा अुसके प्रति शकाकी दृष्टिसे देखनेकी वृत्ति स्त्रीमें पैदा नहीं होती। परन्तु पुरुष मूढ हो और स्त्री कुगल हो, तो भी पुरुष अपनी प्रभुताको बनाये रखने और स्त्रीकी कुगलताको दवा देनेका प्रयत्न करता है और अुसे शंकाकी दृष्टिसे देखता है।

१०. पुरुषमें पोषित श्रेष्ठताका झूठा अभिमान और स्त्रीमें पोषित हीनताकी झूठी भावना—ये दोनो मस्कार विवातक है, जिसलिअे अुन्हें दूर करना चाहिये।

वास्तवमें, कभी पुरुष बुद्धिशाली हो सकता है तो कभी स्त्री। जिसलिअे स्त्री जिस तरह अपने बुद्धिशाली पतिके लिअे गौरव अनुभव करती है, अुसी तरह पुरुषको भी अपनी पत्नीकी बुद्धिमत्ताके लिअे गौरव अनुभव करना चाहिये और अुसके सहायककी तरह काम करनेके लिअे तैयार रहना चाहिये।

कुछ सस्थायें अव्ययकी कुगलताकी वजहसे अच्छी तरह चलती हैं, कुछ मंत्रीकी कुगलताकी वजहसे; किमी समय अव्यय कुगल मंत्रीके कहे अनुसार चलता है, तो किसी समय मंत्री अव्ययकी आज्ञामें रहकर काम करता है। यदि दोनोमें से अेकको भी अपने पदका झूठा अभिमान न हो तो दोनोके बीच ठीक मेल बैठता है और संस्था अच्छा काम कर सकती है। इसी तरह:

११. पुरुष और स्त्रीके बीच आपसमें किसी सस्थाके अव्यय और मंत्रीके जैसा सम्बन्ध होना चाहिये और दोनोमें से जो अधिक कुगल हो अुसके कहे अनुसार काम करनेमें दूसरेको हीनताका अनुभव नहीं होना चाहिये। तालीमको अैसा मस्कार निर्माण करना चाहिये।

आज तक पुरुषोके मनमें यह खयाल रहा है कि स्त्रियोको दवानेका अुन्हें अधिकार है और दबकर रहना स्त्रियोका कर्तव्य है। जिसलिअे जिसे दवा न मके अैमी अपनेमे अधिक कुगल स्त्रीसे विवाह करना पुरुष पमन्द नहीं करता। परन्तु यदि अुपर कहे अनुसार दोनोके संस्कार बदलें और पुरुष या स्त्री अेक-दूसरेको धन, गारौरिक शक्ति या विद्यासे दवानेके बदले केवल अेक-दूसरेके प्रेमके वश रहनेमें ही सन्तोष मानें, तो स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषमें कम विद्या होनेसे वह पति बननेके

लिअे अयोग्य नहीं माना जायगा। स्त्री डॉक्टर हो और पति कम्पा-
अण्डर हो, स्त्री अव्यक्त हो और पति अुसका मत्री हो, जिसमें कुछ
अनुचित माननेका खास कारण नहीं है। पति-पत्नीमें दूसरे गुण हो
तो अैसे सम्बन्धको वेजोड माननेका कोअी कारण नहीं है।

अितना पुरुष और स्त्रीकी समानताकी दृष्टिसे विचार हुआ।
अव पुरुष और स्त्रीके बीचके नैसर्गिक भेदोका तथा अुन भेदोके कारण
अुत्पन्न होनेवाले खास अलग कार्योंका विचार करे।

अिन नैसर्गिक भेदोमें मुख्य भेद स्त्रीके मातृपदसे सम्बन्ध रखता
है। जिसमें विशेषता यह है कि स्त्री चाहे तो मातृपदको टाल सकती
है, परन्तु पुरुष अुसे स्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात् पुरुष पूर्ण
रूपसे स्त्री नहीं वन सकता, जब कि स्त्री पुरुषके जैसा जीवन व्यतीत
कर सकती है। जिसलिअे

१२ स्त्रीके लिअे पूर्णतया पुरुषके जैसा जीवन व्यतीत करना
असम्भव नहीं है; और जिसलिअे जो स्त्री पुरुषके ही कार्य करना चाहे
अुसे वैसा करनेमें रोका नहीं जा सकता। अतः स्त्रीको पुरुषके जैसी
तालीम लेनेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

परन्तु जिस प्रकार स्वतन्त्रता होते हुए भी हमें यह समझ
लेना चाहिये कि अैसी स्त्रिया अपवाद ही मानी जायगी। ९५ प्रतिशत
स्त्रियां तो मातृपद स्वीकार करनेवाली ही होंगी। अतः,

१३ स्त्रीको मातृपद ग्रहण करना है, अैसा मानकर ही
स्त्रियोंकी तालीमकी योजना की जानी चाहिये।

परन्तु मातृपदके स्वीकारके साथ ही स्त्रीकी स्वतन्त्रता कुछ
हद तक मर्यादित हो जाती है और अुस पर कुछ विशेष कर्त्तव्य आ
पड़ते हैं। अुदाहरणके लिअे, अुसकी गाव और समाजमें धूमने-फिरनेकी
स्वतन्त्रता कम होती है, अुसे गृह-व्यवस्था और बाल-संगोपन पर ध्यान
देना पड़ता है। जिसलिअे सार्वजनिक कार्योंमें वह पुरुष जितना भाग
नहीं ले सकती तथा अुसके लिअे पुरुषकी अपेक्षा कम श्रमका और
घरमें ही या घरके समीप ही हो सके अैसा धन्वा करना आवश्यक

हो जाता है। फिर, सामान्यतः मातृपदका व्रोध जल्दी आ जानेसे स्त्रीको पुरुषकी अपेक्षा शालाकी तालीमके लिये कम समय मिलता है।

घरमें कम बन्द रहनेके कारण, मार्बजनिक कार्योंमें अधिक भाग ले सकनेके कारण, समाजमें अधिक घूमनेकी स्वतंत्रता मिलनेके कारण, तथा बड़ी उम्र तक तालीम प्राप्त करनेकी सुविधा प्राप्त होनेके कारण विशाल दृष्टि बढ़ानेके लिये पुरुषको जो अवसर मिलता है वह स्त्रीको नहीं मिलता। जिससे पुरुष और स्त्रीके बीच विचारोका अन्तर बढ़ता है। परन्तु जिसके माय ही मातृपद स्त्रीमें कर्तव्यका एक असा भान जगाता है, जिसके कारण अमुका जीवन अधिक स्वार्थत्यागी और भावनापूर्ण बनता है। मातृपदके अिन दो अनिष्ट और अिष्ट परिणामोंका मेल बँठाया जा सके, तो पुरुषकी अपेक्षा स्त्री समाजमें हर तरहमें अूँचा स्थान प्राप्त कर सकती है। यह मेल बँठानेके लिये नीचेकी परिस्थितियाँ अुत्पन्न करना मुझे आवश्यक मालूम होता है :

१४. विवाहकी आयुको काफी आगे बढ़ा देना चाहिये। (लगभग २०-२२ वर्ष तक, और १८ वर्षमें कम तो हरगिज नहीं।)

१५. दो मन्तानोंके बीच काफी अंतर रहे, जिस तरह संयमका पालन किया जाना चाहिये। (लगभग पाँच वर्षका अन्तर रहना चाहिये, तीन वर्षसे कम तो कभी नहीं।)

१६. दो-तीन बालक हो जानेके बाद पूर्ण संयमका पालन करना चाहिये।

१७. पुरुषकी शिक्षामें भी बाल-मगोपन और गृह-व्यवस्थाके कुछ अंगोंका समावेश करना चाहिये, जिससे वह स्त्रीको जिस कार्यमें सहायता दे सके।

यदि ऐसी परिस्थितियाँ अुत्पन्न की जायं, तो मुझे लगता है कि स्त्री किनी भी दृष्टिसे न केवल पुरुषके पीछे नहीं रहेगी, प्रत्युत अुनमें आगे चलेगी। जिससे स्त्रीका जीवन कम झंझटोवाला, कम क्षीण होनेवाला, अधिक सन्तुष्ट और अधिक सुखी बनेगा। नैतिक

और आध्यात्मिक दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टिसे भी ये परिस्थितिया पुरुष और स्त्री दोनोंके लिये लाभदायक सिद्ध होंगी।

जिनमे से विवाहकी आयु बढ़ानेका और पुरुषको बाल-सगोपन तथा गृह-व्यवस्थाकी कुछ शिक्षा देनेका प्रबन्ध तो हो सकता है, परन्तु संयमका पालन बहुत हद तक स्त्री-पुरुष अपने विचारसे ही कर सकते हैं। तालीम देनेवाले केवल जैसे विचारोका सस्कार डालनेका काम कर सकते हैं। वर्षों पूर्व संयुक्त परिवारकी जीवन-पद्धति तथा पत्नीको उसके पिताके घर भेजने-लानेकी जो प्रथा प्रचलित थी, वह कुछ हद तक जैसे संयमका पोषण करनेवाली थी। परन्तु आज उसका लोप हो जानेसे स्त्रीकी स्थिति अत्यन्त दयाजनक हो गयी है। सवा या डेढ़ वर्षके अन्तर पर बालक पैदा होते रहें, अंक भी बालककी अच्छी तरह सार-सभाल न हो सके, जैसे ६-७ बालकोको जन्म देकर माता क्षीण होकर मर जाय, अथवा पिता मृत्युका शिकार हो जाय और माता विधवा हो जाय—यह स्थिति हृदयको चीर देनेवाली है। जिसे रोकनेके लिये

१८ स्त्रीको अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर पुरुषके अतिक्रमणके बश न होना सिखाना चाहिये, और यह उसका कर्तव्य भी है। स्त्रियोंमें आयी हुयी जाग्रति पुरुषोंके जैसे अतिक्रमणके खिलाफ स्त्रियोंमें विद्रोह पैदा करे यह वाछनीय है।

परन्तु स्त्री-जातिमें पैदा हुयी यह जाग्रति अंक दूसरी बातका स्मरण कराती है। ऊपर मैंने कहा है कि स्त्रियोंकी तालीम ऐसी होनी चाहिये, जिससे स्त्री स्वयं अपना निर्वाह कर सके। आयी हुयी जाग्रतिके फलस्वरूप तथा अपना निर्वाह करनेकी शक्ति आ जानेके कारण आज दो प्रकारके विचार स्त्रियोंमें पैदा हुये हैं :

(१) अविवाहित स्वतंत्र जीवन बितानेकी इच्छा। और (२) स्वतंत्र कमायी करनेकी इच्छा।

ये दो विचार कहां तक ठीक हैं, जिसकी चर्चा करना आवश्यक है।

हम ऊपर देख चुके हैं कि धाम वर्गकी स्त्रियोंमें अपना निर्वाह करनेकी शक्ति होती है। फिर भी उनमें अविवाहित स्वतंत्र जीवन वित्तानेकी इच्छा नहीं दिखायी देती। यह मनोदशा विगेष वर्गकी स्त्रियोंमें बढ़ती जाती है। ९५ प्रतिशत स्त्रियोंके लिये यह मनोदशा प्रकृति-धर्मका परिणाम नहीं होती, बल्कि उससे विपरीत होती है। किसी विगेष आदर्शसे प्रेरित होनेवाले २-४ प्रतिशत स्त्री-पुरुष अंगे हो सकते हैं, जिन्हें कौटुम्बिक जीवन वित्तानेकी लालसा न हो; प्रकृति-धर्म बताता है कि ९५ प्रतिशत मनुष्योंमें तो यह लालसा होती ही है। किमी विगेष कारणसे जिस लालसाका संयम करना पड़े यह दूसरी बात है। परन्तु यह संयम प्रयोजन तक ही सीमित रहता है। प्राणीमात्रमें सामान्यतः यह लालसा बितनी तीव्र होती है कि जिसके लिये वे खतरेमें पड़ने, झड़टे मोल लेने और कड़ा परिश्रम करनेके लिये तत्पर होते हैं। मानव-प्राणी जिसका अपवाद नहीं है। अपना कुटुम्ब बढ़ाना, कुटुम्बी-जनोका पालन-पोषण करना, उनके लिये कड़ा परिश्रम करना, थोड़ी मुसीबतें भी झेलनी पड़ें तो उसके लिये तैयार रहना—जिन सबको अत्यन्त प्रतिकूल संयोग न हो तो सामान्यतः मनुष्योंका बड़ा भाग आफत नहीं मानता, बल्कि उसमें अपने पुरुषार्थका विक्रम मानता है।

परन्तु मध्यमवर्गकी स्त्री यह बोज़ झुठाना नापसंद करने लगी है। यह बताता है कि मध्यमवर्गके जीवनमें कोजी रोग घुम गया है। धूम वर्गमें स्त्री-जाति पर कौटुम्बिक जिम्मेदारियोंका बोज़ बितना बढ़ गया है और विवाहित जीवनकी बेड़ी बितनी सख्त है कि उसकी कल्पनामें ही स्त्री बहरा झुठनी है और उसकी कौटुम्बिक जीवन वित्तानेकी लालसा दब जाती है। जिससे यह भी मालूम होता है कि मध्यमवर्गमें पुत्रका जीवन कौटुम्बिक विषयोंमें बितना स्वार्थी और अविचारी होता है कि जिन कौटुम्बिक बोज़को बढ़ानेमें वह नेतृत्व करता है, उसके प्रति अपने कर्तव्योंका वह पूरा पालन नहीं करता। जिनके फलस्वरूप स्त्री जिन भारी बोज़के नीचे दब जाती है।

विचारने पर मालूम होगा कि ये दोनों बातें सही हैं। जिनके लिये पुस्तकी तालीममें सुधार करना चाहिये। पुरुष द्वारा कौटुम्बिक कर्तव्योंका पालन आजसे अधिक करानेकी और अन्त कर्तव्योंका स्त्री पर जो अत्यधिक बोझ आज पडता है उसे कम करनेकी आवश्यकता है। असा हो तो तालीम अथवा स्वनिर्वाहकी शक्तिका अर्थ कौटुम्बिक जीवनके प्रति घृणा नहीं होगा।*

स्त्री-जाग्रतिके फलस्वरूप स्वतन्त्र अुपार्जन करनेकी अिच्छा मध्यम-वर्गमें बहुत प्रबल होती दिखायी देती है। यह अिच्छा केवल नयी पीढीकी बालाओंमें ही नहीं, परन्तु प्रौढ वयकी स्त्रियोंमें भी घर कर रही है।

स्त्रीमें स्वनिर्वाहकी शक्ति होना अेक बात है, और अपनी स्वतन्त्र कमायीका आग्रह रखना दूसरी बात है। पहली बात अुसे साधन-सम्पन्न रखती है, परन्तु अुस साधनका अनिवार्यत अुपयोग करना अुमके लिये सदा आवश्यक नहीं होता। जो पुरुष स्त्रीके साथ कुटुम्बका भार अुठाता है, अुस पुरुषकी कमायीमें स्त्रीका हाथ होगा ही। अुमके सिवाय अुस स्त्रीके लिये असा कोयी घबा करना आवश्यक नहीं होना चाहिये, जिससे अुसकी अपनी कमायी अलगसे दिखायी दे।

परन्तु अिसमें भी दोष स्त्रियोंकी तालीमका नहीं, वृत्तिक पुरुषोंकी तालीमका है।

* कौटुम्बिक जीवनके प्रति घृणा और वैराग्य अिन दोके बीच गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। नसारकी झझटो और मुनीवतोंने घबराकर समारके प्रति अरुचि अुत्पन्न होना वैराग्य नहीं है, सामारिक जीवनसे अधिक अूचे जीवनमें रस मालूम होनेके कारण सामारिक जीवनके प्रति अुत्पन्न होनेवाली अुदानीनता वैराग्य है। यह वैराग्य कौटुम्बिक जिम्मेदारियोंको घृणाकी दृष्टिने नहीं देखता। परन्तु अपना कुटुम्ब हो तो ही ये जिम्मेदारियाँ मै अुठा सकता हूँ — अितने संकुचित विचारोंका न होनेसे असा मनुष्य अपना घरदार और कुटुम्ब सदा करनेका प्रयत्न नहीं करता।

स्त्रियोंमें ऐसी बिच्छा प्रवल होती जाती है, यह बताता है कि (१) स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध जितना हार्दिक और विश्वासपूर्ण होना चाहिये उतना नहीं है; और (२) उसमें पुरुषका जीवन अधिक स्वार्थी और कृतघ्नतापूर्ण है, ऐसी स्त्रीको प्रतीति होती जाती है।

आज नीचेकी भावनार्यें स्त्री-समाजमें फैलती जा रही हैं, जिससे बिनकार नहीं किया जा सकता :

“हम लग्न-विडम्बनाके पंथ पर कभी हाकी नहीं जायंगी; हम गूगी भेड़ोंकी तरह किसीके बताये रास्ते पर कभी नहीं चलेंगी। विवाहके जिस करारसे हमें रोटीके टुकड़ेसे थोड़ा भी ज्यादा नहीं मिला, अम अनावश्यक करारमें हम कभी नहीं वेंवेंगी। हम युगोंसे पुरुषोंके अधीन रही हैं, तो भी हमने पुरुषोंमें कृतघ्नताके सिवाय और कुछ नहीं देखा। हमने अुनकी सेवा की और अुन्हे प्यार किया, और अुनकी वहुन महायता की। परन्तु हाय! पुरुषोंने बिन सबको बर्म और रुढिका रूप दे दिया और हमें गुलामीकी वेडियोंमें जकड़ दिया।”*

कौटुम्बिक और सामाजिक जीवनके लिये यह स्थिति स्वास्थ्यकी सूचक नहीं है। परन्तु जिस स्थितिको सुधारनेका अुपाय केवल स्त्रियोंमें ‘सुमस्कार’ उलना और भीता, सावित्री जैसी महान सतियोंके स्वार्थ-त्यागी जीवनोको आदर्शके रूपमें अुनके समक्ष रखना नहीं है। पुरुषको स्त्रीका विश्वास प्राप्त करनेके लिये अपना जीवन सुधारना ही होगा और जब तक दोनोंके बीच हार्दिक सम्बन्ध स्थापित न हों तब तक अिन प्रश्नका अैसा निवटारा करना होगा जिससे स्त्रीको सन्तोष हो।

यह निवटारा कुछ हद तक नीचे बताये गये ढगसे हो सकता है :

१९. जो स्त्री कौटुम्बिक सुविवाके लिये स्वतंत्र आजीविका कमानेका परिश्रम न कर सके, अुसका कौटुम्बिक आयके अमुक भाग पर

* गुजरातीके ‘अुपा’ मासिकमें प्रकाशित अेक अंग्रेजी कवितके गुजराती अनुवादका हिन्दी रूपान्तर।

अधिकार स्वीकार करना चाहिये, और अमुक प्रसंगोंमें वह भाग अपने अलगसे मिल सकना चाहिये। जिसकी व्यवस्था 'पल्लेकी रकम'* की तरह विवाह होनेसे पहले करारके द्वारा हो सकती है। ऐसी व्यवस्था आग्रहपूर्वक करवानेके लिये स्त्रीको सिखाना चाहिये।

जिस सुझावके खिलाफ़ कोजी यह आपत्ति जुठा सकते हैं कि हिन्दू धर्मकी विवाहकी आध्यात्मिक भावनामें जैसे आर्थिक विषयको मिला देनेसे वह आदर्श नीचे गिर जायगा। अभी तक तो केवल पुरुष ही लाभ-हानिका विचार करनेवाला बना है, अब स्त्रीमें भी यह वृत्ति पैदा करके उसे आदर्शसे नीचे गिराना बुचिन् नहीं है।

परन्तु यह टीका ठीक नहीं है। जैसे ब्रिटिश सरकार हमसे कहे कि हमारी सज्जनता पर विश्वास रखो और लाभ-हानिका विचार करना छोड़ दो, तो उनके आज तकके दरतावके कारण उनको दात पर हमारी श्रद्धा नहीं जमेगी, वैसे ही पुरुषकी सज्जनता पर विश्वास रखनेको स्त्रीमें कहा जाय तो जिस दात पर उसकी श्रद्धा नहीं बैठेगी, और जिसमें दमकी गंध आती है।

जिसके अलावा, यदि हिन्दू विवाहकी आध्यात्मिक भावना कन्या-विक्रय, वर-विक्रय और 'पल्लेकी रकम' के करारोंमें बाधक नहीं होनी, तो ऊपरकी व्यवस्था करनेमें कोजी विशेष नीचा करार किया जाता है यह नहीं कहा जा सकता। 'पल्लेकी प्रथा' के पीछे जो हेतु है, वही जिस व्यवस्थाके पीछे भी है।

ऐसी व्यवस्था आध्यात्मिक भावनाके मार्गमें नहीं आती। यदि परिवारमें अकेला और हार्दिक सम्बन्ध बड़े तो यह केवल कागज पर ही लिखी रहेगी। यदि हार्दिक सम्बन्ध न बड़े तो जिन व्यवस्थाने रहनेसे स्त्रीके साथ अन्याय नहीं होगा और अपने पुरुषकी दया पर नहीं जीना पड़ेगा।

* विवाहमें सम्बन्ध रखनेवाली गुजरातकी एक प्रथा, जिनके अनुसार वरकी ओरसे वधूको स्त्री-वन दिया जाता है। जिने वह मंकटके समय खर्च कर सकती है।

यदि स्त्रीके लिये अितनी सुविधा हो सके, तो कुटुम्बके वोजकी कल्पनामात्रमे आज उसे जो धवराहट होती है वह धवराहट कम हो जायगी, पुरुषको भी गृह-व्यवस्थामें अविक सहयोग देना पड़ेगा, अविचार-पूर्ण कुटुम्ब-वृत्ति पर संयम रखना पड़ेगा और संयुक्त कुटुम्बके लिये आज सामान्यतः स्त्रीमें जो अरुचि पायी जाती है उसका भी अेक कारण कम होगा। जिस प्रकार स्वाधीनताके विश्वासवाली स्त्री ही यह कह सकेगी :

“अब तो नवयुवको पर हमारी दृष्टि लगी हुयी है। हम दोनो कंधेसे कवा मिलाकर साथ खडे रहेगे। यदि वे हमें गुलामीसे मुक्त कर दें तो हम अनुका अनोखा साथ देंगी। हम अनुके साथ रहकर ममाजकी सहायता करेगी, उसकी सेवा करेंगी और उस पर स्नेह वरसायेंगी। जिसे हम अपने जीवनका व्रत बना लेंगी और अपना धर्म मानकर उसका पालन करेगी।* ”

अब हम मध्यमवर्गकी स्त्रियोंके कुछ विशेष प्रश्नोका विचार करे।

मैं कभी-कभी विनोदमें कहता हूं कि मर्यादी† वैष्णवके आचार अत्यन्त शुद्ध तो अवश्य होते है, परन्तु वह धर्म गरीबको नहीं पुमायेगा। अेक ही जोड कपडोंसे जिसका जीवन बीत रहा हो, वह दिनमें पाच बार स्नान करनेका धर्म कैसे पाल सकता है? वह नगवान्को मिथी और दूधका भोग कैसे लगा सकता है? स्नान न कर सकने पर दूधकी ही पूडी खानेका धर्म वह कैसे निभा सकता है? जिमे आठ घंटे मजदूरी करनेके लिये जाना पड़ता है, वह पांच-पाच मिनट पर हाथ धोनेका और आध घंटे तक नहानेका आचार कैसे पाल सकता है? परन्तु जिसके घरमें नौकर-चाकर हो, पैसा हो,

* अपरोक्त अंग्रेजी कविताके अंतिम पदके गुजराती अनुवादका हिन्दी रूपान्तर।

† आचरणकी शास्त्र, परम्परा आदि द्वारा निर्धारित मर्यादाका पालन करनेवाला।

जिसे समयका सदुपयोग करते न आता हो और दुरुपयोग करनेकी बिच्छा न हो, उसे केवल दिन वितानेके लिये 'मर्यादी' बन जाना चाहिये। जितना ही नहीं, बल्कि आवुनिक जन्तुशास्त्रका माश्रय लेकर प्राचीन 'मर्यादी' धर्ममें काफी वृद्धि भी करनी चाहिये।

परन्तु यदि आम वर्गके लोग 'मर्यादी' वैष्णवकी कठी बाधे तो वे आफत ही मोल लेंगे।

मध्यमवर्गकी कुछ ऐसी ही जान-बूझकर आफत मोल लेनेवालोकी-सी स्थिति है। यह वर्ग अँग्लो-ब्रिण्डियनो जैसा है। अँग्लो-ब्रिण्डियन अग्रेज बनना चाहते हैं, परन्तु अग्रेज बुन्दे स्वीकार नहीं करते; और भारतीयोको स्वयं बुन्दोने छोड़ दिया है। बुसी तरह मध्यमवर्गका अर्थ है धनिकोके धर्मका अनुकरण करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ आम वर्गका अलग पडा हुआ भाग।

जिस प्रकार 'मर्यादी' धर्म श्रीमानोको ही पुसा सकता है, बुनी प्रकार कुलीनताके कुछ खयाल पैसेदारोको ही पुसा सकते हैं। ससारके नारे देगोमें अमीर या राजाकी विधवाको पुनर्विवाह करना अकुलीनता लगता है, क्योकि विधवा रहनेसे उसे पैसा, प्रतिष्ठा और कुलीनताका यश तीनों मिलते हैं और अिन तीनके आवार पर वह पतिका वियोग सह सकती है। विधवा-विवाहके अभावमें जो चिन्ता मध्यमवर्गको रहती है, वह श्रीमान वर्गको नहीं रहती।

मध्यमवर्ग श्रीमान लोगोके धर्मका अनुकरण करनेमें 'लवके साथ जो वीना धाये, मरे नहीं तो मादा हो जाये'की स्थितिमें आ पडा है। कुछ लोग धायद यह मानते हो कि बाजका मध्यमवर्ग जैसे धनिक वर्गका वशज है, जिसकी जाधिक दसा विगड गबी है। परन्तु फिर भी मानव-प्रजाके बडे भागका साथ छोडकर अन्वन्त छोटेसे वर्गके धर्म स्वीकारनेमें और बुनमे चिपटे रहनेमें बुन्दे बुद्धिमानीका काम नहीं किया।

श्रीमंत स्त्रीको खुले बाजारमें निकलना, दारीर-धर्मके काम करना, बोझ बुठाना, खेतमें काम करने जाना आदि हीनताकी बात

लगे यह म्त्राभाविक है। यह सब न करना उसे पुसा सकता है। असा न करनेसे वह अपने धनका अपभोग कर सकती है, दूसरोको आश्रय दे सकती है और अन पर अपनी सत्ता भी चला सकती है। असे जीवनको अपना आदर्ग स्वीकार करनेसे मध्यमवर्गकी स्त्रीको पैसे-टके और शरीर-सम्पत्तिकी दृष्टिसे अतिक हानि अठानी पडी है और बदलेमें लाभ अतिक नही हुआ है। बाहर निकलनेके लिये सवारी मिल नही सकती और काम किये विना छुटकारा नही है, जिसलिये उसके नसीवमें घरमें धुसे रहना और दरवाजा बन्द करके जितने काम किये जा सकें अतने ही करना लिखा हुआ है।

अब वह घरसे बाहर तो निकल सकती है, परन्तु बैठकर किये जानेवाले काम करनेकी ही हिम्मत दिखा सकती है। लेकिन असे कामसे अतिक लोगोका पोषण नही हो सकता।

मध्यमवर्गके स्त्री-पुरुष दोनोके प्रग्नोके पीछे वस्तुस्थिति यह है। अत उनके प्रग्नोका विचार असे ही ढगसे होना चाहिये कि वे जिस स्थितिमे बाहर निकल सकें। अर्थात् :

२० पुनर्विवाह न करनेवाली स्त्री पुनर्विवाह करनेवाली स्त्रीसे अतिक कुलीनता दिखाती है, यह खयाल मनसे निकाल देना चाहिये।

और,

२१. खेतके, जंगलके और अन्य परिश्रमके धन्वोमें मध्यमवर्गकी स्त्री धीरे-धीरे अम्यस्त होकर जुड सके, जिस तरह अुसकी तालीमका प्रबन्ध करना चाहिये।

यदि ये विचार ठीक हों तो कहा जा सकता है कि .

२२. वनिता-विश्राम जैसी संस्थाकी कोअी स्त्री पुनर्विवाह करे तो वह सस्याके लिये वदनामीकी बात होगी, और जिसलिये किसी स्त्रीकी पुनर्विवाह करनेकी स्पष्ट अिच्छाको दवा देनेका प्रयत्न करना चाहिये, तथा अपनी वहन या लडकी पुनर्विवाह करे तो कुलको बट्टा लगेगा—अिन विचारोको गलत समझना चाहिये।

तथा,

२३. वनिता-विश्राम जैसी सस्यायें गहरके बाहर खेतों और जगलोकें पास होनी चाहिये, अथवा यों कहा जाय कि खेतों और जगलोकें पास भी बिन सस्याओंकी शाखायें होनी चाहिये।

अन्तिम सूत्रमें विकल्प रखनेका कारण यह है कि शहरोमें स्थित जैसी सस्याओंकी उपयोगिता होते हुअे भी, यदि गांवोंमें अन्नकी शाखायें न हों तो वे पगु जैसी रहेंगी, और मध्यमवर्गके प्रश्न हल करनेमें असमर्थ रहेंगी।

अब मैं शहरो और गांवों दोनोंमें शाखायें रखनेवाली जैसी संस्थाओंके कार्यक्षेत्रके बारेमें अपने विचार बताऊंगा।

२४. जैसी सस्याकी प्रवृत्तियोंके दो विभाग होंगे सामान्य और विशिष्ट।

सामान्य प्रवृत्तियां

१. गृह-अुद्योग : कताजी, पिंजाजी, सिलाजी, गुथाजी आदि।
२. गृहकर्म : रसोबी-पानी, कलाजी, धुलाजी आदि।
३. गृह-मण्डन और स्वच्छता।

विशेष प्रवृत्तियां

१. बाल-मगोपन और कुमार-कुमारी छात्रालय।
२. बाल-मन्दिर और कुमार-मन्दिर।
३. स्त्रियों और बालकोंका बुधूपालय।
४. गोपालन।
५. दुनाबी, छाभाजी आदि अुद्योग।
६. सामाजिक सार्वजनिक जीवनकी प्रवृत्तियां।

२५. सामान्य प्रवृत्तियोंमें हर स्त्री प्रत्येक कार्यमें अपने हिस्से आनेवाला काम नियमित रूपसे करे। विशेष प्रवृत्तियोंमें जिसे जिन प्रवृत्तिमें लिखे तालीम देकर तैयार किया गया हो वह उन प्रवृत्तिको संभाले।

२६. सामान्यतः प्रत्येक स्त्री पर अकेल-दो बालकोंके पालन-पोषणकी जिम्मेदारी रहे, और जिसके लिये उसे प्रोत्साहन दिया जाय।

सामाजिक सार्वजनिक जीवनकी प्रवृत्तियोंमें भाग लेनेका युत्साह रखनेवाली स्त्रियोंमें नामान्य प्रवृत्तियोंमें वताये गये गृहकार्योंके लिये तथा बाल-संगोपनके लिये अरुचि होती है। मेरी दृष्टिसे यह वृत्ति पोषण करने लायक नहीं है।

साधारणतः असी स्त्रियोंके लिये कायम की गयी विशेष समस्याओंमें भी बच्चेवाली विधवाओंको शायद ही स्थान मिलता है। मेरी रायमें यदि २६वें सूत्रमें बताया हुआ विचार ठीक हो तो।

२७ बच्चेवाली विधवाको — यदि वह और तरहसे योग्य हो — जरूर नस्यामें रखना चाहिये। वह अधिक स्थिरतासे काममें लगी रहेंगी और मानुभावका अच्छा या बुरा युदाहरण पैदा करेगी। दूसरी दृष्टिमें भी बालक-रहित विधवाकी अपेक्षा छोटे बालकोंवाली निरावार विधवा अधिक दयापात्र है। बुमकी जातिमें पुनर्विवाह हो सके तो भी ऐसी विधवाके लिये वह द्वार खुला नहीं रहता, क्योंकि बालकोंको पाल-पोषणकर बड़े करनेकी जिम्मेदारी उसके सिर होती है।

अब ऊपर मैंने जो विशेष प्रवृत्तियां बतायी हैं, उनका समर्थन करनेवाले कारण यहां दे दू।

बाल-संगोपन — मुझे लगता है कि स्त्रीमें रहे स्वाभाविक मातृ-भावके कारण बाल-संगोपन स्त्रीका विशेष कार्य है। जन्मसे ही उसमें अिन कार्यके लिये बुत्साह और बुमंग होती है। यह कार्य उसकी अनेक कोमल वृत्तियोंका विकास करता है, उनसे स्वार्थत्याग कराता है और बुमे नन्नीय देता है। कौसी कहेंगे कि यह ठीक है, परन्तु अपना बालक हो तो ही स्त्रीमें ऐसा भाव पैदा होता है; दूसरेके बालकोंके लिये स्त्रियोंमें ऐसा भाव नहीं पैदा हो सकता। मुझे लगता है कि यह कथन सही नहीं है। यदि संस्थाका यह नियम हो कि प्रत्येक स्त्रीको एक या दो बालकोंका संगोपन करना ही चाहिये, तो अपनेको सँपि

गये बालकके प्रति अुसमें ममता पैदा होगी और बढेगी। मेरा यह कथन गलत भी हो सकता है, परन्तु मेरी यह मान्यता है कि बाल-सगोपनकी जिम्मेदारीके कारण सामान्यतः स्त्रीको जिसमें अपने जीवनकी अपयोगिता महसूस होगी और स्थिरतासे काम करनेकी आदत पडेगी। जैसे बालक मिल जायेंगे, जिसमें शका नहीं है। जिस तरह छोटे बच्चोंसे लेकर कुमारो और कुमारियोंके छात्रालय स्त्रियो द्वारा चलवाये जा सकते हैं।

प्राथमिक तालीम — भारतकी प्राथमिक तालीमका विचार करते हुअे मुझे लगा है कि हमारे गरीब देशमें यह प्रश्न अेक ही ढगने शीघ्र और कम खर्चमें हल हो सकता है। वह है मातामें प्राथमिक तालीम देनेकी शक्ति अुत्पन्न करना। लड़को और लडकियोंकी कुमार-मन्दिर तककी तालीमके लिये नस्थाकी स्त्रियोको तैयार करना हो, तो भी नस्थाके आश्रयमें बाल-मन्दिर या कुमार-मन्दिर चलने चाहिये।

शुश्रूषालय — शुश्रूपाका कार्य बाल-सगोपन जैसा ही है। और जिसके लिये भी स्त्री पुरुषसे अधिक योग्य है। परन्तु जिसके साथ मैं यह भी मानता हू कि स्त्रियोंके लिये बन्धेके नाते नर्सका काम करना कुल मिलाकर अनुचित है और सेवा-शुश्रूपाके लिये स्त्रियोका ही होना आवश्यक नहीं है। जिन कारणसे पुरुषोंके अस्पतालोंमें नुश्रूपा करनेवाले पुरुष ही यह ज्यादा वाछनीय है। अतः जैसी नस्थाके साथ यदि स्त्रियो और बालकोका शुश्रूषालय हो तो वह अेक अपयोगी विभाग होगा और अुससे स्त्रियोको अुचित तालीम भी मिलेगी। संस्थाकी स्त्रियोको नर्सके बन्धेके लिये तैयार करना मैं ठीक नहीं समझता, परन्तु जिस तरह तैयार हुअी स्त्रिया चाहे तो बाहर जाकर नर्सका बन्धा कर सकती हैं।

गोपालन — यह भी बाल-सगोपन जैसा ही काम है। मनुष्यका वात्सल्य अपने बालकसे दूसरे नम्बर पर अपने डोरोंके लिये होना है। आम वर्गमें यह बन्धा स्त्रियोंकी मेहनतसे ही चलता है, और जिनके लिये आज काफी अवकाश है।

बुनाबी और छपाबीके बुद्योगके लिये भी आज अवकाश है। ये बन्दे स्त्रिया अच्छी तरह कर सकती हैं और बुनने अपना निर्वाह भी चला सकती हैं। ये बन्दे न तो कड़ी मेहनतके हैं और न विलकुल बैठकके ही हैं।

सब कोशिश यह आगा रखते हैं कि ऐसी संस्थाओंसे सार्वजनिक जीवनमें भाग लेनेवाली और जनसेवाके लिये अपना जीवन अर्पण करनेवाली स्त्रियां निकलें। समाजके कठिन और अधिक बलिदान चाहनेवाले कार्योंमें बिन स्त्रियोंका नेतृत्व होना चाहिये, और बिनके लिये मंश्यामें पूरी अनुकूलता और तालीमकी व्यवस्था होनी चाहिये।

बितना बनिता-विश्राम जैसी स्त्रियोंकी विशेष प्रकारकी संस्थाओंके लिये। ये संस्थायें भले निराश्रित बनी हुई स्त्रियोंके लिये खोली गयी हैं, परन्तु वे केवल रोटी और रहनेका आश्रय देनेवाली संस्थायें नहीं होनी चाहिये। बुनमें रहनेवाली स्त्रियोंमें बितनी शक्ति आनी चाहिये, जिससे बुन्हे अपने जीवनकी अुपयोगिता महसूस हो, समाज बुनकी अुपयोगिताको समझे और भीका आने पर मंश्यामें स्वतंत्र गृहकर वे अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। ऐसी शक्ति बुनमें पैदा हुई है या नहीं, बिनकी अेक कमीटी यह मानी जायगी — किसी स्त्रीको मंश्यामें तीव्र असन्तोष रहता हो, अथवा किसी विषयमें सैद्धान्तिक मतभेद मालूम होता हो, तो भी वह यदि अपनी संश्याको छोड़नेका माहम न कर सके तो यह कहनेमें कोशिश नहीं कि बुनमें ऐसी शक्ति नहीं आनी है।

मंचालकोंको ऐसी शक्ति अुत्पन्न करनेका सदा ध्यान रखना चाहिये। यह शक्ति केवल जीवन-निर्वाहके लिये अुपयोगी कोशिश बन्वा जाननेमें या मामान्य तालीम लेनेसे आनी है जिस मान्यतामें भी थोड़ी भूल है; और बिन दो चीजोंका कोशिश महत्व ही नहीं है जिस मान्यतामें भी थोड़ी भूल है। नच पृछा जाय तो मनुष्यको स्वावलम्बी बनानेमें चरित्रकी दृढ़ताका नचने बड़ा हाथ है। फिर भी निर्वाहके लिये

हैं कि स्त्रियोंके जीवनका निर्माण जिस प्रकार नहीं हुआ कि युनका आपसमें मेल बैठ सके। पुरुषको ही आश्रयदाता मानकर, दासी जैसा जीवन हो तो भी, अुसीके साथ मेल रखने और अुसी पर विश्वास रखनेकी अुसे आदत पड़ी हुयी है।

जिसका अेक परिणाम यह भी आता है कि काम करनेकी अुमग और अुत्साह रखनेवाली स्त्रिया जितना पुरुषोका सहयोग खोजती है और जितना अुत्साह अुनसे प्राप्त करती मालूम होती है, अुतना सहयोग या अुत्साह अुन्हें अपने साथ काम करनेवाली स्त्रियोसे नहीं प्राप्त होता।

यह सदियोंकी परतंत्र दशाका परिणाम है और मैं मानता हूं कि धीरे-धीरे स्त्रियोंके स्वभावमें से यह चीज निकल जायगी। परन्तु यदि स्त्रिया जिस ओर ध्यान दें तो वे जिस स्थितिमें से अधिक तेजीसे बाहर निकल सकती हैं।

जिमके लिये स्त्री-कार्यकर्ताओको मैं कुछ स्थूल नियम बता देता हू। यह न माना जाय कि जिनसे सदा ही सफलता मिलेगी, परन्तु कहू या अप्यकि कुछ कारण कम हो सकते हैं।

(क) यदि आप स्त्री-कार्यकर्ता हो और आपको अपने कार्यके मंत्रंघमें किमी पुरुष-कार्यकर्ताके साथ सहयोग, सलाह-मगविरा वगैरा करना पड़े, तो आप अैसा व्यवहार न करे मानो आप अुस पुरुषसे ही परिचित हैं, परन्तु यथासंभव प्रयत्न करके अुसकी पत्नीसे भी मिलें और अुसके जरिये पुरुषकी सहायता प्राप्त करनेका प्रयत्न करे। यदि वह स्त्री केवल असस्कारी और गकागील हो तो अुमें सस्कारी बनाना और अुसका विश्वास सम्पादन करना आपका अेक काम है: यदि वह अैसी न हो तो आपको अुसका थोड़ा सहयोग मिलेगा और आपका विरोध तो वह हरगिज नहीं करेगी। परन्तु यदि अुसकी अवगणना करके आप पुरुषसे मिलेंगी तो आप स्वजाति-अुत्रुत्वको वढायेंगी।

(ख) पुरुष-कार्यकर्ताओंमें यगकी, महत्ताकी या अैसी दूसरी अभिलाषायें नहीं होती, केवल स्त्रियोंमें ही होती है, अैसा मानकर

आपके साथ या आपके जैसा काम करनेवाली दूसरी स्त्रियोके लिये मनमें अनादरका भाव न रखें। मनुष्यमात्रमें कुछ गुण और कुछ दोष होते ही हैं। किसी पुरुष या स्त्रीके हाथों कोभी अपयोगी काम होता हो और उसके साथ अुमकी यशकी अभिलाषा भी पूरी होती हो, तो अुममें आपका क्या विगडता है? अेककी प्रशनाका अर्प दूसरेकी निन्दा अथवा अनादर मानकर व्यर्थ ही अप्प्रा करनेने कोभी लाभ नहीं होता। दुनियामें यशकी मात्रा अितनी अधिक है कि अेकको यश प्राप्त होनेसे दूसरेको यशसे वचित रहना पडेगा, अैसा भय रखनेकी आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार कोभी स्त्री अपनी पुत्री या छोटी बहनके अागे बढने, होगियार बनने या यश प्राप्त करनेके कारण अुमसे अप्प्रा नहीं करती बल्कि खुश होती है, अुसी प्रकार दूसरी स्त्रियोकी अैसी स्थिति देखकर आप खुश हो। अुमकी होगियारी झूठी ही है, अुमे मिलनेवाला यश सर्वथा अनुचित ही है, अैसा खयाल न रखें। कभी-कभी अैसा भी हो सकता है; परन्तु यदि वह विलकुल छोटा मित्रका होगा तो लम्बे समय तक टिक नहीं सकेगी, अैसा समझकर अुमसे अप्प्रा न करे, और न अुसकी प्रतिष्ठा कम हो जाने पर प्रसन्न हो।

(ग) अेक सस्यामें काम करनेवाली या रहनेवाली स्त्रियोके बीच आध्यात्मिक दृष्टिसे सगी बहनो जैसा सम्बन्ध बढानेका प्रयत्न करे। अैसे भ्रातृ-भाव या भगिनी-भावके विना कोभी सस्या अुची नहीं अुठ सकती।

अब शालाओं द्वारा दी जाती स्त्रियोकी तालीमने सम्बन्ध रखनेवाली कुछ बातोकी चर्चा करे।

श्रीमती शारदाबहनका यह कथन पूरी तरह सही है कि 'आजकी गैर-जिम्मेदार तालीम स्त्रियोके लिये विलकुल ठीक नहीं है, जिमलिये अुमकी तालीमका कोभी नया मार्ग खोजना चाहिये।' यह पूछा जाय तो पुरुषोके लिये भी वह अुतनी ही अनुचित है, परन्तु यह विषय आज अप्रानंगिक है।

सुतारका अपड लडका बचपनसे ही यह जानता है कि अुसे अपने जीवनमें क्या करना है। और यह जाननेके कारण अुद्वेग-

पूर्वक लकड़ीके टुकड़ों और पिताके आँजारोंके साथ ही वह खेलता है। परन्तु अमुका पढ़ा-लिखा लड़का जैसे-जैसे अधिक पढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उसकी यह सूझ कम होती जाती है कि उसे जीवनमें क्या करना है। और शालामें उसे जो-जो विषय पढ़ाये जाते हैं, अन्के प्रयोजनके विषयमें वह अधिकाधिक अनजान बनता जाता है। बहुत कम लड़के या लड़कियाँ यह जानती हैं कि वे अमुक विषय (परीक्षाके सिवाय) किस प्रयोजनसे सीखती हैं और अन् विषयोंको जानकर वे क्या करेंगे। इसीका नाम है गैर-जिम्मेदार तालीम।

परन्तु इस गैर-जिम्मेदारीका कारण शालायें ही हैं। सामान्य शिक्षणकी शालाये—आर्ट्स कालेज तक की—गैरजिम्मेदारीकी भावनाका पोषण कर सकें और लगभग २०-२१ वर्षकी अग्र तक विद्यार्थियोंको ऐसी शालाओंमें ही रहना पड़े, तो वे विद्यार्थियोंमें जीवनके बड़े भागमें गैर-जिम्मेदार बने रहनेकी ही आदत डालेंगी। ऐसी शालायें आम जनता और गरीब मध्यमवर्गके लिये अत्यन्त विवातक हैं।

गाधीजीको यह अुलाहना दिया जाता था कि वे मत्याग्रहाश्रम तथा गुजरात विद्यापीठकी राष्ट्रीय शालाओंमें वस्त्रसे सम्बन्ध रखने-वाले धन्वोंको छोड़कर दूसरे कोअी धन्वे सिखानेकी व्यवस्था नहीं करते। शिक्षाशास्त्री कहते थे कि विद्यार्थियोंको बुराकर बनाना है या चित्रकार, जिसका निर्णय आप न करे। आप तो अुनके सामने नारे साधन रख दें और अुन्हें पसंद कर लेने दें। गाधीजी कहते थे, सारे धन्वोंकी गिला देना मुझे महंगा पड़ जायगा। मेरे यहां अभी ५० लड़के आते हैं, परन्तु मेरी दृष्टि तो देशके करोड़ों लड़के-लड़कियों पर है। अुनमें ने अेक विजलीका अिजीनियर, दूसरा यंत्रोंका अिजीनियर, तीसरा निर्माण-कलाका अिजीनियर, चौथा रसायनशास्त्री, पांचवा डॉक्टर, छठा गायक, सातवां चित्रकार और आठवा अमिनेता बनना चाहे, तो अिन सबके लिये अलग-अलग साधन अेकत्र करते करते मैं थक जाऊंगा। अिमलिये मैंने अैसा धन्वा चुन लिया है, जो अधिकसे अधिक विद्यार्थियोंको सिखाया जा सके। और मैं विद्यार्थियोंके

माता-पिता तथा विद्यार्थियोंसे कहता हू कि जिन्हें वस्त्रसे सम्बन्ध रखने-वाली किसी भी विद्यामें प्रवीणता प्राप्त करते हुअे दूसरा सामान्य शिक्षण लेना हो वे ही मेरी शालामें आयें।

जिस वारेमें गाधीजीका अितना दृढ आग्रह है कि जब आश्रमके कुछ विद्यार्थी विज्ञानकी पुस्तकें देखकर अपने प्रयत्नसे विजलीके माघन जुटाने और टेलीफोन बगैरा खडा करने लगे तो गाधीजीने अुन्हे रोक दिया। अुस समय मुझे यह अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा था, हम तो यह विषय सिखाते नहीं, परन्तु यदि विद्यार्थी अपने-आप सीखते हैं तो हम अुन्हे क्यों रोकें? गाधीजीने कहा, आप समझते नहीं, जिससे तो आश्रमका खात्मा हो जायगा। आश्रममें रहकर अिन विद्यार्थियोंको यदि मैं विजलीके माघन अिकट्ठे करने दू, तो दूसरोको दूसरे प्रकारके साधन क्यों न अिकट्ठे करने दू? मुझे अिनके कामसे कोअी द्वेष नहीं है, परन्तु वह आश्रममें अीभा नहीं देता। आश्रममें तो मैं यही चाहूंगा कि अिनकी यत्रशास्त्रकी वृद्धिका अुपयोग वस्त्रविद्याके सम्बन्धमें ही हो। परन्तु वे जिससे विलकुल भिन्न विषय पसन्द करते हो, तो भले वे बाहर जाकर अन्यत्र अपनी अिकतिका विकास करें। वहा जायगे तो भी मैं अुन्हे आशीर्वाद ही दूंगा और कुछ कर् दिखायेंगे तब अुनकी प्रशंसा भी करूंगा। परन्तु आश्रम तो केवल वस्त्रके पुनरुद्धारके लिये ही है, अत अुनके साथ सम्बन्ध न रखने-वाले कार्यके लिये यहा स्थान नहीं हो सकता। गाधीजीकी यह बात मेरी समझमें आ गयी है।

२९. मैं मानता हू कि धन्वेकी शिक्षाका आरम्भ बचपनमें ही होना चाहिये, और प्रत्येक कुमार-मन्दिर या कुमारी-मन्दिरको अेक-दो धन्वे ही सिखानेकी जिम्मेदारी लेकर अुन्हे नीचनेकी अिच्छा रखनेवालोंको ही पढनेके लिये बुलाना चाहिये, जिसने बालक छोटी अुम्रमें ही समझने लगे कि हमें यह धन्वा करना है। अुन धन्वोंके साथ दूसरी तालीम भी होनी चाहिये और अैने अन्य विषयोंमें अुन धन्वोंके पोषक तत्त्व काफ़ी मात्रामें होने चाहिये।

जिसी तरह मध्यमवर्गकी लड़कियोंकी शालायें भी जिस बातको दृष्टिमें रखकर कि उस वर्गकी ८० या ९० प्रतिशत लड़कियोंको आगं कैसा जीवन विताना पड़ेगा, तालीमके प्रत्येक विषयका विचार करे तथा उनके लिये अुपयोगी व्यावहारिक शिक्षणका ही प्रवच करें, तो उन पर गैर-जिम्मेदारीका आक्षेप न रहे।

जिस दृष्टिसे विचार करने पर कहा जा सकता है कि ८०-९० प्रतिशत लड़कियां बड़ी होकर विवाह करेगी और मातायें बनेंगी। रसोश्री बनाना, कातना, पीजना, सीना, घरका हिसाब रखना, छोटे बच्चोंको थोड़ा-बहुत पढ़ाना और अच्छी आदतें डालना, अुन्हे धर्म और भक्तिके संस्कार देना, घरको साफ-सुथरा, सुघड़ और व्यवस्थित रखना, बीमारोंकी सेवा-शुश्रूपा करना, प्रसूति करना और कराना आदि काम तो वे करेगी ही। जिसके अलावा, हम यह आगा रखेंगे कि वे समाजोपयोगी कोश्री अैसा काम भी सीखेंगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और वे पारिश्रमिक लिये विना करे तो भी समाजके कामका हो और थोड़ा पारिश्रमिक लेकर करें तो भी कामका हो, जो उनके घरमें भी अुपयोगी हो और शायद उनके पतिके धन्वेमें भी अुपयोगी हो। अैसे विषयोंमें सामान्यतः नीचेके विषय अुपयोगी माने जा सकते हैं: बुद्ध भाषाज्ञान, सुन्दर हस्ताक्षर, बीमारोंकी सेवा-शुश्रूपा और प्राथमिक तथा घरेलू अुपचार, घरमें किये जा सकनेवाले व्यायाम और प्राथमिक तालीम देनेकी योग्यता। जिसमें थोड़ा प्राथमिक, गरीबोंको पुस्तानेवाला और विना खर्चके परिवारको आनन्द दे सके अैसा कलाज्ञान तथा दृष्टिको विनाश बनाने और अवलोकन शक्तिको बढ़ाने जिस ढंगसे दिया जानेवाला भूगोल, इतिहास और विज्ञानका शिक्षण जोड़ दें, तो कहा जायगा कि मध्यमवर्गकी सामान्य तालीम पूरी हो गयी। अितनेसे मध्यम वर्गकी अविकतर वालाओंकी तालीम भी पूरी हुयी कही जायगी।

यदि जिस दृष्टिसे और जिस ढंगसे भलीभांति शिक्षा दी जाय, तो कदम-कदम पर मालूम पड़ेगा कि लड़की शालामें जो कुछ सीखकर

आती है वह घरके लिये उपयोगी है, और घरमें माता-पिताको जिस बातका भी पता चल जायगा कि लड़की पर शालाका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज तो शालामें पढनेवाली लड़की घरमें बोझ बन जाती है, और घरमें यदि माता-पिताका हृदय न हो तो दूसरे पालक यह बोझ थुठानेके लिये शायद ही तैयार होते हैं।

जिसके पश्चात् अुच्च तालीम प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाली लड़कियोंके लिये मेरे विचारसे तालीमका वही स्वरूप होना चाहिये, जो मैंने अूपर वनिता-विश्राम जैसी संस्थाओके लिये पेश किया है। जिन्हें डॉक्टरी, ककालत, साहित्य, विज्ञान आदि विषयोमें ही पारगत होना है, वे लड़कोके लिये चलनेवाले महाविद्यालयोंमें पढ़ें तो अुसमें मुझे कोअी दोष नहीं मालूम होता। अैसी तालीम लेनेवाली स्त्रिया कुछ प्रतिशत ही होगी, अत अुनसे समाजको कोअी नुकसान नहीं होगा। परन्तु दूसरोका अनुकरण करके अथवा अैसी तालीम मूल्यवान या आदरकी पात्र है अैसा सोचकर लड़किया या अुनके माता-पिता अुनके प्रति अधिक मोह रखें, तो मुझे लगता है कि जिसमें तालीम-मधंवी विचारोकी मूल वुनियादमें ही दोष है। देगकी वर्तमान पराधीन म्ब्यतिमें मार्बजनिक तंत्रोको अैसी सस्थायें स्थापित करनेमें अपनी शक्ति और धन नहीं खर्च करना चाहिये, जो कुछ व्यक्तियोंके लिये ही अुपयोगी सिद्ध हों। जनताके राज्यमें अैसी संस्थाओकी न्यापना खानगी साहससे होगी और राज्यतत्र अुन्हें थोड़ी-बहुन आर्थिक सहायता देगा। परन्तु अूपर वताओ गयी ८०-९० प्रतिशत स्त्रियोंके लिये अुपयोगी सिद्ध होनेवाली सस्थायें राज्यके खर्चसे चलेंगी।

परन्तु अब शालाओकी अपेक्षा छात्रालय तालीम देनेवालोकी अधिक चिन्ताका विषय बनते जा रहे हैं। यह शुभचिह्न है। ओडेमें विषयोकी परीक्षाके लिये विद्यार्थियोंको तैयार करना तालीमका नम महत्त्वपूर्ण अंग है। अुसका अधिक महत्त्वपूर्ण अंग तो विद्यार्थियोंका चरित्र-निर्माण है, जिसकी शिक्षकोको अधिकाधिक प्रतीति होनी जा रही है। जिस कारणसे विद्यार्थियोंको रात-दिन अपनी निगाहमें अंग सहासमें रखनेकी इच्छा बढ़ती जा रही है।

जिसके अलावा छात्रालय-सबकी कल्पना भी बदलती जाती है। छात्रालयका अर्थ विद्यार्थियोंके रहने-खानेकी 'सराय' — होटल — नहीं, परन्तु अधिक महत्त्वपूर्ण शाला और व्यवस्थित घर है।

जिस विषयमें मेरा यह मत है :

३०. अच्छेसे अच्छा छात्रालय भी सुसंस्कारी माता-पिताके घरसे अधिक पसंद करने लायक नहीं माना जा सकता; सामान्य संस्कारी माता-पिताके घर और अच्छे छात्रालयके बीच भी अधिक पसंद करने लायक माता-पिताका घर ही माना जायगा, परन्तु अच्छे छात्रालयकी निन्दा नहीं की जा सकती। परन्तु जहां माता-पिता सुसंस्कार डालनेकी शक्ति. साहम या बुत्साह न रखते हों, वहां अच्छा छात्रालय घरकी अपेक्षा अधिक अच्छा निवासस्थान है।

३१. अंग्रे छात्रालयोंकी आज बड़ी आवश्यकता है। परन्तु साथ ही वे जितने मस्ते होने चाहिये कि मध्यमवर्गके गरीब लोग अंग्रेमें अपने बालकोको रख सकें।

छात्रालयमें घरसे अधिक सुविधायें भोगनेकी, कुटुम्बी जनो पर प्रेम कम हो जानेकी, खर्चीला जीवन वितानेकी और माता-पिताको छात्रालयका खर्च अठानेमें कितनी मुसीबतें झेलनी पडती है जिसकी चिन्ता न करनेकी आदत बढती है। यदि छात्रालयका थोड़ा खर्च संस्था अठती है, तो अुससे दानका अन्न खानेके लिये मध्यमवर्गमें जो गर्म पायी जाती थी वह नहीं रहती, साथ ही बिना मांगे जो सुविधायें मिलती हैं, अुन सुविधाओंमें मिली हुयी तालीम पूरी तरह सफल नहीं होती। बिना मांगे मिले हुये दानके लिये मनमें कृतज्ञता पैदा नहीं होती, बल्कि यह वृत्ति रहती है कि हमारा भाग्य हमें देता है। जिसने तालीम प्राप्त करनेकी लगन और बुत्साह भी कम रहते हैं। जिसलिये :

३२ छात्रालय यथामभव गरीबीके स्तर पर चलने चाहिये। गरीब परिवारोंमें बालकोको बचपनमें जैसा परिश्रमी जीवन विताना पडता है, वैसा जीवन विताना छात्रालयमें सारे विद्यार्थियोंके लिये

अनिवार्य होना चाहिये। छात्रालयका अितना खर्च भी जो न दे सकें, अनुसे थोडा अधिक परिश्रम कराकर मेहनताना देनेकी पद्धति रखी जा सकती है। यह मेहनताना देनेमें थोडी बुदारता भी दिखायी जा सकती है, परन्तु जहां तक बने छात्रालयका नित्य खर्च चन्दो और दानोसे नहीं चलना चाहिये।

३३. जिस विद्यार्थीका पोषण माता-पिता करते हो, उसे निजी पैसा कमानेके लिये छात्रालयमें काम नहीं मिलना चाहिये।

मैं जानता हू कि ये दोनो बातें स्वीकार करना मचालकोको कठिन मालूम होगा। परन्तु मस्याओंके विषयमें अपने अनुभव परसे मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी छात्रालयको अैसे निर्णय पर आना ही पड़ेगा। अैसे नियमोंसे रहित तालीम खर्चके अनुपातमें कम फलदायी होगी। विद्यार्थीको अैसा लगना चाहिये कि तालीम आसानीसे मिल सकनेवाली चीज नहीं है। उसे प्राप्त करनेके लिये कीमत चुकानी ही चाहिये। यह कीमत परिश्रमके रूपमें ही चुकानी चाहिये।

अूपरके विचारोके परिणाम-स्वरूप ही यह कहा जा सकता है कि

३४. छात्रालयोंमें नौकर न होने चाहिये।

मेरा बहुत बडे भोजनालयमें विस्वास नहीं है। बहुत बडे भोजनालयमें स्वच्छता कम रहती है, लापरवाही और विगाड अधिक होता है, कामका बोझ आवश्यकतासे अधिक रहता है और अूम कारणसे असन्तोष भी अधिक रहता है। भोजनालयकी अुचित मर्यादा सामान्यत १०-१२ विद्यार्थियो तक ही रहनी चाहिये। अिमका अर्थ यह नहीं कि किसी मौके पर सारे भोजनालय अेक नहीं हो सकने। १०-१२ आदमियोका भोजनालय हो तो मिट्टीके तेलके डिब्बेमें थोडा पानी भरकर अेक पर अेक रखी जा सके अैसी दो-तीन पत्तीलिया बनाकर आसानीसे सबके लिये दाल-भान-साग पकाया जा सकता है; और ये चीजें पक रही हो अुस बीच दूसरी तरफ चपानिया, भाखरियां आदि बनायी जा सकती है। अथवा अैसा कूकर नटाकर

विद्यार्थी दूसरे काम कर सकते हैं और घंटेभर बाद कूकरको संभाल सकते हैं।

परन्तु यह मेरी केवल राय ही है। जिसे सिद्धान्तका महत्त्व देना आवश्यक नहीं है।

जिस प्रकार तालीमका अर्थ है जीवनका निर्माण — जिस तात्त्विक व्याख्यासे आरम्भ करके मैं कूकर पर रमोजी बनानेकी पद्धति तक आ पहुँचा। अधिक व्योरेमें न जानेसे गोभा रहेगी, असा सोचकर यह निवन्ध मैं पूरा करता हूँ।

आशा है स्त्रियोंकी तालीमके कार्यमें जीवन वितानेवाले भाभी-वहनोको जिससे विचार करनेमें थोड़ी सहायता मिलेगी और उनकी चर्चासे मुझे भी लाभ होगा।

स्त्री-जाति अपने बल और अपने कार्यक्षेत्रकी दिशा अच्छी तरह समझे, पुरुषोका तथा उनके कार्योंका अनुकरण करनेका ही आदर्श अपने समक्ष न रखे, अपनेको पुरुषोकी आश्रित और अधीन न माने, पुरुषोंको गलत ढंगसे रिझानेका भी प्रयत्न न करे और फिर भी स्त्री-पुरुष दोनोंसे बना हुआ संसार अक-दूसरेके मेलमे रचा जाय — असी स्थितिकी कामना करता हुआ मैं अपना निवन्ध समाप्त करता हूँ।

अंक सिखानेके वारेमें सूचना

हमारे यहा ११ से १०० तक के अंक 'अंक पर अंक ग्यारह, अंक पर दो बारह, दो पर सुन बीस' वगैरा बोलनेकी आदत है। यह आदत गलत है। यह आदत 'ग्यारह, बारह . ' लिखनेकी यात्रिक पद्धति सूचित करती है, परन्तु यह नहीं बताती कि वह सख्या क्या है। जिसके बजाय बालकको असा बोलकर लिखना सिखाना चाहिये—'दस और अंक ग्यारह, दस और दो बारह, दस और तीन तेरह, . दस और दस बीस, बीस और अंक अक्कीस, बीस और दस तीस' वगैरा। ये अंक लिखनेकी रीति भी नीचे लिखे अनुनार तस्ते पर या अकपोथीमें बताया जानी चाहिये

$१० + १ = ११$	$२० + १ = २१$
$१० + २ = १२$	$२० + २ = २२$
$१० + ३ = १३$	$२० + ३ = २३$
$१० + १० = २०$	$२० + १० = ३०$

जिस तरह बोलने और देखनेसे बालकको जिस बातका खयाल जल्दी आने लगता है कि बाजी ओरकी सख्या दहाश्रीकी है।

गुणाकारके पहाडोमें नीचे बताये अनुनार तस्ते या पट्टी पर लिखकर बालकको आरभमें पहाडे बनानेकी रीतिका खयाल कराना चाहिये। बुदाहरणके लिये छहका पहाडा

। । । । । ।	१	६
। । । । । ।	२	१२
। । । । । ।	३	१८

जिस रीतिसे बालक गिनकर पहाडा तैयार कर सकता है। जिसलिये असे यह मालूम पड़ता है कि दार-दार किये जानेवाले जो

ही पहाड़में याद रखने होते हैं, और गुणाकारका अर्थ ब्युसकी समझमें आता है। बिनके अलावा, एक पहाड़ा मुहसे याद हो जानेके बाद हमरा पहाड़ा शिक्षक लिख दे बिनके बजाय बालक खुद ही बना सकता है।

ये विचार बालकोंको अंक और पहाड़े सिखानेके प्रयत्नमें से ही मुझे सूझे हैं और मैंने बिनका अनुभव भी किया है। आशा है ये ब्युपयोगी मिथ्र होंगे। *

* मुझे यह भी लगता है कि ब्युन्नीस, ब्युनतीस, ब्युनचालीस आदि शब्दोंको हम बदल दें तो ठीक होगा। बिनके लिये क्रमशः नीचेके शब्दोंका ब्युपयोग होना चाहिये :

गुजराती	हिन्दी	मराठी
१९ नवार	नौरह	नौरा
२९ नव्वीम	नौअम	नव्वीम
३९ नवत्रीस	नौतीस	नौतीस
४९ नवत्राळीस	नौतालीस	नवेचाळीस
५९ नवावन	नौवन	नवावन
६९ नवसठ	नौमठ	नौमठ
७९ नवत्तर	नवत्तर	नव्हत्तर
८९ नेव्याशी	नवस्नी	नव्याशी
९९ नव्वाणुं	निन्यानवे	नव्याणु

